लोक सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[तेरहवां सत्र / Thirteenth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 51 में अंक 31 से 40 तक हैं / Vol. LI Contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

Preservation Unit
Fumigated On
Parliament Library

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

22 LSS/75—1

विषय सूची/CONTENTS

अंक 32, शुक्रवार, 11 अप्रैल, 1975/21 चैत्र, 1897 (शक)

No. 32, Friday, April 11, 1975/Chaitra 21, 1897 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
निधन संबन्धी उल्लेख	OBITUARY REFERENCE	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS :	
*तारांकित प्रश्न संख्या 608, 611, 613, 614, 617, 620 और 623	*Starred Questions No. 608, 611, 613, 614, 617 and 620, 623 . . .	3—14
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS :	
तारांकित प्रश्न संख्या 609, 610, 612, 615, 616, 618, 619, 621, 622 और 624, से 627	Starred Questions Nos. 609, 610, 612, 615, 616, 618, 619, 621, 622 and 624 to 627	15—21
अतारांकित प्रश्न संख्या 5877 से 5879 और 5881 से 6077	Unstarred Questions Nos. 5877 to 5879 and 5881 to 6077. . .	21—138
स्थगन प्रस्तावों के बारे में (प्रश्न)	Re. Adjournment Motions (Query)	139
सभा पटल पर रखे गए पत्र	Papers laid on the Table . .	144
विधेयकों पर अनुमति	Assent to Bills	145
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee	
152 वां प्रतिवेदन	Hundred and fiftysecond Report .	146
सिक्किम की स्थिति के बारे में वक्तव्य	Statement on the Situation in Sikkim	
श्री यशवन्त राव चव्हाण	Shri Yeshwantrao Chavan . .	146
भूतपूर्व पश्चिम और पूर्व पाकिस्तान में भारतीय लोगों की सम्पत्ति के लिए अनुग्रह पूर्वक मुआवजे की अदायगी के बारे में वक्तव्य	Statement re. payment of ex-gratia compensation for properties of Indians in former West and East Pakistan	149
प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय	Prof. D. P. Chattopadhyaya. . .	149
दक्षिण क्षेत्र में नए इस्पात संयंत्रों के बारे में वक्तव्य	Statement re. New Steel Plants in Southern Region	
श्री चन्द्रजीत यादव	Shri Chandrajit Yadav . . .	150

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
नियम 377 के अधीन मामला	Matter under rule 377	151
राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा संचालित कपड़ा मिलों की कतिपय समस्यायें	Problems confronting the Textile Mills managed by the National Textile Corporation	151
अनुदानों की मागें, 1975-76	Demands for Grants, 1975-76	153
कृषि और सिंचाई मंत्रालय	Ministry of Agriculture and Irrigation	153
श्री ब्रजराज सिंह कोटा	Shri Brij Raj Singh Kota . .	153
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B. R. Shukla . .	155
श्री गिरिधर गोमान्गो	Shri Giridhar Gomango .	155
श्री साधू राम	Shri Sadhu Ram .	156
श्री अनादि चरण दास	Shri Anadi Charan Das	156
श्री पन्नालाल बारुपाल	Shri Panna Lal Barupal	157
श्री सी० डी० गौतम	Shri C. D. Gautam .	158
श्री के० एम० मधुकर	Shri K. M. Madhukar	158
श्री पाओकाई हाओकिप	Shri Paokai Haokip .	158
श्री भगत राम मनहर	Shri Bhagat Ram Manhar	159
श्री राम चन्द्र विकल	Shri Ram Chandra Vikal . . .	159
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—54वां प्रतिवेदन	Committee on Private Members Bills and Resolutions—Fifty Fourth Report	160
महिलाओं के प्रति आर्थिक तथा सामाजिक अन्याय को दूर करने संबन्धी उपायों के बारे में संकल्प—वाद-विवाद स्थगित हुआ।	Resolution re. measures to remove Economic and Social Injustices to Women	160
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta . . .	160
श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा	Shrimati T. Lakshmikanthamma	164
श्रीमती विभा घोष गोस्वामी	Shrimati Bibha Ghosh Goswami	165
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B. R. Shukla .	168
श्री जगन्नाथ राव जोशी	Shri Jagannathrao Joshi	169
श्री परिपूर्णानन्द पेन्यूली	Shri Paripoornanand Painuli	169
श्री जे. मैथा गौडर	Shri J. Matha Gowder . .	170
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के लापता होने संबन्धी जांच आयोग के प्रतिवेदन के बारे में संकल्प	Resolution re. Report of Commission of Inquiry into Disappearance of Netaji Subhas Chandra Bose .	172
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	172

प्रश्न	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
	आधे घंटे की चर्चा	Half an Hour Discussion .	173
	दहेज निषेध अधिनियम	Dowry Prohibition Act . .	173
	सरदार स्वर्ण सिंह सोखी	Sardar Swaran Singh Sokhi	173
	डा० सरोजिनी महिषी	Dr. Sarojini Mahishi . .	174

लोक-सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त अनूदित संस्करण)
LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 11 अप्रैल, 1975/21 चैत्र, 1897 (शक)

Friday, April 11, 1975/ Chaitra 21, 1897 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the Chair]

निधन संबंधी उल्लेख
OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय: मुझे सदन को श्री पाशा भाई पटेल के दुखद निधन की सूचना देनी है जो बम्बई में 10 अप्रैल, 1975 को 74 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो गये थे।

श्री पाशाभाई पटेल 1967--70 के दौरान चौथी लोकसभा के सदस्य थे, इन्होंने गुजरात के बड़ौदा चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने 1921 में असहयोग आन्दोलन के दौरान अध्ययन छोड़ दिया था। श्री पटेल ने जो एक उद्योगपति और व्यापारी थे, स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रीय नेताओं को नजरबन्द किए जाने के विरोध में आयकर की भारी धनराशि का भुगतान करने से इनकार करने पर कारागार की सजा भुगती। उन्होंने देश विदेश की व्यापक यात्रा की तथा उनके सम्पर्क में आने वाले सभी लोग उनके विनम्र स्वभाव के कारण उन्हें चाहते थे।

हमें अपने इस मित्र के निधन पर अत्यन्त खेद है और मुझे विश्वास है कि सभा भी उनके शोक सन्तप्त परिवार को अपनी संवेदनाएं भेजने में मेरा साथ देगा।

सदस्यगण शोक प्रकट करने के लिए कुछ क्षणों के लिए मौन खड़े होंगे।

इसके पश्चात् सदस्य दिवंगत आत्मा के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिये कुछ समय के लिये मौन खड़े हुए।

(The members then stood in silence for a short while)

श्री पीलू मोदी: सदन इस पर ध्यान दे कि निधन संबन्धी उल्लेखों के दौरान भी सदन के नेता अनुपस्थित हैं।

Shri Madhu Limaye : We listened to the several statements made by the Home Minister Shri Brahmananda Reddy on calling Attention motion yesterday. As he has not replied to various questions I had given a notice to suspend question hours. But I have no objection for question hour if my motion under rule 184 regarding fast unto death by Shri Morarji Desai is taken up for discussion at 12 O'clock. I want your guidance on this matter. I am surprised on your attitude. (*Interruptions*)

Mr. Spaaker : I cannot give my decision on this matter.

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री मोरारजी देसाई की डाक्टरी जांच करने के लिए सरकार ने एक डाक्टर नियुक्त किया है । क्या श्री रघुरामैया सदन को बतायेंगे कि श्री मोरारजी देसाई का स्वास्थ्य कैसा है ? हम उनके स्वास्थ्य के बारे में ताजा बुलेटिन चाहते हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जहां तक नियम 184 के अधीन प्रस्तावों का संबन्ध है ऐसे सभी प्रस्तावों पर कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारित कर दिया गया है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : जी, नहीं श्रीमान जी, अब अत्यन्त गंभीर और महत्वपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है । इस पर सदन को विचार करना ही है ।

अध्यक्ष महोदय : आप इस मामले का गत 2–3 दिन से उल्लेख कर रहे हैं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या आप यह कहना चाहते हैं कि हमने जो 3 या 4 सप्ताह पहले निर्णय लिया था वह वर्तमान परिस्थितियों में भी ठीक है ? कार्य मंत्रणा समिति की बैठक कब हुई थी ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो 3 या 4 सप्ताह पहले ही हुई थी ?

Shri Madhu Limaye : You were not here yesterday. Various questions raised were not replied. The question aked by Shri Mavalankar whether you have alerted the Army has not been replied I asked whether famine has been declared in Gujarat.

Shri K. S. Chavada : No reply has been given regarding the appointment of Returning Officer.

श्री पी० जी० मावलंकर : यदि आप कल उपस्थित होते तो आप को पता लग जाता कि मेरे कई प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया है । **(व्यवधान)**

श्री बी० वी० नायक : यह तो प्रतिदिन होता है । **(व्यवधान)**

श्री मधु लिमये : आपके प्रश्न का भी उत्तर नहीं दिया गया । I want your guidance on this matter.

Mr. Speaker : This fast will continue so far as calling attention is concerned you took three hours whereas only 45 minutes were allocated for this.

श्री पीलू मोदी : 6 घंटे भी काफी नहीं थे क्योंकि मंत्री महोदय को कुछ भी पता नहीं था।

Mr. Speaker : You have been taking time for the last two days so far as the motions under rule 184 is concerned you must be aware that time is given in consultation with the leader. . .

श्री पीलू मोदी : नेता कहां हैं ?

अध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मंत्री नेता का तिनिधित्व करते हैं।

श्री मधु लिमये : संसदीय कार्य मंत्री सदन के नेता का कार्यभार नहीं सम्भाल सकते ।

अध्यक्ष महोदय : सदन की कार्यवाही के मामले में वह सदन के नेता का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब हम प्रश्नों पर विचार करते हैं। **(व्यवधान)**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

चीनी का निर्यात

*608. **श्री मोहिन्दर सिंह गिल :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चीनी उद्योग से संबन्धित लोगों ने सरकार से अनुरोध किया है कि निर्यात के लिये क्रयादेशों की अभी से बुकिंग करके चीनी के अब तक के सर्वाधिक उत्पादन का लाभ उठाया जाये ;

(ख) क्या इस सन्दर्भ में सरकार इस मामले में मौके पर निर्णय करने के लिये एक उच्च शक्ति प्राप्त अन्तःमंत्रालय समिति के गठन के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष उत्पादन के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां। 1974-75 मौसम में जिस उच्चतर स्तर पर उत्पादन हुआ उसको देखते हुए निर्यात बढ़ाने के लिये अभ्यावेदन किये गये हैं।

(ख) चीनी के निर्यात का काम राज्य व्यापार निगम को सौंपा गया है जो नई फसल से चीनी का निर्यात करने के लिये शीघ्रतापूर्वक कार्यवाही कर रहा है ।

(ग) उपलब्ध देशी चीनी निर्यात करने के लिये इस वर्ष सभी प्रयास किये जा रहे हैं ।

Mr. Mohinder Singh Gill : I want to know from hon. Minister that against 5.5 lakhs tonnes sugar exported last year, how much quantity of sugar will be exported during the year 1974-75 and the rate per quintal thereof ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : वर्ष 1974-75 में हमने कुल 2.26 लाख टन चीनी निर्यात की जिसका मूल्य 316 करोड़ रुपये था। इस वर्ष हमने कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है क्योंकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी आन्तरिक खपत के बाद पता चलेगा कि हमारे पास कितनी फालतू चीनी बचती है । गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष उत्पादन अच्छा हुआ है और हमें आशा है कि हम इस वर्ष पहले की तुलना में अधिक निर्यात कर सकेंगे। मूल्य कई बातों पर निर्भर करते है जैसे अन्य देशों का कुल उत्पादन, वहां गेहूं की फसल की सम्भावनाएं तथा अन्य बातें । लेकिन गत वर्ष के मूल्य की तुलना में इस वर्ष मूल्य कम होंगे।

Shri Mohinder Singh Gill : At what rate sugar was sold last year ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : गत वर्ष, कोई एक समान मूल्य नहीं था। कभी तो हमने 292 पौंड प्रति क्विंटल बेची थी और कभी 316 पौंड तथा 350 पौंड प्रति क्विंटल। अतः चीनी का मूल्य समय-समय पर कई कारणों पर निर्भर करता है ।

श्री प्रबोध चन्द्र : मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि आयात करने वाले देश हमें कम मूल्य देने का भरसक प्रयास करते हैं तो उन देशों में इसका बाजार मूल्य क्या है ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : लण्डन टाईम्स द्वारा दिए गए भावों के अनुसार हमें जो मूल्य मिला है वह विश्व मूल्य के बराबर है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : उन्होंने भिन्न प्रश्न पूछा है। उनका प्रश्न है कि क्या आयातक देश हमें कम मूल्य देने का भरसक प्रयास करते हैं।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैंने इस प्रश्न का इस प्रकार उत्तर दिया है। मुझे इस कार्यवाही की तो जानकारी नहीं है, लेकिन हमें प्राप्त मूल्यों से यह पता चलता है कि यदि ऐसा कोई प्रयास किया गया है तो वह सफल सिद्ध नहीं हुआ है। हमने उच्चतम संभाव्य मूल्य प्राप्त किया है।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या यह सच नहीं है कि हमें अन्तर्राष्ट्रीय मंडी में अन्य निर्यातक देशों की तुलना में कम मूल्य मिला है ?

श्री एच० एम० पटेल : क्या यह सच नहीं है कि मूल्य बहुत तेजी से घट रहे हैं और इसलिए निर्यात से होने वाला लाभ कम होगा। आपको कुछ राज सहायता देनी पड़ेगी। क्या आप इसके लिए तैयार हैं ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष मूल्य कम होगें। राजसहायता का प्रश्न नहीं उठता। स्थिति अभी इतनी खराब नहीं है।

श्री एच० एम० पटेल : क्या मूल्य में भारी गिरावट नहीं हुई है ?

प्रो० डी०पी० चट्टोपाध्याय : तुलनात्मक दृष्टि से कम गिरावट आई है। मैं इसे भारी नट गिरा नहीं कहता।

श्री बी० वी० नायक : मैं जानना चाहता हूं कि क्या चीनी के निर्यात से हमें होने वाला लाभ खाद्यान्नों के आयात करने से अधिक होगा ? क्या वाणिज्य मंत्रालय यह भूल रहा है कि चीनी के निर्यात से होने वाला लाभ खाद्यान्नों के आयात करने से समाप्त हो जाता है और गन्ना इतना अधिक पैदा हो गया है कि महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री श्री चव्हाण चीनी के बदले अन्य खाद्यान्नों का उत्पादन कराना चाहते हैं। अतः क्या खाद्यान्नों के आयात और चीनी के निर्यात के मामले में समानता रखी जायेगी। दूसरे शब्दों में, क्या हम गन्ने के उत्पादन की तुलना में अन्य खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा रहे हैं ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय: जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, हम ने राज्य व्यापार निगम के माध्यम से 316 करोड़ रुपये की चीनी तथा कृषि मंत्रालय के माध्यम से 21 करोड़ रुपये की चीनी निर्यात की है। लेकिन हमारी खाद्य की मांग अधिक होने के कारण हमें खाद्यान्नों के लिए अधिक मूल्य देना पड़ा है। लेकिन खाद्यान्नों की निर्यात आवश्यकता में असमानता होने के कारण समानता लाना संभव नहीं है।

श्री इंद्रजीत गुप्त : क्या मंत्री महोदय हमें यह बतायेंगे कि पिछली बार कौन से देश चीनी के मुख्य खरीदार थे और उन्हें कितने मूल्य की चीनी निर्यात की गई ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : हमारी चीनी खरीदने वालों में ईरान, सूडान, इन्डोनेशिया, श्रीलंका, मोराकू, मिश्र, अदन, जोरदन, दमन, एफ०आर०जी० तथा मालदीप हैं। ईरान ने सब से अधिक मात्रा में चीनी खरीदी है। सूडान और इन्डोनेशिया का क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान है।

कलकत्ता स्थित सेंट्रल बैंक आफ इंडिया में कथित घोटाला

*611. **श्री शक्ति कुमार सरकार†:**

श्री एम० कतामुत्तु :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता स्थित सेंट्रल बैंक आफ इंडिया में लगभग 51 लाख रुपये के एक घोटाले का पता लगने पर बैंक के एक एजेन्ट तथा कुछ अन्य कर्मचारियों को मुअत्तिल कर दिया गया है ?

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी तथ्य क्या हैं और इस संबन्ध में आगे क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख) सेंट्रल बैंक आफ इंडिया ने सूचित किया है कि फरवरी-मई, 1974 में ब्रैबोर्न रोड शाखा में की गई आन्तरिक लेखा-परीक्षा के दौरान, लेखा-परीक्षकों को पता चला कि वर्ष 1973-74 के दौरान, कलकत्ता स्थित रसायनों और रंगों का व्यवसाय करने वाली कुछ कंपनियों ने बैंक के साथ धोखेबाजी की है । बैंक ने अपने केन्द्रीय कार्यालय के निरीक्षण विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा इस मामले में और जांच करायी थी। बैंक के कुछ कर्मचारियों तथा उक्त कम्पनियों के मालिकों में कुछ सांठ-गांठ की संभावना का पता लगा । बताते हैं कि इन मामलों में कार्यप्रणाली यह अपनायी गयी थी कि बैंक के पास बंधक/दृष्टिबंधक रखे गये भंडार में नकली रसायनों का भंडार रख दिया जाता था और बैंक से जाली बिलों का भुगतान ले लिया जाता था। बैंक का अनुमान है कि इस मामले में कुल 51 लाख रुपये की रकम अन्तर्ग्रस्त है ।

बैंक ने केन्द्रीय जांच ब्यूरों को फौजदारी की एक शिकायत दर्ज करा दी है ; जिसने मामले को रजिस्टर कर लिया है और जांच-पड़ताल शुरू कर दी है । बैंक ने इस मामले में सम्मिलित 14 फर्मों के विरुद्ध बैंक को देय-राशि की वसूली के लिये दीवानी मुकदमें भी दायर किये हैं और बैंक-क्षतिपूर्ति-पालिसी के अधीन हानि की प्रतिपूर्ति के लिये बीमा कम्पनी पर भी दावा कर दिया है । बैंक ने अब तक 4 कर्मचारियों को जिन पर इन धोखेबाजी के लेन-देनों में शामिल होने का आरोप है, निलम्बित कर दिया है ।

श्री शक्ति कुमार सरकार : 1974 में सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया का कलकत्ता स्थित क्षेत्रीय कार्यालय जल कर राख हो गया था। यह घटना अभी तक रहस्य बनी हुई है और यह रहस्य अभी तक हल नहीं हुआ है । दिए गए उत्तर से हमें पता चला है कि उसी वर्ष कलकत्ता की रसायन और रंगों का व्यापार करने वाली कुछ फर्मों ने 51 लाख रुपये की धोखाधड़ी की। मैं उन फर्मों के नाम तथा उन फर्मों के मालिकों के नाम जानना चाहता हूं।

श्री सी० सब्रह्मण्यम : निःसंदेह मुख्य भवन अग्निकाण्ड की दुर्घटना हुई थी। लेकिन इसका बैंक की ब्राबोर्न स्थित शाखा में धोखे धड़ी की घटना से कोई संबन्ध नहीं है। घोखेधड़ी के मामले में अन्तर्ग्रस्त 14 फर्मों में से 10 फर्में जाली हैं। अन्तर्ग्रस्त साझेदारों और मालिकों के कुछ नाम निम्नलिखित हैं :

श्री गुलाब राय पी० चन्द्राणा,
श्री नौरमद ओधवजी भट्ट,
श्री राजेन्द्र के० चन्द्राणा,
श्री रासमुख सन्दरजी जसनी,
श्री मुकुन प्रसाद मेहता,
श्री रासमुख आर० शाह,
श्री रासमुख आर० मारवाना,
श्री जयन्तीलाल शाह।

श्री शक्ति कुमार सरकार : मंत्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर के अनुसार अधिकांश फर्में जाली हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन फर्मों ने समूचे देश में इस प्रकार के धोखे धड़ी के काम का जाल बिछा रखा है और क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के कुछ अधिकारियों की सांठ-गांठ से इन बैंकों में बढ़ रहे भ्रष्टाचार को दृष्टि में रखते हुए उनका विचार इन सभी मामलों की जांच करने के लिए एक विशेष (सैल) विभाग बनाने का है ताकि ऐसी घटनाएं भविष्य में फिर न होने पायें।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत नहीं हूं कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है ? करोड़ों रुपये के भारी लेन-देन को दृष्टि में रखते हुए धोखेधड़ी की ऐसी घटनाएं बहुत सीमित हैं। यह बहुत ही साहसिक धोखेबाजी की घटना प्रतीत होती है। इसलिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो इसकी जांच कर रहा है। यदि उसने इस प्रकार की धोखेबाजी की गतिविधियों के जाल का पता लगाया तो मुझे आशा है कि जांच पड़ताल से सब कुछ पता चल जायेगा। रिजर्व बैंक ने तो अपना विशेष विभाग बनाया हुआ है और वह इस बात का पता लगाने का प्रयास करता है कि क्या बैंकों का कार्य व्यापार संतोषजनक चल रहा है।

जोरहाट और लीलाबाड़ी हवाई अड्डों का सुधार

*613. **श्री विश्वनारायण शास्त्री** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोरहाट और लीलाबाड़ी हवाई अड्डों के सुधार की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब से आरम्भ किया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) जोरहाट हवाई अड्डे पर (जो कि भारतीय वायुसेना के स्वामित्व में है) एक सिविल एन्क्लेव बनाने तथा लीलाबाड़ी हवाई अड्डे पर वर्तमान टर्मिनल भवन का विस्तार करने के लिये नागर विमानन विभाग द्वारा योजनायें तैयार कर ली गयी हैं। दोनों कार्यों के चालू वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ कर दिये जाने की आशा है।

श्री विश्वनारायण शास्त्री : यह सर्वविदित है कि देश के पूर्वी क्षेत्र में रेलवे संचार व्यवस्था बहुत कम है। अतः लोगों को मजबूरन हवाई जहाज द्वारा यात्रा करनी पड़ती है। वहां पर हवाई यात्रा

ऐशों-आराम की यात्रा नहीं हैं । इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वहां पर हवाई अड्डे के छोटे से भवन के प्रस्तावित नवनिर्माण के अतिरिक्त वह वहां पर हवाई संचार व्यवस्था में सुधार करने, तकनीकी उपकरण लगाने और यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कौन-कौन से अन्य कदम उठाने का विचार कर रहे हैं ।

दूसरे लीलाबाड़ी अरुणाचल प्रदेश के मुख्य भाग के लिए एअर ड्रापिंग के लिए हवाई अड्डा है और उस राज्य की राजधानी के लिए हवाई अड्डा है । क्या मैं जान सकता हूं कि लीलाबाड़ी और कलकत्ता के बीच हवाई सेवा गोहाटी से होकर जायेगी।

श्री राज बहादुर : इस समय क्षेत्र की संचार संबन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध हैं : सप्ताह में चार बार कलकत्ता-जोरहाट-लीलाबाड़ी-मोहनबाड़ी और वापस फोकर सेवा सप्ताह में तीन बार कलकत्ता-दीमापुर-जोरहाट-लीलाबाड़ी और वापस; सप्ताह में चार बार कलकत्ता गोहाटी-दीमापुर-जोरहाट और वापस; सप्ताह में तीन बार कलकत्ता-गोहाटी-तेजपुर-जोरहाट और वापस । इन्डियन एअरलाईन्स की फ्लीट स्थिति सम्बन्धी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं ।

जहां तक यात्री सुविधाओं का संबन्ध है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमारे पास जोरहाट पर एक सिविल एन्क्लेव बनाने और वर्तमान टर्मिनल भवन का विस्तार करने की योजना है।

एअर-ड्रापिंग का मामला अन्य विभागों के अन्तर्गत आता है । परन्तु यात्री सुविधाओं और हवाई जहाजों के सुरक्षित उतरने हेतु सहायता और उपकरणों के लिए हम योजना के अनुसार यथासंभव प्रयास कर रहे हैं ।

श्री विश्वनारायण शास्त्री : गोहाटी को आसाम की राजधानी होते हुए भी उचित रूप से जोड़ा नहीं गया है । लीलाबाड़ी और गोहाटी के बीच कोई सेवा नहीं है । मैं मंत्री महोदय से इन स्थानों को जोड़ने वाली सेवा के बारे में आश्वासन चाहता हूं।

श्री राज बहादुर : फ्लीट स्थिति सुधरने पर हम विचार करेंगे। हम इस मांग को ध्यान में रखेंगे।

श्री समर मुखर्जी : केवल तीन दिन पहले मैं आसाम से बारास्ता चाबुआ हवाई अड्डे से आया था। चाबुआ और मोहनबाड़ी एक ही हवाई अड्डा नहीं है, वे दो अलग-2 हवाई अड्डे हैं । चाबुआ रक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन है । अब चाबुआ का प्रयोग किया जा रहा है और मोहनबाड़ी की मरम्मत की जा रही है । चूंकि चाबुआ हवाई अड्डा रक्षा विभाग के अधीन है अतः यात्रियों को छावनी क्षेत्र के अहाते में कार द्वारा जाने की अनुमति नहीं है । अतः उन्हें अपनी कारें बाहर छोड़नी पड़ती हैं । यह दूरी लगभग 1 मील है । इस प्रकार उन्हें परेशानी होती है ।

दूसरे चाबुआ हवाई अड्डे पर चाय का कोई स्टाल नहीं है । यात्री सुविधाएं नहीं हैं। सारा स्टाफ डिब्रूगढ़ से कोच से आता है और जहाज के जाने के तुरन्त बाद चला जाता है । सभी कमरों में ताला लगा होता है । मुझे वहां रुकना पड़ा क्योंकि मौसम खराब होने के कारण 7 तारीख को उड़ान रद्द कर दी गई थी। वहां पर चाय का भी कोई प्रबन्ध नहीं था। यात्रियों ने मुझ से शिकायत की और कहा कि मैं इस बारे में मंत्री से बातचीत करूं। अतः मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि वह यात्रियों की कठिनाई दूर करें और मोहनबाड़ी हवाई अड्डे का शीघ्र पुनःनिर्माण किया जाये।

श्री राज बहादुर : मैं जानता हूं कि चाबुआ हवाई अड्डा वायु सेना के नियंत्रणाधीन है जबकि मोहनबाड़ी डी०जी०सी०ए० के अधीन है जिससे हम संबन्धित हैं। हम वहां पर हो रहे मरम्मत कार्य को शीघ्र पूरा कराने का प्रयत्न करेंगे। इस दौरान हम वायु सेना के अधिकारियों से यात्रियों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करने हेतु, जो सुरक्षा को ध्यान में रखकर दी जा सकती हैं, मामले पर बातचीत करेंगे।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : क्या यह सच है कि जोरहाट अथवा लीलाबाड़ी अथवा गोहाटी हवाई अड्डों पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है जिससे यात्रियों को कठिनाई हो रही है। क्या मंत्री जी स्थिति को सुधारने के लिए कोई कार्यवाही करेंगे।

श्री राज बहादुर : चिकित्सा सुविधाएं ?

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : जैसे प्रथमोपचार।

श्री राज बहादुर : मैं जानकारी प्राप्त करके इस पर विचार करूंगा।

Shri Hukam Chand Kachwai : When a plane is late by 2-4 hours neither eatables nor drinks are available at any airport. If a plane is late by 2-4 hours whether arrangements will be made for breakfast and meals as the case may be ?

Shri Raj Bahadur : Members and passengers have genuine difficulty about catering. It is not possible to serve meals if the flight is of 20-30 minutes duration. Besides we are effecting economy.

Shri Atal Bihari Vajpayee : The flight between Sri Lanka and Madras is an internals one. Many foreigners travel by this flight. Only biscuits are served in it at the time of meals. The fare may be increased by Rs. 10 & 15 but this impression should not be given to foreigners.

Shri Raj Bahadur : We are going to take action in this regard very soon but economy point of view must be kept in mind.

Shri Hukam Chand Kachwai : The fares have been increased but serving of meals, breakfast has been stopped. This is the complaint of all Members. Aerodromes are located 10-12 miles away. Arrangemnents for breakfast must be made.

श्री पीलू मोदी : यह बड़ी हैरानी की बात है। इसके लिए कोई बहाना नहीं हो सकता।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : आप 5 रुपये अधिक ले लें परन्तु खाने का प्रबन्ध किया जाये।

श्री वसन्त साठे : इन दिनों विमान परिचारिकाओं के पास कोई काम नहीं है।

Mr. Speaker : Shri Raj Bahadur to please look into the matter that the plane, which comes from Colombo, is a very small one. It is smaller than the planes operating from one place to another in the country. It looks like tam-tam. It gives bad impression. The way in which air-hostesses ask is not proper.

बाक्साइट अयस्क का निर्यात

*614. **श्री पी० रंगानाथ शिनाय :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के बाक्साइट अयस्क की विदेशों में मांग है ;

(ख) यदि हां, तो क्या विदेशी मांग का पूरा लाभ उठाया जा रहा है ; और

(ग) किन-किन देशों ने भारत के बाक्साइट में रुचि दिखाई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) छोटी मात्राओं में बाक्साइट के निर्यात जापान, जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य, चैकोस्लोवाकिया और बंगलादेश को किये गये हैं ।

भारत से बाक्साइट के निर्यात सीमित मात्रा में हैं क्योंकि आन्तरिक परिवहन की ऊंची लागत, अपर्याप्त पत्तन सुविधाओं और ऊंचे समुद्री भाड़े के कारण वे विदेशी खरीदारों के लिये अलाभकर हैं।

श्री पी० आर० शिनाय : बाक्साइट नये मंगलौर पत्तन के तटीय क्षेत्र में साउथ कनारा जिले में पश्चिमी घाट में भारी मात्रा में उपलब्ध हैं । इसका आर्थिक दृष्टि से लाभदायक दर पर निर्यात किया जा सकता है क्योंकि अन्तर्राज्यीय परिवहन निहित नहीं है । इसका निर्यात विशेष रूप से ईरान, ईराक, और अन्य पश्चिमी एशिया के देशों को किया जा सकता है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने पश्चिमी एशिया के देशों को निर्यात करने की संभावना पर विचार किया है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : किसी खनिज का निर्यात करने से पूर्व हमें घरेलू मांग को ध्यान में रखना होता है । हमारे यहां बाक्साइट को एल्यूमिना में, एल्युमीनियम उत्पादों में बदलने के लिए अपने उद्योग हैं । ऊचें ग्रेड की बाक्साइट पर हमने प्रतिवन्ध लगाया है क्योंकि देश में इसकी आवश्यकता है । 50 प्र० से अधिक एल्यूमीनियम वाली बाक्साइट पर प्रतिबन्ध है । 40 से 50 प्र० तक एल्यूमिना वाली और 5 प्र० से कम सिलिका वाली बाक्साइट पर प्रतिबन्ध है । परन्तु अन्य ग्रेड की बाक्साइट का उन्मुक्त निर्यात किया जाता है । निर्यात संबन्धी अन्य कठिनाइयां परिवहन लागत और अन्य देशों की प्रतियोगिता है ।

श्री पी० आर० शिनाय : मेरी शिकायत यह है कि नये मंगलौर पत्तन के तटीय क्षेत्र में उपलब्ध घटिया किस्म की बाक्साइट का बिल्कुल निर्यात नहीं किया जाता है । यह वहां बेकार पड़ी है । इस अयस्क का निर्यात करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : निम्न ग्रेड के बाक्साइट पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । यदि इस प्रकार की बाक्साइट की मांग है तो हमें इसके निर्यात पर कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री रामसहाय पांडे : मध्य प्रदेश और बहुत से अन्य राज्यों में उपलब्ध ऊंचे ग्रेड की बाक्साइट की भारी क्षमता को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार एल्यूमिना पैदा करने और विदेशी मुद्रा कमाने का विचार रखती है क्योंकि एल्यूमिना की भारी मांग है एल्यूमीनियम की नहीं ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हम बाक्साइट के बजाय एल्यूमिना के निर्यात को तरजीह देंगे। हम एल्यूमिना से एल्यूमीनियम उत्पाद के निर्यात को तरजीह देंगे।

देश में खपत तथा निर्यात के लिये सूत और कपड़े का उत्पादन

*617. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना में देश में खपत और निर्यात दोनों के लिये सूत और कपड़े के उत्पादन में वृद्धि की जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सूत के उत्पादन के तरीके का विनियमन करेगी ; और

(ग) तत्संबन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) :(क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी हां। पांचवीं योजना के अन्त तक संगठित तथा विकेन्द्रित क्षेत्रों दोनों से 1000 करोड़ मीटर तक सूती कपड़े तथा 127 करोड़ कि०ग्रा० तक धागे का उत्पादन बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। इस उद्देश्य के लिए 16 लाख तकुए तथा 10000 करघे बढ़ाने की अनुमति देने का विनिश्चय किया गया है ।

(ख) तथा (ग) जी हां। उद्देश्य यह है कि हथकरघा क्षेत्र के विशेष संदर्भ में विकेन्द्रित बुनकर क्षेत्र के लिए मुक्त रूप से धागे की सप्लाई बढ़ाई जाए तथा देश भर में बुनकरों की आवश्यकताओं को प्रभावी रूप से पूरा करने के लिए कताई क्षमता का बेहतर वितरण किया जाए। कताई क्षमता में विस्तार निम्नोक्त शर्तों के अनुसार किया जाएगा :—

(क) एककों को, वस्त्र आयुक्त के निदेशों के अनुसार अपना उत्पादन गट्ठर अथवा कोन के रूप में सप्लाई करना होगा, और

(ख) नए कताई उत्पादन का 90 प्रतिशत 40 काउन्ट से कम होना चाहिए।

श्री पी० गंगादेव : देश भर में उचित दर पर मोटे और मीडियम कपड़े की कमी को ध्यान में रखते हुए क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि क्या सरकार ने उत्पादन का मानकीकरण करने की कोई योजना बनाई है ताकि कपड़े की केवल एक या दो किस्में ही पैदा की जा सकें और देश में अन्य किस्मों के उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाया जा सके और क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि देश में उत्पादित स्टेंडर्ड कपड़े का उचित भाग जनता को उपलब्ध हो और इसमें मोटे कपड़े की घटिया किस्म न हो।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : हम माननीय सदस्य द्वारा कपड़ा उद्योग में बहुत सी किस्मों, जो 1100 के लगभग हैं, को कम करने की आवश्यकता के बारे में उठाये गये प्रश्न की प्रशंसा करते हैं । उन्होंने सुझाव दिया है कि क्या हम इन किस्मों को कम करके एक या दो कर सकते हैं । स्पष्टतः यह कठिन है और इससे उत्पादन अस्तव्यस्त हो जायेगा और भारी पैमाने पर बेकारी होगी। हमने गत वर्ष से 10 % की कटौती लागू की है और धीरे 2 हम किस्में कम करने का विचार रखते हैं । मिल सेक्टर में कपड़े के कुल उत्पादन का लगभग 24 % हमने स्टेन्डर्ड कपड़े के लिए आरक्षित रखा है और हमने इस वर्ष में 1 मार्च से नय नमूने चालू किये हैं ताकि स्टेन्डर्ड कपड़े की किस्म को सुधारा जा सके।

श्री पी० गंगादेव : मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार केवल निर्यात के लिए अच्छे कपड़े की उत्पादन की अनुमति देने और इसके देश में खपत पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार कर रही है सरकार का इस सम्बन्ध में क्या निर्णय है ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : स्थिति इस प्रकार है। निर्यात किया जाने वाला सारा कपड़ा उत्तम अथवा अति उत्तम नहीं होता। मध्यम किस्म का भी होता है । किसी विशेष किस्म के कपड़े का निर्यात उसकी मांग पर निर्भर करता है । अति उत्तम और उत्तम किस्म के कपड़े की अधिक मांग नहीं है ।

श्री के० एस० चावड़ा : हथकरघा उद्योग को पर्याप्त मात्रा में कपास नहीं दिया जाता। हथकरघा उद्योग को बड़ी ऊंची कीमत पर माल खरीदना पड़ता है। इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि सरकार को हथकरघा कपड़े के निर्यात से बहुमूल्य विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, क्या सरकार धागे के निर्यात को रोकेगी और उसे हथकरघा उद्योग को दिया जायेगा?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : कपड़ा क्षेत्र में विस्तार की जो अनुमति दी गई है उसमें 90 प्रतिशत धागा काउन्ट 40 से कम है और सामान्यता उसे हथकरघा उद्योग को दे दिया जायेगा। बुनकरों के हितों को दृष्टि में रख कर ही ऐसा निर्णय किया गया है।

श्री एस० आर० दामाणी : पांचवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान 2 करोड़ 6 लाख तकलियां और 10,000 करघे लगाये जायेंगे। इस कारण अधिक कपास की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिये क्या कपास का उत्पादन बढ़ाने की ओर भी ध्यान दिया जायेगा?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : हमारा भी यही विचार है। कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रयास किये जायेंगे। जहां तक मध्यम दर्जे की कपास का प्रश्न है, सप्लाई कम चल रही है। हमारा विचार है कि इस प्रकार की कपास पैदा करने के लिये किसानों को प्रोत्साहित किया जाये। हमने मध्यम रेशे वाली कपास की 2 लाख गांठें पाकिस्तान से आयात की हैं जबकि हमारे यहां 8 लाख गांठों की कमी है।

श्री के० गोपाल : मंत्री महोदय ने प्रश्न के भाग (ख) और (ग) में बताया है कि उद्देश्य यह है कि विकेन्द्रीकृत बुनकर क्षेत्र विशेषकर हथकरघा क्षेत्र के लिये धागे की खुली सप्लाई को बढ़ाया जाये। मंत्री महोदय इस बात से सहमत होंगे कि समस्या उत्पादन की न होकर वितरण की है। धागे के उचित वितरण के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : वितरण की भी कोई समस्या है इसकी मुझे जानकारी नहीं है। विभिन्न राज्य सरकारों को धागा कपड़ा आयुक्त द्वारा अलाट किया जाता है। धागे को संभालने और उसके उचित वितरण का उत्तरदायित्व उन्हीं का है।

श्री एच० एम० पटेल : मंत्री जी ने कहा है कि यह स्टेंडर्ड कपड़े की परिभाषा में संशोधन करेंगे क्या देश में बनने वाले बढ़िया कपड़े को भी उस में शामिल किया जायेगा ताकि देश में पैदा होने वाले लम्बे रेशे वाली कपास का भी अधिक उपयोग किया जा सके। मेरा दूसरा प्रश्न यह है। मंत्रीजी ने कहा है कि मध्यम रेशे वाली कपास की कमी है। किसान को इसका उत्पादन बढ़ाने के लिये कहने के साथ-साथ क्या सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि उसका हाल भी लम्बे रेशे वाली कपास की तरह न हो।

श्री डी०पी० चट्टोपाध्याय : हमने परिभाषा पहले ही निश्चित कर दी है। लेकिन मुझे इस बात का पता नहीं है कि तकनीकी दृष्टि से लम्बे रेशे वाली कपास का उपयोग उचित है या नहीं।

श्री एच० एम० पटेल : इसका उत्पादन संभव है।

प्रो० डी०पी० चट्टोपाध्याय : मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। इस बात की जांच की जायेगी। जिस चीज की देश में खपत है और मांग है हम उसका उपयोग और उत्पादन करेंगे। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या ऐसा संभव है और क्या हमारे पास उत्पादन क्षमता है?

श्री वसंत साठे : मंत्री जी को पता है कि जब तक स्टेंडर्ड कपड़ा गरीबों के नाम पर बन रहा है तब तक कपड़ा मोटा ही तैयार किया जायेगा। हम लम्बे रेशे वाली कपास से भी स्टेंडर्ड कपड़ा बना सकते हैं जो कि फालतू होती है। क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे कि विकेन्द्रीकृत क्षेत्रों में हथकरघा उद्योग द्वारा साड़ियों के उत्पादन के लिये उसका प्रयोग किया जायेगा ? अशोक मेहता समिति द्वारा काफी समय पूर्व मध्यम दर्जे के क्षेत्र द्वारा साड़ियों के उत्पादन की सिफारिश की गई थी। लेकिन उनका उत्पादन इस क्षेत्र द्वारा नहीं किया जा रहा। क्या देश में उत्पादित कपास और धागे का पूरा उपयोग करके कपड़ा तैयार करने के प्रयास किये जायेंगे ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे चुका हूं। हम मिलों द्वारा लम्बे रेशे वाली कपास से कपड़े के उत्पादन की संभावना पर विचार कर रहे हैं।

श्री वसंत साठे : आप उचित मल्य नहीं देते तो किसान कपास का उत्पादन क्यों करेंगे ?

श्री राजा कुलकर्णी : क्या कपड़ा मिल मालिकों ने स्टेंडर्ड कपड़े तथा कुछ अन्य प्रकार के कपड़े के उत्पादन के लिये कोई अभ्यावेदन किया है ?

श्री प्रो०डी०पी० चट्टोपाध्याय : उद्योग के कुछ लोगों ने इस आशय की बात कही है कि उन्हें स्टेंडर्ड कपड़े के उत्पादन में कठिनाई है क्योंकि उसका उनके विचार से पूरा मूल्य प्राप्त नहीं होता। उत्पादन लागत 1968 से 1974 के बीच बढ़कर 105% हो गई है। पिछले वर्ष हमने 30% के उपयोग की अनुमति दी थी और अभी भी 65% का उपयोग नहीं हो रहा। इस संबन्ध में मिल मालिकों की शिकायतों पर विचार करके शीघ्र ही कोई निर्णय ले लिया जायेगा।

Shri Hukam Chand Kachwai : You have categorised power loom Industry as small scale industry and its share in the total production of cloth is quite high. But you have increased the duty from Rs. 10 to Rs. 200/- which has made the situation worse for this industry. There is no difference of duty whether a man runs one unit or two hundred units. Whether Government propose to reduce the duty and whether they will take into account units while levying duty ?

प्रो० डी०पी० चट्टोपाध्याय : इस बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता कि शुल्क कम किया जायेगा या नहीं लेकिन छोटे एककों के बारे में सोचा जा सकता है।

बड़े आकार के विमानों की खरीद

*620. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयर लाइन्स बड़े आकार के कुछ विमान खरीदने का विचार कर रही है ?

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक किन-किन देशों ने भारत से इस बारे में बातचीत की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) इंडियन एयर लाइन्स ने चौड़े बॉडी वाले विमानों की खरीद के संबंध में अपने विस्तृत प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत कर दिये हैं । ये प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं :--

प्रस्तावित विमान है।

(1) ए 300 बी, जिसे यूरोपियन एयरबस के नाम से जाना जाता है तथा जो जर्मनी, हालैंड, स्पेन तथा यू०के० के निर्माताओं के सहयोग से फ्रांस में बनाया जाता है ।

(2) डी०सी०-10.10 } यू०एस०ए० में निर्मित
(3) लाकहीड ट्राईस्टार }

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : किन कारणों से सरकार ने इन चौड़ी बॉडी वाले विमानों का चयन किया है ? दूसरे देश कौन-से हैं जिन्होंने इंडियन एयर लाइन्स को इसी प्रकार के विमानों की पेशकश की है ?

श्री राजबहादुर : जहां तक बाद वाले प्रश्न का संबंध है मैंने लिखित उत्तर में जबाब दे दिया है । जहां तक विमानों के चयन का प्रश्न है, ट्रंक मार्गों पर बढ़ रहे यातायात के कारण ही ऐसा किया गया है । ये चौड़ी बॉडी के विमान आर्थिक दृष्टि से लाभदायक हैं क्योंकि उनमें अधिक यात्री बैठ सकते हैं और बढ़ रहे यातायात की आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकते हैं।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एक लॉबी ऐसी है जो अमरीकी कंपनी के पक्ष में सरकार पर दबाव डाल रही है हालांकि अमरीकी विमानो से बेहतर विमान भी मिल सकते हैं ? सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और वह कब तक विमान खरीदेगी ?

श्री राजबहादुर : समाचार पत्रों में प्रकाशित इस प्रकार के समाचार की सरकार को जानकारी है और लॉबी का भी पता है लेकिन सरकार पर उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ता । हम अपनी आवश्यकताओं, यात्रियों के आराम और उनकी सुरक्षा, विमान की गति, आर्थिक पहलु आदि को देखकर ही विमान खरीदेंगे ।

अतः लॉबी का हम पर कोई प्रभाव नहीं और हम सोच समझ कर ही निर्णय लेंगे ।

श्री बृजराज सिंह (कोटा) : मैंने माननीय मंत्री जी द्वारा चौड़ी बॉडी के विमानों के संबंध में दी गई जानकारी को बड़े ध्यान से सुना है । क्या देश के हवाई अड्डों को ध्यान में रख निर्णय किया गया है ?

श्री राजबहादुर : यही बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यदि हमारे हवाई अड्डों पर ये विमान उतर सकें और हम उन्हें चला सकें तभी उन्हें खरीदा जायेगा ।

श्री नरेन्द्र सांघी : क्या विभिन्न प्रकार के विमानों के कारण इंडियन एयर लाइन्स को एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है ? क्या यह तथ्य नहीं है देश में विमानों का स्तर निर्धारित करके फालतू पुर्जों, तकनीकी जानकारी, इंजीनियरी योग्यता आदि पर होने वाले भारी व्यय से बचा जा सकेगा ?

श्री राजबहादुर : यह बात भी विचारनीय है । जहां तक संभव होगा हम इस दिशा में प्रयत्न करेंगे । लेकिन हमें यातायात की आवश्यकताओं और तकनीकी प्रगति की भी जानकारी रखनी है। इंडियन इयर लाइन्स इस दिशा में भी पीछे नहीं रहना है। पुराने ढंग के विमान यातायात की बढ़ रही आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पायेंगे ।

श्री चपलेंदु भट्टाचार्य : क्या सरकार ने विमान खरीदते समय विभिन्न प्रकार के विमानों द्वारा ईंधन की खंपत और भार-वहन क्षमता के विषय पर भी विचार किया है ।

श्री राजबहादुर : भार-वहन क्षमता भी एक महत्वपूर्ण बात है। वैसे मैंने परिचालन मितव्ययता की बात कही है उसमें सभी बातें आ जाती हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या सरकार ने मरम्मत किये हुए पुराने विमान खरीदने की संभावना पर भी विचार किया है जो योरूप और अमरीका में काफी सस्ते मिल जाते हैं ?

श्री राजबहादुर : खेद है, मेरे पास जानकारी नहीं है।

Decision on nationalisation of export trade of mica by M.M.T.C.

*623. **Shri Shanker Dayal Singh** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) Whether the Minerals and Metals Trading Corporation had nationalised export trade of certain varieties of mica recently ;

(b) if so, the broad details thereof ;

(c) Whether this decision has been changed under the influence exercised by big mica traders ; and

(d) if so, the facts thereof ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

5 मार्च 1975 को अभ्रक व्यापार निगम ने एक परिपत्र जारी किया था जिसमें कहा गया था कि 1 अप्रैल, 1975 से वे साधित अभ्रक के छोटे आकारों के निर्यात को पूरी तरह से अपने हाथ में ले लेगा । उन आकारों में नं० 5 तथा उससे नीचे के आकार ब्लाकों के रूप में, कंडेंसर फिल्में तथा परतें (ग्रन्थ रूप में बंधी हुई तथा खुली हुई, झाड़ी हुई तथा बिना झाड़ी हुई) आ जाती हैं चाहे वे किसी क्वालिटी की हों और कटे हुए आकारों में सब छंटी हुई हों, बशर्ते उनमें काम आने योग्य क्षेत्रफल 6 वर्ग इंचों से कम हो। उस तारीख से भूतपूर्व निर्यातकों को अभ्रक के इन आकारों के लिये विदेशी खरीदारों के साथ बिक्री के सौदे तय करने की अनुमति नहीं होगी । इस विनिश्चय में परिवर्तन नहीं किया गया है । तथापि, इस मामले पर गहराई से विचार किया जा रहा है ।

Shri Shanker Dayal Singh : Sir, about 3 lakh persons are engaged in Mica industry in Bihar's Kodarma and Giridh areas. It has sprung up as a Cottage industry. With the inception of M.M.T.C. business has expanded and it is working smoothly. But on the 5th March, 1975 MTCO issued orders that from 1st April, 1975 all the mica of smaller size *i.e.* below No. 5 would be purchased and exported by MTCO only. Will the hon. Minister state the amount of mica purchased by MTCO the amount of Capital with MTCO ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जहां तक निधि का प्रश्न है, एम०टी०सी०ओ० के पास चुकता पूंजी 0.5 करोड़ रुपये एम०एम०टी०सी० से ऋण 1.50 करोड़ रुपये और भारतीय स्टेट बैंक से नकद ऋण की सीमा 1.50 करोड़ रुपये । इस प्रकार कुल पूंजी है 3.50 करोड़ रुपये । इस मास के आरंभ से की गई कुल खरीद के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं । मैं माननीय सदस्य को बता सकता हूं।

Shri Shanker Dayal Singh : Sir, 90 per cent of mica trade depends on exports. So I want the Government to work effectively. We are exporting mica worth 20 crores of rupees. It is therefore necessary to keep at least Rs. 15 to Rs. 20 crores with MTCO to purchase mica from small traders. Whether any representation has been made to the Government after the orders issued by MMTC that MTCO will purchase and export all the mica ? Whether some of your Officers have visted Kodarma and Giridish areas ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह ठीक है कि मिटको की घोषणा के बाद प्रतिवेदन दिये गये हैं । संयुक्त सचिव श्री गिल अबरख उद्योग के कार्यकरण की जानकारी लेने के लिये बिहार गये थे । उनकी रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है । सरकार का विचार है कि मिटको को अबरख उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहनी चाहिये ।

Shri Shanker Dayal Singh : It is not the correct reply. I only want that poor people engaged in this trade should not be exploited. Will you stick to the announcement made or will that be amended ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जहां तक दुर्बल वर्ग का प्रश्न है, उनका शोषण रोका जाना चाहिये। सरकार का उद्देश्य यही है और इसलिये ये संस्थाएं स्थापित की गई हैं।

श्री चपलेंदू भटाचार्य : पिछले दस महीनों के दौरान मिटको द्वारा कितने मूल्य के आर्डर दिये गये और नकद अदायगी द्वारा कितने मूल्य का माल प्राप्त किया गया ? एक वर्ष पहले 3,000 छोटे व्यापारी इस काम में लगे थे । अब कितने व्यापारी लगे हुए हैं ? कोडरमा से गिरिडीह तक के 72 मील लम्बे अबरख वाले क्षेत्र में कितनी रोज़गारी इस अवधि के दौरान बढ़ी है?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : एक प्रश्न में इतने सारे तथ्य पूछ लिये गये हैं। मैं उन्हें यह आश्वासन देता हूं कि श्रमिकों और बेरोज़गारी के पहलुओं पर पूर्ण रूप से विचार किया जायेगा । मैं सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वह एक ही प्रश्न में एक प्रकार के तथ्य ही पूछें ।

श्री चपलेंद भट्टाचार्य : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । "मिटको महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा" क्या इसका अर्थ यह लगाया जाये कि मिटको "माइका पेपर प्लांट" लगायेगा और अबरख चूर्ण का उत्पादन किया जायेगा ? इसे अबरख के निर्यात को लाभ होगा ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह एक अच्छा सुझाव है जिस पर विचार किया जायेगा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

पर्यटन की विकास दर

*609. **श्री झारखण्डे राय** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री पर्यटन की विकास दर के बारे में 6 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3460 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में पर्यटन की विकास दर में विद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा इसमें वृद्धि करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) :(क) और (ख) पर्यटन की विकास दर ने चालू वर्ष में अभी तक कुछ सुधार दिखाया है जो कि निम्न प्रकार है:

	1974	1975	प्रतिशत परिवर्तन
जनवरी .	37,778	42,661	+12.9
फरवरी .	33,021	38,915	+17.8
मार्च .	35,255	41,000 (अनुमानित)	+16.3

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मैसर्स जय इंजीनियरिंग वर्क्स के निदेशकों/अंशधारियों की कर देयतायें

*610. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन निदेशकों और व्यक्तियों/कंपनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने मैसर्स जय इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड में 10,000 रुपये अथवा इससे अधिक पूंजी लगाई हुई है और जिनके नाम आय-कर, धन कर, उत्पादन शुल्क और निगम कर की राशि बकाया है;

(ख) इस प्रकार कितनी धन राशि बकाया है और वह कब से बकाया है;

(ग) उसको वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है; और

(घ) कर की राशि वसूल करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मखर्जी) : (क) से (घ) : मैसर्स जय इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड एक बहुत बड़ी कंपनी है। जिसका अभिदत्त, जारी की गयी तथा चुकता पूंजी कंपनी की वार्षिक विवरणी के अनुसार लगभग 2.47 करोड़ रुपये की है । जिन व्यक्तियों/कंपनियों के पास इस कंपनी के 10,000 रु० अथवा इससे अधिक मूल्य के शेयर हैं उनकी संख्या 26-9-1974 की स्थिति के अनुसार लगभग 149 है और शेयरधारी देश के विभिन्न भागों में फैले हुए हैं । प्रत्येक निदेशक तथा उपयुक्त शेयरधारियों आदि की तरफ विभिन्न प्रत्यक्ष करों तथा उत्पादन शुल्क की बकाया की रकमों से संबंधित सूचना, देश के विभिन्न भागों के क्षेत्रीय कार्यालयों से एकत्र करनी होगी । शेयरधारियों से संबंधित मांगी गयी सूचना एकत्र करने में बहुत अधिक समय और श्रम लगेगा जो प्राप्तव्य परिणामों के अनुरूप नहीं होगा । फिर भी, जैसा कि इस कंपनी के बारे में माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये पूर्ववर्ती तारांकित प्रश्न संख्या 344 के, 14 मार्च, 1975 को दिये गये उत्तर के सिलसिले में अनुपूरकों के जबाब में कहा गया था, जिन शेयरधारियों के पास 50,000 रुपये से अधिक के शेयर हैं उन के बारे में अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और उसे यथासंभव शीघ्र सदन पटल पर रख दिया जायेगा । कंपनी के निदेशकों के बारे में भी सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

वायुयान द्वारा लद्दाख की यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिये सुविधायें

*612. **श्री कुशोक बाकुला** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वायुयान द्वारा लद्दाख की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिये इस समय क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(ख) उन्हें सुधारने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सरेन्द्र पाल सिंह) : (क) लेह औसत समुद्र तल से 3,292 मीटर ऊंचाई पर स्थित है । इंडियन एयर लाइन्स के विमान बेड़े में इस समय कोई भी विमान लद्दाख में लेह के लिए परिचालन करने के लिए उपयुक्त नहीं है सड़क द्वारा लद्दाख की यात्रा करने वाले पर्यटक इस समय एक छोटे से निजी होटल के अतिरिक्त द्रास, करगिल, बुद्धखरबु, खालसी, लेह, नयोमा तथा नूब्रा में स्थित पी०डब्ल्यू०डी० विश्राम गृहों का उपयोग करते हैं ।

(ख) लद्दाख में और अधिक पर्यटक सुविधाएं प्रदान करने के प्रश्न पर विचार संभाव्यता अध्ययन करने तथा निधियों के उपलब्ध होने की अवस्था में किया जाएगा ।

उपभोक्ता ऋणों पर जनता से राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लिये गये ब्याज की दर

*615. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा जनता से उपभोक्ता ऋणों पर ब्याज किस दर पर लिया जाता है;

(ख) इस ब्याज दर में कितनी बार वृद्धि की गयी, कितनी वृद्धि की गयी और इस वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसा जनता को उपभोक्ता ऋण लेने के संबंध में निरुत्साहित करने के लिये किया गया है; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (घ) : बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से ऐसे कोई विशिष्ट निदेश नहीं हैं कि उन्हें उपभोक्ता ऋण मंजूर नहीं करना चाहिए । किन्तु, वाणिज्यिक बैंकों की सामान्य नीति उत्पादक प्रयोजनों के लिए ऋण देने की है, इसलिए इस प्रकार के ऋणों को निम्नतर प्राथमिकता दी जाती है । वर्तमान स्थिति में, जब आम ऋण नियंत्रण की आवश्यकता है, यह स्वाभाविक है कि बैंक उत्पादक और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की ऋण आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान दे रहे हैं ।

यद्यपि बैंक अपने कर्मचारियों को इस प्रकार के ऋण ब्याज की रियायती दरों पर देते रहे हैं किन्तु दूसरे व्यक्तियों से इस प्रकार के ऋणों पर, सामान्यतः, उत्पादक ऋणों की ब्याज-दर से, ऊंची दर पर ब्याज लेते हैं । ब्याज की ये दरें अन्य वर्गों के उन अग्रिमों के ब्याज की दर के साथ बढ़ती रही हैं, जिन पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज की न्यूनतम दरें लागू होती हैं ।

आयकर विभाग के कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन

†616. **श्री वरके जार्ज :**
श्री एम० एस० जोजफ

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग के कर्मचारियों ने बहुत समय से चली आ रही अपनी विभामीय मांमों पर जोर देने के लिये राष्ट्रव्यापी आन्दोलन आरम्भ करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या उनकी मांगों में, वांचू समिति की सिफारिशों के अनुसार अतिरिक्त पद बनाने, प्रभावी सर्वेक्षण तथा आसूचना कार्य आरंभ करने तथा तकनीकी सहायकों और रिकार्ड कीपरों के संवर्ग बनाने की मांगें भी शामिल है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) आयकर कर्मचारियों के मान्यता-प्राप्त फेडरेशन से इस आशय की कोई इत्तला सरकार को नहीं मिली है ।

(ख) और (ग) : ये प्रश्न ही नहीं उठते ।

कोल्हापुर हवाई अड्डा

*618. **श्री राजाराम दादासाहिब निम्बालकर :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) क्या सरकार ने कोल्हापुर में हवाई अड्डा स्थापित करने की मंजूरी दी है ;

(ख) क्या यह चौथी पंचवर्षीय योजना से आगे लाई गई परियोजना है ; और

(ग) इसके कब तक पूरा होने की संभावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) : कोल्हापुर में मौजूदा हवाई अड्डे का विकास करने का प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया है क्योंकि इंडियन एयरलाइन्स के पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कोल्हापुर को विमान सेवा द्वारा जोड़ने की स्थिति में होने की संभावना नहीं है ।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा लौह अयस्क का निर्यात

†619. **श्री एन० ई० होरो :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने चालू वर्ष के दौरान लौह अयस्क के निर्यात में कटौती करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा आय में कितनी कमी होने की संभावना है ; और

(ग) लौह अयस्क के निर्यात के लिए प्रारंभ में क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) 1975-76 के दौरान अस्थायी तौर पर, खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा लौह अयस्क के निर्यात के लिए 150 लाख मे० टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

भारतीय पर्यटन विकास निगम के आतंकारिक सौदे

*621. **श्री शशि भूषण :**
श्री वीरभद्र सिंह :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 मार्च, 1975 के "ब्लिट्ज" में "आई०टी०डी० सीज डैकर डील एक्सपोज्ड" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) इस बारे में पूरे तथ्य क्या हैं;

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) (क) से (घ) : जी, हां । भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध लगाए गए कतिपय आरोपों की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कर ली गई है । केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेज दी गई है अगली आवश्यक कार्यवाही आयोग की सलाह के अनुसार की जाएगी ।

हरियाणा में आयकर अधिकारियों द्वारा छापे

†622. **श्री राम प्रकाश** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा राज्य में उन व्यक्तियों अथवा फर्मों के नाम क्या हैं जिनके स्थानों पर वर्ष 1974 में आयकर अधिकारियों द्वारे छापे मारे गए थे ; और

(ख) प्रत्येक मामले में पकड़े गए सामान का ब्यौरा क्या है ?

वित मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) : एक विवरण पत्र सदन-पटल पर रखा गया है । [ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 9411/75]

जीवन बीमा निगम से प्रधान मंत्री की पुत्रवधू द्वारा प्राप्त कमीशन की राशि

*624. **श्री शरद यादव :**
श्री मधु दंडवते :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने संसद में यह वक्तव्य दिया है कि उनकी पुत्र वधू, जो बीमा एजेन्ट हैं, जीवन बीमा निगम से कमीशन के रूप में कोई राशि प्राप्त नहीं कर रही थीं; और

(ख) यदि नहीं, तो वर्ष 1974 के दौरान श्रीमती सोनिया गांधी ने अपने द्वारा किए गए काम के लिए जीवन बीमा निगम से कमीशन के रूप में कुल कितनी राशि प्राप्त की ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी नहीं।

(ख) श्रीमती सोनिया गांधी ने एजेन्ट के तौर पर भारत के जीवन बीमा निगम के लिए कोई कारोबार नहीं किया है। इसलिए उन्हें जीवन बीमा निगम से कोई कमीशन अर्जित होने का प्रश्न नहीं उठता।

यूरोपीय तथा अफ्रीकी देशों को जूट का निर्यात

†625. **श्री के० लकप्पा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूरोप तथा अफ्रीका के उन देशों के नाम क्या हैं जिनको भारत इस समय जूट का निर्यात करता है ;

(ख) क्या भारत उन देशों से सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत कुछ सामग्री का आयात करता है अथवा यह कार्य वस्तु विनिमय पद्धति द्वारा किया जाता है ; और

(ग) उन देशों को वर्ष भर में निर्यात किए जाने वाले जूट का मूल्य कितना है तथा उन देशों के द्वारा वर्षभर में कितने मूल्य का सामान आयात किया जाता है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) भारत यूरोप के प्रायः सभी देशों तथा अफ्रीका के सभी देशों को पटसन माल का निर्यात करता है।

(ख) भारत सामान्य प्रक्रिया के अधीन पश्चिम यूरोपीय देशों से मशीनरी पूंजीगत माल आदि तथा अफ्रीकी देशों से सीसल, मनीला, काजू आदि जैसे कच्चे माल की विभिन्न मदों का आयात करता है। पूर्व यूरोपीय देशों से आयात द्विपक्षीय भुगतान प्रणाली के अधीन किए जाते हैं, जहां आयात व निर्यात कुछ अवधि में एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं।

(ग) 1973-74 में यूरोप को दिए गए पटसन माल के निर्यात का वार्षिक मूल्य लगभग 60 करोड़ रुपए था और अफ्रीका को दिए गए निर्यात का मूल्य लगभग 15 करोड़ रुपए था। 1973-74 के दौरान यूरोप से भारत में किए गए अन्य माल के आयात लगभग 1,192 करोड़ रुपए के रहे और अफ्रीकी से आयात लगभग 167 करोड़ रुपए के रहे।

आयात लाइसेंसों का पुनर्वैधीकरण

*626. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में औद्योगिक कच्चे माल की अनुपलब्धता तथा नौवहन कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार ने निर्बाध विदेशी मुद्रा रुपयों में भुगतान तथा ब्रिटेन के ऋण के अन्तर्गत 6 माह की अवधि के लिए जारी किए गए आयात लाइसेंसों का पुनर्वैधीकरण करने का निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकारी नीति की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) 7-4-1975 को घोषित आयात नीति के अनुसार वास्तविक प्रयोक्ताओं तथा पंजीकृत निर्यातकों को सामान्य मुद्रा क्षेत्र अथवा रुपया भुगतान क्षेत्र के संबंध में कच्चे माल उपस्कर फालतू पुर्जों के लिए आयात लाइसेंस, जो 1 अप्रैल, 1975 से पहले जारी किए गए हैं और जिनकी आरंभिक वैधता अवधि 18 महीने है, जारी किए जाने की तारीख से 24 महीने की अवधि के लिए स्वतः ही वैध समझे जाएंगे बशर्ते कि ये लाइसेंस 18 महीने की अपनी आरंभिक वैधता अवधि के बाद पहले ही पुनः वैध न किए गए हों।

Visit of Iran's Indsutries Minister to India

*627. **Shri Chandra Shailani** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the Ministers and Government Officials with whom and the proposals on which talks were held for increasing economic co-operation between India and Iran during the course of recent visit of Iran's Industries Minister to India ; and

(b) the main features of the above talks ?

The Minister of Commerce (Prof. D. P. Chattopadhya) (a) & (b) A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

His Excellency Mr. Farrokh Najmabadi, Minister of Industries & Mines, Government of Iran visited India in connection with a meeting of The Economic and Social Council for Asia and the Pacific (ESCAP). In the course of his stay in New Delhi the Iranian Minister paid courtesy calls on the Minister for External Affairs and the Minster of Industry & Civil Supplies. He also held dicussions with officials of the the Minister of Industry - Civil Supplies. He also held discussions with officials of the two Ministries in the course of which possibilities of intensifying co-operation between the two countries in a wide spectrum of industry were reviewed. The Iranian side expressed their interest in concretising economic co-operation between the two countries by making use of the surplus capacities available in Indian industry in order to meet the requirements of Iran in various fields. It was agreed that a team of experts would visit India to look into specific items and available capacity in various areas of industrial activity.

कोका-कोला निर्यात निगम द्वारा निर्यात और आयात में वास्तविक मूल्य से अधिक अथवा कम राशि के बीजक बनाना

5877. **श्री सोमचन्द्र सोलंकी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों से कोका-कोला निर्यात निगम के वास्तविक मूल्य से अधिक राशि के बीजक बनाता रहा है ताकि उसे इनके एवज में अधिक राशि के आयात लाइसेंस प्राप्त हो सकें ;

(ख) क्या वह आयात के मामले में वास्तविक मूल्य से कम राशि का बीजक बना रहा है और आयात शुद्ध का अपवंचन कर रहा है ; और

(ग) क्या मंत्रालय को कोका-कोला निर्यात निगम के विरुद्ध इस संबंध में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं और फिर भी उन्होंने उक्त फर्म के विरुद्ध उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम और सीमाशुल्क अधिनियम के अन्तर्गत कोई दंडात्मक कार्यवाही करने की सिफारिश नहीं की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय इंजीनियरी व्यापार मेले में भाग लेने वाले देश

5878. **श्री एस० एन० मिश्र : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में हाल ही में आयोजित भारतीय इंजीनियरी व्यापार मेले में किन-किन देशों ने भाग लिया था ;

(ख) भारत में निर्मित इंजीनियरी वस्तुओं के बारे में विदेशों में जानकारी बढ़ाने में यह मेला कहां तक सफल रहा ; और

(ग) भारतीय इंजीनियरी वस्तुओं के निर्यात के लिए विदेशी मंडियों का उपयोग करने के लिए क्या अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) विदेशों से भाग लेने के लिए अनुरोध नहीं किया गया था, अतः उनके भाग लेने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ख) भारतीय उद्योग द्वारा विनिर्मित भिन्न-भिन्न प्रकार के उत्पादों को एक स्थान पर प्रदर्शित करके भारत के इंजीनियरी उद्योग का सही स्वरुप पेश करने में मेला कारगर साबित हुआ । यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण-पूर्व तथा पश्चिम एशिया और खाड़ी के देशों के खरीददार, खरीद मिशन तथा तकनीकी विशेषज्ञ मेला देखने आये और इंजीनियरी उधीग एसोसियेशन के अनुसार लगभग 9.5 करोड़ रु० मूल्य के निर्यात आर्डर मिलने की सम्भावना है । इसके अतिरिक्त कई करोड़ रु० मूल्य के सौदों के बारे में पूछताछ की गई है ।

(ग) भारतीय इंजीनियरी उद्योग एसोशियेशन और भाग लेने वाली फर्में मेले में की गई निर्यात सम्बन्धी पूछताछ के बारे में अनुवर्ती कार्यवाही कर रही हैं । वे विशिष्ट देशों में भारतीय इंजीनियरी माल की मांग के सम्बंन्ध में सर्वेक्षण करने पर विचार कर रही हैं । भारतीय इंजीनियरी उद्योग एसोसियेशन, जिसने व्यापार मेला आयोजित किया था व्यापार मेले के सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रही है । जिससे यह पता चल सकेगा कि उद्योग तथा अन्य सम्बन्धों द्वारा क्या कार्यवाही की जानी है । तभी उद्योग द्वारा समेकित कार्यवाही शुरु की जाएगी ।

Non-Acceptance of mutilated and soiled currency notes by Banks.

5879. **Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minster of Finance** be pleased to state :

(a) Whether Government have conducted survey about the fact that currency notes of the denomination of Rs. 1,2, 5 and 10 that get mutilated and soiled in large numbers in rural and urban areas are not accepted or exchanged by banks; and

(b) if so, the steps taken or proposed to be taken in this matter ?

The Minister of State in the Ministry of Finance Shri Pranab Kumar Mukherjee : (a) Although no survey has been conducted, there are reasons to believe that instances of banks refusing to accept soiled and mutilated notes are not many.

(b) Facilities have already been provided for exchange of soiled and mutilated notes at Reserve Bank of India offices. Instructions have also been issued to the State Bank of India asking them to accept slightly mutilated notes in payment of dues at all Branches, and not merely at Branches with Currency Chests and also to naionalised banks asking

them to accept soiled and slightly mutilated notes in payment of their dues at all the offices. The P&T Department and Railways have also instructions to accept slightly mutilated and soiled notes in payment of dues. Steps are also being taken to increase the available capacity for the printing of currency and bank notes and the production of currency and bank note paper within the country and also to import some limited quantity of currency and bank note paper, with a view to increasing supplies of fresh notes.

शिमले में हवाई अड्डा बनाना

5881. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शिमले में हवाई अड्डा बनाने के बारे में अद्यतन प्रगति क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : शिमला में एक हवाई अड्डा स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं की समीक्षात्मक एक प्राजेक्ट रिपोर्ट योजना आयोग से प्रामर्श करके तैयार की जा रही है ।

Advertisements given to Newspapers by the Ministry of Commerce

5882. Shri Sudhakar Pandey : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the number of advertisements given to the various newspapers on behalf of the various departments, offices and corporations of his Ministry during last year;

(b) the number of advertisements out of them in English and in Hindi; and

(c) the reasons why the advertisements given in English were not given in Hindi and what decision was taken about the future action in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) All advertisements of the Ministry and connected Departments and Offices are given out by the Directorate of Advertising and Visual Publicity, Ministry of Information and Broadcasting. The Ministry does not give advertisements on behalf of the Corporations under its control.

(b) & (c) : Do not arise.

इंडियन एयरलाइन्स के विमान सेवा मार्ग

5883. श्रीमती प्रेमलाबाई दाजी साहेब चव्हाण :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स द्वारा इस समय सेवित मार्गों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) वे मार्ग कितने तथा कौन-कौन से हैं जिन पर कुल परिचालन लागत वसूल न होने के कारण उसे हानि हो रही है ;

(ग) वे मार्ग कितने तथा कौन-कौन से हैं जिन पर उसे सीधी परिचालन लागत भी वसूल नहीं हो सकती ; और

(घ) उपरोक्त मार्गों में से कौन से मार्गों के लिये नागर विमानन विकास निधि में से राजसहायता दी जाती है और वार्षिक राजसहायता की कुल राशि कितनी है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) इंडियन एयरलाइन्स द्वारा 1974-75 के दौरान परिचालित मार्गों की कुल संख्या 92 थी तथा 1-4-75 से लागू की गयी ग्रीष्मकालीन समय-सारिणी के अनुसार इस समय परिचालित मार्गों की संख्या 86 है।

(ख) से (घ) इंडियन एयरलाइन्स द्वारा वर्ष 1974-75 के दौरान परिचालित सेवाओं के मार्गवार आर्थिक आंकड़े अभी संकलित नहीं किए गए हैं।

पश्चिमी बंगाल के जिलों में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को दिया गया ऋण

5884. श्री शंकर नारायण सिंह देव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 के दौरान पश्चिम बंगाल के सभी जिलों के लघु उद्योगों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋणों के रूप में कुल कितनी धनराशि दी गई; और

(ख) जनवरी, 1975 के अन्त तक कुल कितने आवेदन-पत्र अनिर्णीत पड़े थे।

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) : पशिचम बंगाल के विभिन्न जिलों में छोटे पैमाने के उद्योगों को 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गये बकाया अग्रिमों के बारे में उपलब्ध हाल के ताजा आंकड़े दिसम्बर, 1973 के अंत के हैं और ये अनुबन्ध में दिये जा रहे हैं।

(ख) बैंकों में आंकड़े इकट्ठे करने की वर्तमान प्रणाली में बैंकों की शाखाओं के पास पड़े अनिर्णीत ऋण-आवेदन-पत्रों सम्बन्धी सूचना संकलित करने की व्यवस्था नहीं है।

विवरण

पश्चिम बंगाल में दिसम्बर, 1973 के अंत तक छोटे पैमाने के उद्योगों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिमों के जिलेवार आकड़े।

क्र० सं०	जिला	खातों की संख्या	बकाया राशि (राशि रुपयों में)
1	2		4
1.	कलकत्ता	5880	2695
2.	24 परगना	1820	671
3.	हुगली	356	100
4.	हावड़ा	1329	858
5.	मिदनापुर	314	29
6.	बांकुरा	230	12
7.	पुरुलिया	146	9
8.	बर्दवान	551	555
9.	बीर भूम	95	13
10.	नदिया	503	65

1	2	3	4
11.	मुर्शिदाबाद . .	231	5
12.	मालदा	269	3
13.	पश्चिम दिनाजपुर	312	18
14.	दार्जिलिंग .	217	165
15.	जलपाइगुड़ी	108	180
16.	कूच बिहार	62	4
	जोड़	12423	5382

टिप्पणी :-- (आंकड़े बुनियादी सांख्यिकीय विवरणियों पर आधारित हैं और सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा संकलित किये गये प्राथमिक क्षेत्र के आंकड़े से परिभाषा-विषयक परिवर्तनों के कारण समतुल्य नहीं है)।

भारतीय रुई निगम को ऋण

5885. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने भारतीय रुई निगम को अतिरिक्त ऋण देने के लिये वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय रुई निगम कौन से अतिरिक्त काम अपने हाथ में लेगा ; और

(ग) इस संबंध में वित्त मंत्रोलय की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय रुई निगम को यदि अतिरिक्त ऋण उपलब्ध किया गया, तब वह घरेलू बाजार में रूई की अधिक मात्रा में खरीद कर सकेगा।

(ग) अभी तक कोई विनिश्चय नहीं किया गया है।

अफगानिस्तान से व्यापार संबंधी सम्भावनायें

5886. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफगानिस्तान के राष्ट्रपति श्री दाऊद ने हाल ही के दौरान भारत से व्यापार सम्भावनाओं के बारे में सरकार से बातचीत की थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) :(क) तथा (ख) : अफगानिस्तान के राष्ट्रपति दाऊद की हाल की यात्रा के दौरान अफगान प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के साथ भारत के साथ व्यापार की संभाव्यताओं और एक नया व्यापार करार करने के संबंध में बातचीत की गई थी।

आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा किले में 'सोन-ए-लुमिएर' का प्रदर्शन

5887. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा किले में "सोन-ए-लुमिएर" का प्रदर्शन आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संक्षिप्त ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपाय किये गए हैं ; और

(ग) क्या इस परियोजना को पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा किले पर 'सोन-ए-लुमिएर' प्रदर्शन के आयोजन का फिलहाल कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में नई भर्ती पर रोक

5888. **श्री गजाधर माझी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में नई भर्ती पर रोक लगा दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों की भरती पर प्रतिबन्ध जैसी कोई चीज लागू नहीं की है। अलबत्ता, सरकारी विभागों द्वारा अपनाये जाने वाले मितव्ययिता विषयक उपायों के बारे में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गए अनुदेशों से सरकारी क्षेत्र के बैंकों को इस अनुरोध के साथ अवगत कराया जाता रहा है कि वे अपने संगठनों में ऐसे उपायों को अपनाने के बारे में विचार करें।

माल और यात्री सेवा चला रहे प्राइवेट आपरेटर

5889. **मौलाना इसहाक सम्भली** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय माल और यात्री सेवाएं चला रहे प्राइवेट आपरेटरों के तथा उनके निदेशकों के नाम क्या हैं ;

(ख) उन प्राइवेट आपरेटरों और उनके निदेशकों के नाम क्या हैं जिन्हें देश में चार हवाई अड्डों पर यात्री आन्तरिक और अन्तराष्ट्रीय ट्रैफिक हैंडलिंग के ठेके दिये गये हैं ;

(ग) उक्त ठेके उन्हें किस प्रकार दिये गये और क्या ये ठेके प्रति वर्ष दिये जाते हैं अथवा कितने वर्षों के लिये दिये जाते हैं तथा किन शर्तों पर दिये जाते हैं और आगामी ठेके कब प्रकाशित होंगे तथा दिये जायेंगे ; और

(घ) इन आपरेटरों के निदेशकों और अन्य अधिकारियों को उनके तथा उनके परिवारों के लिये देश में तथा विदेश में निःशुल्क अथवा रियायती हवाई यात्रा टिकट के रूप में रियायतें अथवा अन्य दी जाने वाली सुविधाएं क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

प्रदर्शनी अधिकारियों द्वारा निर्यात संवर्धन व्यापार किया जाना

5890. श्री **एस० एस० महापात्र :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के प्रदर्शनी अधिकारी, श्री के० एस० लूथरा के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अनेक आरोपों की किसी समय कोई जांच कराई गई थी ;

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ प्रदर्शनी अधिकारी अपने संबंधियों के नाम पर निर्यात संवर्धन व्यापार चला रहे हैं और उन्होंने कुछ भव्य मकानों का निर्माण किया हैं ; और

(घ) क्या इन अधिकारियों ने सरकार को अपनी सम्पत्तियों तथा आस्तियों की सूची प्रस्तुत की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) श्री के० एस० लूथरा के खिलाफ गुमनाम शिकायतें थीं जिनकी जांच-पड़ताल की गई थी। तथापि, उनके खिलाफ कोई निचयात्मक मामला सिद्ध नहीं हो सका।

(ग) जी नहीं।

(घ) जैसा कि नियमों के अन्तर्गत आवश्यक है, सभी अधिकारी अपना वार्षिक सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत करते हैं।

प्राकृतिक चट्टानों के निर्माण वाले पर्यटक आकर्षक केन्द्र

5891. श्री **बालकृष्ण वेंकन्ना नायक :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में नार्थ कनारा, कर्नाटक में "यान" के अतिरिक्त अन्यत्र प्राकृतिक चट्टानों के निर्माण वाले कोई पर्यटक आकर्षक केन्द्र हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) जहां तक अन्तराष्ट्रीय पर्यटकों का संबंध है उनके लिये प्रमुख पर्यटन आकर्षण हमारे पुरातत्वीय तथा ऐतिहासिक स्मारक हैं। अतः पर्यटन विभाग चुने हुए पुरातत्वीय केन्द्रों पर सुविधाओं के विकास पर अपने प्रयत्न केन्द्रित कर रहा है। इस दृष्टि से तथा साधनों की कमी के कारण पर्यटन विभाग ने देश में प्राकृतिक चट्टान संरचनाओं का, जिनकी पर्यटक आर्कषण के रूप में विकसित किये जाने की संभावना है, अभी तक कोई सर्वेक्षण नही किया है।

Amount spent on Tourist Centres in Madhya Pradesh

5892. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the total number of tourists who visited Madhya Pradesh last year;

(b) the number of places visited by them;

(c) whether some amount out of this earning from these tourists has been spent on these places; and

(d) if so, the broad details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION SHRI SURENDRA PAL SINGH

(a) and (b) The Department of Tourism maintains record of foreign tourists arrivals on all-India basis and not on State-wise basis. The figures pertaining to domestic tourist movements are not being collected by the Department of Tourism·

The number of international tourist arrivals in India during 1974 was 423, 161. According to a Survey conducted in 1972-73, 7.2 per cent of the total international tourist visited Khajuraho and 1.2 per cent visited Bhopal/Gwalior during the period of the Survey.

(c) and **(d)** The Central Government does not earn any direct revenue as such from tourists visiting tourist places except in some cases entry fees for monuments under the control of Central Government.

आयकर विभाग, दिल्ली में कार्य कर रहे कर्मचारी

5893. **श्री रानेन सेन :** क्या **वित्त** मंत्री आयकर विभाग दिल्ली में कार्य कर रहे कर्मचारियों के बारे में 5 अप्रैल, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5707 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 मार्च, 1973 को विभिन्न संवर्गों में रिक्त पड़े स्थायी पदों को इस बीच भर दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) 31 मार्च, 1973 की स्थिति के अनुसार दिल्ली के आयकर आयुक्त के अधिकारक्षेत्र में विभिन्न अराजपत्रित संवर्गों में 800 स्थायी पद खाली पड़े थे। इनमें से 711 पदों पर संबंधित व्यक्तियों को स्थायी किया जा चुका है। बाकी के पदों पर स्थायीकरण, संबंधित व्यक्तियों के चरित्र तथा पूर्ववृत का सत्यापन पूरा हो जाने, उनके द्वारा टाईपिंग परीक्षा पास कर लेने और उन के संबंध में विजिलेंस से सफाई-पत्र प्राप्त हो जाने पर यथाशीघ्र किया जायगा।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में दिये गये ऋण

5894. **श्री एम० एस० पुरती :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों ने वर्ष 1974-75 के दौरान अब तक प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को कितनी राशि के ऋण दिये हैं ; और

(ख) इस क्षेत्र में वर्ष 1973–74 के दौरान कितनी राशि के ऋण दिये गये और इस समय कितनी राशि वसूल होनी शेष है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को, जिनमें कृषि (प्रत्यक्ष एवम् परीक्षा ऋण), छोटे पैमाने के उद्योग, सड़क तथा जल परिवहन, परिचालक खुदरा व्यापार और छोटे व्यापारी व्यावसायिक एवं स्वंय नियोजित व्यक्ति और शिक्षा शामिल हैं, के लिये दिये गये ऋणों की बकाया राशि जून 1973 के अन्त तक 1292.4 करोड़ रुपये और जून, 1974 के अन्त तक 1688.3 करोड़ रुपये थे।

सांख्यकीय सूचना एकत्र करने की विद्यमान व्यवस्था में, केवल कृषि के लिये दिये गये प्रत्यक्ष ऋणों की वसूली की स्थिति की ही सूचना एकत्र की जाती हैं। अन्तिम उपलब्ध आंकड़े (जो कि जून 1973 तक के हैं) नीचे लिखे अनुसार है :—

जून, 1973 के अन्त तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि के लिये दिये गये ऋणों (प्रत्यक्ष ऋणों) की वसूली की स्थिति :—

	राशि (करोड़ रुपयों में)
1. बकाया राशि	298.29
2. मांग . . .	146.47
3. वसूली	70.24
4. उपर्युक्त (2 से (3) का प्रतिशत	47.96

आंकड़े अनन्तिम हैं।

स्टेट बक आफ इंडिया के पर्यवेक्षी (सुपरवाइजरी) कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

5895. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक के 22,000 पर्यवेक्षी (सुपरवाइजरी) कर्मचारियों ने 5 अप्रैल, 1975 को सांकेतिक हड़ताल की थी और उक्त तिथि से पूर्व उन्होंने कई दिन प्रदर्शन किये थे ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार का इन हड़तालकर्त्ताओं और प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) : भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि बैंक के पर्यवेक्षी कर्मचारियों ने मंहगाई भत्ते की दरें बढ़ाने की अपनी मांग को मनवाने के लिये बैंक के बड़े और मध्यम कार्यालयों में 20 मार्च, 1975 को प्रदर्शन किये हैं और 4 अप्रैल, 1975 को सांकेतिक हड़ताल भी की है।

भारतीय स्टेट बैंक ने अपने अधिकारियों को सलाह दी है कि वे हड़ताल और प्रदर्शन के बारे में स्थायी आदेशों के अनुसार कार्यवाई करें। स्टेट बैंक के अनुसार जो कर्मचारी 4 अप्रैल, 1975 को काम

पर हाजिर नहीं थे उनके विरुद्ध अन्य कार्यवाई किये जाने के साथ उनका एक दिन का वेतन काटा जा सकता है।

पूर्वोत्तर राज्यों में हवाई अड्डों पर काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या

5896. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर राज्यों में विभिन्न हवाई अड्डों पर विभिन्न श्रेणियों में कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ; और

(ख) उपर्युक्त हवाई अड्डों पर उनमें कुल कितने स्थानीय (उन्हीं राज्यों के) व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है तथा यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

स्वायत्तशासी निकायों में खपाये गये सरकारी कर्मचारियों को पेंशन

5897. **श्री भालजी भाई रावजी :**
भाई परमार :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वायत्तशासी निकायों में स्थायी रूप से खपाये गये सरकारी कर्मचारियों को खपाये जाने की तारीख से ही पेंशन तथा अन्य संबंधित लाभ नहीं दिये जाते हैं तथा भारत सरकार के 25 मार्च, 1958 के आदेश संख्या 8 (34)—इस्टेब्लिशमेंट 111/57 के अनुरूप उनका वेतन भी प्रनिबंधित कर दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) स्वतः ही सेवानिवृत्ति पाने के लिये कितनी वास्तविक आयु/सेवा अवधि अपेक्षित होती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) (क) से (ग) किसी भी सरकारी कर्मचारी को, यदि वह श्रेणी I अथवा श्रेणी II सेवा अथवा पद पर है और उसने 35 वर्ष की अवस्था प्राप्त करने से पहले सरकारी सेवा में प्रवेश किया है तो उनके मामलों में या तो 50 वर्ष की अवस्था प्राप्त करने के पश्चात् और अन्य सभी मामलों में 55 वर्ष की अवस्था प्राप्त करने के पश्चात्, या 30 वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात्, स्वेच्छा से सेवा-निवृत्ति प्राप्त करने का हक है। लोकहित में स्वायत्त निकायों में स्थायी तौर पर खपाए गए स्थायी सरकारी कर्मचारियों को सरकार के अधीन की गई सेवा के संबंध में अनुपातिक पेंशन, उपदान आदि दिया जाता है और ये लाभ या तो उस तारीख से, जिससे सरकारी कर्मचारी उसको लागू नियमों के अंतर्गत शीघ्रतिशीघ्र स्वेच्छा से सेवा निवृत्त हो सकता था। अथवा स्वायत्त निकाय में खपाये जाने वाली तारीख से, इनमें से जो भी बाद में हो, दिए जा सकते हैं। उनका वेतन संगत आदेशों के अधीन पुनः नियोजित पेंशन-भोगियों के तौर पर पुनः नियत किया जाता है। उपर्युक्त प्रतिबंध लगाने का कारण यह है कि 50/55 वर्ष, जैसा भी मामला हो, की अवस्था प्राप्त करने

के पश्चात् ही या 30 वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात् ही सरकारी कर्मचारी पेंशन लाभों के साथ सेवा निवृत्त हो सकता है।

पश्चिमी तथा पूर्वी तट पर तस्करों की गतिविधियां

5898. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राप्त समाचारों के अनुसार, तस्कर एक बार फिर बम्बई के उत्तरी और दक्षिणी तटवर्ती क्षेत्रों तथा विशाखापत्तनम से आगे तक के पूर्वी समुद्री तट पर सक्रिय हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) कुछ गुप्त सूचना रिपोर्टों से पता चलता है कि पहले मदमे के बाद तस्कर-व्यापारियों द्वारा गतिविधियां फिर से शुरू किये जाने के संकेत मिले हैं। तथापि, इस स्थिति पर सतत निगरानी रखी जा रही है। तस्कर-व्यापारियों तथा विदेशी मुद्रा के जाल-चक्र में लगे व्यक्तियों की निवारक नजरबंदी के अलावा, सुगमता से पार किये जा सकने योग्य क्षेत्रों में, वितरण-केन्द्रों में तथा सम्पर्क-मार्गों पर निवारक चौकियां स्थापित करने के उपाय पहले ही किये जा चुके हैं। एक बेतार-संचार व्यवस्था भी स्थापित की गई है जो पश्चिमी समुद्र तट के बहुत से स्थलों को जोड़ती है। इस प्रयोजन के लिये क्षेत्रीय अधिकारियों को अतिरिक्त कर्मचारी तथा उपकरण देने की व्यवस्था भी की गई है। नार्वे में बनी चौदह नौकाएं, जिन पर रडार तथा अन्य उपकरण लगे हैं, प्राप्त की जा चुकी है और छः अन्य नौकाओं के शीघ्र पहुंच जाने की संभावना है।

अधिक प्रभावी अधिकारियों को मौके पर तैनात करने जैसे प्रशासनिक उपाय भी किये गये हैं। अतिरिक्त प्रशासनिक तथा वैधानिक उपायों पर विचार किया जा रहा है।

Import Licences/Authorisation Letters Issued to Weston Electronic Private Limited

5899. **Shri Hemendra Singh Banera**: Will the **Minister of Commerce** be pleased to state :

(a) the value of advance import licences/authorisation letters issued to Weston Electronic Private Limited, 20 Nationals Park, New Delhi during last three years for import of raw materials for compliance of export orders indicating the dates of their issue and the items to be imported thereby as also for the export of how many transistors and other products these import licences/authorisation letters were issued;

(b) is it a fact that the items imported on the basis of these advance import licences/authorisation letters have not been imported on the basis of goods exported;

(c) if so, the reasons therefor and the dates and details of goods exported by this firm; and

(d) whether this firm has set up offices in London just in name and have got advance import licences by receiving fake import orders from these so-called firms in London?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) to (d) M/s. Weston Electronic Private Ltd., 20, National Park, New Delhi have not obtained advance import licences/letters of authority/ release orders for raw materials and components for execution of any specific export orders during the last three years under the import policy for Registered Exporters.

Meeting of Farmers of Haryana with Minister of Commerce on Cotton Development

5900. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether farmers of Haryana had met him on the 17th February, 1975 in connection with development of cotton cultivation and low price of cotton ; and

(b) if so, the assurance given to them by Government ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) :

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

प्रतिबन्धित लाभांश अधिनियम का संशोधन

5901. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार-लाभांश प्रतिबंधित अधिनियम का संशोधन करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, हां। एक विधेयक कम्पनी (लाभांश पर अस्थायी रोक) अधिनियम, 1974 में संशोधिक करने के लिये जल्दी ही संसद में पेश किया जायेगा। इस विधेयक में यह व्यवस्था होगी कि उक्त अधिनियम में लाभांश देने की विभिन्न सीमाओं के अनुसार जब उससे अधिक लाभांश न दिया जाये तब अधिक लाभांश घोषित किये जा सकते हैं और स्थगित लाभांश की रकम मौजूदा अधिनियम की अवधि के पूरे होने पर दो वार्षिक किस्तों में दे दी जायगी लेकिन उस पर ब्याज नहीं दिया जायेगा ।

सोवियत संघ द्वारा भारत को सप्लाई किया गया उर्वरक

5902. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सोवियत संघ ने हमारे देश को सप्लाई किये जाने वाले उर्वरकों का मूल्य बढ़ाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) कितनी वृद्धि का निर्णय किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

Smuggling of Tobacco

5903. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether there is large scale smuggling of tobacco in India;

(b) if so, the main reasons therefor; and

(c) the steps being taken by Government to check it ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) Though there have been cases where evasion of Central Excise Duty on tobacco has come to the notice of the Government, yet looking to the total collection of duty from this item, it could not be appropriate to term such cases as amounting to large scale smuggling.

(b) Though the main reason for all such evasions remains the tendency on the part of unscrupulous traders to evade taxes and make quick money, the *modus operandi* adopted for this purpose have been clandestine removals of tobacco without payment of duty due substitution of tobacco in warehouses, bogus, destructions and tampering with the Central Excise documents.

(c) Wherever cases of evasion of duty have been detected, the offenders have been punished as per due process of law and preventive measures intensified. Beside, the Government had appointed the Tobacco Excise Tariff Committee to look into the administration of Excise Tariff on tobacco. Interim recommendations of the above Committee have been received and in consequence thereof, some changes in the Excise Tariff have already been proposed in the Finance Bill, 1975. The Committee's final report is awaited when further steps to contain such evasions will be taken.

पश्चिम बंगाल में आयकर आयुक्त द्वारा उपदान न्यासों (ग्रेच्युटी ट्रस्ट) को दी गई छट

5904. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन उपदान न्यासों के नाम क्या हैं जिन्हें वर्ष 1971 से वर्ष 1974 तक पश्चिम बंगाल के आयकर आयुक्त ने छूट दी थी ;

(ख) कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, राष्ट्रीय कोयला विकास लिमिटेड, सिंगीपुरी कम्पनीज लिमिटेड को अपने उपदान न्यासों के बारे में किस तारीख को छट दी गई थी ; और

(ग) क्या किसी अन्य कोयला खनन कम्पनी को इस प्रकार की छूट दी गई थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) आय-कर अधिनियम, 1961 की चौथी अनुसूची के खंड ख के नियम 2 के अन्तर्गत, आय-कर आयुक्त, पश्चिम बंगाल ने, 1971 से 1974 तक, निम्नलिखित उपदान न्यासों को मान्यता दी गयी थी :

1. आर० बी० एस० रबड़ मिल ग्रेच्युटी फंड
2. ट्रेक्टर्स इंडिया लिमिटेड स्टाफ ग्रेच्युटी फंड
3. बिड़ला ग्वालियर (प्रा०) लि० एम्प्लाइज ग्रेच्युटी ट्रस्ट
4. चम्पदानी जूट कम्पनी लि० ग्रैच्युटी फंड
5. खेतान एण्ड कम्पनी एम्प्लाइज ग्रेच्युटी फंड
6. ग्रामोफोन कम्पनी आफ इंडिया लि० एम्प्लाइज ग्रैच्युटी इंश्यारेंश स्कीम ट्रस्ट फंड
7. सेन्स कैमिकल वर्क्स प्रा० लि० एम्प्लाइज ग्रैच्युटी फंड
8. साइंटिफिक डिजाइन एण्ड डैवलपमेंट प्रा० लि० एम्प्लाइज ग्रैच्युटी फंड
9. ब्रिटिश मैटल कारपोरेशन (प्रा०) लि० एम्प्लाइज ग्रैच्युटी फंड

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सदन पटल पर रख दी जायेगी।

उर्वरकों के आयात के लिये सोवियत संघ के साथ हुए करार की क्रियान्विति संघ

5905. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उर्वरकों के आयात के लिये सोवियत संघ के साथ फरवरी, 1975 में हुए करार की क्रियान्विति आरम्भ हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने उर्वरकों का आयात किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सोवियत प्राधिकारियों द्वारा 31 मार्च, 1975 तक 39860 मै० टन उर्वरक पहले ही भेजा जा चुका है।

एशिया तथा प्रशान्त महासागर के देशों के लिये संयुक्त राष्ट्रसंघ का आर्थिक और सामाजिक आयोग में की गई सिफारिशें

5906. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या एशिया तथा प्रशान्त महासागर के देशों के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक और सामाजिक आयोग की मार्च, 1975 में नई दिल्ली में हुई गोष्ठियों में की गई कोई सिफारिशें सरकार को प्राप्त हुई हैं यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : आयोग ने अपने नई दिल्ली के अधिवेशन में आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधि के विभिन्न क्षेत्रों में इस क्षेत्र द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा की, अपनी मुख्य समितियों के विचारार्थ विषयों का अनुमोदन किया, अपने सहायक निकायों के ढांचे का सुव्यवस्थीकरण किया और 1975-77 की अवधि के लिये कार्य तथा प्राथमिकताओं के एकीकृत कार्यक्रम का समर्थन किया। इसने उन संकल्पों को भी स्वीकार किया जो नयी अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना, नौवहन तथा पत्तनों से संबंधित मामलों पर आयोग के अन्तर्गत विधायी व्यवस्थाओं टेकनालाजी के अन्तरण और कृषि संबंधी मशीनरी के लिये क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना, विकास में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने के लिये क्षेत्रीय कार्यवाही योजना, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थाओं के कार्यकलापों के समन्वय और आर्थिक विकास तथा योजना के एशियाई संस्थान के नाम में परिवर्तन में क्षेत्रीय योगदान के संबंध में सदस्य देशों के बीच मतक्य दर्शाते थे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अधिवेशन में पूरी तरह से भाग लिया और कुल मिलाकर विचार विमर्शों के परिणाम से सन्तुष्ट रहा। अनुवर्ती कार्यवाही आयोग के सचिवालय द्वारा आरम्भ की जायेगी।

उर्वरकों का आयात

5907. **श्री एन० आर० बेकारिया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75 के दौरान कुल कितनी मात्रा में उर्वरक आयात किये गये ; और

(ख) किन-किन देशों से कितना-कितना उर्वरक आयात किया गया।

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) :(क) तथा (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

1974-75 में उर्वरकों के देशवार तथा मात्रावार आयातों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	देश	मात्रा मै० टन
1.	आस्ट्रेलिया	50,000
2.	बेल्जियम	21,000
3.	बुल्गारिया	67,244
4.	डेनमार्क	10,000
5.	कोरिया का लोकतंत्रीय जनवादी गणराज्य	10,500
6.	फ्रांस	3,24,000
7.	जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य	2,09,455
8.	हालैंड	90,000
9.	इटली	2,60,950
10.	जापान	4,80,000
11.	कुवैत	1,50,000
12.	पोलैंड	2,37,209
13.	कत्तार	11,000
14.	रोमानिया	2,14,837
15.	स्पेन	20,000
16.	संयुक्त राज्य अमरीका	6,05,900
17.	ब्रिटेन	1,35,000
18.	सोवियत संघ	3,10,330
19.	पश्चिम जर्मनी	3,21,000
20.	युगोस्लाविया	10,000
		35,38,425

(उपर्युक्त आंकड़े अनन्तिम हैं)

कृत्रिम वर्षा परीक्षण

5908. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973 तथा 1974 के वर्षाकाल के दौरान रिहान्द जलाशय पर कृत्रिम साधनों से वर्षा करने के लिये परीक्षण किये गये थे ;

(ख) ये परीक्षण किस सीमा तक सफल सिद्ध हुए ; और

(ग) क्या ऐसे परीक्षण त्याग दिये गये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 1973 में वर्षा में 17 से 28 प्रतिशत तक की वृद्धि का दावा किया गया था। 1974 के परिणामों का मूल्यांकन अभी पूरा नहीं हुआ है क्योंकि परीक्षणों की अवधि के वर्षा के आंकड़े अभी राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) जी, नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1975 के दौरान इस प्रकार के परीक्षण करने का अभी तक कोई अनुरोध नहीं किया है।

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों की पदोन्नति

5909. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उद्योगों तथा निगमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिये पदोन्नतियों, हेतु क्या प्रतिशतना निर्धारित है और

(ख) एक्सपोर्ट क्रेडिट एण्ड गारन्टी कारपोरेशन लिमिटेड में कितनी ऐसी पदोन्नतियां की गई हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) पदोन्नति द्वारा निम्न प्रकार से भरे जाने वाले कुल रिक्त पदों में से अनुसूचित जातियों के लिये 15% और अनुसूचित जनजातियों के लिये $7\frac{1}{2}\%$ पद आरक्षित हैं :—

(i) वे पद, जो श्रेणी II, III और IV के अन्तर्गत या उनमें, सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं और जिनमें सीधी भर्ती का अंश, यदि कोई हो, 50% से अधिक न हो।

(ii) जिन ग्रेड़ों और सेवाओं में सीधी भर्ती का अंश, यदि कोई हो, 50% से अधिक न हो, तो उनमें श्रेणी I, II, III, और श्रेणी IV के सभी पदों पर योग्यता के साथ-साथ वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों में।

(iii) जिन ग्रेड़ों और सेवाओं में सीधी भर्ती का अंश, यदि कोई हो, 50% से अधिक न हो, तो उनमें श्रेणी III और IV के अन्तर्गत या उनमें, श्रेणी III से श्रेणी II में, श्रेणी II के अन्तर्गत और श्रेणी II से श्रेणी I में सबसे नीचे के स्तर अथवा वर्ग में चयन के द्वारा की जाने वाली पदोन्नतियों में।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार निर्यात ऋण और प्रत्याभूति निगम लिमिटेट (एक्सपोर्ट क्रेडिट एण्ड गारन्टी कारपोरेशन लिमिटेड) में 1974 के दौरान श्रेणी II में दो पदोन्नतियां की गई जो दोनों अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को दी गई।

दार्जिलिंग नेपाल सीमा पर तस्करी संबंधी गतिविधियां

5910. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दार्जिलिंग नेपाल सीमा पर तस्करी संबंधी कार्यवाहियों की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) सरकार को दार्जिलिंग-नेपाल सीमा पर तस्करी की गतिविधियों की जानकारी है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान दार्जिलिंग-नेपाल सीमा पर किये गए अभिग्रहणों का मूल्य नीचे दिये अनुसार है :—

वर्ष	निर्यात	आयात	जोड़
	रु०	रु०	रु०
1972	8,474	7,18,266	7,26,740
1973	26,218	5,15,879	5,42,097
1974	1,44,561	6,37,439	7,82,000

परन्तु, तस्करी को रोकने की दृष्टि से तस्कर व्यापारियों पर कड़ी निगरानी रखने के लियें दार्जिलिंग–नेपाल सीमा पर निवारक एकक तथा चौकियां कायम की गई हैं। निवारक कर्मचारी नियमित रूप से निवारक गश्त लगाते हैं और माल जमा करने के गुप्त स्थानों की तथा माल ढोने वाले संदिग्ध व्यक्तियों/तस्कर-व्यापारियों की भी तलाशी लेते हैं। वे अचानक तथा सूचना मिलने पर गाड़ियों के आवागमन की भी नियमित रूप से जांच करते हैं।

इसके अतिरिक्त, भारत-नेपाल सीमा पर तस्कर-व्यापार को रोकने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गए हैं :—

(i) सीमा पर तस्कर-व्यापार को रोकने की दृष्टि से नेपाल के महामहिम की सरकार से सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

(ii) कारगर नियंत्रण रखने की दृष्टि से, सीमा पर तैनात सभी कर्मचारियों को पटना में तैनात सीमाशुल्क समाहर्ता के एकीकृत नियंत्रण के अधीन रखा गया है;

(iii) तस्कर-व्यापार को रोकने की दृष्टि से कर्मचारियों के लिये जीपों और तस्करी विरोधी आवश्यक साज-सामान की व्यवस्था की गई है जिसमें अग्न्यस्त्र शामिल हैं;

(iv) 1970 में राजस्व गुप्तचर्या निदेशालय में एक विशेष कार्य अधिकारी का पद निर्मित किया गया था ताकि उक्त कार्यालय भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी विरोधी कार्य को समन्वित करने की दृष्टि से केन्द्रीयकृत अभिकरण के रूप में कार्य कर सके;

(v) तस्करी विरोधी कार्य के संबंध में कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की आवश्यक व्यवस्था की गई है जिसमें निगरानी तथा अग्न्यस्त्रों के प्रयोग संबंधी प्रशिक्षण शामिल हैं;

(vi) तस्करी को रोकने के लिये सीमा के समीपस्थ शहरों में, इसी तरह के कार्य में संलग्न चलते-फिरते निवारक दलों के अतिरिक्त, निवारक दल तैनात किये जाते हैं;

तस्कर-व्यापार को रोकने की दृष्टि से, विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत, तस्करों को नजरबन्द करने के लिये भी कार्यवाही की गई है।

सीमेंट के निर्यात के लिये राज्य व्यापार निगम को मिले क्रयादेश

5911. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम का 5 करोड रुपये के मूल्य का सीमेंट निर्यात करने के नये क्रयादेश प्राप्त हुए हैं ;

(ख) राज्य व्यापार निगम किन-किन देशों को सीमेंट का निर्यात करता है;

(ग) राज्य व्यापार निगम को अब तक सीमेंट के निर्यात के लिये कुल कितने मूल्य के क्रयादेश मिले हैं; और

(घ) ये क्रयादेश किन अवधियों के दौरान मिले थे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (घ) राज्य व्यापार निगम प्रधानतः ईरान, ओमान, बंगलादेश, संयुक्त अरब अमीरात, मालदीव तथा अन्य पश्चिम एशियाई देशों को सीमेंट का निर्यात करता है। वर्ष 1974-75 में लगभग 8.50 करोड़ रुपये मूल्य का सीमेंट निर्यात किया गया। यह बताना निगम के कार्य के हित में नहीं होगा कि सीमेंट के निर्यात के लिये इस समय मौजूद आर्डरों का मूल्य और उन्हें पूरा करने की अवधि क्या है।

सूती धागे के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु ब्रिटेन सरकार का प्रस्ताव

5912. **श्री राम हेडाऊ** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन सरकार का सभी स्रोतों से सूती धागे के आयात पर रोक लगाने और विदेशी बुने हुए ऊनी कपड़ों (निटवियर) तथा अन्य बुने हुए एवं सिले-सिलाये कपड़ों पर नये प्रतिबन्ध लगाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसका हमारे उद्योग और देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) ब्रिटेन की सरकार ने हमें सूचना दी कि वे 3 अप्रैल, 1975 से सभी गैर-यूरोपीय आर्थिक समुदाय स्रोतों से सभी मुख्य रेशों के वस्त्रों के और बेसिक मानव निर्मित रेशों के आयात पर निगरानी आरम्भ करना चाहते हैं। यह निगरानी इन उत्पादों के लिये आयात लाइसेंसों के जरिये की जायेगी। हमें बताया गया है कि मांगने पर लाइसेंस मुक्त रूप से दिये जायेंगे बशर्ते विदेशों में पूर्तिकर्ताओं के पास आर्डरों का पक्का सबूत हो। तथापि, सरकार ने बताया है कि इस कार्यवाही का उद्देश्य आयातों के बारे में विस्तृत और अद्यतन जानकारी रखना है तथा यह कार्यवाही और आगे परिमाण सम्बन्धी प्रतिबन्धों की दिशा में एक चरण के रूप में नहीं समझी जानी चाहिये।

यह भी उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन में भारत से सूती वस्त्रों की निम्नलिखित मदों के आयात कई वर्षों तक परिमाण सम्बन्धी प्रतिबन्धों के अद्यतन रहे हैं :—

(1) सूत

(2) बुने हुए सूती वस्त्र, कोरे या ब्लीचड मर्सेराइज्ड अथवा गैर मर्सेराइज्ड।

(3) अन्य बुने हुए सूती वस्त्र।

(4) बुने हुए सूती परिधान तथा मैड-अप्स।

(ख) अभी से यह टिप्पणी करना कठिन है कि ब्रिटेन सरकार द्वारा किये गए उपायों का क्या प्रभाव होगा।

Racket in fake Currency Notes in Rajhara, Durg District (M.P)

5913. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Madhya Pradesh police unearthed a fake currency notes printing racket in Rajhara region of the Durg District in the second week of March, 1975 and arrested some persons in this connections ;

(b) if so, the fake note printing materials seized from them and for how long this racket had been operating ; and

(c) the action taken by Government so far against the persons arrested ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) The Madhya Pradesh Police apprehended a person on 13-3-1975 attempting to pass on a forged 10 Rupee note. On search five forged notes of Rs.10 denomination were recovered. After interrogation, a gang dealing in printing and circulation of forged 10-Rupee notes was traced. In this connection 7 persons have been arrested and 2 persons are reported to be absconding.

(b) During investigations, the Police seized 10 blocks used for printing the forged notes, printing machine, ink and 4000 white papers showing imprint emblem of 'Reserve Bank of India' and figures of 10 with spurious thread. Since the case is still under investigation it is yet to be established since how long this racket had been operating.

(c) A case under Section 489 (B) and (C) I.P.C. has been registered and is under investigation.

पाकिस्तान को चावल की तस्करी

5914. **श्री वसन्त साठे** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में धुलिया जिले से वरास्ता गुजरात पाकिस्तान को चावल की तस्करी करने वाले एक गिरोह का हाल ही में पता लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ग) पाकिस्तान को चावल की तस्करी में जिन अधिकारियों एवं अन्य लोगों का हाथ है, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) पाकिस्तान को चावल की तस्करी रोकने के लिये किये गए अथवा किये जाने वाले उपायों की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) सरकार की जानकारी में ऐसा कोई गिरोह नहीं आया है जो महाराष्ट्र के धुलिया जिले से गुजरात होते हुए पाकिस्तान को चावल की तस्करी करता हो।

(ख) से (घ) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

अभाव की स्थिति का सामना करने के लिये गुजरात राज्य में व्यय की गई धनराशि

5915. **श्री डी० पी० जदेजा**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभाव की स्थिति का सामना करने के लिये गुजरात राज्य में 1972-73, 1973-74 और 1974-75 में कुल कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) इसमें से कितनी राशि केन्द्र सरकार द्वारा दी गई है;

(ग) वर्ष 1975-76 में कितनी धनराशि व्यय करने का अनुमान है; और

(घ) इस वर्ष के लिये केन्द्र ने कितनी सहायता मंजूर की है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (घ) निम्नलिखित सारणी में वर्ष 1972-73 से 1975-76 तक गुजरात में सूखा राहत कार्यों पर किया गया खर्च जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है और इस खर्च के सम्बन्ध में उपलब्ध की गई केन्द्रीय सहायता का दिया गया ब्यौरा है :

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	राज्य सरकार द्वारा सूचित खर्च की राशि	केन्द्रीय सहायता
1972-73	31.91	18.50
1973-74	50.52	49.21*
1974-75	41.46	13.39
1975-76 (अनुमानित) .	56.00	**

*वर्ष 1972-73 से सम्बद्ध 10.60 करोड़ रुपये की बकाया सहायता की राशि शामिल है।

**मामला विचाराधीन है।

विदेशों में भारतीय चादरों की मांग

5916. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चादरों ने विदेशी गृहिणियों के मन को आकर्षित कर लिया है और वे अपने शयन कक्षों के लिये हथकरघा से बनी तथा हाथ से छपी चादरें प्रयोग में ला रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे देशों के नाम क्या हैं और वर्ष 1975-76 में इससे कितनी विदेशी मुद्रा की आय होने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) यह सच है कि मिल निर्मित तथा हथकरघा दोनों प्रकार की भारतीय चादरों के लिये विदेशों में मांग बढ़ रही है।

(ख) पश्चिम जर्मनी, स्वीडन, सं० रा० अमरीका, डेनमार्क, ब्रिटेन, कनाडा आदि हमारी चादरों के मुख्य आयातक हैं। 1975-76 के दौरान चादरों के निर्यातों से 25 करोड़ रु० मूल्य की कुल विदेशी मुद्रा अर्जित होने की आशा है जिसमें हथकरघा चादरों से संभवतः पांच करोड़ रु० की आय होगी।

विदेशी बुने कपड़ों और बुने कपड़ों के आयात पर ब्रिटेन में प्रतिबन्ध

5917. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी बुने कपड़े और बुने कपड़े और वस्त्रों के आयात के विरुद्ध ब्रिटेन में क्या प्रतिबन्ध है;

(ख) क्या यूरोपीय साझा बाजार के किन्हीं अन्य सदस्य देशों ने इस प्रकार के प्रतिबन्ध लगाने अथवा प्रतिबन्ध लगाने पर विचार कर रहे हैं; यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं; और

(ग) इसका भारत के इन वस्तुओं के निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) भारत से ब्रिटेन में बुने हुए सूती वस्त्रों तथा परिधानों के आयात, द्विपक्षीय प्रबन्धों के अनुसार मात्रा सम्बन्धी प्रतिबन्धों के अध्यधीन होना है। भारत से सूती निटवीयर के आयातों के लिये ब्रिटेन सरकार द्वारा इस समय मात्रा सम्बन्धी कोई भी प्रतिबन्ध नहीं लगाये जाते हैं।

भारत से यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ब्रिटेन को छोड़ कर) में आयात किये जाने वाले सभी सूती वस्त्रों पर भी द्विपक्षीय प्रबन्धों के अधीन अलग से मात्रा सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगा दिये गए हैं। अन्य देशों से आयातों के लिये तथा ब्रिटेन और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के अन्य सदस्य देशों में विशेषीकृत वस्त्रों के सम्बन्ध में विभिन्न शासन प्रणालियां लागू होती हैं।

विगत में भारत सरकार ने इन व्यवस्थाओं के जरिये उत्तरोतर अधिक कोटे प्राप्त किये। समुदाय के साथ एक नई व्यवस्था शुरू करने के लिये बातचीत चल रही है।

गैर-नियंत्रित कपड़े के मूल्य में वृद्धि

5918. **श्री नूरूल हुडा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने इंडियन काटन मिल्स फेडरेशन का प्रतिनिधित्व करने वाली सूती कपड़ा मिलों से यह पूछा है कि उन्होंने गैर-नियंत्रित किस्मों के कपड़े के मूल्य 10 से 20 प्रतिशत क्यों बढ़ाये हैं;

(ख) क्या गैर-नियंत्रित कपड़े के मूल्य को विनियमित नहीं किया जाता है; और

(ग) उपर्युक्त किस्मों के कपड़े के मूल्य में भारी वृद्धि को देखते हुए क्या सरकार का विचार इस पर मूल्य पर किसी प्रकार का नियंत्रण रखने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां। भारतीय सूती मिल परिसंघ ने कहा है कि रुई की कीमतों तथा अन्तर्निविष्ट साधनों यथा मजूरी, ब्याज दरों, बिजली प्रभार में बढ़ोतरी होने के कारण कीमतें बढ़ना अनिवार्य हो गया था। सरकार ने भारतीय सूती मिल परिसंघ को बताया है कि वह कीमतों में गिरावट की स्वागत योग्य प्रवृत्ति को, जिससे उपभोक्ताओं को कुछ हद तक लाभ पहुंचा था, उलटना अच्छा नहीं समझती।

(ख) कंट्रोल रहित कपड़े की कीमतों पर कानूनी नियंत्रण लागू नहीं है।

(ग) जी नहीं।

Production and Export of Opium

5919. Shri Bhagirath Bhanwar :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) state-wise production of opium in the country during last year and how much out of it was exported ;

(b) the rate at which opium was purchased from the Producers and the average rate at which it is sold in foreign countries;

(c) the quantity used in the Pharmaceutical industries in the country ;

(d) the present production of alkaloids in the country and the scheme being formulated to increase the production thereof ; and

(e) the details of the measures for improving and increasing opium production and for giving incentive to the producers ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) State-wise production of opium in the country during the year 1974 was as under:—

State	Quantity of opium production at 90°C i.e. opium containing 10% moisture
	(Tonnes)
Madhya Pradesh	448
Rajasthan	246
Uttar Pradesh .	193
TOTAL	887

The total quantity of opium despatched for export during the year 1974 was 861 tonnes.

(b) The price of opium purchased from the poppy cultivators is fixed on slab-rates, *i.e.* the higher the yield of opium per hectare, the higher the price paid to the cultivators. The slab-rates for opium produced during 1974 were as under :——

	Category	Price Per Kg. at 70°C *i.e.* opium containing 30% moisture
1	2	3
(i)	Cultivators who have tendered 60 Kgs. or more of opium per hectare	Rs. 100.00
(ii)	Cultivators who have tendered 40 Kgs. or more but less than 60 Kgs. of opium per hectare	90.00
(iii)	Cultivators who have tendered 30 Kgs. or more but less than 40 Kgs. of opium per hectare	75.00
(iv)	Cultivators who have tendered less than 30 Kgs, of opium per hectare.	60.00

The price fixed by the Government of India for sale of opium to the foreign countries effective from 1st April, 1974 to 31st March, 1975 was U.S. dollers 3.20 per unit of anhydrous morphine content in opium at 90° consistency which works out to about U.S. dollars 32.00 per kilogramme (Indian opium generally contains about ten units of anhydrous morphine).

(c) 3,556 kgs. of opium (in the form of Opium Powder and Opium Cake) were supplied to the pharmaceutical industry in the country during the year 1974.

(d) 4,164 kgs. of opium alkaloids were manufactured during the year 1974 at the Government Factory at Ghazipur. In order to increase the production of alkaloids, another factory has been set up at Neemuch (Madhya Pradesh) which is expected to be comissioned shortly.

(e) The Government has taken the following steps to increase the production of opium and for giving incentive to the poppy growers:—

(i) The price of opium payable to a poppy cultivator is fixed on a sliding scale depending on the yield of opium tendered by him. A cultivator giving a higher yield of opuium per hectare is paid at a higher rate.

(ii) Cash awards are given in each opium Division to the poppy cultivator who tenders the highest yield of opium.

(iii) Demonstrations are arranged for educating the cultivaters in the use of pesticides and fertilizers.

(iv) Experimental farms have been set up in some of the poppy growing areas for conducting experiments on poppy seeds, soil and fertilizers etc. with a view to improving the yield and quality of opium. Results obtained from these experiments will be used for imparting guidance to the poppy cultivators for increasing their output of opium.

(v) The Government has also undertaken a number of long-term research schemes on various aspects of poppy cultivation and production of opium. Results, when available, would help the poppy cultivators in improving the yield and morphine content of opium.

(vi) The cultivators are assisted in procurement of chemical fertilizers and pesticides.

प्रमुख भारतीय हवाई अड्डों के ऊपर से उड़ान भरकर जाने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या

5920. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी पर्यटकों की संख्या कितनी है जो यहां रुकना तथा देश की यात्रा करना न चाहते हुए प्रमुख भारतीय हवाई अड्डों के ऊपर से उड़ान भर कर चले गए; और

(ख) भारत में पर्यटन सम्वर्धन के लिये विभिन्न सरकारी तथा पर्यटक एजेंसियों द्वारा कौनसी बड़ी कार्यवाही तथा महत्वपूर्ण उपाय किये जा रहे हैं और वर्ष 1975 के प्रथम तीन महीनों में क्या परिणाम प्राप्त हुए ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) :(क) पर्यटन विभाग आने वाले विदेशी पर्यटकों का ही रिकार्ड रखता है तथा उन विदेशी पर्यटकों की संख्या के बारे में उसके पास कोई सूचना नहीं है जोकि भारत में बिना रुके अथवा भारत की यात्रा किये बिना ही देश के प्रमुख हवाई अड्डों के ऊपर से उड़ान करते हैं।

(ख) भारत में पर्यटन अभिवृद्धि के लिये उठाये जा रहे प्रमुख कदम तथा किये जा रहे महत्वपूर्ण उपायों को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है। 1975 के पहले तीन महीनों में पर्यटक आवकों में हुई वृद्धि निम्न प्रकार है :—

	जनवरी	फरवरी	मार्च
1974	37,778	33,021	35,255
1975	42,661	38,915	41,000 (अनुमानित)
प्रतिशत वृद्धि	12.9	17.8	16.3 (अनुमानित)

विवरण

1. सरकार ने विदेशी मुद्रा में देय 'भारत दर्शन प्रोत्साही किराये' 1 सितम्बर, 1974 से लागू करने का निर्णय किया है। (ये किराये इंडियन एयरलाइंस के देशीय क्षेत्रों पर बिना किसी प्रतिबंध के 14 दिवसीय तथा 21 दिवसीय यात्राओं के लिये क्रमशः 200 अमरीकी डालर तथा 275 अमरीकी डालर हैं)।

2. पर्वतारोहण तथा ट्रेकिंग को प्रोत्साहन देने के लिए जम्मू तथा काश्मीर, उत्तर प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश में कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों को पर्यटन विभाग के अनुरोध पर हाल ही में विदेशी पर्यटकों के लिए खुला घोषित कर दिया गया है।

3. विदेशों में संभावित पर्यटन मार्किटों में एक प्रबल बिक्री परक अभियान चलाया गया है। एयर इंडिया के सहयोग से चलाए गए 'आपरेशन यूरोप' तथा 'आपरेशन यू० एस० ए०' कार्यक्रम के अंतर्गत कांटिनेंटल यूरोप तथा अमरीका से और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

4. तेल के धनी देशों से पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पश्चिम एशिया में भारत सरकार का एक पर्यटक कार्यालय खोला जा रहा है।

5. भारत तथा विदेशों में अधिक उन्नत प्रकार के साहित्य से तीव्र प्रचार कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है।

6. चार्टर उड़ानों संबंधी नीति को उदार बना दिया गया है।

7. कई देशों के साथ पारस्परिक आधार पर वीज़ा शुल्क समाप्त कर दिया गया है।

8. पश्चिम जर्मनी, यूगोस्लाविया, नार्डिग देशों तथा बल्गारिया के साथ 90 दिन तक के वास के लिये वीज़ा समाप्ति के संबंध में द्विपक्षीय करार किए गए हैं।

9. 21 दिवसीय अवतरण परमिट की वैधता की अवधि को, जो बिना वीज़ा के प्रवेश को अनुमति देता है, बढ़ा कर 28 दिन कर दिया गया है।

10. विमानक्षेत्रों पर सरलीकरण प्रणालियों में सुधार कर दिया गया है ।

11. भारतीय मिशनों तथा भारत सरकार के पर्यटक कार्यालयों द्वारा अखिल भारतीय आधार पर विदेशी पर्यटकों को निःशुल्क शराब परमिट जारी किए जाते हैं ।

12. भिखारियों तथा दलालों के उत्पात को समाप्त करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

13. समस्त पर्यटक शिकायतों से निपटने तथा उपचारी उपाय करने के लिए विभाग में एक शिकायत सेल की स्थापना की गयी है ।

14. समुद्र पार अभिवृद्धिपरक यात्राओं को व्यापक रूप से हाथ में लेने तथा विदेशों में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पत्रिकाओं में विज्ञापन देने के योग्य बनाने के लिए यात्रा व्यवसाय को विदेशी मुद्रा के विमोचन के रूप में प्रोत्साहन दिया गया है ।

15. प्रचार अभियान के एक भाग के रूप में विभाग प्रति वर्ष विदेशों से यात्रा अभिकर्ताओं तथा यात्रा लेखकों/पत्रकारों/दूरदर्शन/फिल्म उत्पादकों को भारत परिचायक यात्राओं के लिए निमंत्रित करता है ।

16. गुलमर्ग, कोवालम तथा गोवा में इन स्थानों को लक्ष्य बना कर आने वाले यातायात के लिए अवकाशकालीन विहारस्थलों का निर्माण किया जा रहा है ।

17. हमारे चारों अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्रों पर वृहत् सुधार किए जा रहे हैं ।

18. विदेशों से वन्य जीव प्रेमियों को आकर्षित करने के लिए वन्य जीव पर्यटन का विकास किया जा रहा है ।

19. पर्यटक सुविधाओं के संवर्धन तथा सुधार के लिए पर्यटन व्यवसाय में स्वयंसेवी संगठनों/संस्थानों तथा अन्य निजी पार्टियों को अनुदानों तथा ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है ।

20. जहां कहीं संभव होता है महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों पर मौजूदा पर्यटक सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है ।

21. पुरातत्विक स्मारकों सहित पर्यटन रुचि के स्थानों का विकास किया जा रहा है ।

22. पर्यटक सेवाओं के चलाने के लिए प्रशिक्षित तथा अर्हता प्राप्त-कर्मचारियों के एक संवर्ग का निर्माण करने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है ।

23. आई० ए० टी० ए० के ढांचे के अंतर्गत एयर इंडिया के कुछ अंतर्राष्ट्रीय सैक्टरों, जैसे न्यूयार्क-बम्बई/दिल्ली, पैरिस-दिल्ली/बम्बई/कलकत्ता आदि पर, स्थान से स्थान तक के विशिष्ट किराए भी लागू किए गए हैं । भारत के लिए यात्रा के प्रारंभिक खर्च को कम करने तथा पर्यटकों के अन्य गंतव्य देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए यथासंभव अधिकतम सैक्टरों पर आकर्षक अभिवृद्धिपरक किराए लागू करने के लिए एयर इंडिया के माध्यम से निरंतर प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

24. विश्व पर्यटन संगठन (डब्ल्यू० टी० ओ०) ने 1975 को दक्षिण एशिया पर्यटन वर्ष घोषित किया है । आशा है कि इससे दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भारत पर ध्यान केन्द्रित होगा ।

आसाम में उत्पादित तेल, चाय और पटसन से राजस्व

5921. **श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकार को आसाम में उत्पादित तेल, चाय और पटसन से कितना राजस्व प्राप्त हुआ ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :—

विवरण	निम्न वर्षों के दौरान अर्जित राजस्व		
	1972-73	1973-74	1974-75 (जनवरी, 1975 तक)
			(लाख रुपयों में)
चाय	1250	1272	2114
चाय उपकर	94	98	92
खनिज तेल	3821	4137	3520
तेल उपकर	1	1	1
पटसन निमिति	12	11	9
पटसन बलिन धागा	7	9	8

नायलान के मूल्यों में वृद्धि

5922. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निष्प्रभावी धागे सम्बन्धी स्वदेशी के समझौते होने के बाद नायलान के धागे के मूल्य में, विशेषकर अमृतसर में, बार-बार वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या कताईकारों में लोकप्रिय धागों के काउन्टों में 80 प्रतिशत तक मूल्य वृद्धि की घोषणा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है;

(घ) क्या सेन्ट्रल नायलान समिति की अक्तूबर 1974 के बाद बैठक नहीं हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) नाइलोन की कीमतों में समय-समय पर वृद्धि होती रही है । नाइलोन के कत्तिनों तथा बुनकरों के बीच स्वैच्छिक करार में कैप्रोलेक्टम के मूल्यों में वृद्धि के बारे में वृद्धि खण्ड के कारण मूल्य वृद्धि हुई है । सितम्बर, 1973 से अब तक की अवधि के दौरान नाइलोन धागे के लोकप्रिय काउंटों के मूल्यों में वृद्धि लगभग 80 प्रतिशत हुई है ।

(घ) जी हां ।

(ङ) ये बैठकें, बुनकर संघ के प्रतिनिधियों के काफी संख्या में अनुपस्थित होने के कारण कोरम पूरा न होने के कारण नहीं हो सकीं ।

पाकिस्तान से वर्ष 1974 के दौरान आयात की गई रुई

5923. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान से वर्ष 1974 के दौरान कुल कितनी मात्रा में रुई का आयात किया गया ;

(ख) पाकिस्तान से वर्ष 1974 के दौरान आयात की गई रुई की किस्मों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय रुई के मूल्य की तुलना में आयातित पाकिस्तानी रुई के मूल्य क्या रहे और क्या होंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) 1974 के दौरान पाकिस्तान से रुई का कोई भी आयात नहीं किया गया । तथापि, 31 जनवरी, 1975 को भारतीय रुई निगम तथा पाकिस्तान रुई निर्यात निगम के बीच पाकिस्तान से भारत में रुई की 2 लाख गांठों का आयात करने के लिए एक संविदा पर हस्ताक्षर किये गये । एक लाख गाठों की पहली खेप का पोतलदान 31 मई, 1975 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान होने की सम्भावना है ।

(ग) पाकिस्तानी रुई की, माल उतरने पर कीमतें उसी प्रकार की भारतीय किस्मों की कीमतों से 20 से 25 प्रतिशत तक कम हैं । तथापि, यह रुई भारतीय किस्मों की कीमतों से तुल्य कीमतों पर रिलीज की जाएगी ।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जोधपुर में आयात लाइसेंस घोटाले का पता लगाया जाना

5924. **श्री के० एम० मधुकर :** क्या **वाणिज्य** मंत्री केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जोधपुर में आयात लाइसेंस घोटाले का पता लगाये जाने के बारे में 15 नवम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 704 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जोधपुर में आयात लाइसेंस घोटाले का पता लगाये जाने संबंधी जांच पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) मामलों की जांच अभी चल रही है ।

(ख) जांच अभी लम्बित है । जांच पूरी हो जाने के पश्चात इसका पता चलेगा ।

(ग) जांच में विभिन्न आयात लाइसेंसों से संबंधित विस्तृत दस्तावेजों की छानबीन तथा अनेक गवाहों की परीक्षा अन्तर्ग्रस्त है ।

राज्य व्यापार निगम के पास स्टाक का जमा होना

5925. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :**
श्री ईश्वर चौधरी :
श्री प्रबोध चन्द्र :
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :
श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम के पास कितनी कीमत का माल जमा हो गया है;

(ख) स्टाक की कीमत का मदवार ब्यौरा क्या है, प्रत्येक मामले में स्टाक जमा होने के क्या कारण हैं और इस प्रकार कितनी हानि हुई; और

(ग) इस बारे में भविष्य में क्या निवारक कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) 28-2-1975 को राज्य व्यापार निगम के पास 46.52 करोड़ रु० का स्टाक था जबकि वे सामान्यतः लगभग 30 करोड़ रु० का स्टाक रख सकते हैं ।

(ख) कुल स्टाक का ब्यौरा इस प्रकार है :—

आयात	करोड़ रु०
तेल तथा वसा . (चर्बी तथा बसा)	16.26
रसायन . (प्लास्टिक तथा रंग का कच्चा माल)	14.59
औषध तथा भेषज	4.78
वस्त्र . .	3.56
आई० आर० एम० ए० सी०	0.49
सामान्य उत्पाद (अखबारी कागज)	6.50
आयातित कारें	0.34
	46.52

स्टाक जमा हो जाने के कारण हैं : ऋण संकुचन के कारण प्रयोक्ताओं द्वारा मन्द गति से माल का उठाया जाना, प्लास्टिक जैसे अन्तिम उत्पादों की मांग में कमी, कुछ स्वदेशी कच्चे माल की कीमत में कमी अथवा अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट ।

कुछ मदों पर हानि होने की सम्भावना है और कितनी हानि होगी, इसका पता लेखे को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद ही चलेगा ।

(ग) स्टाक को निपटाना सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित निरोधक उपाय किये गये हैं :–

(1) लाइसेंस प्राधिकरण ने रिलीज आदेश धारियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे एक निश्चित अवधि के भीतर राज्य व्यापार निगम के पास अपने आदेश रजिस्टर करा लें ताकि उनके द्वारा आवंटित माल का तत्परता से उठाया जाना सुनिश्चित हो सके ।

(2) भावी निर्यातों को तय करते समय, जमा स्टाक का ध्यान रखा जाता है ।

(3) जहां भी सम्भव होता है पोतलदानों का फिर से कार्यक्रम बनाया जा रहा है और आवंटियों को बिल विपणन योजना का लाभ उठाने में सहायता दी जा रही है जिसके अन्तर्गत आवंटी विनिमय विपत्रों के आधार पर, जो माल उठाने की तारीख से 90 दिन तक परक्राम्य होंगे, तुरन्त माल उठा सकते हैं ।

जीवन बीमा निगम को प्राप्त शिकायतें

5926. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष जीवन बीमा निगम के कार्यालय में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और सामान्यतः किस प्रकार की हैं; और

(ख) शिकायतों को कम करने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है और उसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क)

शिकायतों का स्वरूप	1972-73	1973-74	1-4-1974 से 30-9-1974 तक
1. पालिसियों के दावे	6227	6271	3873
2. एजेंटों को कमीशन	8176	6651	3384
3. प्रीमियम समायोजन/रसीदें	6126	5146	2643
4. नया कारोबार	1353	1047	539
5. पालिसी ऋण	3596	2326	1223
6. चुकता/समपर्ण मूल्य	2928	2608	1036
7. अन्य	11765	10552	5305
जोड़	40171	34601	18003

(ख) कार्य-कुशलता में सुधार लाने के लिए सतत प्रयास किये जा रहे हैं । शिकायतों पर विचार करने के लिये निगम ने अभी हाल ही में सभी प्रभागीय कार्यालयों में सम्बन्धित तंत्र को सुदृढ़ किया है। प्रत्येक प्रभागीय कार्यालय में एक प्रबंध सूचना सेल स्थापित किया गया है । जिसे उन सभी शिकायतों

पर गौर करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है जो प्रभागीय कार्यालय द्वारा सीधे ही प्राप्त की जाती है अथवा क्षेत्रीय कार्यालय अथवा केन्द्रीय कार्यालय के माध्यम से प्राप्त होती हैं । उद्देश्य केवल विशिष्ट शिकायतों को दूर करना ही नहीं है बल्कि प्रशासनिक कार्यविधियों की सतत समीक्षा भी करते रहना है। शिकायतों के आंकड़ों का अध्ययन करने से प्रकट होता है कि शिकायतों के कम होते जाने की प्रवृत्ति रही है ।

बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा गैरसरकारी क्षेत्र के उद्योगों को दिये गये ऋणों की वसूली

5927. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में बिहार राज्य में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को दिये गये कितने ऋण देय तिथि तक वसूल नहीं किये गये हैं;

(ख) ऐसे उद्योगों के नाम क्या हैं और उक्त उद्योगों की ओर कितनी धनराशि बकाया है; और

(ग) सरकार पूरी राशि वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) शायद माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा निजी क्षेत्र के उद्योगों को दिये गये ऋणों में से किसी ऋण की वसूली नहीं की जा सकी है अथवा वह संदिग्ध मान ली गयी है। बैंक इस प्रकार की बकाया राशि को वसूल करने के लिये सभी कानूनी कदम उटाते हैं। यदि ऋण कर्त्ता द्वारा लिये गये ऋणों की वसूली में, उपलब्ध जमानत से संबंधित कोई कमी रह जाती है तो बैंक वर्ष-दर-वर्ष अपने सांविधिक लेखा परीक्षकों (आडीटर्स) की सलाह के आधार पर, अपने खातों में अपने लाभ में से इसके लिये उचित व्यवस्थायें भी करते हैं।

इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि बैंकों में प्रचलित पद्धति एवं रिवाज के अनुसार और बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम, 1970 की व्यवस्थाओं के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों के व्यक्तिगत घटकों के मामलों की या इनसे संबंधित कोई सूचना प्रकट नहीं की जा सकती है। इस संबंध में आगे यह भी उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंकों के लिये बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 की व्यवस्थाओं के अधीन निर्धारित तुलन-पत्र और लाभ व हानि लेखों के फार्मों में यह उपलब्ध नहीं है कि अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के वास्ते की गई व्यवस्था को प्रकाशित लेखों (एकाउंट्स) में प्रकट किया जाय।

नियंत्रित कपड़े के उत्पादन का कोटा

5928. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नियंत्रित कपड़े के उत्पादन कोटे और कपड़ा मिलो की निर्यात दायित्वों के पुनरीक्षण के बारे में हाल ही में पुनर्विचार करने के परिणामस्वरूप यदि कोई निर्णय लिया गया है, तो वह क्या है; और

(ख) इस संबंध में किन-किन कारणों और कसौटियों पर विचार किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) इस विषय में अभी तक कोई भी विनिश्चय नहीं किये गये हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठना ।

शत्रु सम्पत्तियों के लिये अनुग्रहपूर्वक (एक्सप्रेसिया) मुआवजे का भुगतान करने हेतु बजट में किया गया आवंटन

5929. **श्री समर गुह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1971-74 के बजटों में शत्रु सम्पत्तियों के लिये अनुग्रहपूर्वक मुआवजे के भुगतान करने हेतु आवंटित की गई 12 करोड़ रुपये की राशि में से केवल 3.11 करोड़ रुपये की राशि का ही उपयोग किया जा सका है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या वर्ष 1974-75 के बजट में आवंटित की गई धनराशि में से केवल 76 लाख रुपये ही दावेदारों को दिये गये थे;

(ग) यदि हां, तो क्या 31 मार्च, 1975 के बाद वितरित न की गई राशि भारत सरकार की संचित निधि को लौटा दी गई है ;

(घ) क्या कलकत्ता तालिका (पेनल) और परिरक्षक कार्यालय ने पूर्व पाकिस्तान के दावेदारों के मामलों का अनुमोदन किया है और मंजूरी दे दी है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या इन दावेदारों को 31 मार्च, 1975 तक अनुग्रहपूर्वक मुआवजा मिल गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां। भारत के शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक के पास पंजीयत दावे भिन्न भिन्न प्रकार की संपत्तियों से संबंधित हैं जिनका सत्यापन और उनका 1965 का मूल्य आंका जाना है। अधिकांश दावेदारों को स्वामित्व के प्रत्यक्ष साक्ष्य पेश करने में कठिनाई होती है जिसके परिणामस्वरूप दावे निपटाने की गति मंद रही और इस कारणवश बजट में की गई व्यवस्था का पूरा उपयोग नहीं किया जा सका।

(ख) तथा (ग) 2 करोड़ रु० की बजट व्यवस्था में से वित्तीय वर्ष 1974-75 में दावेदारों को 1.4 करोड़ रु० की राशि का भुगतान किया गया। बजट व्यवस्था की उपयोग में न लाई गई राशि स्वतः व्यपगत हो जायेगी।

(घ) शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक और दो अन्य सदस्यों के पैनल ने अब तक 208 दावों की जांच पड़ताल कर ली है।

(ङ) 31 मार्च, 1975 तक पैनल द्वारा जांच पड़ताल किये गये 63 दावों के संबंध में अनुग्रहपूर्वक अदायगियां की जा चुकी हैं। बाकी दावों पर कार्यवाही की जा रही है।

सामान्य बीमा निगम के विकास कर्मचारियों को वेतनवृद्धि

5930. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 13 मई, 1971 से, जब सामान्य बीमा उद्योग का सरकारीकरण किया गया था, विकास कर्मचारियों को कोई वेतनवृद्धि नहीं दी गई है जबकि अन्य सभी संवर्गों के कर्मचारियों को तदर्थ वेतनवृद्धि दी गई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) विकास कर्मचारियों के वेतनमानों और सेवा शर्तों का मानकीकरण करने और उन्हें युक्ति-संगत बनाने के बारे में कितनी प्रगति हुई है और यह कार्य कब तक कर लिया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) भूतपूर्व न्यू इंडिया इन्श्योरेंस कं० लि० और द ओरिएंटल फायर एण्ड जनरल इन्श्योरेंस कं० लि० के विकास कर्मचारी अभी भी वे वेतन-वृद्धियां प्राप्त कर रहे हैं जो, राष्ट्रीयकरण से एकदम पूर्व उन्हें लागू समझौतों के अन्तर्गत देय हुई होतीं। अन्य "यूनिटों" के विकास कर्मचारियों को 1973, 1974 और 1975 में 'तदर्थ' वेतन-वृद्धियां दी गई थीं जो उनके कार्य-निष्पादन पर आधारित थीं।

(ख) इन कर्मचारियों के संबंधित संघों के साथ विचार-विमर्श हुआ है किन्तु इस समय यह बताना संभव नहीं है कि उनके वेतनमान तथा भत्तों को कब तक युक्तियुक्त बनाया जायेगा।

प्रोजेक्ट्स एण्ड इक्विपमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड में चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रिक्त पद

5931. **श्री प्रबोध चन्द्र :**
श्री राम सहाय पांडे :
श्री वसन्त साठे :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रोजेक्ट्स एण्ड इक्विपमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया, लिमिटेड में जनवरी, 1974 के बाद चेयरमैन और एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद भरे नहीं गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) परियोजना, तथा उपस्कर निगम के अध्यक्ष का पद जनवरी, 1974 में रिक्त होने पर तत्काल तदर्थ आधार पर भर लिया गया था। कार्यकारी निदेशक का पद, जो अक्तूबर, 1973 में रिक्त हुआ था, फिलहाल आस्थगित रखा जा रहा है।

भारत के निर्यात व्यापार में विद्युत् चालित करघों का योगदान

5932. **श्री टना उरांव :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के निर्यात व्यापार में विद्युत चालित करघों द्वारा किये गये योगदान का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में विद्युत् चालित करघों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान विद्युत् चालित करघों को सप्लाई किये गये सुपरफाइन किस्मों यार्न की मात्रा का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) पश्चिम बंगाल के विशिष्ट सन्दर्भ में लघु उद्योगों को बचाने के लिए उनके मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) विद्युतचालित करघा वस्त्रों तथा तैयार परिधानों के निर्यात का मूल्य गत तीन वर्षों में निम्नोक्त प्रकार है :—

वर्ष	मूल्य (लाख रु० में)
1972	193.2
1973	461.6
1974	474.7 (अनन्तिम)

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) गत तीन वर्षों में विद्युतचालित करघों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले कोन्स/बीम्स/पिर्स तथा अन्य रूप में डिलीवर किये गये सुपरफाइन किस्मों के (अर्थात् काउंट 67 एस तथा उससे ऊपर के) सूत की मात्रा निम्नोक्त प्रकार है :—

वर्ष	सुपुर्दगियां (,000 कि० ग्रा० में)
1971	18,103
1972	20,424
1973	18,002

उपर्युक्त सुपुर्दगियों का राज्यवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(घ) लघु उद्योगों का, जिनमें विद्युतचालित करघा उद्योग भी शामिल है, दिन प्रति दिन का विकास राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। उनके विकास के लिए सभी योजनाएं तथा परियोजनाएं राज्य सरकारों द्वारा बनाई तथा क्रियान्वित की जाती हैं। जहां तक केन्द्रीय सरकार का संबंध है, वित्तीय सहायता राज्य सरकारों को उनकी वार्षिक योजनाओं के परिव्यय हेतु ब्लाक ऋणों तथा अनुदानों के रूप में दी जाती है। पश्चिमी बंगाल के मामले में भी यही स्थिति है।

विवरण

31 दिसम्बर, 1974 को राज्यों में विद्युतचालित करघों की अनुमानित संख्या

क्रमांक	राज्य	अनुमानित विद्युतचालित करघों की संख्या		
		सूत	कृत्रिम रेशम	योग
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	8,193	1,434	9,627
2.	केरल	2,703	179	2,882

1	2	3	4	5
3.	कर्नाटक	9,702	13,124	22,826
4.	तमिलनाडु	17,064	8,202	25,266
5.	पाण्डिचेरी	1,097	17	1,114
6.	गुजरात	15,222	43,310	58,532
7.	राजस्थान	4,508	90	4,598
8.	प० बंगाल	9,429	736	10,165
9.	बिहार	4,189	908	5,097
10.	असम	752	--	752
11.	उड़ीसा	1,259	14	1,273
12.	उत्तर प्रदेश	13,292	2,279	15,571
13.	महाराष्ट्र	90,745	28,089	1,18,834
14.	मध्य प्रदेश	9,712	926	10,638
15.	दिल्ली	1,309	584	1,893
16.	पंजाब	2,535	16,078	18,613
17.	हिमाचल प्रदेश	49	5	54
18.	जम्मू तथा काश्मीर	51	240	291
19.	त्रिपुरा	24	—	24
20.	मणिपुर	32	—	32
21.	दादरा तथा नागर हवेली . .	136	18	154
22.	गोआ, दमन तथा दीव	76	20	96
23.	हरियाणा .	1,002	495	1,497
24.	कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र	—	68	68
25.	चण्डीगढ़ . . .	—	—	—
26.	नागालैण्ड	6	—	6
	योग	1,93,087	1,16,816	3,09,903

बड़े व्यापार गृहों को जारी किये गये आयात लाइसेंस

5933. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 और 1974-75 में बीस बड़े व्यापार गृहों को कितने आयात लाइसेंस जारी किये गये;

(ख) क्या आयात लाइसेंस जारी करने के मामले में साहू जैन और जे० के० उद्योग के प्रति पक्षपात दिखाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) सभी जारी किये गये आयात लाइसेंसों का ब्यौरा वीकली बुलेटिन आफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिज, इम्पोर्ट लाइसेंसिज एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंसिज में प्रकाशित होता है, जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) तथा (ग) आयात लाइसेंस विद्यमान नीति द्वारा नियन्त्रित होते हैं। विस्तार में किन्हीं ब्यौरों के अभाव में यह कहना कठिन है कि क्या आयात लाइसेंस दिये जाने में इन प्रतिष्ठानों के साथ कोई भी पक्षपात दिखाया गया है।

केरल के क्विलोन जिले में बैंकों में जमा धनराशि और उनके द्वारा दिये गये ऋण

5934. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1975 को प्रयोजनवार और ताल्लुकवार (एक) कनारा बैंक (दो) सिंडीकेट बैंक (तीन) सेन्ट्रल बैंक ग्रांफ इंडिया (चार) स्टेट बैंक ने केरल के क्विलोन जिले में कुल कितनी धनराशि जमा की है और कितनी राशि के ऋण दिये हैं;

(ख) जिले के अन्दर के बैंक कार्यालयों से जिलों के बाहर की पार्टियों को कितनी राशि के ऋण दिये गये; और

(ग) जमा राशि की तुलना में ऋण कम देने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) क्विलोन जिले में अवस्थित कनारा बैंक, सिण्डीकेट बैंक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया और भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं में जमाओं और अग्रिमों के विषय में अद्यतन उपलब्ध जिलेवार आंकड़ें और उपर्युक्त जिले में इन चार बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिमों का प्रयोजनवार संवितरण अनुबंध में प्रस्तुत है। अलबत्ता, सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत करने की वर्तमान प्रणाली में ताल्लुकवार अथवा ऋणकर्त्ताओं के अधिवास के अनुसार आंकड़े संकलित नहीं किये जाते हैं।

(ग) अलग अलग शाखाओं के अग्रिमों के स्तर का निर्धारण उन शाखाओं के 'कमांड एरिया' में आर्थिक गतिविधि, विशेषकर व्यापार और उद्योग के संगठित क्षेत्रों में, और भूमि विकास, लघु सिंचाई छोटे पैमाने के उद्योग, वृहद् और मध्यम आकार के उद्योगों जैसे क्षेत्रों में विशिष्ट विकासात्मक कार्यक्रमों के संदर्भ में ऋण-प्रसार के अवसरों की सुलभता पर निर्भर होता है।

विवरण

केरल के क्विलोन जिले में दिसम्बर, 1973 के अंतिम शुक्रवार को कनारा बैंक, सिंडीकेट बैंक, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया और स्टेट बैंक आफ इंडिया की कुल जमाएं और प्रयोजनवार अग्रिम

(राशि हजार रुपयों में)

	कनारा बैंक	सिंडीकेट बैंक	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	स्टेट बैंक आफ इंडिया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जमाएं . .	23857	18579	18442	14395
अग्रिम				
(1) मंजूरी के अनुसार .	24787	11870	13469	5984
(2) उपयोग के अनुसार	24838	11979	16277	5250
व्यवसाय				
(1) कृषि और तत्संबंधी कार्यकलाप जिनमें :—	546	1865	4511	1699
(क) प्रत्यक्ष वित्त .	4	1730	2967	65
(ख) अप्रत्यक्ष वित्त	9	—	12	348
(2) उद्योग	19649	5511	7747	1539
(3) व्यापार	2763	2314	2686	553
(4) व्यक्तिगत ऋण	1176	850	328	485
(5) सभी अन्य	704	1439	1005	974
जोड़	24838	11979	16277	5250

Money spent on famine measures in Gujarat

5935. **Shri Arvind M. Patel** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the money spent on famine measures in Gujarat during 1972-73, 1973-74 and 1974-75, yearwise;

(b) the amount of Central assistance and the share of the State therein, year-wise; and

(c) the amount likely to be spent for the purpose during 1975-76 indicating Central and State shares therein separately ?

The Minister of Finance (Shri C. Subramaniam) : (a) to (c) The expenditure on drought relief in Gujarat for the years 1972-73 to 1975-76 as reported by the State Government and the Central assistance made available towards that expenditure are set out in the following table :

(Rs. Crores)

Year	Expenditure reported by the State Government	Central assistance
1972-73	31.91	18.50
1973-74 . .	50.52	49.21*
1974-75	41.46	13.39
1975-76 (Estimate)	56.00	@

*Includes arrear assistance of Rs. 10.60 crores relating to 1972-73.

@The matter is under review.

मैसर्स इंडिया कार्बन लिमिटेड के निदेशकों के विरुद्ध तस्करी के आरोप

5936. **श्री एच० के० एल० भगत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैमर्स इण्डिया कार्बन लिमिटेड के किसी शेयर होल्डर/निदेशक को तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों के नाम क्या है; और

(ग) उन पर किस प्रकार के आरोप लगाये गये हैं और उनसे कौन सी निषिद्ध वस्तुएं बरामद हुई हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मखर्जी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

जीवन बीमा निगम में प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के पदों का अनसूचित जातियों और अनसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिये आरक्षण

5937. **श्री गदाधर साहा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम में प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के पदों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की सीधी भर्ती बन्द कर दी गई है और यदि हां, तो इसका क्या कारण हैं ;

(ख) जीवन बीमा निगम में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के पदों में आरक्षण आदेश जारी करने के पूर्व और उसके बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की प्रतिशतता कितनी हैं;

(ग) क्या इससे जीवन बीमा की सेवा में उनके कम और न्यून प्रतिनिधित्व का पता चलता है; यदि हां, तो उनका आरक्षण समाप्त करने से पूर्व उनके लिए सुरक्षित सभी रिक्त पदों को भरने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं; और

(घ) क्या राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के पंचाट के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के पदों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की सीधी भर्ती के प्रश्न पर पुनर्विचार किया गया है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) कुछ सम्बद्ध मामले राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायधिकरण के पास भेजे गये होने के कारण जीवन बीमा निगम ने श्रेणी I के पदों पर 1967 से कोई सीधी भर्ती शुरु नहीं की। लेकिन श्रेणी II के पदों के लिये जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये आरक्षित पद भी शामिल हैं, भर्ती जारी रही।

(ख) आरक्षण आदेश अपनाए जाने से पूर्व का प्रतिशत-अनुपात (31-3-1964)

	श्रेणी I	श्रेणी II	श्रेणी III	श्रेणी IV
अनुसूचित जाति	0.11	0.17	0.48	9.78
अनु० जन जाति	0.04	0.08	0.54	0.54

आरक्षण आदेश अपनाए जाने के बाद प्रतिशत अनुपात (31-3-1974)

	श्रेणी I	श्रेणी II	श्रेणी III	श्रेणी IV
अनु० जाति	0.16	0.35	2.57	14.92
अनु० जन जाति	0.05	0.02	0.24	1.57

(ग) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सभी रिक्त पदों (जिनमें वे पद भी शामिल हैं जिन्हें आगे लाया गया है) को भरने की दृष्टि से जीवन बीमा निगम ने हाल ही में निम्नलिखित उपाय किये हैं :—

(I) अनु० जाति/अनु० जनजाति के उम्मीदवारों के लिए अलग साक्षात्कार।

(II) अनु० जाति/अनु० जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों का अन्य से नहीं भरा जाना।

(III) समान वेतन-मान वाले पदों को एक साथ मिलाना।

(IV) सामान्य भर्ती के समय अनु० जाति/अनु० जनजाति के उम्मीदवारों से असंतोषजनक उत्तर मिलने पर तदर्थ भर्ती करना।

(घ) श्रेणी I के पदों पर (जिनमें अनु० जाति और अनु० जनजाति के लिए आरक्षित पद भी शामिल हैं) खुली प्रतियोगिता द्वारा सीधी भर्ती का प्रश्न जीवन बीमा निगम के विचाराधीन है।

भारत पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन के विरुद्ध आरोप

5938. **श्री विजयपाल सिंह :**
श्री सी० के० चन्द्राप्पन :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अनेक संसद सदस्यों से एक संयुक्त पत्र मिला है जिसमें भारत पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन के विरुद्ध जन संचार साधनों द्वारा जो आरोप लगाये गये हैं उनकी जांच करने की मांग की गई है;

(ख) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने उन आरोपों की जांच की है तथा इस अधिकारी के बारे में अंतरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में संक्षिप्त ब्यौरा क्या है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्धनिदेशक के विरुद्ध लगाये गये कतिपय आरोपों की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा कर ली गयी है। केन्द्रीय जांच ब्यूरों की रिपोर्ट केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेज दी गई है। अगली आवश्यक कार्यवाही आयोग की सलाह के अनुसार की जायेगी।

जब्त किये गये माल के निपटान में कदाचार

5939. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क समाहर्ता कार्यालय, दिल्ली में जब्त किये गये माल की बिक्री से, जो राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ तथा सेना के कैन्टीनों के माध्यम से की जाती है प्राप्त आय का दुरुपयोग किया जा रहा है।

(ख) क्या अधिकांश माल का मूल्य कम लगाकर उसे गुप्त रूप से विभागीय अधिकारियों, जनसाधारण तथा मूल्यांकन समिति के सदस्यों को बेच दिया जाता है और इससे विदेशी मुद्रा की हानि होती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इस मामले की जांच करने का विचार है और यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मखर्जी) :(क) सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क समाहर्ता-कार्यालय, दिल्ली में विलासिता की जब्तशुदा वस्तुओं की राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ तथा रक्षा-विभाग कैंटीनों के माध्यम से बिक्री से प्राप्त रकम के दुरुपयोग का कोई मामला जानकारी में नहीं आया है।

(ख) जब्तशुदा माल को विभागीय अधिकारियों अथवा जनता को बेचे जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन सिगरेट और खाद्य सामग्री जैसी नष्ट होने वाली वस्तुओं के जनता को बेचे जाने की अनुमति है। माल का मूल्यांकन एक समिति द्वारा किया जाता है जिसमें समाहर्ता-कार्यालय के तीन वरिष्ठ अधिकारी होते हैं जो इसी प्रकार की वस्तुओं के बाजार-मूल्यों की सावधानी पूर्वक पड़ताल करते हैं। अतः सरकारी राजस्व की कोई हानि होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) ऊपर (क) और (ख) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

पोलिएस्टर चिप्स का आयात

5940. **श्री मधु लिमये : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई०सी०आई० ग्रुप की आई०ओ०सी० और कैफी कम्पनियों द्वारा पोलिएस्टर चिप्स के आयात की शर्तों का उल्लंघन करने के बारे में सोशलिस्ट पार्टी के एक लोक सभा सदस्य ने दिनांक 15 नवम्बर, 1974 का एक पत्र उनके मंत्रालय को प्राप्त हुआ है;

22 LSS/75—5.

(ख) यदि हां, तो इन उल्लंघनों का क्या ब्यौरा है; और

(ग) इन उल्लंघन के बारे में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा की गई जांच पड़ताल के आधार पर इन कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) मैसर्स इण्डियन आर्गनिक कैमिकल्स के मामले में जांच पूरी हो गई है तथा रिपोर्ट विचाराधीन है। मैसर्स केमिकल्स एण्ड फाइबर्स आफ इंडिया के मामले में विभागीय कार्यवाही आरंभ की गई है।

स्टेट बैंक आफ इंडिया के पर्यवेक्षी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के प्रश्न का निपटाया जाना

5941. **श्री भाउसाहेब धामनकर :**
श्री बसन्त साठे :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आंफ इण्डिया के पर्यवेक्षी कर्मचारियों का महंगाई भत्ते का प्रश्न काफी समय से अनिर्णीत पड़ा है और इस प्रश्न पर कर्मचारियों में असन्तोष बढ़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो पर्यवेक्षी कर्मचारियों को न्याय सुनिश्चित करने और पर्यवेक्षी तथा गैर-पर्यवेक्षी कर्मचारियों के वेतन ढांचे में वर्तमान असंगति को समाप्त करने के लिए महंगाई भत्ते के प्रश्न का समाधान करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि इस बैंक और 'आल इण्डिया स्टेट बैंक आफ इण्डिया सुपरवाइजिंग स्टाफ फेडरेशन' के बीच वेतन ढांचे के बारे में 1970 में हुआ करार 31 दिसम्बर, 1973 को समाप्त हो गया था। परिसंघ (फेडरेशन) ने महंगाई भत्ते में वृद्धि का प्रश्न करार की समाप्ति में के बाद उठाया था। नया करार होने तक पर्यवेक्षी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता पुराने करार के अनुसार ही दिया जा रहा है, किन्तु इन भुगतानों की आवृत्ति में कुछ सुधार किये गए हैं और वेतन के उस स्तर में, जिस तक महंगाई भत्ता अदा किया जाना चाहिए, वृद्धि कर दी गयी है। बैंक परिसंघ के साथ नवम्बर, 1974 तक समझौता वार्ता करता रहा। किन्तु कोई समझौता न हो सकने के कारण बैंक ने महंगाई भत्ते में संशोधन विषयक कुछ प्रस्ताव सरकार के पास उनकी पूर्वानुमति के लिये भेजे हैं। सरकार इन प्रस्तावों पर, भारतीय रिज़र्व बैंक के विमर्श से, विचार कर रही है।

भारतीय स्टेट बैंक ने यह भी सूचना दी है कि पर्यवेक्षी स्टाफ बैंक के बड़े और मझौले कार्यालयों पर 20 मार्च, 1975 से प्रदर्शन करता आ रहा है और उच्चतर महंगाई भत्ते की बावत अपनी मांग के समर्थन में उन्होंने 4 अप्रैल, 1975 को सांकेतिक हड़ताल भी की थी।

भारतीय स्टेट बैंक ने अपने कार्यालयों को हड़ताल और प्रदर्शनों से स्थायी निर्देशों के अनुरूप निपटने की सलाह दी है। भारतीय स्टेट बैंक के अनुसार जो लोग 4 अप्रैल, 1975 को ड्यूटी से गैर-हाजिर थे, उनके बारे में अन्य कार्रवाई के साथ साथ एक दिन की परिलब्धि भी काटी जा सकती है।

World Bank's assistance for development of Forests in Madhya Pradesh

5942. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether World Bank is taking interest in the development of forests of Madhya Pradesh and a team of World Bank is touring Madhya Pradesh since the first week of November, 1974; and

(b) if so, the facts, thereof ?

The Minister of Finance (Shri C. Subramaniam) : (a) & (b) A Forestry Survey and Identification Mission from the World Bank visited India during October-November, 1974 to review the prospects for forestry development in India and identify project priorities for future investment. The team visited Madhya Pradesh also for a preliminary look. A preparation mission from the Bank is likely to visit Madhya Pradesh again in April-May to discuss a forestry project in Bastar. A clearer picture of the project would be available only after this visit.

एस० ए० एस० पास लेखाकारों का 'पैनल'

5943. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1972 में निवृत्तमान महालेखा परीक्षक द्वारा ब्रिटेन/अमरीका स्थित इंडिया आडिट' कार्यालयों, में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों के चयन के लिए तैयार किये गये एस०ए०एस० पास लेखाकारों (अनुभाग अधिकारियों) के पेनल को उनके उत्तराधिकारी ने बिल्कुल लागू नहीं किया; और

(ख) यदि हां, तो 'पेनल' लागू न करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मखर्जी) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा यह सूचित किया गया है कि कर्मचारियों के चयन और उनको ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमरीका स्थित कार्यालयों में तैनात करने संबंधी इससे पहले की प्रणाली को अमल में लाने से कुछ समस्यायें उत्पन्न हो गई थीं और एतद्नुसार उन्होंने इस कार्यविधि में परिवर्तन करना आवश्यक पाया। यह परिवर्तन अब कर दिया गया है और अप्रैल, 1974 में एक नया 'पेनल' तैयार किया गया है।

हाकी के खिलाड़ियों को दिये जाने वाले नकद पुरस्कारों पर आय कर

5944. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में भारतीय हाकी खिलाड़ियों को सफलता के कारण उन्हें नकद पुरस्कार दिये गये थे;

(ख) यदि हां, तो सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों से प्रत्येक खिलाड़ी को कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई है; और

(ग) क्या इस पुरस्कार पर आय-कर के भुगतान की छूट दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) भारतीय हाकी टीम के सदस्यों को विभिन्न एजेंसियों द्वारा दिये गये कथित नकद पुरस्कारों के बारे में वित्त मंत्रालय के पास कोई सूचना नहीं है।

(ग) 1 अप्रैल, 1972 से यथा संशोधित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(3) के अन्तर्गत एक हजार रु० से अधिक की आकस्मिक और अनावर्ती प्राप्तियां आयकर लगने योग्य हैं। इस प्रकार ये नकद पुरस्कार कर लगने योग्य होंगे। प्रत्यक्ष कर (संशोधन) अधिनियम 1974 द्वारा अन्तर्निविष्ट आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(17ए) निम्नलिखित छूट देती है :—

"साहित्यिक, वैज्ञानिक और कलात्मक कार्यों अथवा खेलकूद में उपलब्धि अथवा प्रवीणता के लिए केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा प्रतिष्ठापित अथवा इस प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत पुरस्कारों के अनुसरण में, नकद अथवा अन्य किसी रूप में किया गया कोई भुगतान :

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई स्वीकृति ऐसे कर-निर्धारण वर्ष अथवा वर्षों के लिए प्रभावी होगी जो स्वीकृति मंजूर करने वाले आदेश में विनिर्दिष्ट हों, (जिनमें इस प्रकार की स्वीकृत देने की तारीख से पहले शुरु होने वाले कर-निर्धारण वर्ष भी शामिल हैं)।"

मौसम विभाग में ड्राफ्टसमैन के पद पर पदोन्नति की पद्धति

5945. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या **पर्यटन** और **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय मौसम विभागों में ड्राफ्टसमैन के पद के लिये और अन्य सरकारी कार्यालयों में ड्राफ्टसमैन नक्शे नवीस और नक्शानवीसी ड्राफ्टसमैन पद के लिये क्या अर्हताएं, कर्त्तव्य, वेतनमान और पदोन्नति की पद्धति निर्धारित हैं;

(ख) क्या उन्हें सीनियर ओबजर्वरस और उच्च श्रेणी क्लर्कों के साथ कुछ अनुपात से पदोन्नत किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो यह निर्धारित करने के लिये अनुपात और कसौटी क्या है;

(घ) क्या पहले से निर्धारित अनुपात का पुनरीक्षण होना चाहिए; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) भारत मौसम विज्ञान विभाग में ड्राफ्टसमैनों के पदों के संबंध में अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है। विभाग में चार्टोग्राफर तथा कार्टोग्राफिक ड्राफ्टसमैन के कोई पद नहीं हैं।

1. अर्हतायें :

(1) उच्चतर माध्यमिक अथवा समकक्ष।

(2) यांत्रिकी तथा मॉडल ड्राइंग में प्रवीणता के साथ साथ किसी मान्यताप्राप्त संस्था से ड्राफ्टसमैन (यांत्रिक) में प्रमाण पत्र।

वांछनीय : फोटोग्राफी का ज्ञान।

2. कार्य-प्रवृत्ति :

(i) प्रदर्शन कार्य के लिए चार्ट, आरेख, आधार नक्शे, नदी क्षेत्रों के समोच्च नक्शे, दीवारी नक्शे तथा आरेख तैयार करना।

(ii) उपकरणों तथा मशीनरी के ड्राइंग तैयार करना, वैधशालाओं के स्थान-निर्धारण, उपकरणों के प्रतिस्थापन आदि के ले आउट प्लानों की प्रतिलिपि तैयार करना।

(iii) अंतिम रूप से मुद्रण के लिए चित्रित नक्शों तथा आरेखों का आफ-सेट प्लेटों पर स्थानांतरण।

(iv) प्रशिक्षार्थियों के लिए संक्षिप्त अभ्यासवलियां तैयार करना।

(v) डिज़ाइनों का अनुरेखण।

(vi) आवश्यकताओं के अनुसार नक्शों को बड़ा या छोटा करना।

(vii) ड्राइंग सामग्री का लेखा रखना।

(viii) प्लांटिमीटर कार्य।

3. वेतनमान :

330-10-380-द०रो०-12-500-द०रो०-15-560 रुपये

4. भारत मौसम विज्ञान विभाग में ड्राफ्टसमैन के पद के लिये निर्धारित पदोन्नति का तरीका:

वर्तमान भर्ती नियमों के अनुसार, यांत्रिक ड्राफ्टसमैन के ग्रेड में कम से कम 5 वर्ष की सेवा वाले कर्मचारी वैज्ञानिक सहायक के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र हैं।

भारत मौसम विज्ञान विभाग में ड्राफ्टसमैनों का वेतनमान अन्य सरकारी कार्यालयों के ऐसे ही कर्मचारियों के बराबर है। ड्राफ्समैनों के पद से अन्य पदों के संबंध में, जो कि भारत मौसम विज्ञान विभाग में नहीं हैं, सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) प्रवर पर्यवेक्षक, प्रवर श्रेणी लिपिक तथा ड्राफ्टसमैन वैज्ञानिक सहायक के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र हैं। पदोन्नति संबंधी कोटा इन ग्रेडों में संवर्ग संख्या के आधार पर निश्चित किया जाना है। 40 पदोन्नतियों में से, 35 प्रवर पर्यवेक्षकों द्वारा, 4 प्रवर श्रेणी लिपिकों तथा एक ड्राफ्टसमैन द्वारा भरे जाते हैं।

(घ) और (ङ) मामले की जांच की जा रही है।

इंडियन एयरलाइन्स के पर्यवेक्षी संवर्गों में नियुक्तियां

5946. **श्री वयालार रवि :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में इंडियन एयरलाइंस के पर्यवेक्षी संवर्गों में कुल कितने व्यक्ति नियुक्त किये गये हैं और तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) जब कर्मचारियों की संख्या अधिक होने के कारण उनकी छंटनी की जा रही है तो पर्यवक्षी संवर्गों में नियुक्तियां करने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) गत तीन वर्षों में भरे गए ग्रेड 10/12 के एवं उनसे ऊंचे पदों की, जिन्हें कि पर्यवक्षक वर्ग के पद समझा जाता है तथा जिन में तकनीकी पद भी सम्मिलित हैं, संख्या निम्न प्रकार है :—

1972	655
1973	339
1974	123

(ख) सिब्बबन्दी के कर्मचारी वर्ग में कमी किये जाने के कारण किसी भी कर्मचारी की छंटनी नहीं की गई है। पिछले तीन वर्षों में पर्यवेक्षक संवर्गों में भरे गये पद वे हैं जो उन संवर्गों में वृद्धि अथवा पदों के प्रोन्नतिकरण, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्न अथवा आकस्मिक मृत्यु आदि के कारण हुई रिक्तियों की पूर्ति करने के लिए भरे गये।

गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) में पर्यटक होटलों का निर्माण

5947. **श्री नरसिंह नारायण पांडे :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में लुम्बिनी और कुशीनगर के निकट मध्यवर्ती स्थान पर, पर्यटक होटल बनाने का है;

(ख) क्या 'रामगढ़ लेक' क्षेत्र को इस प्रयोजनार्थ बदलने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार की कोई योजना प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकारी क्षेत्र के उद्यम भारत पर्यटन विकास निगम का फिलहाल गोरखपुर में होटल निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है। कुशीनगर में निगम का अपने 8 कमरे के वर्तमान यात्री लाज का उसमें 25 और कमरों की अभिवृद्धि करके विस्तार करने का प्रस्ताव है जिस के लिये निगम की पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 15 लाख रुपयों की व्यवस्था की गई है। विस्तार परियोजना का क्रियान्वयन साधनों की उपलब्धि एवं संतोषजनक संभाव्यता अध्ययन हो जाने पर किया जायेगा।

(ख) पर्यटन विभाग को उत्तर प्रदेश सरकार से रामगढ़ झील क्षेत्र को बदल कर वहां पर्यटक होटलों के निर्माण का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारत में दुग्ध चूर्ण का चोरी छिपे लाया जाना

5943. **श्री यमना प्रसाद मंडल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नेपाल और बंगलादेश से तस्करी द्वारा भारत में लाये जा रहे दुग्ध चूर्ण तथा उसकी अवैध बिक्री की ओर दिलाया गया है; और

(ख) तस्करी को समाप्त करने और उत्पाद-शुल्क राजस्व की हानि रोकने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) सरकार को यह विदित है कि नेपाल और बंगलादेश से भारत में कुछ मात्रा में दुग्ध-चूर्ण का तस्कर आयात किया जा रहा है। किन्तु बाजारों में दुग्ध-चूर्ण की चोरी छिपे की जाने वाली बिक्री का कोई मामला नोटिस में नहीं आया है।

(ख) भारत-नेपाल तथा भारत-बंगलादेश सीमा पर तस्करी को समाप्त करने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :

भारत बंगला देश सीमा--

(i) सीमा पर सीमाशुल्क कर्मचारी तैनात किये गये हैं जो निवारक गश्त लगाते हैं;

(ii) तस्करी विरोधी कार्य के संबंध में सीमा सुरक्षा दल तथा राज्य पुलिस के साथ विभिन्न स्तरों पर निकट सम्पर्क रखा जाता है;

(iii) तस्करी विरोधी कार्य के संबंध में सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमा सुरक्षा दल तथा स्थानीय पुलिस के कर्मचारियों को सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन कार्यवाही करने के लिये अधिकार दिया गया है।

भारत नेपाल सीमा--

(i) सीमा पर तस्कर-व्यापार को रोकने की दृष्टि से नेपाल के महामहिम की सरकार से सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया गया है;

(ii) कारगर नियंत्रण रखने की दृष्टि से, सीमा पर तैनात सभी कर्मचारियों को पटना में तैनात सीमाशुल्क समाहर्ता के एकीकृत नियंत्रण के अधीन रखा गया है;

(iii) तस्कर-व्यापार को रोकने की दृष्टि से कर्मचारियों के लिये जीपों और तस्कर-विरोधी आवश्यक साज-सामान की व्यवस्था की गई है जिसमें अग्न्यस्त्र शामिल हैं;

(iv) 1970 में राजस्व गुप्तचर्या निदेशालय में एक विशेष कार्य अधिकारी का पद निर्मित्त किया गया था ताकि उक्त कार्यालय भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी विरोधी कार्य को समन्वित करने की दृष्टि से केन्द्रीयकृत अभिकरण के रूप में कार्य कर सके;

(v) तस्करी विरोधी कार्य के संबंध में कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की आवश्यक व्यवस्था की गई है जिसमें निगरानी तथा अग्न्यस्त्रों के प्रयोग संबंधी प्रशिक्षण शामिल हैं;

(vi) तस्करी को रोकने के लिये सीमा के समीपस्थ शहरों में, इसी तरह के कार्य में संलग्न चलते-फिरते निवारक दलों के अतिरिक्त, निवारक दल तैनात किये जाते हैं; तथा तस्कर व्यापार को रोकने की दृष्टि से, विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत, तस्करों को नजरबन्द करने के लिये भी कार्यवाही की गई है।

Proposal to shift handloom weavers residing near Ashok Vihar in Delhi

5949. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether hundreds of handloom weavers residing near Ashok Vihar in Delhi are proposed to be shifted by Government from there; and

(b) if so, the details in regard to their being displaced again ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) & (b) So far as Commerce Ministry is aware there is no proposal to shift hundreds of handloom weavers residing near Ashok Vihar in Delhi. However, Directorate of Industries, Delhi Adm. has a scheme for providing constructed sheds to the Handloom Co-operative Societies in a Weavers Colony being set up at Bharat Nagar, not far from Ashok Vihar.

गोग्रा के लिये निर्बाध व्यापार जोन

5950. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गोग्रा के मुख्य मंत्री के 3 मार्च, 1975 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस कथित वक्तव्य को देखा है कि सरकार संघ राज्य क्षेत्रों में निर्यात प्रधान उद्योगों के संवर्द्धन के लिये गोग्रा को एक निर्बाध व्यापार जोन बनाने के लिये जोर देने के लिये दृढ़ प्रतिज्ञ हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार ने पहले ही कुछ ब्यौरे मांगे हैं और गोग्रा सरकार को यह भी सुझाव दिया है कि वह ग्रपनी प्रस्थापना पर विचार करने के लिए संभाव्यता ग्रध्ययन करे।

रुपये में भुगतान स्वीकार न करने वाले देशों से ग्रायातित वस्तुयें

5951. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री विकसित और रुपये में भुगतान स्वीकार करने वाले देशों से ग्रायात के बारे में 28 फरवरी, 1975 के ग्रतारांकित प्रश्न संख्या 1600 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रत्यन्त प्रतियोगी मूल्यों पर ग्रायात करते समय रुपये में भुगतान स्वीकार करने वाले देशों को प्राथमिकता देकर विदेशी मुद्रा को सुरक्षित रखने पर ध्यान दिया जाता है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ख) रुपये में भुगतान स्वीकार न करने वाले देशों से ग्रायात की जा रही उन वस्तुग्रों के नाम क्या हैं जो रुपये में भुगतान के ग्राधार पर व्यापारिक संबंध रखने वाले देशों से उपलब्ध हो सकती हैं, इन वस्तुग्रों पर कितनी धनराशि, रुपयों में खर्च की जाती है और उनको रुपये में भुगतान स्वीकार करने वाले देशों से ग्रायात करने के लिये प्रयत्न न करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) : देश में ग्रायातों की ग्रनुमति ग्रर्थ-व्यवस्था की ग्रावश्यकताग्रों के ग्रनुसार और संसाधनों की उपलब्धता के ग्रध्याधीन रहते हुए दी जाती है। रुपया में भुगतान करने वाले देशों से ग्रायात मुक्त विदेशी मुद्रा बचाने के लिये किये जाते हैं परन्तु माल की उपलब्धता, मूल्य तथा क्वालिटी संबंधी बातों के ग्रध्याधीन होते हैं। इस समय, गैर रुपया भुगतान देशों से कई कच्चे माल, मध्यवर्ती पदार्थ तथा तैयार विनिर्मित मदे ग्रायात की जा रही रही हैं। वित्तीय वर्ष 1973-74 के दौरान रुपया भुगतान देशों से 450.4 करोड़ रु० के ग्रायात हुए।

Jodhpur Aerodrome

5952. **Shri M.C. Daga :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the time by which the work on Jodhpur aerodrome would be completed and when aircraft would start landing there daily; and

(b) the reasons why aircraft have not yet started landing there ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur) : (a) and (b) Indian Airlines are already operating a thrice weekly air-service between Bombay and Delhi via Jodhpur with HS-748 aircraft. The frequency of service would be increased to make it daily as and when the fleet position improves or some adjustment in flight schedules makes it feasible.

The work on the construction of apron and taxi track at Jodhpur aerodrome is almost complete. Construction of the terminal building is expected to be taken up during the current financial year.

डीजल इंजनों और इलैक्ट्रानिक उपकरणों के निर्यात के लिये फ्रांस में मार्कीट का सर्वेक्षण

5953. **श्री श्रीकिशन मोदी :**
श्री पी० गंगा देव :
श्री आर० वी० स्वामीनाथन :
श्री धर्मसिंह दादा भाई देसाई :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने फ्रांस को डीजल, इंजनों, इलेक्ट्रानिक उपकरणों तथा अन्य वस्तुओं के निर्यात के लिये फ्रांस में मार्किट के सर्वेक्षण करने के लिये भारत की सहायता करने के लिये कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में फ्रांस की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) जी हां । 6 मार्च से 7 मार्च, 1975 तक नई दिल्ली में हुई भारत फ्रांस आर्थिक आयोग की बैठक के दौरान फ्रांस में बाजार सर्वेक्षण के क्षेत्र में सहायता के लिये अनुरोध किया गया था । फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल ने डीजल इंजन, इलैक्ट्रोनिग कंट्रोलिक तथा नापने के उपस्करों आदि जैसे क्षेत्रों में दो भारतीय विशेषज्ञों को लेने के लिये सहमति व्यक्त की अन्तिम चयन प्रारंभिक अध्ययन के बाद किया जायेगा ।

House rent allowance to Government Employees living in their own houses in New Delhi/Delhi

5954. **Shri Chhatrapati Ambesh :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government employees, who are living in their own houses in New Delhi/Delhi and not paying any house tax and property tax, are not entitled to get House Rent Allowance from Government;

(b) whether there are many teachers in the Government Higher Secondary School for Adults, Badarpur, New Delhi who should not be paid House Rent Allowance in accordance with the aforesaid Government rule but who are drawing House Rent Allowance;

(c) If so, the reasons for paying this allowance to them; and

(d) the action being taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) A Central Government employee living in his own house in New Delhi,/Delhi is entitled to house rent allowance on the basis of the gross rental value of the house, irrespective of whether he pays house tax/property tax or not.

(b) Only one case has come to notice where a teacher of the Government Higher Secondary School for Adults, Badarpur, alleged to be living in his own house was paid house rent allowance for certain periods.

(c) The payment of house rent allowance was made to the teacher on the basis of house rent certificates furnished by him, but the correctness of the same is under dispute.

(d) The matter is being investigated and if it is established that it was a case of erroneous payment, action will the taken to effect recovery.

काला धन निकालने के लिये बम्बई में छापे

5955. **श्री सरजू पांडे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1972–73 में 'आपरेशन आफ बिल्डर्स ब्लैक मनी एण्ड अनअर्दिग' के अन्तर्गत वम्बई के श्री पी० डी० मित्तल नामक प्रसिद्ध निर्माता (विल्डर) के मकान पर छापा नहीं मारा गया था ;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में कोई शिकायत मिली है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या कार्यावाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) बम्बई के बहु मंजिली इमारतों के 'निर्मानाओं' के कुछ मामलों में अप्रैल 1973 में ली गई तलाशियों के दौरान, श्री पी० डी० मितल के मकान की तलाशी नहीं ली गई थी ।

(ख) जी हां।

(ग) शिकायत की जांच की जा रही है और यथा अपेक्षित आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

इंडिया सेफ डिपाजिटस लिमिटेड के लाकर पर छापा

5956. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के प्राधिकारियों ने इंडिया सेफ डिपाजिटस लिमिटेड नामक कलकत्ता की एक लाकर फर्म पर हाल ही में छापे मारे थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या जांच के दौरान उक्त कम्पनी के लाकरों में सोने और काले धन की अवैध जमाखोरी होने संबंधी साक्ष्य मिली है ;

(ग) क्या कम्पनी में ग्राहकों के प्रमुख पटसन और चाय उद्योगपति हैं ; और

(घ) इस मामले में यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता-कार्यालय उड़ीसा तथा कलकत्ता, के स्वर्ण नियन्त्रण अधिकारियों ने हाल ही में कलकत्ता स्थित एक लाकर कम्पनी इंडिया सेफ डिपाजिट वाल्ट कम्पनी लि० के कई लाकरों की तलाशी ली थी ।

(ख) सीमाशुल्क अधिनियम के उल्लघन के संदेह में लगभग 1,34,00,000 रु० के हीरे तथा रत्न पकड़े गये थे । स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के उल्लंघन के सन्देह में 7,00,000 रु० से अधिक का सोना एवं सोने के गहने पकड़े गये थे । आयकर धिनियम के अन्तर्गत जांच-पड़ताल के लिये शेयर सर्टीफिकेट, बैंक जमा रसीदें आदि पकड़ी गयीं ।

(ग) लाकरों को किराये पर लेनेवालों में, चाय तथा पटसन के प्रमुख उद्योगपतियों के शामिल होने का कोई विशिष्ट सबूत नहीं पाया गया । किन्तु कम्पनी का एक निदेशक चाय-उद्योग से संबंधित है, जिसे स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम के अन्तर्गत अपराध को उकसाने के जुर्म में 27 फरवरी, 1975 को गिरफ्तार किया गया था ।

(घ) एक लाकर को तोड़कर खोलने तथा उसमें से वस्तुओं को निकालने की साजिश में तीन व्यक्तियों को और अन्य लाकरों से निषिद्ध सोना, हीरे आदि की बरामदी के सिलसिले में चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया । आगे जांच-पड़ताल जारी है ।

नेशनल इंशोरेंस कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के कार्यालय भवन के नवीकरण पर खर्च की गई धनराशि

5957. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल इंशोरेंस कम्पनी लिमिटेड के 3 मिडलटन स्ट्रीट, कलकत्ता-16 स्थित वर्तमान मुख्यालय भवन, जो केवल 1966 में ही बना था के नवीनकरण पर और आंतरिक सजावट पर वर्ष 1974-75 में कितनी धनराशि खर्च की गई है या करने का विचार है ;

(ख) नेशनल इंशोइस कम्पनी लिमिटेड कलकत्ता, द्वारा इसके एक पहले एकक कमर्शियल यूनियन के लिये जिसका 3, मिडलटन स्ट्रीट कलकत्ता-16 में अपना भवन है, वैकल्पिक स्थान का पता लगाने के लिये कितनी धनराशि खर्च की गई है ; और

(ग) मितव्ययता और ऋण पर रोक की सरकारी नीति की अवहेलना करके सरकारी क्षेत्र की कम्पनी द्वारा इस प्रकार का अनावश्यक खर्च किये जाने के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) 1974-75 के दौरान खर्च की गई रकम तथा खर्च करने के लिये प्रस्तावित रकम क्रमशः 10,393 रु० तथा 6,62,000 रु० थी ।

(ख) 1,09,240 रु० जिसमें से पंखों, रोशनी तथा काउन्टरों आदि पर 71,011 रु० का पूंजीगत व्यय शामिल है । किराया 40,925 रु० प्रतिमास है ।

(ग) 3, मिडिलटन स्ट्रीट, कलकत्ता स्थित भवन का निर्माण 1966 में नहीं हुआ था परन्तु उस वर्ष इसे कमर्शियल यूनियन एश्योरेन्स ने अपने शाखा कार्यालय के स्थान के लिये खरीद था । अब इसमें नेशनल इन्शौरेन्स कम्पनी का एकीकृत मुख्य कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसमें 32 तत्कालीन विदेशी तथा भारतीय बीमा कंपनियां शामिल है । कार्यालय एकक नेशनल इन्यौरेन्स कम्पनी लिमिटेड के मुख्य कार्यालय के लिए स्थान की व्यवस्था करने की दृष्टि से कमर्शियल यूनियन को, जो अब कम्पनी का प्रभाग सं iii है, अन्य परिसर में स्थानान्तरित कर दिया गया है । इसके परिणामतः कुछ अपरिहार्य परिवर्धन और परिवर्तन किये गये है ।

साधारण बीमा निगम ने सरकार को बताया है कि कम्पनी के मुख्य कार्यालय और प्रभागीय कार्यालय के लिये स्थान की व्यवस्था करने के संबंध में किया गया खर्च उचित है ।

मैंगनीज अयस्क के निर्यात को अधिकतम सीमा में ढील देना

5958. **श्री अर्जुन सेठी : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मध्यम और श्रेष्ठ किस्म के मैंगानीज अयस्क निर्यात की अधिकतम सीमा में आंशिक ढील दी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) केवल श्रेष्ठ किस्म के मेंगनीज अयस्क के निर्यात में कुछ ढील दी गई है तथा श्रेष्ठ किस्म के मैंगनिज अयस्क के एक लाख में० टन का अतिरिक्त निर्यात करने की अनुमति दी गई है ।

मैसर्स लारसेन एंड टूबरो लिमिटेड के चेयरमैन के खिलाफ जांच

5959. **श्री अनन्तराव पाटिल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लारसेन एण्ड टबरो लिमिटेड के चेयरमैन के खिलाफ जांच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या सरकार को पता है कि उसकी पदावधि 31 मार्च, 1975 को समाप्त हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने समय पर जांच पूरी करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) मैसर्स लारसन और टूबरो के अध्यक्ष के मामले में आयकर विभाग द्वारा की जा रही जाँच-पड़ताल अभी पूरी नहीं हुई है ।

(ग) कम्पनी के अध्यक्ष की नियुक्ति की अवधि 31 मार्च 1975 को समाप्त हो गयी । इस अवधि को बढ़ाने का प्रस्ताव कम्पनी कार्य विभाग में प्राप्त हुआ है ।

(घ) जांच-पड़ताल शीघ्र पूरी करने की कोशिश की जा रही है ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित रसायनों का निपटान

5960. **श्री अनादि चरण दास :**
श्री पी० गंगादेव :
श्री धर्मसिंह दादाभाई देसाई :
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या राज्य व्यापार निगम आयातित रसायनों के निपटान के बारे में अपनी वाणिज्यिक नीति में परिवर्तन करने पर विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सबन्धी मुख्य बातें और परिवर्तन करने के कारण क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) :(क) तथा (ख) आयातित रसायनों के निपटान के बारे में राज्य व्यापार निगम की वाणिज्यिक नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तथापि, इसमें से कुछ माल की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट के कारण वह माल नहीं उठाया जा रहा था, वहाँ पर कीमतों में संशोधन करके उन्हें कम कर दिया गया है।

कृषि और ग्रामीण विकास के लिये विश्व बैंक से सहायता

5961. **श्री शंकरराव सावन्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकासशील देशों में कृषि और ग्रामीण विकास के लिये विश्व बैंक ने अपनी सहायता दुगुनी कर देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो हमारी पांचवीं योजना पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ;

(ग) इस प्रयोजन के लिए विश्व बैंक से हमें इस समय कितनी सहायता मिल रही है ; और

(घ) इस सहायता की राशि को वापस करने की शर्त क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) इस समय विश्व बैंक समूह से मिलने वाली कुल सहायता का लगभग 40 प्रतिशत कृषि उत्पादन में वृद्धि करने से संबंधित परियोजनाओं के लिए हैं । आगे भी इतनी ही सहायता प्राप्त होने की संभावना है ।

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के ऋणों पर $8\frac{1}{2}$ प्रतिशत वार्षिक की दर से व्याज लगता है और इन्हें 25 से 30 वर्ष तक की अवधि में चुकाया जाना होता है जिसमें 5 से 10 वर्ष तक की रियायती अवधि शामिल है । दूसरी ओर अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के ऋणों की वापसी 50 वर्ष की अवधि में की जानी होती है जिसमें 10 वर्ष की रियायती अवधि शामिल है ; इन ऋणों पर कोई व्याज नहीं लगता, लेकिन इनके प्रशासनिक खर्च को पूरा करने के लिए इन पर प्रतिशत की दर से सेवा-प्रभार लगता है ।

इंडियन एयरलाइन्स में कर्मचारियों की संख्या

5962. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइंस के ऐसे वाणिज्यिक विमान चालकों, स्टीवार्ड और विमान परिचारिकाओं तथा नियमित कर्मचारियों की संख्या क्या है जिन्हें हड़ताल के दौरान इंडियन एयरलाइंस के अधिकारी नहीं माना जाता है ;

(ख) हड़ताल के दौरान इंडियन एयरलाइंस के अधिकारियों की संख्या क्या थी ;

(ग) इस समय इंडियन एयरलाइंस के पास कितने विमान हैं और प्रतिदिन कुल कितनी उड़ानें की जाती हैं ; और

(घ) इस समय इंडियन एयरलाइंस में अधिकारियों सहित विमान-चालकों, विमान परिचारिकाओं, स्टीवार्ड तथा अन्य कर्मचारियों की संख्या क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) 30-11-73 को इंडियन एयरलाइंस में वाणिज्यिक विमान चालकों, केबिन कार्मिकों (स्टूअर्ड तथा विमान परिचारिकाओं) और अन्य नियमित कर्मचारियों (अधिकारियों को छोड़कर) की संख्या निम्न प्रकार थी :—

(1) वाणिज्यिक विमान चालक . .	417
(2) केबिन कार्मिक (स्टूअर्ड तथा विमान परिचारिकाएं)	431
(3) अन्य नियमित कर्मचारी . .	13,564
(4) सुरक्षा कर्मचारी . .	457
कुल	14,869

इंडियन एयरलाइंस में तालाबन्दी 24-11-73 को घोषित की गई ।

(ख) 1103

(ग) कारपोरेशन का वर्तमान परिचालन विमान बेड़ा निम्न प्रकार हैं :—

बोइंग 737—200	10
कारवेल	6+3 शुष्क पट्टे (ड्राई लीज़) पर ।
एफ—27	9
एच० एस०—748	15
वाइकाउंट	2

इंडियन एयरलाइंस द्वारा परिचालित सेवाओं की औसत संख्या 156 प्रतिदिन है ।

(घ) 28-2-1975 को 15,279 ।

विश्व की मंडियों में भारतीय चाय की लोकप्रियता में कमी

5963. **श्री वनमाली बाबू** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व की विभिन्न मण्डियों में भारतीय चाय की लोकप्रियता और उसकी बिक्री में कमी हो रही है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्व के विभिन्न देशों में चाय के निर्यात की प्रवृत्ति का वर्ष-वार और देश-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या विदेशी बाजारों में चाय की मांग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ करने का सरकार का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए कितनी धनराशि नियत की गई है और क्या नये बाजारों का पता लगाने अथवा पुराने बाजारों में इसकी फिर से मांग बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जायगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) :(क) जी नहीं । जनवरी-अक्तूबर, 1974 में भारत से चाय का निर्यात 138.25 करोड़ रु० मूल्य की 15,539 करोड़ कि० ग्रा० का हुआ था जबकि 1973 की उसी अवधि में 110..47 करोड़ रु० मूल्य की 14.432 करोड़ कि० ग्रा० चाय का निर्यात हुआ था ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०--9412/75]**

(ग) चाय के निर्यात संवर्धन की निरन्तर समीक्षा की जाती है ताकि इस प्रकार की समीक्षा करने पर उपयुक्त समझे जाने वाले परिवर्तनों को अपनाया जा सके ।

(घ) भारत के बाहर चाय संवर्धन के लिए 1975-76 के बजट में 165.71 लाख रु० की राशि की व्यवस्था की गई है जिसमें अन्य बातों के साथ साथ सामान्य संवर्धन, एकराष्ट्रीय संवर्धन, स्थानीय चाय ब्लेंडरों/पैकरों के सहयोग से भारतीय चाय के विशिष्ट पैकों का संवर्धन, बाजार अध्ययन तथा नये बाजारों का पता लगाने के लिए प्रतिनिधिमंडलों, व्यापार प्रतिनिधिमंडलों आदि पर व्यय शामिल है ।

भारतीय पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिये सेवा नियम

5964. श्री रामावतार शास्त्री :
श्री वीरभद्र सिंह :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निदेशक बोर्ड ने भारतीय पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिये सितम्बर 1973 तक सेवा नियमों का अनुमोदन किया था और सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति को सूचित कर दिया था कि ये नियम लागू कर दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये नियम कब से लागू किये गये हैं ; और

(ग) क्या कोई अधिसूचना कर्मचारियों को भेजी गई है या परिचालित की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों के लिए कर्मचारी विनियमों, जिनमें सेवा नियम भी सम्मिलित हैं, का अनुमोदन निगम के प्रबंधकवर्ग द्वारा 31 अगस्त 1973 को कर दिया गया था । लोक संस्था समिति को सूचित किया गया था कि इन नियमों का अनुसरण भारत पर्यटन विकास निगम में 1973 से पहले भी किया जा रहा था हालांकि उन्हें औपचारिक रूप से केवल 1973 में लिखा, संकलित एवं संगृहीत किया गया ।

(ग) श्रौद्योगिक रोज़गार (स्थायी श्रादेश) श्रधिनियम, 1946 के श्रन्तर्गत स्थायी श्रादेशों के प्रारूप को, जिसमें कामगारों की सेवा शर्तें भी सम्मिलित हैं, दिल्ली के प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को भेज दिया गया है । प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये जाने के पश्चात् ही इन्हें कर्मचारियों में परिचालित/श्रधिसूचित किया जायेगा ।

Promotions and transfers in the offices of Controller of Defence Accounts

5965. **Shri Janeshwar Misra : ** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the fact that there are political motives behind the promotions and transfers being made in the Offices of the Controller of Defence Accounts; and

(b) if so, the action being taken by Government to check it ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) Government have no reasons to believe that there are political motives behind promotions and transfers made in the offices of the Controllers of Defence Accounts.

(b) Does not arise.

कपड़े का पुनर्वर्गीकरण

5966. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़े की किस्मों का पुनर्वर्गीकरण करने का विचार है ; श्रौर

(ख) क्या प्रस्ताविन पुनर्वर्गीकरण में पावरलूम के कपड़े पर भी उत्पादन शुल्क संभाबित है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) मिल निर्मित कपड़े के विद्यमान वर्गीकरण के संशोधन के प्रश्न पर सूती वस्त्र सलाहकार बोर्ड की 17-4-1975 को होने वाली बैठक में विचार करने का प्रस्ताव है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड में विदेशी पूंजी

5967. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड में यूनिलिवर लंदन की समस्त पूंजी 85 प्रतिशत है ;

(ख) क्या यह समस्त साम्य पूंजी हमारे देश से कई वर्षों तक होने वाले लाभ से बनी है ;

(ग) क्या उक्त संदर्भ में हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड को सी० श्रो० बी० लाइसेंस देने का श्रर्थ देश में हमारे सीधे-सादे उपभोक्ता का श्रग्रेत्तर शोषण करते रहने की श्रनुमति देना है ; श्रौर

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा अपने मौजूदा कारोबार को जारी रखने की अनुमति प्राप्त करने के लिये विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 29(2) (क) के अन्तर्गत दिये गये आवेदनपत्र पर विचार किया जा रहा है ।

बासमती चावल का निर्यात

5968. **श्री पी० वेंकटासुब्बया : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश से बासमती चावल के निर्यात से काफी आय होने लगी है ;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में निर्यात के आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) इतना निर्यात बनाये रखने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी अभी नहीं ।

(ख) विगत दो वर्षों के दौरान बासमती चावल के निर्यात इस प्रकार रहे :

	मात्रा (टन)	मूल्य (लाख रुपये)
1973–74	14822	668.18
1974–75*	26234	1312.02

(*अप्रैल-नवम्बर, 74)

(ग) उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन के रूप में बासमती चावल के लिए उपजकर्ताओं को अधिक आकर्षक कीमत दी जा रही है । पंजाब तथा हरियाणा के अलावा बिहार, जम्मू तथा काश्मीर, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के चुने हुए क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने के लिए ठेका काश्त को प्रोत्साहन देने की प्रस्थापना पर विभिन्न निकायों के साथ परामर्श किया जा रहा है ।

मिल के बने सूती कपड़े के निर्यात में वृद्धि

5969. **श्री रामसहाय पांडे : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974 में मिल के बने सूती कपड़े के निर्यात में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई ; और

(ख) यदि हां, तो देश में इसकी कमी के बावजूद इस वृद्धि के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) वर्ष 1974 के दौरान सूती वस्त्रों के निर्यातों में 1973 की अपेक्षा मूल्य की दृष्टि से लगभग 45 प्रतिशत की वृद्धि हुई । तथापि, निर्यात की मात्रा 1973 में 6309 लाख वर्ग मीटर से गिरकर 1974 के दौरान 4676 लाख वर्ग मीटर रह गई ;

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

22 LSS/75—6

केरल में नारियल पर आधारित उद्योग

5970. **श्री वयालार रवि : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई नारियल समुदाय के विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि केरल राज्य में बड़ी संख्या में नारियल पर आधारित उद्योगों की स्थापना करने के लिए राज्य में संभाव्यता अध्ययन किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) गत वर्ष भारत आये एशियाई नारियल समुदाय के औद्योगिक अर्थशास्त्री ने अपनी रिपोर्ट में भारत सरकार से केरल राज्य में एकीकृत नारियल संसाधन कारखाने की स्थापना के बारे में संभाव्यता अध्ययन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम/संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन से सहायता के लिए अनुरोध करने के बारे में विचार करने के लिए सिफारिश की है । इस अध्ययन में कयर प्रोसैसिंग उद्योग का आधुनिकीकरण और सामाजिक आर्थिक समस्याओं पर इसके प्रभाव का भी समावेश किया जायेगा। इस सिफारिश का कार्यान्वयन करने के लिए परियोजना प्रस्थापना का मसौदा तैयार कर लिया गया है और उस पर विचार किया जा रहा है ।

वरजीनिया तम्बाकू के उत्पादन पर उपकर

5971. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसा प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है कि प्रस्ताविक तम्बाकू बोर्ड के लिये धन एकत्र करने हेतु वरजीनिया तम्बाकू के सम्पूर्ण उत्पादन पर और सभी प्रकार के तम्बाकू के निर्यात पर उपकर लगाया जाना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) लोक सभा में 7-3-75 को यथा पुरःस्थापित तम्बाकू विधेयक, 1975 का उद्देश्य निम्नलिखित के संबंध में उपकर के रूप में लेवी की व्यवस्था करना है ।

(1) वरजीनिया तम्बाकू, जिसका भारत में उत्पादन होता है और जो किसी भी पंजीकृत नीलामी मंच पर बेचा जाता है, पर एक पैसा कि० ग्रा० की दर से उत्पादन शुल्क।

(2) निर्यात किये जाने वाले सभी प्रकार के तम्बाकू पर एक प्रतिशत यथामूल्य से अनधिक की दर पर, जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा, सीमा शुल्क ।

तम्बाकू के तस्कर व्यापारियों की गिरफ्तारी

5972. **श्री महादीपक सिंह शाक्य : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तम्बाकू के तस्कर व्यापारियों को गिरफ्तार करने में असफल रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) गत वर्ष ऐसे कितने तस्कर पकड़े गए ; और

(घ) वर्ष 1973–74 में उत्तर प्रदेश के जिला एटा में पकड़े गए मामलों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां ।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) चौवालीस ।

(घ) 1973–74 के दौरान एटा जिले में तस्करी के बारह मामले दर्ज किये गये थे । इनमें से :—

(1) 3 मामलों में, 902 किलोग्राम अनिर्मित तम्बाकू, निर्मित तम्बाकू के रूप में भेजी जा रही थी ।

(2) 3 मामलों में, 8580 किलोग्राम तम्बाकू मियाद बाहर हुए परमिटों पर ले जाया जा रहा था अथवा दोहरी खेपें ले जायी जा रहीं थीं ।

(3) 6 मामलों में, 743 किलोग्राम तम्बाकू बिना किसी परमिट के ले जाये जाने के कारण पकड़ा गया था ।

कपड़ा उद्योग में उत्पादन के बारे में अध्ययन दल के निष्कर्ष

5973. श्री भोगेन्द्र झा :
श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे :

क्या **वाणिज्य मंत्री संकट** ग्रस्त कपड़ा मिलों के प्रबंध ग्रहण के बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से संबंधित 18 दिसम्बर, 1974 के अनारांकित प्रश्न संख्या 5093 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपड़ा उद्योग में कटौती किये जाने के संबंध में कपड़ा आयुक्त की अध्यक्षता वाले अध्ययन दल के निष्कर्षों के क्या परिणाम रहे और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ख) गैर-सरकारी कपड़ा मिलों और कपड़ा निगम द्वारा संचालित मिलों की कुल उत्पादन क्षमता क्या है और गत एक वर्ष में वास्तविक मासिक उत्पादन कितना हुआ और पूरी क्षमता का उत्पादन सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) अध्ययन दल का प्रतिवेदन अभी तक प्रतीक्षित है ।

(ख) दिसम्बर, 1974 के अन्त में सूती कपड़ा मिल उद्योग की कुल स्थापित क्षमता 188.3 लाख तकुए तथा 2.06 लाख करघे थी । राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अन्तर्गत जो 103 मिलें हैं उनकी कुल स्थापित क्षमता 29.5 लाख तकुए तथा 45,725 करघे हैं ।

1974 में समस्त सूती वस्त्र उद्योग के मासिक उत्पादन को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । उसमें जो कुल उत्पादन दिखाया गया है उसमें से राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अंतर्गत आने वाली मिलों ने 79,60 करोड़ मीटर सूती कपड़े का और 4.53 करोड़ कि० ग्रा० सूत का उत्पादन किया था ।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अंतर्गत मिलों के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से 87 मिलों के संबंध में आधुनिकीकरण कार्यक्रम तैयार किए गये हैं जिन पर लगभग 54 करोड़ रु० का परिव्यय होगा।

विवरण

1974 के वर्ष में सूती कपड़े तथा सूत का उत्पादन दर्शाने वाला विवरण

मास	सूती कपड़ा (10 लाख मीटरों में)	सूत (10 लाख कि० ग्रा० में)
जनवरी, 1974	277.784	77.453
फरवरी, 1974	301.921	67.985
मार्च, 1974	349.727	86.792
अप्रैल, 1974	355.670	86.210
मई, 1974	365.378	84.929
जून, 1974	383.016	85.593
जुलाई, 1974	400.306	89.555
अगस्त, 1974	394.230	90.306
सितम्बर, 1974	383.850	88.425
अक्तूबर, 1974	374.848	85.641
नवम्बर, 1974	348.260	76.935
दिसम्बर, 1974	380.610	88.390
योग	4,315.600	1,008.214

रुई के मूल्य में गिरावट

5974. **श्री मधु लिमये :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर तथा दिसम्बर, 1974 में रुई की विभिन्न किस्मों के मूल्यों में तेजी से गिरावट हुई थी ;

(ख) भारतीय रुई निगम तथा अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा कुल कितनी खरीद की गयी ;

(ग) क्या इन खरीदों से कपास के मूल्यों पर कोई प्रभाव पड़ा ;

(घ) क्या रुई के मूल्यों में जी नेसे गिरावट आने के कारण फार्म सैक्टर के संगठित औद्योगिक सैक्टर को हुए आय हस्तांतरण से अगले कार्य उत्पादन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा ; और

(ङ) यदि हां, तो रूई उत्पादकों को इस संबंध में पुनः आश्वस्त करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) सितम्बर, 1974 के कीमतों के स्तर की तुलना में नवम्बर तथा दिसम्बर, 1974 में कीमतों में जो गिरावट आई वह 1,200 रु० से लेकर 2,100 रु० प्रति केन्डी के लगभग थी । फिर भी, नवम्बर तथा दिसम्बर, 1974 में जो कीमतें चल रहीं थीं वे 1973 के उन्हीं महीनों की कीमतों से अधिक थीं ।

(ख) अब तक रूई निगम ने लगभग 6,100 गांठें खरीदी हैं और महाराष्ट्र राज्य सहकारी विपणन फेडरेशन ने लगभग 12 लाख गांठें खरीदी हैं ।

(ग) जी हां, कुछ ही हद तक ।

(घ) नवम्बर तथा दिसम्बर, 1974 में रूई की कीमतों में गिरावट का शायद आगामी वर्ष रूई के उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि इन महीनों में जो कीमतें चल रही थीं वे उससे पिछले वर्ष की उसी अवधि की कीमतों से अधिक थीं ।

(ङ) स्टाक रखने के विषय में मिलों पर लगाये गये प्रतिबन्धों को 19 दिसम्बर 1974 से और भी ढीला कर दिया गया है ताकि मिलें अपनी 3 से 4½ मास तक की आवश्यकताओं के लिये स्टाक पूरे करने हेतु मण्डी से माल खरीद सकें । हाल ही में फरवरी 1975 में, 1⅛" की अथवा उससे अधिक स्टेपल लम्बाई वाली लम्बे रेशे की रूई पर से स्टाक संबंधी सीमायें हटा दी गई हैं । इन कार्यवाहियों का उद्देश्य रूई की मांग को बढ़ाना और रूई उगाने वालों को बेहतर कीमतें दिलवाना है ।

मैसर्स टाटा मिल्स लिमिटेड द्वारा अनियमिततायें

5975. श्री सतपाल कपूर : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में मैसर्स टाटा मिल्स लिमिटेड द्वारा कितनी और किस प्रकार की विभिन्न अनियमिततायें की गई ; और

(ख) उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) मिल ने सूती वस्त्र (नियंत्रण) आदेश, 1948 की धारा 21 का उल्लंघन करते हुए गैर-मानक गांठों में प्रिंटिड शर्टिंग की पांच गांठें पैक की थी ।

(ख) मिल को गांठें खोलने तथा निकासी से पहले मानक गांठों में कपड़ा पैक करने का निदेश दिया गया था ।

आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई के लिये दोहरी मूल्य नीति

5976. डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन मर्चेंट्स चैम्बर द्वारा 28 दिसम्बर, 1974 को बम्बई में आयोजित की गई व्यापारी समुदाय की एक बैठक में भाषण करते हुए प्रधान मंत्री ने यह स्पष्ट किया था कि व्यापारी समुदाय का दोहरी मूल्य नीति सम्बन्धी हाल का सुझाव तब तक सरकार को स्वीकार्य नहीं है जब तक कि उत्पादन का एक अंश अनिवार्य प्रयोजनों के लिए तथा समाज के दुर्बल वर्गों को शेष की खुले बाजार में बिक्री करके कम कीमत पर उपलब्ध नहीं किया जाता ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की स्पष्ट नीति क्या है ; और

(ग) उक्त शर्त पर सरकार का विचार किन वस्तुओं के बारे में दोहरी मूल्य नीति अपनाने का है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) प्रधान मंत्री ने बम्बई में 28 दिसम्बर, 1974 को इंडियन मर्चेन्ट्स चैम्बर द्वारा आयोजित बैठक में अपने भाषण के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा था कि दोहरी मूल्य नीति उसी हालत में उचित होगी जब जितनी मात्रा में उत्पादन किया जाय उसका कुछ भाग अनिवार्य प्रयोजना तथा समाज के कमजोर वर्गों को कम कीमत पर दिलाया जाय। कीमत में जो कमी की जाय उसे उत्पादन के शेष भाग को खुले बाजार में बिक्री करके पूरा किया जाय।

(ख) जैसा कि 21-3-1975 के तारांकित प्रश्न संख्या 445 के उत्तर में बताया गया है सरकार का यह विचार है कि दोहरी मूल्य नीति कभी-कभी उपभोक्ता और उत्पादक दोनों के हित में हो सकती है क्योंकि इससे उपभोक्ता अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं का काफी बड़ा हिस्सा अपेक्षाकृत कम कीमतों पर प्राप्त कर सकता है जबकि उत्पादक कम कीमत पर बेचे गये माल के कारण होने वाली हानि को खुले बाजार में बिक्री करके पूरा कर सकता है।

(ग) उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय इस बात की जांच कर रहा है कि कौन-कौन सी वस्तुएं अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करने वाली वस्तुओं के अन्तर्गत आती हैं। यह मंत्रालय इस विषय से संबंधित अन्य बातों की भी जांच कर रहा है जैसे इन वस्तुओं की कीमत तय करना तथा इनका वितरण करने में कौन-सी नीति अपनायी जाय।

उद्यमियों को विना ब्याज के ऋण देने के लिये सोसाइटी

5977. **श्री के० लकप्पा :**
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में एक नई सोसाइटी बनायी है जो मध्यम स्तर के औद्योगिक कारखाने स्थापित करने के लिए उद्यमियों और प्रौद्योगिकिविदों को बिना ब्याज के ऋण प्रदान करेगी; और

(ख) यदि हां, तो सोसाइटी का गठन क्या है और अन्य मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने "रिस्क कैपिटल फाउन्डेशन" की स्थापना की है जिसे 22 जनवरी, 1975 को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन एक समिति के रूप में पंजीकृत किया गया था। इस फाउन्डेशन में एक न्यासी-मंडल (बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज) होगा और पहले न्यासी-मंडल (बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज) में एक अध्यक्ष, निगम के अध्यक्ष और महाप्रबन्धक (पदेन सदस्य) औद्योगिक वित्त निगम

के दो निदेशक, निगम के बोर्ड द्वारा नामित उद्योग, वित्त, बैंकिंग, तकनीकी संस्थाओं, निकायों और उपक्रमों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्ति और फाउन्डेशन को सहायता प्रदान करने वाली क्रेडिटांस्टाल्ट (के०एफ०डब्ल्यु०) सहित अन्य वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे ।

इस फाउन्डेशन का कार्य तभी प्रारम्भ हो सकेगा, जब न्यासी मंडल (बोर्ड ग्राफ ट्रस्टीज़) इसके परिचालन सम्बन्धी नियम और विनियम तैयार कर लेगा। इस बीच 10 मार्च, 1975 को इस फाउन्डेशन का उद्‌घाटन हो चुका है ।

इस फाउन्डेशन का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक परियोजनाओं के संवर्धन के लिये नये उद्यम कर्त्ताओं और तकनीशनों को बिना ब्याज पर अथवा नाममात्र ब्याज की दर पर ऋणों एवं अग्रिमों के द्वारा सहायता प्रदान करना है ; जिससे कि वे उन परियोजनाओं की सामान्य पूंजी में अपना योगदान दे सकें, जिनके लिये निगम और/अथवा अन्य अखिल-भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहायता स्वीकृत हो चुकी है ।

उर्वरकों का आयात

5978. **श्री हरि सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में समस्त उर्वरकों का एक ही सरकारी एजेंसी के माध्यम से आयात करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) उर्वरकों के समस्त आयात को एक ही एजेन्सी को सौंपने के प्रश्न पर सरकार ध्यान दे रही है ।

तेल की खोज के लिये स्वदेशी संसाधनों के बारे में विश्व बैंक द्वारा अध्ययन

5079. **सरदार मोहिन्दर सिंह गिल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल की खोज के लिये स्वदेशी संसाधनों के बारे में विश्व बैंक के अध्ययन में विदेशी सहयोग का तथा तट पर छिद्रण की गतिविधियों में ऑयल इंडिया द्वारा और अच्छी भूमिका अदा किये जाने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो विशेषकर ऑयल इंडिया लिमिटेड को अपेक्षाकृत अधिक अच्छी भूमिका प्रदान करने के बारे में इन सुझावों पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) समुद्र तट पर तेल की खोज करने के लिए विदेशी सहयोग लेने का कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है और न ही फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव है कि तेल की खोज के लिए आयल इंडिया लिमिटेड को और अधिक क्षेत्र में तेल की खोज करने दिया जाय।

भारत के ऊर्जा क्षेत्र के बारे में विश्व बैंक द्वारा अध्ययन

5980. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री वरके जार्ज :
श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :
श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के ऊर्जा क्षेत्र के बारे में विश्व बैंक अध्ययन में तेल परियोजनाओं के लिये विदेशी सहायता का सुझाव दिया गया है;

(ख) क्या तट पर छिद्रण-कार्य तथा "बोम्बे हाई" कार्यक्रमों के लिये विदेशी सहयोग का सुझाव देते हुये, उक्त अध्ययन में कहा गया है कि बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा की आवश्यकता को देखते हुये तथा राष्ट्रीय तेल उत्पादन को बढ़ाने की द्रुत आवश्यकता के कारण ऐसा ही करना वांछनीय होगा;

(ग) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक के अध्ययन प्रतिवेदन की जांच कर ली है; और

(घ) इस सम्बन्ध में संभवतः कब तक अन्तिम निर्णय हो जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (घ) सरकार की नीति यह है कि तट पर तथा तट से दूर समुद्र में दोनों स्थानों पर, तेल की खोज के कार्यक्रमों को तेज किया जाय ताकि यथासंभव कम से कम समय में तेल के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके। हालांकि सरकार का उद्देश्य यह है कि उत्पादन प्लेटफार्मों का निर्माण करने तथा उन्हें संस्थापित करने, पाइप लाइनों और समुद्र के नीचे काम आने वाले अन्य ढांचों का निर्माण करने के लिए देश में उपलब्ध क्षमता का विकास किया जाए फिर भी उसके साथ ही यह भी विचार है कि जहां तक आवश्यक हो, ऐसा संसार भर में उपलब्ध इंजीनियरी तथा परामर्श सम्बन्धी सर्वोत्तम सेवाओं का इस्तेमाल करते हुए तेल की खोज उसके उत्पादन के प्रयासों को तेज किया जाए। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग बम्बई हाई में तट से दूर स्थलों पर खोज के काम को अपने आप कर रहा है किन्तु बंगाल और कच्छ में तट से दूर स्थलों पर इस काम के लिए दो विदेशी फर्मों को ठेका दिया गया है ताकि तट से दूर तेल की खोज के प्रयासों में तेजी लाई जा सके।

मैकनील एंड बैरी लिमिटेड, कलकत्ता में विदेशी शेयर पूंजी का कम किया जाना

5981. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैकनील एण्ड बैरी लिमिटेड, कलकत्ता में किसी विलय के अतिरिक्त विदेशी शेयर पूंजी को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या उक्त विदेशी शेयरधारी अभी भी उक्त कम्पनी के कार्यों पर नियंत्रण रखे हुए हैं; और

(ग) ऐसे विदेशियों के पास कुल कितने "पेड-अप" शेयर हैं और उनके नाम तथा उनका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा बम्बई के निकट एक पाकिस्तानी मस्तुली जहाज (डोंऊ) का पकड़ा जाना

5982. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**
श्री० एन० आर० वेकारिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क अधिकारियों ने हाल ही में बम्बई तट के निकट एक पाकिस्तानी मस्तुली जहाज पकड़ा था ;

(ख) यदि हां, तो उस नौका से पकड़ी गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) हालांकि तस्करी विरोधी कार्यवाही के दौरान सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा बम्बई समुद्र तट के नजदीक कई यंत्रचालित नौकाएं पकड़ी गयी हैं तथापि 1-1-75 के बाद पकड़ी गयी नौकाओं में से पाकिस्तानी मूल की कोई नौका नहीं पायी गयी।

(ख) तथा (ग) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

इंडिया टोबेको और वजीर सुल्तान की पूंजी का भारतीयकरण करने की अनुमति

5983. **श्री सोमचन्द सोलंकी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडिया टोबैको (आई०टी०सी०) और वजीर सुल्तान को अपनी पूंजी के भाग का किन-किन शर्तों के अन्तर्गत भारतीयकरण करने की अनुमति दी गई है;

(ख) क्या आई०टी०सी० और वी०एस०टी० ने भारत के लोगों को प्रीमियम की आकर्षक दर पर शेयर दिये हैं, यदि हां, तो किस दर पर;

(ग) क्या आई०टी०सी० की शेयर पूंजी में विदेशी कम्पनियों को ट्रेड मार्कों और ब्रांड नामों के प्रयोग के लिये दिये गए 490 लाख रुपये के शेयर भी शामिल हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत समयबद्ध कार्यक्रम के आधार पर उपरोक्त शेयरों के विदेशी मुद्रा में लाभांश को विदेशों में भेजे जाने पर रोक लगाने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) इंडिया टोबैको कम्पनी लिमिटेड और वजीर सुल्तान टोबैको कम्पनी लिमिटेड को जिन शर्तों के अनुसार उनकी पूंजी के एक भाग को भारतीय पूंजी में बदलने की अनुमति दी गयी है, वे इस प्रकार हैं:—

इंडिया टोबैको कम्पनी लिमिटेड

(1) इस कम्पनी की विदेशी शेयरों को 74.8 प्रतिशत से घटा कर 60 प्रतिशत करने के लिए विदेशी शेयर होल्डरों के दस-दस रुपये के 28,04,775 सामान्य शेयर सम मूल्य पर भारतीय जनता को बेचे जायेंगे। बिक्री से प्राप्त होने वाली रकम पर पूंजीगत लाभ होने, पूंजीगत लाभ कर की अदायगी के बाद, 7 समान वार्षिक किस्तों में बाहर भेजी जाने दी

जायेगी। बिक्री की बकाया रकम पर ब्याज से होने वाली आमदनी को आयकर की राशि को घटाने के बाद बाहर भेजी जाने वाली वार्षिक किस्तों के साथ भेजने की अनुमति दी जायगी।

(2) जिन 28,04,775 शेयरों की रकम के लौटाये जाने का प्रस्ताव है, उसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

	शेयरों की संख्या
(1) जीवन बीमा निगम और यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया . . .	7,58,904
(2) इंडिया टोबैको कम्पनी के मौजूदा भारतीय शेयर होल्डरों को 1 : 6 के अनुपात में अधिकार शेयरों के रूप में . .	7,95,871
(3) जनता को . .	1,00,000
(4) निदेशकों सहित कम्पनी के कर्मचारियों को	2,00,000
(5) जनता को पेशकश किये बिना अन्यों को	50,000
जोड़ :	28,04,775

वजीर सुल्तान टोबैको कम्पनी लिमिटेड

विदेश शेयर धारिता को 65.61 प्रतिशत से घटाकर 36.45 प्रतिशत करने के लिए दस-दस रुपये के 17,70,000 सामान्य शेयर 6 रुपये प्रति शेयर के प्रीमियम पर केवल भारतीय राष्ट्रिकों के नाम जारी किये जाएंगे जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

	शेयरों की संख्या
(1) वर्तमान शेयर होल्डरों (केवल भारतीय को 1 : 4 के अनुपात में अधिकार शेयरों के रूप में	1,71,940
(2) निदेशकों सहित कम्पनी के कर्मचारियों को बशर्ते कि युक्तिसंगत आधार पर किसी भी कर्मचारी को 200 से अधिक शेयर अलाट नहीं किये जाएंगे	50,000
(3) विवरण पत्र के माध्यम से जनता को	15,48,060
	17,70,000

जब तक जारी किये जाने वाले शेयरों के 50 प्रतिशत तक शेयरों की संतोषजनक रूप से बिक्री का जिम्मा लेने का प्रबन्ध नहीं हो जाता तब तक जनता के नाम शेयर जारी नहीं किये जायेंगे। 16 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से शेयरों की रकम अनुमोदन की तारीख से एक साल के भीतर पूरी तरह से ले ली जायगी।

(ख) इण्डियन टोबैको कम्पनी ने भारतीय जनता को सममूल्य पर अर्थात् दस रुपये प्रति शेयर के हिसाब से शेयर देने की पेशकश की है और वजीर सुल्तान टोबेको कम्पनी ने भारतीय जनता को दस-दस रुपये के शेयर 16 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से देने की पेशकश की है अर्थात् इसमें 6 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से प्रीमियम भी शामिल है ।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

आयकर अधिकारियों द्वारा मारे गये छापे

5984. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष में राज्यवार विभिन्न प्रकार के खातों में दर्ज न किये गये माल को जब्त करने के लिए आयकर अधिकारियों द्वारा कितने छापे मारे गये ;

(ख) पांच लाख रुपये से अधिक के मूल्य के माल पर राज्यवार मारे गये इन छापों का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन पार्टियों के नाम क्या है जिन पर छापे मारे गये थे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) तलाशियों के सम्बन्ध में आंकडे आयकर आयुक्त के अधिकार-क्षेत्रवार रखे जाते है, न कि राज्यवार। वर्ष 1974-75 में 28 फरवरी 1975 तक तलाशी तथा माल पकड़ने सम्बन्धी अभियानों की कुल संख्या आयकर आयुक्त के अधिकार क्षेत्रवार संलग्न विवरण पत्र में दी गयी है। उन मामलों के सम्बन्ध में अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं जिन में लेखा-बाह्य माल पकड़ा गया है।

(ख) तथा (ग) चूंकी बहुत बड़ी संख्या में तलाशियां ली गयी है इसलिए जिन मामलों में लेखा बाह्य माल पकड़ा गया है, उन मामलों में अलग अलग तलाशियों के सम्बन्ध में आंकड़ों को एकत्र करने में पर्याप्त समय तथा श्रम लगेगा। फिर भी माननीय सदस्य यदि किसी विशेष मामले अथवा मामलों के सम्बन्ध में सूचना लेना चाहे तो उसे एकत्र करके प्रस्तुत कर दिया जायगा।

1 अप्रैल 1974 से 28 फरवरी 1975 तक की अवधि में आयकर विभाग द्वारा तलाशी तथा माल पकड़ने सम्बन्धी अभियानों की संख्या आयकर आयुक्तों के अधिकार-क्षेत्र वार।

आयकर आयुक्त का अधिकार क्षेत्र	तलाशियों की संख्या
1	2
आन्ध्र प्रदेश	38
असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोराम संघ राज्य क्षेत्र	18
बिहार	19
बम्बई (सेन्ट्रल सहित)	251
दिल्ली (सेन्ट्रल सहित)	62
गुजरात	209
जयपुर	34
केरल	92
कानपुर	240
लखनऊ	79

मध्य प्रदेश	86
मद्रास (सेन्ट्रल सहित)	60
मैसूर	45
नागपुर . .	25
उड़ीसा . . .	12
पूना . . .	105
पटियाला	313
अमृतसर	89
पश्चिम बंगाल (जिसमें कलकत्ता सेन्ट्रल भी शामिल है)	116
जोड़	1893

हिमाचल प्रदेश को आयकर के मामले में एक ही एकक के अधीन रखने का अनुरोध

5985. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आयकर प्रशासन की दृष्टि से समूचे हिमाचल प्रदेश को एक ही एकक के अधीन एक संगठित क्षेत्र घोषित करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) वर्तमान व्यवस्था क्या है और इसे किस प्रकार पुनर्गठित करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश के कई भाग पटियाला स्थित आय-कर-आयुक्त, पटियाला के अधिकर-क्षेत्र में हैं । ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि हिमाचल प्रदेश के लिए एक अलग आय-कर आयुक्त को नियुक्त किया जाये ।

व्यापार-करार

5986. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्त वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान भारत ने किन किन तारीखों को किन किन देशों के साथ किन किन स्थानों पर व्यापार करार किये और इन करारों पर हस्ताक्षर करने वाले प्रतिष्ठित लोगों के नाम तथा पदनाम क्या हैं; और

(ख) इन करारों के अधीन व्यापार के क्षेत्र में हुई प्रगति का संक्षिप्त विवरण क्या है तथा इन करारों के पश्चात् उन देशों के साथ हमारे व्यापार में कितनी वृद्धि हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) (क) तथा (ख) : एक विवरण संलग्न हैं । [ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 9413/75]

Advertisements given to Newspapers by the Ministry of Finance

5987. **Shri Sudhakar Pandey :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the number of advertisements given to the various newspapers on behalf of the various Departments, Offices and Corporations of his Ministry during last year;

(b) the number of advertisements out of them in English and in Hindi; and

(c) the reasons why the advertisements given in English were not given in Hindi and the decision taken in regard to the action to be taken by Government in English were not given in Hindi and the decision taken in regard to the action to be taken by Government in future?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) to (c) Only one advertisement was given by the Secretariat Departments of this Ministry during 1974 through the Directorate of Advertising and Visual Publicity, which was published in twelve English Newspapers and one Hindi Newspaper. The information in respect of the Offices and Corporations is being collected and will be laid on the Table of the House.

Advertisements given to newspapers by Offices under the Ministry of Tourism and Civil Aviation

5988. **Shri Sudhakar Pandey :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the number of advertisements given to the various newspapers on behalf of the various Departments, Offices and Corporaitons under his Ministry during the last year;

(b) the number of advertisements out of them in English and in Hindi; and

(c) the reasons why the advertisements given in English were not given in Hindi and what action is proposed to be taken by Government in future in this regard ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

पश्चिम बंगाल में बेरोजगार युवकों को राष्ट्रीयकृत बकों द्वारा ऋण

5989. **श्री शंकर नारायण सिंह देव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल में अनेक राष्ट्रीयकृत बैंक बेरोजगार युवकों को आटो-रिक्शा खरीदने के लिए ऋण देने में आना-कानी करते हैं ;

(ख) यदि हां तो इस के क्या कारण हैं ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार जिला-वार तथा बैंक-वार कितने युवकों को ऐसे ऋण दिये गये ; और

(घ) इस राज्य की शिक्षित युवक रोजगार योजना के बारे में क्या कार्यवाही की गई है और अब तक जिले-वार कितना कार्य किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) बैंकों में आंकडें एकत्र करने की वर्तमान व्यवस्थाओं में आटोरिक्शाओं की खरीद के वास्ते दिए गए अग्रिमों का पृथक ब्यौरा संकलित नहीं किया जाता है ।

(घ) संभवतः माननीय सदस्य "पांच लाख नौकरियों कार्यक्रम" (हाफ-ए-मिलियन जाब्स प्रोग्राम) के अधीन राज्य सरकारों द्वारा बनायी गयी स्कीमों के वास्ते सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दी गयी ऋण सहायता की प्रगति का उल्लेख कर रहे हैं । उपलब्ध आंकडों से पता चलता है कि जून, 1974 के अन्त में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा इन कार्यक्रमों के अधीनपश्चिम बंगाल के शिक्षित बेरोजगारों को दिए गए अग्रिमों की 2933 खातों में बकाया राशि 122 लाख रुपये थी ।

रूबल के मूल्य में परिवर्तन करने के बारे में सोवियत संघ के साथ बातचीत

5990. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रूबल के मूल्य में परिवर्तन करने के बारे में नई दिल्ली में सोवियत संघ और भारत प्रतिनिधियों के बीच अभी हाल में कोई बातचीत हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) जी, हां । इस सम्बन्ध में 17 मार्च से 4 अप्रैल, 1975 तक नयी दिल्ली में सोवियत संघ से आये अधिकारियों के साथ बातचीत हुई थी । यह बातचीत मैत्रीपूर्ण वातावरण में हुई और इससे दोनों पक्षों के एक-दूसरे की स्थिति को समझने में मदद मिली । इस सवाल का परस्पर सन्तोषजनक हल ढूंढने के लिए और आगे बातचीत करने का प्रस्ताव है ।

कलकत्ता में निर्बाध व्यापार जोन

5991. **श्री शंकर नारायण सिंह देव :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने कलकत्ता में निर्बाध व्यापार जोन के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों के साथ कई बैठकें की हैं,

(ख) यदि हां, तो इस चर्चा में तारीखवार किन-किन व्यक्तियों ने भाग लिया; और

(ग) इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) वाणिज्य मंत्रालय के अपर सचिव की अध्यक्षता में अन्तः मंत्रालय सरकारी दल ने पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव तथा अन्य अधिकारियों के साथ 14 तथा 15 जून, 1974 को बातचीत की ।

(ग) यह प्रस्थापना पांचवी पंचवर्षीय योजना की एक प्रायोजना के रूप में सिद्धांततः स्वीकार कर ली गई है ।

रिजर्व बैंक द्वारा ऋण योजनाओं के लिये बैंकों को जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्त

5992. **श्री शरद यादव :**

श्री मधु दण्डवते :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रिजर्व बैंक द्वारा अर्थ व्यवस्था के सभी क्षेत्रों के लिए योजनाओं के लिये बैंकों को जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है ;

(ख) क्या इन बैंकों ने अब अपने वचनों को पूरा करने में विलम्ब कर के अस्वस्थ बैंकिंग प्रक्रियाओं का अनुसरण करना आरम्भ कर दिया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उनमें सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (घ) रिजर्व बैंक द्वारा 29 अक्तूबर, 1974 को 1974-75 के व्यस्त मौसम के लिए जो ऋण नीति घोषित की गई थी, उसमें भी ऋण निर्माण पर रोक लगाने की आवश्यकता के साथ ही साथ उपलब्ध ऋण को प्रदान करने में, चयनात्मकता बरतने पर निरंतर बल दिया गया है जिससे कि निवेश जारी रह सके, उत्पादन में वृद्धि हो और आवश्यक वस्तुओं का वितरण और सुविधाजनक हो सके । बैंकों को सलाह दी गयी है कि वे आम जनता के लिए खाद्य-वसूली और इसके वितरण, (कृषि आदानों (इनपुटस) के वितरण सहित), निर्यात सरकारी क्षेत्र के उत्पादन एककों, और 'कोर' क्षेत्र में निजी उद्योगों और आम जनता के उपभोग के लिए आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों को उच्चतम प्राथमिकता दें । अन्य निर्धारित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों जैसे लघु-उद्योग और अन्य छोटे ऋण-कर्ताओं को और ऋण देने के सम्बन्ध में अधिकाधिक मात्रा में चयनात्मकता बरतनी आरंभ की गयी है कि आयकर जो वर्तमान एककों के आकार पर ही नहीं उसके उत्पादन की किस्म पर भी आधारित होती है ।

इस नीति को अमल में लाने के सम्बन्ध में, विशेषरूप से बैंकों द्वारा ऋण के क्षेत्रीय उपयोग के विषय में होने वाली प्रगति पर रिजर्व बैंक द्वारा लगातार नजर रखी जाती है । जहां भी आवश्यक होता है रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को इस नीति के सिद्धांतों के कार्यान्वियन में सयायता भी प्रदान करता है । ऋण के क्षेत्रीय - उपयोग सम्बन्धी अनन्तिम आंकड़े जो इस समय चालू व्यस्त मौसम के प्रथम तीन माहों अर्थात्, नवम्बर, 1974 से जनवरी 1975 तक के बारे में, उपलब्ध हैं उनसे यह संकेत मिलता है कि ऋण देने का कार्य, मोटे तौर पर, रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये नीति विषयक सिद्धांतों के अनुरूप ही हो रहा है ।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों में परिवर्तन

5993. **श्री अरविन्द एम० पटेल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार 40 प्रतिशत से अधिक विदेशी शेयर पूंजी वाली कम्पनियों से प्राप्त आवेदन पत्रों को निपटाने के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों में कोई परिवर्तन नहीं कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धि तथ्य क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) और (ख) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 29 (2) (क) के प्रशासन के लिए सरकार द्वारा निर्देशों की घोषणा कर दी गयी थी और इनकी एक प्रति 20 दिसम्बर, 1973 को सभा-पटल पर रख दी गयी थी और यही निर्देश इस समय लागू है। इनमें यदि कोई तबदीली करना जरूरी समझा गया तो उस पर उसके गुणदोषों के आधार पर विचार किया जायगा।

भू-सम्पतियां खरीदने के लिये काले-धन का उपयोग

5994. **डा० हरि प्रसाद शर्मा**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान विशेष कर दिल्ली में तथा सामान्यतः अन्य महानगरों में, अनधिकृत बस्तियों में, आवासीय तथा वाणिज्यिक भूमि तथा मकान खरीदने के लिये काले धन के बढ़ते हुए निवेश की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या ऐसे निवेशों पर रोक तथा ऐसी सम्पत्तियों पर आय-कर तथा सम्पत्ति कर जैसे कर लगाने के लिए कोई निश्चित प्रक्रिया अथवा विनियम हैं; यदि हां, तो ऐसी सम्पत्ति पर निवेशित धन का लेखा-जोखा प्राप्त करने और ऐसी समूची सम्पत्ति आय पर करों का निर्धारण सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये जाते हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) सरकार को इस प्रवृत्ति का पता है कि लेखा-बाह्य धन, दिल्ली तथा अन्य महानगरों में, आवासीय और वाणिज्यिक जमीनों में, तथा अधिकृत और अनधिकृत दोनों प्रकार की कालोनियों में मकान बनाने में लगाया जाता है।

(ख) और (ग) आयकर विभाग कालोनियों का सर्वेक्षण करता है और जमीनों और मकानों में किये गये निवेशों के स्रोत के बारे में पूछताछ करता है। जिन निवेशों के बारे में स्पष्टीकरण नहीं मिल पाता है, उनको अप्रकट स्रोत से आय मानकर कर के दायरे में लाया जाता है। ऐसी सम्पत्तियों से होने वाली आय पर भी कर-निर्धारण किया जाता है। धन-कर अधिनियम, 1957 के अधीन कर-निर्धारण करते समय भी इन सम्पत्तियों को हिसाब में लिया जाता है। जिन मामलों में आवश्यक होता है उनके, सम्पत्ति के मूल्य और/ अथवा निर्माण का लागत-बाजार भाव से सही तखमीना करने के लिए मूल्यांकन कक्ष को भेजा जाता है।

जिन अचल सम्पत्तियों के हस्तांतरण के समय उनका न्यून-मूल्यांकन किया जाता है उनके अधि-ग्रहण के लिए कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1972 के द्वारा कानूनी व्यवस्था की गयी है।

राष्ट्रीय मजूरी आय मूल्य नीति

5995. **डा० हरि प्रसाद शर्मा**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एक समेकित राष्ट्रीय मजूरी आय मूल्य नीति तैयार करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ख) ऐसी नीति कब तक तैयार हो जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) "पांचवीं योजना, 1974-75 का दृष्टिकोण" नामक पुस्तक में देश के लिए उचित कीमतों, वेतनों तथा आमदनियों से सम्बन्धित नीति की रूप रेखा दी गयी है। इस रूपरेखा के सन्दर्भ में तथा धारिया समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, नागर पूर्ति नामक विभाग की स्थापना कर सरकारी वितरण व्यवस्था को अधिक कारगर बनाया जा रहा है। वेतन सम्बन्धी नीति के मामले के विषय में श्रम मंत्रालय में खास तौर से स्थापित वेतन एकक अध्ययन कर रहा है। इस एकक की स्थापना योजना आयोग द्वारा नियुक्त एक अन्य समिति की सिफारिशों के आधार पर की गयी थी। सरकार द्वारा उठाये गये ये कुछ ऐसे कदम हैं जो आमदनी से सम्बन्धित एक सक्षम नीति तैयार करने के उसके प्रयासों का एक अंग है।

मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा होकर दिल्ली से असम तक तथा कलकत्ता से काठमांडू तक विमान सेवा चालू करना

5996. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुजफ्फरपुर को इंडियन एयरलाइंस की विमान सेवा समाप्त कर दी गयी है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या बरास्ता मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा दिल्ली से असम तक और कलकत्ता से काठमांडू तक कोई विमान सेवा चालू करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) विमानन ईंधन के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि के परिणामस्वरूप परिचालन लागतों में बहुत अधिक वृद्धि हो जाने तथा लाभप्रद विमानों—यथा डकोटा एवं वाइकाउन्ट—को अपने विमान बेड़े से क्रमशः निकाल देने के निर्णय के कारण इंडियन एयर-लाइंस ने जिन 16 नगरों के लिये विमान सेवायें समाप्त कर दी गयी हैं, मुजफ्फरपुर भी उन्हीं में से एक है। इंडियन एयरलाइंस की मुजफ्फरपुर के लिये निकट भविष्य में विमान सेवा पुनः प्रारंभ करने की कोई योजना नहीं है। तथापि, मुजफ्फरपुर के लिये निजी विमान चालकों को अनुमति प्रदान करने की संभावना पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारत-नेपाल सीमा तक तस्करी के माल का पकड़ा जाना

5997. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **वित्त** मंत्री भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी के सामान के पकड़े जाने के बारे में 14 मार्च, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3494 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े पैमाने पर केस रिकार्ड के आधार पर रिहा किये गये व्यक्तियों के साक्ष्य में हेराफेरी सहित अन्य कारणों की जांच की जा रही है, ताकि उत्तरदायित्व निर्धारित किये जा सकें और आगामी कार्यक्रम सुनिश्चित किये जा सकें, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ख) क्या बासोपट्टी ब्लाक में ग्राम जोन के एक मजिस्ट्रेट तथा एक सीमाशुल्क इंस्पेक्टर को माल की तस्करी करते हुए स्थानीय लोगों द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया था और सीमा शुल्क अधिकारी को सभी जिलाधीशों, पुलिस सुपरिन्टेंडेटों तथा दरभंगा डिवीजन के आयुक्त के समक्ष पेश किया गया था जो कि जयनगर में एक बैठक कर रहे थे; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और उन अधिकारियों द्वारा की गयी जांच के परिणाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) साक्ष्य में अनधिकृत परिवर्तन करने का ऐसा कोई मामला सरकार की जानकारी में नहीं आया है।

(ख) तथा (ग) खंड विकास अधिकारी बासोपट्टी को, विदेशी माल की जो उसकी जीप में से बरामद किया गया बताया जाता है, कथित तस्करी के आरोप में कुछ स्थानीय लोगों द्वारा 19-5-1974 को पकड़ा गया था। बाद में कुछ अन्य लोगों ने माल की मालिकी का दावा कियां। खंड विकास अधिकारी को राज्य सरकार ने निलम्बित कर दिया था। लेकिन खंड विकास अधिकारी को दोषी नहीं पाया गया और उसे बहाल कर दिया गया है।

एक दुसरे मामले में सीमाशुल्क निरीक्षक को स्थानीय व्यक्तियों द्वारा 5-5-1974 को उस समय घेर लिया गया और पकड़ लिया गया जब वह एक तस्कर व्यापारी से बरामद किये गये पकड़े गये माल की जांच कर रहा था। निरीक्षक को सीमाशुल्क विभाग के ड्राइवर के साथ शहर के बीचों बीच परेड कराते हुए जबरदस्ती ले जाया गया। अन्ततः उनको मधुबनी जिलाधीश के सामने ले जाया गया जो पुलिस अधीक्षक के साथ जयनगर में ठहरे हुए थे। जिलाधीश के दखल देने पर स्थानीय व्यक्तियों द्वारा निरीक्षक तथा ड्राइवर दोनों को छोड़ दिया गया था। निरीक्षक तथा ड्राइवर ने उन्हें गलती से रोके रखने तथा डराने--धमकाने तथा पुलिस थाना, जयनगर में, मामला दर्ज करा दिया है।

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा हैदराबाद में होटल का निर्माण

5998. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद में हुसैन सागर झील के तटदुर एक होटल का निर्माण करने के लिए भारत पर्यटन विकास निगम के पास एक प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम की पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में हैदराबाद में एक होटल के निर्माण का कोई प्रस्ताव सम्मिलित नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हैदराबाद में 'बोट हाउस' का निर्माण

5999. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने हैदराबाद में "बोट हाउस" का निर्माण करने हेतु स्वीकृति देने तथा व्यय की मंजूरी करने के लिए संघ सरकार को 5,87,000 रुपये की योजनायें तथा प्राक्कलन भेजे हैं; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य विशेषतायें क्या हैं तथा उस पर सरकार का निर्णय क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) राज्य सरकार से हुसैन सागर हैदराबाद के अगले किनारे पर 5,87,000 रुपये की अनुमानित लागत से एक बोट हाउस के निर्माण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इसकी जांच करने पर पाया गया कि इस स्कीम को केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हाथ में लेना संभव नहीं होगा। तदनुसार राज्य सरकार को 9-5-1973 को इसकी सूचना दे दी गयी थी। पांचवीं योजना में स्कीमों का शामिल किया जाना उनकी प्राथमिकताओं, व्यवहार्यता तथा साधनों की उपलब्धता के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

लन्दन में चाय की नीलामी

6000. श्री इन्द्र जीत गुप्त :
श्रीमती पार्वती कृष्णन :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसदविज्ञों का अध्ययन दल इस स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचा है कि लन्दन में चाय की नीलामी की वर्तमान पद्धति दोषपूर्ण है;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण तथा उसकी मुख्य विशेषतायें क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा इसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) चाय उद्योग के सम्बन्ध में संसदविज्ञों के बागान अध्ययन ग्रुप की रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की गई है कि लन्दन में नीलामी के लिए परेषण आधार पर चाय भेजने को रोका जाये क्योंकि यह चाय की कीमतों में गिरावट के लिए सहायक कारण है।

(ग) तथा (घ) यह देखते हुए कि लन्दन नीलामी के लिए भारतीय चाय के परेषणों में गिरावट का रुख रहा है और गत एक वर्ष में लन्दन नीलामी में भारतीय चाय की कीमत लगभग 14 न्यू पैंस प्रति कि०ग्रा० बढ़ी है, सरकार लन्दन में नीलामियों की प्रणाली का सूक्ष्म अध्ययन कर रही है

निःशुल्क परिवहन के पात्र एयर इंडियन के अधिकारी

6001. श्री मौलाना इसहाक सम्भ ी : क्या **पर्यटन** और **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई तथा दिल्ली स्थित एयर इण्डिया के कार्यालयों में किस-किस श्रेणी के अधिकारी निःशुल्क परिवहन के पात्र हैं;

(ख) इनमें से किन-किन अधिकारियों को चालक द्वारा चालित तथा स्वयं अधिकारी द्वारा चालित कारें दी गई हैं, और क्या ऐसी कोई अन्तिम सीमा नियत की गई है कि वे कारें कितनी दूरी तक चलाई जा सकें;

(ग) सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा अपने निजी उद्देश्यों तथा अपने कार्यालय से जाने और वहां आने के लिये इन कारों के दुरुपयोग को रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं;

(घ) क्या इस रियायत को आयकर के प्रयोजनार्थ परिलब्धियों के रूप में मूल्यांकन किया जाता है; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) गत दो वर्षों के दौरान इन कारों के रख-रखाव पर कुल कितनी राशि खर्च की गई और मितव्ययता के उद्देश्य से इस खर्च में कमी करने हेतु क्या कार्यवाही की गई अथवा की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) बम्बई में विभागीय अध्यक्षों, विभागीय प्रवर उपाध्यक्षों एवं प्रबन्धक पश्चिमी भारत, तथा दिल्ली में क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं प्रबन्धक, जो कि विक्रय कार्य में लगे फील्ड अधिकारी हैं, को कम्पनी कार्यों के लिये कारपोरेशन का परिवहन प्रदान किया जाता है ।

(ख) प्रवर विभागीय अध्यक्षों, पश्चिमी भारत व उत्तरी भारत के प्रबन्धकों तथा क्षेत्रीय प्रबन्धक, दिल्ली, को जो कारें आवंटित की गई हैं वे कारपोरेशन के ड्राइवरों द्वारा चालित हैं और अन्य कारें स्वयं चालित हैं । इनके अधिकतर उपयोग का नियंत्रण ईंधन उपयोग की सीमा द्वारा किया जाता है जो कि 200 लिटर प्रति मास है । अब किफायत के उपाय के रूप में इसे घटाकर 160 लिटर कर दिया गया है ।

(ग) और (घ) जिन अधिकारियों को कारें आवंटित की गई हैं वे उनका निजी प्रयोग भी कर सकते हैं जिसके लिये निर्धारित दरों पर उनसे वसूली की जाती है । कार का उपयोग ग्रेटर बम्बई की नगर पालिका की सीमा के भीतर ही किया जा सकता है और प्रबन्धक-निदेशक की स्पष्ट अनुमति के विना कार को इस सीमा से बाहर नहीं ले जाया जा सकता । अभी तक इनके दुरुपयोग का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है ।

निजी उपयोग के लिये ड्राइवर चालित बड़ी कार के लिये 150/- रुपया तथा छोटी कार के लिये 100/- रुपया प्रति मास की वसूली की जाती है । ड्राइवर रहित कारों के लिये बड़ी कार के लिये 100/- रुपये तथा छोटी कार के लिये 75/- रुपये की वसूली की जाती है ।

(ङ) कारपोरेशन का अपना परिवहन प्रभाग है जहां 152 से भी अधिक वाहनों का संधारण किया जाता है । अधिकारियों को आवंटित कारों की संधारण भी इसी वर्कशाप में किया जाता है अतः इन पर किये गये व्यय को अलग से बताना कठिन है ।

पेट्रोल के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि को दृष्टि में रखते हुये 200 लिटर पेट्रोल की प्रति मास की सीमा को अब घटाकर 160 लिटर कर दिया गया है ।

पोलैंड में व्यापार मेला आयोजित करने के लिये गैर-सरकारी व्यक्ति को प्रायोजित करना ।

6002. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन वर्ष पूर्व उनके मंत्रालय द्वारा पोलैण्ड में एक व्यापार मेला आयोजित करने के लिए एक गैर-सरकारी व्यक्ति को प्रायोजित किया गया था;

(ख) क्या उसने उस देश में बहुत देनदारी रखी जिससे भारत के लिए परेशानी पैदा हो गयी;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कोई जांच की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं; वास्तविक स्थिति यह है कि मै० नेशनल एलाइन्स आफ यंग इन्टरप्रन्योर्स, नई दिल्ली ने 23 से 30 सितम्बर, 1973 के दौरान पोजनान में हुए पोजनान इन्टरनेशनल कंज्यूमर गुडस फेयर में भारतीय फर्मों के भाग लेने के लिए समन्वय के लिए हमें लिखा था। चूंकि मंत्रालय ने उस मेले में सरकारी तौर से भाग नहीं लिया, इसलिए निर्यात संवर्धन के हित में उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया।

(ख) जी हां।

(ग) तथा (घ) प्रवर्तन निदेशालय द्वारा केन्द्रीय जांच ब्यूरो तथा इस मंत्रालय द्वारा उनको प्रस्तुत की गई जानकारी के आधार पर इस मामले की जांच की जा रही है।

विदेशों में राजदूतों से वाणिज्य मंत्रालय को प्राप्त शिकायतें

6003. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को विदेशों में हमारे राजदूतों से "लड़कियों की नियुक्ति तथा आपत्ति-जनक प्रयोजनों के लिये उनका उपयोग" और प्रदर्शनी के दौरान माल बेचना तथा सीमा शुल्क न देना, जैसी व्यापार मेले तथा प्रदर्शनियों संबंधी भारतीय परिषद्, बम्बई के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं जिसके फलस्वरूप उत्तरकालीन वर्ष में हमारी प्रदर्शनियों को स्वाधीन सरकार द्वारा अस्वीकार किया गया;

(ख) क्या संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जब कभी भी विदेशों में स्थित हमारे मिशनों अथवा राजदूतों द्वारा विदेशों की प्रदर्शनियों में हमारे भाग लेने पर आलोचनात्मक मूल्यांकन रिपोर्टें प्राप्त होती हैं तो उनका इस विचार से अध्ययन किया जाता है कि आगामी प्रदर्शनियों में बेहतर रूप में भाग लिया जा सके। पिछले 5 वर्षों के दौरान व्यापार मेले तथा प्रदर्शनियों संबंधी भारतीय परिषद्, बम्बई द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों में भाग लेने के संबंध में विदेशों में स्थित हमारे राज-दूतों से इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कोचीन सीमाशुल्क कर्मचारी संघ द्वारा अभ्यावेदन

6004. **श्री बयालार रवि** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सहानुभूतिपूर्ण आधारों पर विभागीय कर्मचारियों के सम्बन्धियों को नियुक्त करने के सम्बन्ध में कोचीन सीमा शुल्क कर्मचारी संघ से कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी हां ।

(ख) विद्यमान आदेशों के अनुसार, जो सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं, सेवा-निवृत्त होने वाले तथा/अथवा सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों के रिश्तेदारों की नियुक्ति के लिए दयाजनक कारणों से भी कोई विशेष ढील नहीं दी जा सकती । केवल ऐसे सरकारी कर्मचारी के आश्रित व्यक्ति की नियुक्ति के लिए कुछ ढील उपलब्ध है जिसकी काम करते-करते मृत्यु हो जाती है अथवा जिसे डाक्टरी आधार पर सेवा-निवृत्त किया जाता है ।

केरल में कृषि पुनर्वित्त निगम की सहायता प्राप्त योजनायें

6005. **श्री वयालार रवि** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजना के दौरान केरल राज्य में कृषि पुनर्वित्त निगम की सहायता से कौन-कौन सी महत्वपूर्ण योजनायें चलाने का विचार है; और

(ख) उन पर कुल कितनी राशि खर्च की जायेगी और इस सम्बन्ध में अब तक की गई कार्यवाही का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) केरल सहित पूरे देश में जुलाई 1974 से प्रारम्भ होने वाले 5 वर्षों के लिये, निगम ने कुल 900 करोड़ रुपये के ऋण प्रदान करने का कार्यक्रम बनाया है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि पुनर्वित निगम द्वारा लघु सिंचाई, भूमि संरक्षण, पौधा-रोपण, भण्डारण, विपणन, फार्मों का मशीनीकरण, डेरी विकास, मुर्गी पालन और मछली पालन की योजनाओं को सहायता प्रदान की जायेगी । किन्तु फिर भी, देश में कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा विभिन्न राज्यों में नाना प्रकार की योजनाओं के अन्तर्गत ऋणों का वितरण विभिन्न योजनाओं को लागू करने वाली संस्थाओं की इन योजनाओं को तैयार करने और उन्हें निगम द्वारा स्वीकृत करा लेने की योग्यता पर निर्भर होगा ।

दिसम्बर, 1974 के अन्त तक कृषि पुनर्वित्त निगम ने केरल राज्य के लिये 17.57 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता वाली 68 योजनायें मंजूर की हैं, जिसमें से कृषि पुनर्वित्त निगम का भाग 14.66 करोड़ रुपये है । ये योजनायें लघु सिंचाई, भूमि विकास, पौधा-रोपण और बागबानी, फार्मों का मशीनीकरण, मुर्गी-पालन, डेरी विकास और मछली-पालन से सम्बन्धित है ।

भारत में विदेशी बैंक

6006. **श्री वयालार रवि** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कुल कितने विदेशी बैंक कार्य कर रहे हैं तथा उनका देशवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) बैंकवार इन बैंकों की कुल सम्पत्ति कितनी है तथा गत तीन वर्षों के दौरान इन बैंकों में कुल कितनी जमा राशि थी और इसका बैंकवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) आजकल भारत में 12 विदेशी बैंक अपना कारोबार कर रहे हैं देशवार उनका ब्यौरा इस प्रकार है ।

देश का नाम	बैंकों की संख्या
ब्रिटेन	4
संयुक्त राज्य अमेरिका . . .	3
जापान . . .	2
नीदरलैण्ड . .	1
फ्रांस .	1
बंगलादेश	1

(ख) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भेजी गयी अपेक्षित सूचना प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

बैंक का नाम	निम्नलिखित के अन्त में कुल परिसम्पत्तियां			निम्नलिखित के अन्त में (अन्तः बैंक जमाओं सहित) जमाएं		
	1972	1973	1974	1972	1973	1974
1	2	3	4	5	6	7
1. ब्रिटिश बैंक	10.03	12.01	14.57	9.70	11.57	12.44
2. दी मिडिल ईस्ट चार्टर्ड बैंक	98.93	120.27	143.63	93.11	112.63	98.62
3. मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड	75.75	79.27	89.40	61.76	68.96	73.46
4. ग्रिण्डलेज बैंक लिमिटेड .	362.18	391.73	443.09*	333.99	367.54	370.33*

1	2	3	4	5	6	7
5. अमेरिकन एक्स-प्रेस इंटरनेशनल बैंकिंग कार-पोरेशन	53.49	63.77	83.64	50.85	58.00	66.17
6. बैंक आफ अमेरिका नेशनल एण्ड सेविंग एसोसिएशन	52.74	58.23	58.66	47.25	49.68	50.07
7. फर्स्ट नेशनल सिटी बैंक	119.27	121.24	96.91	78.47	94.34	80.10
8. बैंक आफ टोक्यो लिमिटेड	15.43	16.45	16.40	13.92	13.90	15.23
9. मित्सुई बैंक लिमिटेड	4.03	3.99	3.67	2.84	3.01	3.18
10. अल्जीमीन बैंक नीदरलैण्ड एन वी	12.30	14.80	13.17	8.11	11.03	11.21
11. बांक नासियो-नाल दे पेरी	13.82	17.26	17.81	12.02	15.50	5.70
12. सोनाली बैंक**	—	—	उपलब्ध नहीं	—	—	0.35

टिप्पणी — (1) *अनन्तिम

(2) **बैंक ने अपना कारोबार भारत में 3 सितम्बर, 1974 को आरम्भ किया है ।

(3) पाकिस्तान के दो बैंकों — हबीब बैंक और नेशनल बैंक आफ पाकिस्तान का प्रशासन भारत में शत्रु-सम्पत्ति के परिरक्षक द्वारा चलाया जा रहा है इसलिए इनकी परि-सम्पत्तियां और जमाएं यहां नहीं दी गई हैं क्योंकि प्रश्न, इस समय भारत में अपना कारोबार कर रहे विदेशी बैंकों के बारे में पूछा गया है ।

(4) 1972 और 1973 के अन्त में परिसम्पत्तियों और जमाओं सम्बन्धी आंकडे सम्बन्धित बैंकों के तुलनपत्रों पर आधारित हैं और सन् 1974 के आंकड़े बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक को भेजी गई विवरणियों पर ।

(5) परिसम्पत्तियों सम्बन्धी आंकड़ों में प्रति (कोन्ट्रा) मदें, प्रारम्भिक व्यय आदि शामिल नहीं हैं ।

टाउन म्युनिसिपल कौंसिल, करकल द्वारा सिंडीकेट बैंक से मांगा गया ऋण

6007. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करकल में जल-पूर्ति परियोजना के निष्पादन के लिये मेजर पंचायत करकल (अब टाउन म्युनिसिपल कौंसिल, करकल) ने सिण्डीकेट बैंक से ऋण मांगा था;

(ख) यदि हां, तो इस समय ऋण के इस आवेदन पत्र की क्या स्थिति है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) मेजर पंचायत करकल जिसे अब टाउन म्यनिसिपल कौंसिल, करकल कहा जाता है सिण्डीकेट बैंक की एक घटक (कांस्टी-ट्यूएन्ट) है । बैंकों में प्रचलित पद्धति एवं प्रणाली के अनुसार और उन सांविधिक व्यवस्थाओं के अनुसार भी जिनके अधीन राष्ट्रीयकृत बैंकों का गठन किया गया है, बैंकों के व्यक्तिगत घटकों से सम्बन्धित सूचना प्रकट नहीं की जा सकती है ।

टाउन म्युनिसिपेलिटी, उदीपी द्वारा सिंडिकेट बैंक को देय राशि

6008. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टाउन म्यूनिसिपल, उदीपी द्वारा विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत सिण्डीकेट बैंक को कितनी राशि देय है; और

(ख) देय राशि को वसूल न करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) चूंकि मांगी गई सूचना राष्ट्रीयकृत बैंक के एक घटक (कांस्टीट्यूएन्ट) के मामले से सम्बन्धित है, अतः बैंकों में प्रचलित पद्धति एवं प्रणाली के अनुसार और उन सांविधिक व्यवस्थाओं के अनुसार भी जिनके अधीन राष्ट्रीयकृत बैंकों का प्रशासन किया जाता है, यह सूचना प्रकट नहीं की जा सकती है ।

कोका कोला निर्यात निगम

6009. **श्री शशि भूषण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत कोका कोला निर्यात निगम के आवेदनपत्र से यह पता चलता है कि क्षेत्र कार्यालय/मुख्यालय के खर्चों का यथानुपात हिस्सा बहुत बड़ा है;

(ख) किन शर्तों के अधीन सरकार ने कोका कोला निर्यात निगम को ऐसे खर्च भेजने अनुमति दी है और यह अनुमति कब दी गई थी;

(ग) क्या क्षेत्र कार्यालय और मुख्यालय के खर्चों का यथानुपात हिस्सा बिक्री का कुछ प्रतिशत ही प्रतीत होता है; और क्या यह एक प्रकार की रायल्टी है;

(घ) क्षेत्र कार्यालय और मुख्यालय के खर्चों के बीच कितना अन्तर है और इन दोनों खर्चों को कर मुक्त खर्चों के रूप में अनुमति देने का औचित्य क्या है; और

(ङ) इस कटौती की अनुमति देने के कारण कितनी राशि के कर की हानि हो रही है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) 1969 से 1972 तक कोका कोला निर्यात निगम ने मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय के खर्च के बारे में जितनी रकम बतायी है वह प्रायः अधिक होती गयी है लेकिन 1973 के लिए बताये गये ऐसे खर्च की रकम कुछ कम है ।

(ख) और (ग) निगम की अन्तर्राष्ट्रीय बिक्री के अनुपात में इसकी भारतीय शाखा की बिक्री का जो अनुपात बैठता है उसके अनुसार इस खर्च का दावा किया जाता है । इस तरह के जितनी रकम के खर्च का दावा किया जाता है वह रायल्टी की किस्म का नहीं है ।

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय के खर्चों के बारे में रकमें बाहर भेजने की अनुमति तभी देता है जब आयकर अधिकारी इन रकमों की भारतीय शाखा के राजस्व में से पूरी की जाने वाली रकमों के रूप में मान लेते हैं । बाहर भेजी जाने वाली इन रकमों पर इसके बाद इस कम्पनी के बारे में निर्धारित यह फार्मुला भी लागू होता है कि 1969 से 31 मार्च, 1972 तक के वर्षों के लिए सभी मदों (आयातों, लाभों, मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय के खर्चों, सेवा प्रभारों आदि) के कारण बाहर भेजी जाने वाली रकम उन वर्षों में उसकी कुल निर्यात आमदनी का 80 प्रतिशत तक होगी और पहली अप्रैल, 1972 से सभी मदों को शामिल कर कम्पनी के अपने उत्पादन के निर्यात से होने वाली आमदनी की 80 प्रतिशत तक रकम को ही बाहर भेजने की अनुमति दी जायेगी ।

(घ) मुख्यालय के खर्च और क्षेत्रीय कार्यालय के खर्च में अन्तर यह है कि मुख्यालय के खर्च संयुक्त राज्य अमेरिका में किये जाते हैं जहां मुख्यालय स्थित है जबकि क्षेत्रीय कार्यालय के खर्च उन स्थानों में होते हैं जहां क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हैं । संक्षेप में, इन शीर्षकों के अन्तर्गत होने वाला खर्च निगम के अन्तर्राष्ट्रीय कार्य व्यापार पर होने वाला संगठनात्मक तथा प्रशासनिक खर्च होता है जो उसकी विभिन्न शाखाओं में विभाजित कर दिया जाता है । आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत इस खर्च को इस आधार पर छूट दे दी जाती है कि यह खर्च बांट दिया गया होता है और निगम द्वारा पूंजी के रूप में लगाया जाता है तथा उसकी भारतीय शाखा के कार्य व्यापार के लिए ही होता है ।

(ङ) निगम की भारतीय शाखा के व्यवसाय के कर योग्य लाभों की संगणना में आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत इस खर्च के लिए छूट के रूप में अनुमति दी जाती है । चूंकि इन कटौतियों के लिए आयकर अधिनियम के अन्तर्गत सांविधिक उपबन्धों के आधार पर अनुमति दी गयी है इसलिए इन्हें सरकार को देय कर की रकम में होने वाली हानि के रूप में नहीं समझा जा सकता ।

वोल्टास द्वारा ईराक से प्राप्त किया गया आर्डर

6010. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वोल्टास को ईराक से अन्य उपकरणों के साथ दस जल कूप 'ड्रिलिंग रिग' सप्लाई करने के लिये एक बड़ा आर्डर मिला है;

(ख) यदि हां, तो उसका मुख्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह कार्य राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) वोल्टास को 10 ड्रिलिंग रिग के लिए कृषि मंत्रालय, बगदाद से एक क्रयादेश प्राप्त हुआ है । क्रयादेश 10 लाख पौंड मूल्य का है । फर्म ने पहले ही 1.5 लाख पौंड मूल्य के 3 ड्रिलिंग रिग भेज दिए हैं । बाकी सप्लाई अगले छः महीनों के भीतर पूरी किए जाने की आशा है ।

Branches of State Bank of India in rural areas of Madhya Pradesh

†6011. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total number of branches of the State Bank of India in the rural areas of Madhya Pradesh as at present;

(b) the number of branches likely to be opened in the near future; and

(c) the factors taken into account for opening the new branches of the bank ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) As at the end of December, 1974 the State Bank of India had 247 offices in Madhya Pradesh, of which 126 were located at rural centres.

(b) Branch expansion work is undertaken within the framework of three-year-rolling plans. Reserve Bank of India have, however, reported that currently the State Bank of India have on hand 16 licences/allotments for opening branches at rural centres in Madhya Pradesh.

(c) Main factors taken into account by the banks for opening new branches relate to such aspects as the potential for mobilising savings and for lending to productive ventures, the availability of infra-structure facilities, the lead responsibility, existing branch net work etc.

Measures to attract tourists to Madhya Pradesh

6012. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether any new measures have been taken to attract tourists to Madhya Pradesh and if so, the facts thereof;

(b) whether other facilities such as air-services and means of communications are also included in these measures; and

(c) whether it is proposed to make a publicity of these facilities and amentities in India and abroad for attracting Indian and foreign tourists?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Shri Surendra Pal Singh) : (a) The Department of Tourism promotes through its offices overseas places of tourist interest in India as a whole and not State-wise. Being an important tourist region, Madhya Pradesh gets adequate publicity in the tourist literature produced by the Department of Tourism.

(b) and (c) The Indian Airlines operates scheduled services to Gwalior, Bhopal, Indore and Khajuraho in Madhya Pradesh at present. Information about these and other related travel facilities/amenities is given to foreign tourists all over the world through our offices abroad.

Tourism Development Schemes in Madhya Pradesh

6013. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state : the time by which the Centrally sponsored Tourism Development Schemes in Madhya Pradesh are likely to be completed ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Shri Surendra Pal Singh) : The likely dates of completion of the Schemes undertaken by the Central Department of Tourism in Madhya Pradesh are given below :

The Schemes	Likely completion dates
1. Bhopal Youth Hostel	Building complete. Expected to be commissioned shortly.
2. Khajuraho-water supply scheme	Middle of 1975.
3. Sanchi-water supply scheme	Completed in January, 1975.
4. Kahnakisli-water supply scheme	The Department of Tourism's contribution was limited to Rs. 1.00 lakh, which has been paid. The State Government expects to complete the project in 1975.

Export of Kosa Cloth by Madhya Pradesh

6014. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether export of kosa cloth from Madhya Pradesh has increased;

(b) if so, the details in this regard and the extent to which the production of kosa cloth can meet its increasing demands;

(c) the names of the countries where its demand is increasing and the annual amount of foreign exchange likely to be earned from its export; and

(d) the action proposed to be taken by Government to help the producers and the exporters of kosa cloth ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) & (b) Statewise figures of export of kosa cloth are not maintained. There has been a marginal increase of 3% in the total exports of kosa cloth from the country from Rs. 179.45 lakhs during April-February, 1974 to Rs. 185 57 in April-February, 1975. Since only 15 to 20% of the total production of kosa cloth is exported, there will not be any difficulty in meeting the increased demand abroad.

(c) West Germany, UK, Switzerland and Austria have shown an increased demand for kosa cloth. The estimated value of export of kosa cloth during 1975-76 is Rs. 235 lakhs.

(d) (i) The Central Silk Board has set up a raw material bank for procurement and supply of tasar cocoons and tasar waste at steady prices to the manufacturer-exporters of kosa cloth. Proposals to enlarge the activities of the bank by setting up a Tasar Development Corporation are under consideration.

(ii) Weavers service centres are being opened for the benefit of tasar weavers in different parts of the country.

(iii) A proposal to set up a foreign office of the Central Silk Board at Frankfurt for promoting export of silk goods is under consideration.

श्राय-कर विभाग में काम कर रहे अराजपत्रित कर्मचारी

6015. **श्री रानेन सेन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1974 तक केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अधीन प्रत्येक कमिश्नर के अधीन प्रत्येक संवर्ग/ग्रेड में आयकर विभाग के अराजपत्रित कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या कितनी है और इस समय कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं; और

(ख) प्रत्येक कमिश्नर के अधीन 1 अप्रैल, 1974 को तथा 30 सितम्बर, 1975 को प्रत्येक संवर्ग/ग्रेड में कितने स्थायी पद रिक्त पड़े थे और उन्हें न भरने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र सदन पटल पर रख दी जायगी ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात के लिये वसूल किया गया बासमती चावल

6016. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम ने गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात के लिए कितनी मात्रा में बासमती चावल की वसूली की;

(ख) क्या सरकार वसूल किए बासमती चावल के विक्रय के लिए पर्याप्त प्रचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूप-रेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान निर्यात के लिए राज्य व्यापार निगम को बासमती चावल की निम्नलिखित मात्राएं सप्लाई की गई अथवा उसने प्राप्त कीं :—

1972-73	14,879 मे० टन
1973-74 . . .	26,127 मे० टन
1974-75 . .	68,000 मे० टन

(ख) जी हां ।

(ग) पश्चिम एशिया में प्रमुख चावल आयातकों के साथ सम्पर्क स्थापित किये गये हैं । उनमें से कुछ ने टेलीविजन, सिनेमा तथा अखबारों के माध्यम से भारतीय बासमती चावल को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रचार अभियान शुरू किया है ।

डाकघरों में अल्प बचत

6017. **श्री शशि भूषण :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डाकघरों में अल्प बचतों को बढ़ावा देने के लिए क्या विशेष कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : अल्प बचतों को बढ़ावा देने के लिए हाल में जो कदम उठाये गये हैं उनमें ये शामिल हैं :—

(i) अल्प बचत पत्रों के ब्याज की दरों में, वाणिज्यिक बैंकों में जमा रकमों के ब्याज की बढ़ी हुई दरों के अनुरूप 1 अप्रैल, 1974 से और फिर 23 जुलाई, 1974 से वृद्धि कर दी गयी ।

(ii) इस उद्देश्य से कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें बचतों में वृद्धि करने के लिए जोरदार कोशिश करें, पांचवीं पंचवर्षीय आयोजना के पहले तीन वर्षों के लक्ष्य निर्धारित कर दिये गये हैं और उनकी सूचना इन सरकारों को दे दी गयी है ; इनमें मानकीकृत एजेंसी प्रणाली के अन्तर्गत अधिकृत एजेंटों, वेतन बचत समूहों, महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना और संचयिकाओं के लिए निर्धारित विस्तृत लक्ष्य शामिल है ।

(iii) इस उद्देश्य से कि डाकघर बचत बैंक में अधिक रकमें जमा पड़ी रहें, दिसम्बर, 1973 में इनामी प्रोत्साहन योजना शुरू की गयी थी और इनामों के दो ड्रा निकाले जा चुके हैं—पहला 31 जलाई, 1974 को, दूसरा 31 जनवरी, 1975 को ।

(iv) चार महानगरों अर्थात दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में राष्ट्रीय बचत ब्यूरो खोलने का निश्चय किया गया है । इनका संचालन डाक-तार विभाग द्वारा केवल बचत बैंक का कार्य करने के लिए किया जायगा । शुरू में इन चार शहरों में से प्रत्येक में एक-एक राष्ट्रीय बचत ब्यूरो खोला जायगा ।

(v) वैयक्तिक संग्रहों को प्रोत्साहन देने के लिए 1 अप्रैल, 1975 से यह निश्चय किया गया है कि जहां ऐसे संग्रहों की राशि निर्धारित लक्ष्य से बढ़ जाय, वहां सम्बद्ध राज्य सरकारों को निवल संग्रह में से प्रदान की जाने वाली सामान्य ऋण सहायता के अलावा, वैयक्तिय बचतों के निर्धारित लक्ष्य से अधिक संगृहीत राशि के 25 प्रतिशत के बराबर **और** ऋण सहायता प्राप्त करने का अधिकार होगा ।

काजू विकास के लिये संयुक्त क्षेत्र परियोजनायें

6018. **श्री सी० जनादनन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में काजू विकास के लिए एक संयुक्त क्षेत्र परियोजना बनाने के बारे में भारतीय काजू विकास निगम के पास एक प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार ने इस परियोजना को स्वीकृति दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) सरकार को भारतीय काजू निगम से अभी तक ऐसी कोई प्रस्थापना प्राप्त नहीं हुई है ?

नये संश्लिष्ट रेशे विकसित करने सम्बन्धी परियोजना

6019 **श्री वरके जार्ज :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत नए संश्लिष्ट रेशे विकसित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने 24 जनवरी 1975 को नये रेशों और संश्लिष्ट पदार्थों का विकास करने के लिए 3,80,000 डालर की सहायता देने की भारत सरकार की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया था ।

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य रेशों से युक्त प्लास्टिक और धातुओं तथा परम्परागत रेशों के मिश्रणों जैसे संश्लिष्ट पदार्थों टेक्नालाजी को भारत में शुरू करना और उसका विकास करना है । ऐसे संश्लिष्ट पदार्थों में विशेष गुण होंगे जो कृषि, मछली पकड़ने और रसायन उद्योगों के लिए उपयोगी हो सकते हैं । इस परियोजना के लिये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से, विशिष्ट उपकरणों, कार्यक्रम में भाग लेने वाली अनुसंधान प्रयोगशालाओं के योग्यता प्राप्त कर्मचारियों के प्रशिक्षण और विशिष्ट प्रयोजनों के लिये विदेशी विशेषज्ञों की भारत यात्रा, के रूप में सहायता प्राप्त होगी ।

गुजरात में चिट फण्ड तथा बैनिफिट कम्पनियां

6020. **श्री पी० जी० मावलंकार :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात की कथित चिट फण्ड तथा बैनिफिट कम्पनियों के विरुद्ध आगे और कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका मुख्य कारण क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि इसके पास उपलब्ध सूचना के अनुसार गुजरात राज्य में 14 संस्थायें परम्परागत ढंग का चिट फण्ड व्यवसाय कर रही हैं और अन्य 23 संस्थाएं गुजरात राज्य में इनामी चिट्स, लकी ड्राज़ तथा अन्य सम्बद्ध योजनाओं के संगठन या प्रबन्ध में लगी हुई हैं ।

परम्परागत चिट फण्ड व्यवसाय से इतर कारोबार करने वाली दो संस्थाओं के मामले में रिज़र्व बैंक द्वारा और जमाओं की स्वीकृति पर रोक लगा दी गई है तथा अन्य तीन ऐसी ही संस्थाओं द्वारा नयी जमाएं स्वीकार करना निषिद्ध करने के उद्देश्य से उन्हें "कारण बताओ नोटिस" जारी किये गये हैं । इसी दौरान बम्बई उच्च न्यायालय में फैसले के लिये पड़ी हुई दो समादेश याचिकाओं (रिट पिटीशनों) में विविध गैर-बैंककारी कम्पनीज़ (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1973 के औचित्य को चुनौती दी गई है । रिज़र्व बैंक ने यह भी बताया है कि जिन दो कम्पनियों ने समादेश याचिकायें दायर की हैं उनके मामले में न्यायालय के स्थगन आदेश (स्टे आर्डर) की व्यवस्थाओं के अनुरूप और अन्य मामलों में दिये गये निदेशों की व्यवस्थाओं के अनुसार, रिर्जव बैंक द्वारा उसकी स्थिति को सुधारने की दृष्टि से और आम जनता के हितों की यथासम्भव रक्षा के लिये सम्बन्धित कम्पनियों से पत्र-व्यवहार भी करता रहा है ।

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो

6021. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के कार्यकरण का हाल ही में श्री पाठक की अध्यक्षता के अन्तर्गत एक समिति ने पुनर्विलोकन किया था,

(ख) यदि हां, तो समिति के क्या मुख्य निष्कर्ष निकले थे; और

(ग) समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) श्री एम० एस० पाठक, जो उस समय योजना आयोग के सदस्य थे, की अध्यक्षता में सरकारी उद्यमों विषयक कार्य--समिति ने सरकारी क्षेत्र तथा सरकारी उद्यमों से संबंधित सरकार के विभिन्न अंगों के पारस्परिक संबधों की भी जांच की थी ताकि उनमें यथावश्यक सुधारों और संगठनात्मक परिवर्तनों की सिफारिश की जा सके। समिति ने अभीष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अन्य बातों के साथ साथ सरकारी उद्यम कार्यालय की उपयुक्त भूमिका पर भी विचार किया था।

(ख) और (ग) कार्य-समिति ने सरकारी उद्यम कार्यालय के बारे में अपनी रिपोर्ट जनवरी, 1974 में वित्त मंत्री को प्रस्तुत की थी। समिति की अधिकांश सिफारिशें व्यावहारिक रूप से लागू कर दी गई हैं; जैसे

(i) अगस्त 1974 में सरकारी उद्यम चयन मण्डल की स्थापना। इसका काम-काज सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा किया जाता है।

(ii) विशिष्ट कार्य हाथ में लेने के प्रयोजनार्थ अन्य सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा अन्य परामर्शदायी संगठनों के साथ निकट संबंधों का विकास।

(iii) सरकारी उद्यमों के कार्यचालन के संबध में सरकार के विचाराधीन मामलों पर सरकारी उद्यमों के विचार जानने के लिए सरकारी उद्यम स्थायी सम्मेलन का उपयोग तथा सरकारी उद्यमों के कार्यचालन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिए कुछ चुने हुए उद्यमों से परामर्शदायी समितियों का गठन।

(iv) सरकारी उद्यमों के कार्यों के विभिन्न पहलुओं जैसे अन्तर प्रनिष्ठान प्रतियोगिता आदि के बारे में अनुसंधान का आयोजन।

(v) सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा संसद् को प्रस्तुत की जाने वाली केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों के कार्य की वार्षिक रिपोर्ट की विषय-वस्तु में सुधार।

(vi) सरकारी उद्यमों के कार्य के विभिन्न पहलुओं के बारे में मार्ग-निर्देशन की और अधिक अच्छी प्रणालियां।

(vii) सरकारी उद्यमों में उच्च स्तरीय पदों पर नियुक्तियों के समय उपयोगार्थ कार्मिकों का एक डाटा बैंक बनाया जाना तथा कर्मचारी क्षति पूर्ति के महत्वपूर्ण अंशों के बारे में एक डाटा बैंक रखा जाना।

(viii) सरकारी उद्यमों की विभिन्न दिशाओं में उपलब्धियों का एक वास्तविक चित्र देश के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए उपाय किया जाना।

(ix) विभिन्न पहलुओं पर दी जाने वाली सलाह में सुधार करके सरकारी उद्यम कार्यालय को सरकारी उद्यमों तथा प्रशासनिक मंत्रालयों के लिए और अधिक सुग्राह्य बनाना।

स्टेन्डिग कान्फ्रेंस आफ पब्लिक एंटरप्राइजेज।

6029. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टैंडिंग कान्फ्रेंस आफ पब्लिक एन्टरप्राइजेज (स्कोप) नामक एक नए निकाय का गठन किया गया है;

(ख) इस निकाय के कृत्य क्या हैं; और

(ग) क्या इसके कृत सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो का अतिक्रमण नहीं करते हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अन्तर्गत सरकारी उद्यमों की 'सरकारी उद्यम स्थायी सम्मेलन' नामक एक संस्था बनाई गई है। स्थायी सम्मेलन के मुख्य कार्य इस प्रकार है:—

(i) राष्ट्र के आर्थिक विकास में सरकारी उद्यमों के अलग-अलग एवं सामूहिक योगदान के बारे में आम जनता को और अधिक अच्छी जानकारी कराना और ऐसे कार्य करना जो उक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक समझे जाएं ;

(ii) सरकारी उद्यमों के लिए विचारों और अनुभवों का पारस्परिक आदान-प्रदान करने और सामान्य हित के मामलों में सामूहिक रूप से विचार करने के लिए एक मंच (फोरम) की व्यवस्था करना;

(iii) सरकारी उद्यमों की व्यावसायिक क्षमता को बढ़ाना और व्यावसायिक सूचना प्रदान करना; और

(iv) सरकारी उद्यमों से सम्बन्धित समस्याओं पर अनुसन्धानात्मक परियोजनाएं शुरु करना और/अथवा प्रायोजित करना, आदि।

(ग) 'सरकारी उद्यम स्थायी सम्मेलन' और सरकारी उद्यम कार्यालय के कार्यों में कहीं एक दूसरे का अतिक्रमण नहीं है। सरकारी उद्यम कार्यालय वित्त मंत्रालय का एक अंग है और इसके प्रमुख कार्य पूंजी निवेश संबंधी निर्णयों के मूल्यांकन, कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन, खर्च पर नियंत्रण, वित्तीय प्रबन्ध, क्षति पूर्ति के विषय में सामान्य नीतियां तैयार करने, सिविल निर्माण कार्य, नियुक्ति संबंधी शर्तों आदि से संबंधित हैं। यह एक डाटा बैंक के रूप में कार्य करता है, संसद् को सूचना देता है, सरकारी उपक्रमों विषयक संसदीय समिति की सहायता करता है, उच्च पदों के चयन के मामले में सरकारी उद्यम चयन मंडल की सेवाएं प्रदान करता है और आमतौर पर सरकारी उद्यम जिन मामलों में उससे सलाह चाहते हैं वह उन्हें सलाह देता है । तथापि सरकारी कार्यालय सामान्य नीतियां तैयार करने में सरकारी उद्यमों के साथ परामर्श करने में 'सरकारी उद्यम स्थायी सम्मेलन' की सहायता लेता है।

अनुसूचित जाति तथा अनसूचित जनजातियों के आर्थिक उत्थान के लिये जीवन बीमा निगम से ऋण

6023. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने जीवन बीमा निगम से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक उत्थान के लिये योजनाओं का वित्त पोषण करने के एकमात्र उद्देश्य के लिये राज्य सरकारों को ऋण देने के लिये कहा है :

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को गुजरात सरकार से इस बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने जीवन बीमा निगम से धनराशि आबंटित करने के लिये कहा है;

(घ) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिये गुजरात सरकार ने क्या प्रस्ताव रखे हैं;

(ङ) क्या किसी अन्य राज्य सरकार ने भी जीवन बीमा निगम को ऐसे प्रस्ताव भेजे हैं; और

(च) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) तथा (च) जीवन बीमा निगम को तमिल नाडु हरिजन हाउसिंग एंड डवलपमेंट कारपोरेशन लि० से अक्तूबर, 1974 में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसमें हरिजनों तथा सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े गैर-हरिजनों के लिये 30,000 गृहों के निर्माण की वित व्यवस्था करने के लिए 7.5 करोड़ रुपये का ऋण मांगा गया था। चूंकि विद्यमान नीति के अन्तर्गत राज्य सरकारों को अपनी गृह निर्माण योजना के लिये ऋण प्रमुख सहकारी आवास वित्त समितियों के लिये ऋण और अपनी मालिकी का घर बनाओ योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले ऋणों से भिन्न गृह निर्माण के लिये दिये जाने वाले जीवन बीमा नियम के सभी ऋण हाउसिंग ऐंड अर्बन डवलपमेंट कार्पोरेशन के माध्यम से दिये जाने होते हैं, इसलिये जीवन बीमा निगम ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करना सम्भव नहीं पाया।

मैसर्स सेन्चुरी रेयन्ज लिमिटेड द्वारा की गई अनियमिततायें

6024. **श्री सतपाल कपूर : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में मैसर्स सेन्चुरी रेयन्ज लिमिटेड द्वारा की गई विभिन्न अनियमितताओं की संख्या क्या है और ये अनियमिततायें किस प्रकार की हैं; और

(ख) उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) मैसर्स सेन्चुरी स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स रेयन फिलामेंट धागे का उत्पादन वर्ष 1972 की लाइसेंस शुदा क्षमता का लगभग 150 प्रतिशत करती रही और रेयन टायर कांड धागे का उत्पादन उनकी लाइसेंस शुदा क्षमता लगभग 137 प्रतिशत रहा। क्षमता के 125 प्रतिशत से अधिक उत्पादन अनियमित है। फर्म द्वारा की गई अनियमितताओं के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही पर विनिश्चय लेने से पूर्व सरकार "सरकार आयोग" की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रही है।

लघु उद्योगों की वित्तीय कठिनाइयां

6025. **श्री वरके जार्ज : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि ऋणों पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के परिणाम स्वरूप लघु उद्योगों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उद्योगों को सन्निकट विनाश से बचाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) वर्तमान व्यस्त मौसम के लिये 29-अक्तूबर, 1974 की ऋण-नीति की घोषणा करते समय, भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे छोटे पैमाने के उद्योग और अन्य छोटे ऋणकर्ताओं को ऋण प्रदान करने में अधिक से अधिक चयनात्मक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया था बकों को यह सलाह दी गई है कि वे अत्यन्त महत्व के (कोर) क्षेत्र और 'वेज गुड्स' उद्योगों के लिये आवश्यक आदानों (इनपुट्स) के उत्पादन करने वाले लघु-उद्योगों एककों को कम आवश्यक उद्योगों की तुलना में वरीयता प्रदान करें। बैंकों को यह भी सलाह दी गयी है कि लघु उद्योगों की प्राथमिकता देने की नीति के व्यवहार को यथासम्भव सरल बनायें जिससे कि 10 लाख रुपये या उससे कम ऋण-सीमा वाले

एककों की विशेष रूप से इसका लाभ प्राप्त हो सके। इस ऋण-नीति के ढांचे के भीतर और ऋण देने के संसाधनों की उपलब्धता के अधीन बैंक उत्पादन-उद्देश्यों के वास्ते लघु उद्योग एककों की उचित ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं।

ऊनी वस्त्र उद्योग में अतिरिक्त क्षमता

6026. **श्री अनादि चरण दास :**
श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :
श्री धर्मसिंह दादाभाई देसाई :
श्री पी० गंगादेव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऊनी वस्त्र उद्योग में अतिरिक्त क्षमता की अनुमति देने का कोई निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इससे निर्यात क्षमता में कितनी वृद्धि होगी; और

(ग) क्या ऊनी वस्त्र उद्योग में प्राथमिकता वाले कारखानों द्वारा वर्सटड कपड़े के अतिरिक्त तकुवे तथा विद्युत् चालित करघे लगाये जा सके हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) हालांकि ऊनी उद्योग में अतिरिक्त क्षमता के लिए अनुमति देने के बारे में कोई नया निर्णय नहीं लिया गया है, फिर भी ऊनी उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में समय-समय पर निम्नलिखित योजनाएं बनाई गई हैं:—

(1) वर्सटड क्षेत्र के प्राथमिकता वाले एककों का विस्तार।

(2) हौजरी एककों का विषम स्तरीय एकीकरण।

(3) हौज़री एककों का आधुनिकीकरण।

(4) अतिरिक्त काम्बिंग क्षमता का सृजन।

(5) शाडी कताई एककों का एकीकरण।

(6) उत्तर प्रदेश निर्यात निगम को कालीन यार्न बनाने के लिए 1,000 ऊनी तकुओं के लिए आशय पत्र दिया गया है।

(7) पिछड़े इलाकों में लगाये जाने के लिये कुछ शाडी और वर्सटड तकुए तथा पावरलूम मंजूर किये गये हैं।

(8) 80 प्रतिशत की निर्यात बाध्यता लगाकर गोआ में एक्स-मिन्सटर कालीन फैक्टरी स्थापित करने के लिए आशय पत्र दिया गया है।

(9) उदारीकृत नीति के अन्तर्गत 85,900 तकुओं के विस्तार की अनुमति दी गई है।

(ख) सही-सही परिणाम बताना संभव नहीं है।

(ग) कतिपय एककों को अपने-अपने उत्पादो के निर्यातों के फलस्वरूप सतत प्राथमिकता वाली हैसियत बनाये रखने के आधार पर उन्हें भारी विस्तार हेतु अतिरिक्त वर्सटड तकुए और पावरलूम देने

की सिफारिश की गई है। इस समय किसी अन्य एकक को क्षमता का इसी प्रकार विस्तार की मंजूरी देने की कोई प्रस्थापना नहीं है।

पटसन प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय पटसन मिल संघ अनुसन्धान संस्थान

6027. **श्री झारखंडे राय :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पटसन प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय पटसन मिल संघ अनुसंधान की संस्थान की गतिविधियों की जानकारी है;

(ख) पटसन प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा की जा रही तकनीकी शिक्षा भारतीय पटसन मिल संघ अनुसंधान संस्थान की अनुसंधान कार्यवाहियों की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या पटसन प्रौद्योगिकी संस्थान के पाठ्यक्रम तथा भारतीय पटसन मिल संघ अनुसंधान संस्थान की अनुसंधान कार्यवाहियों को सरकार द्वारा मंजूरी दी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी रूप रेखा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां । भारतीय पटसन मिल एसोसिएशन अनुसंधान संस्थान 1966 में बंद कर दिया गया था और उसका स्थान भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान एसोसिएशन ने ले लिया।

(ख) पटसन प्रौद्योगिकी संस्थान पटसन प्रोद्यौगिकी में सैद्धान्तिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण देता है जिसमें मशीनों की रख-रखाव कताई, बुनाई, टैक्सटाइल विज्ञान, औद्योगिक लागत, प्रबन्ध सिद्धान्त कार्य-अध्ययन और क्वालिटी नियंत्रण शामिल है। भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान एसोसिएशन पटसन की खेती और जेनेटिक्स पटसन, उत्पाद प्रक्रियाओं और मशीनों के विकास और पटसन के भावी विकास के संबंध में अनुसंधान करती है।

(ग) तथा (घ) सरकार ने पटसन प्रौद्योगिक संस्थान के पाठ्यक्रमों का अभी. तक अनुमोदन नहीं किया है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा पटसन उद्योग अनुसंधान एसोसिएशन के अनुसंधान कार्यक्रमों का हर वर्ष मानीटर तथा अनुमोदन किया जाता है। एसोसिएशन की प्रबन्ध परिषद में सरकार के तीन नामित व्यक्ति भी होते हैं।

पंजाब में छोटे पैमाने के सूती कपड़े उद्योग पर संकट

6028. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में गत तीन महीनों से छोटे पैमाने के सूती कपड़ा उद्योग संकट से गुजर हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

आयात लाइसेंस देने की प्रक्रिया में सुधार

6029. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक अपराधों के आरोप समाप्त करने के लिये आयात लाइसेंस देने की प्रक्रिया में सुधार किये जा रहे हैं;

(ख) क्या आर्थिक अपराध समाप्त करने के लिए विधि आयोग की मुख्य सिफारिशों को भी ध्यान में रखा गया है;

(ग) यदि हां, तो अपनाई जाने वाली नई नीति की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) प्रमुख परिवर्तन क्या किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (घ) विलम्ब समाप्त करने के लिए क्रियाविधियां सरल तथा कारगर बनाई गई है। आयात निर्यात अधिनियम और उसके अन्तर्गत जारी किये गये आदेशों के दांडिक उपबन्धों को कठोर बनाने के कुछ प्रस्तावों पर सरकार विचार कर रही है ताकि अपराधों के बारे में और अधिक प्रभावी कार्यवाही करना सुनिश्चित हो सके। इस अवस्था में विचाराधीन प्रस्तावों की खास-खास बातें बताना लोक हित में नहीं होगा।

नये औद्योगिक एककों में निवेश

6030. **श्री पी० वेंकटासुब्बा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संवर्धन क्रियाओं को सहायता के लिये औद्योगिक वित्त निगम द्वारा बनाई गई "रिस्क केपीटल फाउंडेशन" का उद्घाटन करते समय उन्होंने देश में संसाधन जुटाने तथा औद्योगिक वित्त के प्रति दृष्टिकोण में क्रांतिकारी परिवर्तन करने तथा विशेष रूप से तकनीकीविदों द्वारा स्थापित नये औद्योगिक एककों में पूंजी निवेश के लिये स्थानीय बचतों एवं संसाधनों का उपयोग करने की नीति की आवश्यकता पर बल दिया था;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार का क्या उपाय करने का विचार है; और

(ग) इस बारे में सरकारी नीति की रूपरेखा क्या है?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य के ध्यान में उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री की वे टिप्पणियां हैं जो 10 मार्च, 1975 को "रिस्क केपीटल फाउंडेशन" के उद्घाटन समारोह में, उनकी अनुपस्थिति में, पढ़े गये उनके भाषण का अंश थी। उस भाषण में मंत्री महोदय ने अन्य बातों के साथ साथ जनता के अधिकाधिक वर्गों को व्याप्त करके वित्तीय साधन इकट्ठे करने की आवश्कता की ओर ध्यान आकर्षित किया था ताकि औद्योगिक विकास के निमित हमारी देशी प्रतिभा को पूर्णतः जुटाया जा सके।

(ख) और (ग) सरकार, आर्थिक विकास के लिए साधन जुटाने और नये उद्यमकर्त्ताओं को प्रोत्साहित करने के प्रश्न की निरन्तर समीक्षा करती रहती है। इस उद्देश्य से औद्योगिक वित्त निगम ने सक्षम परियोजनाओं के प्रवर्तन के लिए नये उद्यमकर्त्ताओं की मूल पूंजी से सहायता करने के लिए "रिस्क केपीटल फाउण्डेशन" की स्थापना के रूप में शुरूआत की है।

फ्रांस से सहायता प्राप्त करने के लिये करार

6031. **श्री राम हैडाऊ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस ने पैरिस में हाल ही में हुए विकास सहायता करार के अन्तर्गत भारत को नया ऋण देने की सहमति व्यक्त की थी;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि के तथा देश में इन ऋणों का संभावित प्रयोग क्या है;

(ग) अब तक भारत को फ्रांस से कुल कितनी धनराशि ऋण के रूप में प्राप्त हो चुकी है इसमें कितनी धनराशि अदा की जा चुकी है और ऋणों की कितनी राशि भारत को उपलब्ध कराई जानी शेष है; और

(घ) आर्थिक और औद्योगिक विकास के किन-किन क्षेत्रों में इस समय फ्रांस की ऋण राशि का उपयोग किया जा रहा है?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां, भारत को 1975-76 में दी जाने वाली फ्रांसीसी सहायता के रूप में 57.80 करोड़ रुपये (31.5 करोड़ फ्रांसीसी फ्रांक) की कुल राशि के लिए, 7 फरवरी, 1975 को भारत और फ्रांस की सरकारों द्वारा दो वित्तीय करारों पर हस्ताक्षर किये गये थे।

(ख) पहला करार 41.28 करोड़ रुपये (22.5 करोड़ फ्रांसीसी फ्रांक) के ऋण के लिए है जिसमें से 21.10 करोड़ रुपये (11.5 करोड़ फ्रांसीसी फ्रांक) फ्रांस से, औद्योगिक परियोजनाओं के लिए आवश्यक भारी उपकरणों और वस्तुओं सेवाओं के आयात के लिए निर्धारित हैं और 20.18 करोड़ रुपये (11.0 करोड़ फ्रांसीसी फ्रांक) फ्रांस से हल्के उपकरणों संघटकों, अतिरिक्त कलपुर्जों, रसायनों, उर्वरकों और औद्योगिक कच्चे माल के आयात के लिए निर्धारित हैं।

दूसरे करार में 16.52 करोड़ रुपये (9 करोड़ फ्रांसीसी फ्रांक) के ऋण की व्यवस्था है ताकि भारत अपने परमाणु ऊर्जा विभाग और अन्तरिक्ष विभाग की परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए फ्रांस से वस्तुओं और सेवाओं के आयात के खर्च को पूरा कर सके।

(ग) भारत सहायता संघ के तत्वावधान में भारत को दी गयी फ्रांसीसी सहायता की कुल राशि 432.11 करोड़ रुपये (35.5 करोड़ फ्रांसीसी फ्रांक) बैठती है। लेकिन यह सारी राशि खर्च नहीं हुई है। अब तक खर्च की जा चुकी रकम में से कुल 56.025 करोड़ फ्रांसीसी फ्रांक की राशि चुकायी जा चुकी है और 119.399 करोड़ फ्रांसीसी फ्रांक की राशि अभी बकाया है।

(घ) फ्रांसीसी ऋण का उपयोग सीमेंट, तापीय बिजली और पन-बिजली, कागज, ऊन की धुनाई, कपड़ा खनन, तेल-शोधन, उर्वरक, क्रेपोलेक्टम, पेट्रो-रसायन, कास्टिक सोडा, मिश्रित इस्पात, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष कार्य, रेलों, बन्दरगाहों प्रकाशस्तम्भों और नागर विमानन जैसे उद्योगों और क्रियाकलापों की आयात सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा रहा है।

टिप्पणी :—ऊपर जिस विनिमय दर का इस्तेमाल किया गया है वह 100 रुपये—54.50 फ्रांक की सीमा-शुल्क सम्बन्धी मौजूदा विनिमय दर है।

इंडियन एयर लाइंस के लिये बड़े आकार वाले जेटों की खरीद

6032. **सरदार मोहिन्दर सिंह गिल :**
श्री एन० ई० होरो :
श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :
श्री हरी सिंह :
श्री अर्जुन सेठी :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स के निदेशक मंडल ने भावी प्रयोग के लिए बड़े आकार वाले जेटों को खरीदने के बारे में निर्णय लेने के लिए हाल ही में बैठक आयोजित की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या निर्णय किए गए ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) कार्पोरेशन द्वारा विमानों के खरीद का सारा मामला सरकार के विचाराधीन है।

अखबारी कागज के स्टाक की घोषणा

6033. **सरदार मोहिन्दर सिंह गिल :**
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूचे देश में समाचार पत्र-प्रबन्धकों ने उन्हें अभ्यावेदन दिया है कि उत्पादन शुल्क इन्सपेक्टरों को उद्योग के पास विद्यमान अखबारी कागज के स्टाक के बारे में जानकारी प्राप्त न करने के लिए कहा जाए जैसा कि वे समाचार पत्रों की बिक्री पर एक प्रतिशत उत्पादन शुल्क लगाने के बाद से कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) ऐसा कोई अभ्यावेदन समाचार पत्र प्रबन्धकों से प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

कपड़े की किस्में कम करने की योजना

6034. **श्री झारखडें राय :**
डा० हरि प्रसाद शर्मा :
श्री पुरुषोतम काकोडकर :
श्री पी० गंगादेव :
श्री डी० डी० देसाई :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार किसी ऐसी योजना पर विचार कर रही है जिसके अन्तर्गत कपड़ा मिलों को कपड़े की किस्में कम करनी पड़ेंगी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इनके उद्देश्य क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां । (ख) ऐसा विचार है कि जो मिलें प्रति 100 करघा के आधार पर एक से अधिक किस्म का उत्पादन करती हैं उन्हें आरंभ में किस्मों की संख्या में 10 प्रतिशत की कमी करने के लिए कहा जा सकता है। उसके बाद, दो वर्षों की अवधि में किस्मों की संख्या में 25 प्रतिशत तक और कमी करने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं।

मैसर्स महिन्द्रा एंड महेन्द्रा लिमिटेड के निदेशकों की कर सम्बन्धी देनदारियां

6035. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स महेन्द्र एण्ड महेन्द्र लिमिटेड के निदेशकों के नाम क्या है तथा प्रत्येक पर आय-कर, धन कर, उत्पादन शुल्क तथा निगम शुल्क की कितनी राशि बकाया है तथा उसे वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या उनके विरुद्ध कभी केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराई गई है अथवा उनके विरुद्ध ऐसी जांच चल रही है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या निदेशकों के निवास स्थानों पर अथवा कम्पनी के प्रांगण में छापे मारे गए थे और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा इन छापों के दौरान पकड़े गए दस्तावेजों तथा सामानों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) मैसर्स महिन्द्रा एंड महेन्द्रा लि० कम्पनी द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरण के अनुसार 1 फरवरी, 1975 को उसके निदेशक ये थे :— श्री केशव महिन्द्रा, श्री हरीश महिन्द्रा, श्री एच० एस० मलिक, श्री आई० चटर्जी, श्री सुरेश महिन्द्रा, श्री एफ० के० एफ० नरीमान, श्री देवजी रतनशी, श्री के० वी० सरदेसाई, श्री अकबर हैदरी, श्री एच० वी० आर० आयंगार, श्री योगेन्द्र एन० मफतलाल और श्री राय डी० चिप्पन जूदियर।

निदेशक श्री केशव महिन्द्रा, श्री हरीश महिन्द्रा, श्री एच० एस० मलिक, श्री सुरेश महिन्द्रा, श्री देवजी रतनसी, श्री के० वी० सरदेसाई, श्री एच० वी० आयंगार और श्री योगेन्द्र एन० मफतलाल की तरफ 31 मार्च 1975 की स्थिति के अनुसार बकाया आय-कर तथा धन कर की राशि के सम्बन्ध में सूचना और उस बकाया को वसूल करने के लिए की गई कार्यवाही संलग्न विवरण पत्न (अनुबंध 'क') में प्रस्तुत की गयी है।

व्यष्टियों पर निगम कर नहीं लगाया जाता। शेष सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) मैसर्स महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लि० अथवा उनके निदेशकों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कोई जांच नहीं की गई और ना ही उनके विरुद्ध कोई जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास विचाराधीन है।

(ग) निदेशक श्री केशव महिन्द्रा श्री हरीश महिन्द्रा, श्री एच० एस० मलिक, श्री सुरेश महिन्द्रा, श्री देवजी रतनशी, श्री के० वी० सरदेसाई, श्री एच० वी० आर० आयंगर और श्री योगेन्द्र एन० मफत-लाल के निवास स्थानों पर अथवा कम्पनी के परिसरों पर आय-कर प्राधिकारियों द्वारा कोई छापा नही मारा गया था। शेष सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

मैसर्स महेन्द्रा एंड महेन्द्रा लि० के निदेशकों की तरफ 31 मार्च 1975 की स्थिति के अनुसार, आय-कर और धन-कर की बकाया रकम तथा इसको वसूल करने के लिये की गई कार्यवाही नीचे दिये अनुसार है :--

क्रम सं०	निदेशक का नाम	31 मार्च 1975 को बकाया कर-मांग (लाख रुपयों में) आय-कर	धन-कर	कर-मांग को वसूल करने के लिये किये गये उपाय
1	2	3	4	5
1.	श्री केशव महेन्द्रा	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2.	श्री हरीश महेन्द्रा	कुछ नहीं	कुछ नहो	कुछ नहीं
3.	श्री एच० एम० मलिक (व्यक्ति)	0.26	कुछ नहीं	0.15 लाख रुपये की कर-मांगों की अदायगी की मियाद 31 मार्च, 1975 तक समाप्त नहीं हुई थी। इसके अतिरिक्त, कोई 0.07 लाख रुपये की अदायगी का, जिसे कर-निर्धारिती ने पहले ही अदा की गई बताया है सत्यापन और समायोजन किया जाना शेष था। विचाराधीन कार्यवाही शीघ्रता से की जा रही है।
4.	श्री सुरेश महेन्द्रा	कुछ नहीं	1.45	कर-मांग की वसूली रोक दी गई है क्योंकि यह अपील में विवादग्रस्त है।
5.	श्री देवजी रतनशी	0.01 (अग्रिम कर)	कुछ नहीं	कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया दिया गया है।

1	2	3	4	5
6.	श्री के०वी० मरदेसाई	0.21	--	आय-कर अधिनियम की धारा 221 के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसके जबाब में कर-निर्धारिती ने बताया कि मूल सुधार की एक अर्जी विचाराधीन है। आय-कर अधिकारी को इसे जल्दी से निपटाने के लिये आदेश दिया गया है ।
7.	श्री एच०वी०आर० आयगंर	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
8.	श्री योगेन्द्र एन० मफतलाल	1.43	0.11	1.43 लाख रुपये की आय-कर की कुल मांग की अदायगी की मियाद 31 मार्च, 1975 तक समाप्त नहीं हुई थी । धन-कर मांग की वसूली के लिये कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है ।

मैसर्स जर्मन रेमेडीज लिमिटेड के निदेशकों की कर देयतायें

6026. **श्री सतपाल कपूर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स जर्मन रेमेडीज के निदेशकों के नाम क्या हैं और प्रत्येक निदेशक की ओर कितना आयकर, धन कर, उत्पादन शुल्क, निगम कर बकाया है तथा उसकी वसूली के लिए क्या उपाय किये गये हैं;

(ख) क्या उनके विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कभी कोई जांच की गई थी अथवा उनके विरूद्ध कोई जांच निलम्बित है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या निदेशकों के निवास स्थानों अथवा कंपनी के कार्यालयों पर कोई छापे मारे गये थे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और छापों के दौरान बरामद दस्तावेजों एवं माल का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायगी ।

(ख) मैसर्स जर्मन रेमेडीज लि० अथवा उसके निदेशकों के विरूद्ध, केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कोई जांच नहीं की गई थी और न ही उनके विरूद्ध कोई ऐसी जांच, केन्द्रीय जांच ब्यूरो के समक्ष विचाराधीन है ।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायगी ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा नकली फर्मों को ऋण सुविधायें

6237. **श्री शन्ति कुमार सरकार :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो को अनेक ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि राष्ट्रीयकृत बैंक नकली फर्मों को ऋण सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान मंत्रालय के ध्यान में बैंक-वार जो मामले लाये गये हैं उनके ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सूचित किया है कि उसने फर्जी व्यक्तियों/फर्मों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण मंजूर करने की शिकायतों के संबंध में जांच के लिए 1971, 1972, 1973 और 1974 में 19 मामलों को रजिस्टर किया था। इनके बैंकवार विवरण नीचे दिये जा रहे हैं :—

क्रम सं०	बैंक का नाम	जांच के लिए रजिस्टर किये गये मामलों की संख्या	जांच की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1.	सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	1	केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दायर कर दिया है।
2.	बैंक आफ इंडिया	1	केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने की सिफारिश की है।
3.	पंजाब नेशनल बैंक	2	केन्द्रीय जांच ब्यूरो की सिफारिश पर एक मामले में बैंक के दो कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की गई है और दूसरे मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने मुकदमा दायर कर दिया है।
4.	बैंक आफ बडौदा	1	शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की जा रही है।
5.	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	2	एक मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने मुकदमा दायर कर दिया है और दूसरे मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो छानबीन कर रहा है।

1	2	3	4
6.	कनारा बैंक	3	एक मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो छानबीन कर रहा है, और दूसरे मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की है और तीसरे मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने मुकदमा दायर कर दिया है।
7.	देना बैंक	4	चारों मामलों में जांच विभिन्न स्थितियों में चल रही है।
8.	सिण्डीकेट बैंक	1	केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने मुकदमा दायर कर दिया है।
9.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	2	एक मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने बैंक कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की सिफारिश की है और दूसरे मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने मुकदमा दायर कर दिया है।
10.	इलाहाबाद बैंक	2	दोनों मामलों में जांच विभिन्न स्थितियों में चल रही है।

तमिलनाडु में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें

6038. **श्री शक्ति कुमार सरकार:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में, जिलावार और बैंकवार, इस समय राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस राज्य में, जिलावार और बैंकवार, राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी शाखायें खोले जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) दिसम्बर, 1974 के अन्त तक तमिलनाडु में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की संख्या से संबंधित जिलेवार सूचना अनुबन्ध 1 में दी जा रही है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-941475]**

(ख) बैंकों द्वारा शाखा-विस्तार का कार्य तीन वर्षीय "रोलिंग" योजना की सीमा के भीतर किया जाता है। इस समय 1975 से 1977 तक तीन वर्षों के लिये योजनाओं को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। फिर भी रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि दिसम्बर, 1974 के अन्त तक तमिलनाडु में कार्यालय खोलने के लिये 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास 77 लाइसेंस/आवंटन पत्र थे। जिलावार और बैंकवार ब्यौरा अनुबन्ध II में दिया जा रहा है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-9414/75]**

पश्चिम बंगाल में ग्रामीण बैंक

6039. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पश्चिम बंगाल में ग्रामीण बैंकों की संख्या में वृद्धि नहीं हो रही है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : वाणिज्यिक बैंकों का, विशेषतया सरकारी क्षेत्र के बैंकों का, यह प्रयास रहा है कि वे पश्चिम बंगाल सहित सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में अपने शाखा जाल का विस्तार करें। परिणामस्वरूप, पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं की जो संख्या 4 जुलाई, 1969 को 42 थी, वह बढ़कर 31 दिसम्बर, 1974 तक 240 हो गयी। इस प्रकार इस संख्या में 471 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, कलकत्ता में धोखा धड़ी के मामले

6040. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, कलकत्ता में धोखाधड़ी के अनेक मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन मामलों के ब्यौरे क्या हैं और इन मामलों में किन अधिकारियों और लोगों का हाथ था; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : क से ग सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया द्वारा दी गई सूचना संलग्न विवरण में दी जा रही है। **[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी०-9415/75]**

भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा लद्दाख में पर्यटन के लिये मूलभूत सुविधायें उपलब्ध करने हेतु कार्यवाही किया जाना

6041. **श्री कुशक बाकुला :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय पर्यटन विकास निगम ने लद्दाख में भारतीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करने हेतु क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : लद्दाख पर्यटक यातायात के लिए अगस्त, 1974 तक खुला नहीं था। योजना आयोग द्वारा अनुमोदित भारत पर्यटन विकास निगम की पांचवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में लद्दाख में किसी पर्यटन स्कीम को सम्मिलित नहीं किया गया है।

लद्दाख की यात्रा करने वाले पर्यटक इस समय डरास, करगिल, बुद्धखारबू, खालसी, लेह, नयोमा तथा नूब्रा में पी० डब्ल्यू० डी० के विश्राम गृहों का उपयोग करते हैं। लद्दाख में अतिरिक्त पर्यटक सुविधाओं की व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार सम्भाव्यता अध्ययन करने के बाद तथा निधियां उपलब्ध होने की अवस्था में किया जाएगा।

जोरहट, आसाम में जीवन बीमा निगम का एक डिवीजन खोला जाना

6042. **श्री विश्वनारायण शास्त्री :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम जोरहट, आसाम में एक नया डिवीजन खोल रहा है ; और यदि हां, तो कब ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव जीवन बीमा निगम के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

लखीमपुर में लीड बैंक की शाखायें खोली जाना

6043. **श्री विश्वनारायण शास्त्री :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लखीमपुर जिले में कौन से लीड बैंक द्वारा शाखायें खोली जानी हैं ;

(ख) इस बैंक द्वारा इस जिले में अब तक कितनी शाखायें खोली जा चुकी हैं ;

(ग) इस जिले में जनसंख्या तथा बैंक की शाखाओं के बीच क्या अनुपात है ; और

(घ) देश के अन्य भागों के अनुपात की तुलना में इस की क्या स्थिति है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) असम राज्य के लखीमपुर जिले का मार्गदर्शन (लीड दायित्व) यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया को सौंपा गया।

(ख) से (ग) रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि दिसम्बर, 1974 के अंत तक असम लखीमपुर जिले के वाणिज्यिक बैंकों की 5 शाखायें कार्य कर रही थीं। इनमें से 3 शाखाये यूनाइटेड बैंक आफ ण्डिया की थी। उस तारीख को इस जिले में प्रति बैंक शाखा जनसंख्या औसत 1,42,000 था। इसकी तुलना में, पूरे देश में यह जनसंख्या औसत 30,000 प्रति बैंक शाखा है।

बाजपे हवाई अड्डा

6044. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाजपे स्थित वर्तमान हवाई अड्डे को किसी अन्य बेहतर स्थान में स्थानान्तरित करने हेतु कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है :

(ख) क्या बाजपे स्थित वर्तमान हवाई अड्डा बड़े विमानों के उतारने के लिये उपयुक्त नहीं है ;

(ग) क्या नए मंगलौर बंदरगाह के खोले जाने को दृष्टि में रखते हुए दक्षिण कनारा जिले में बड़ा हवाई अड्डा बनाए जाने की आवश्यकता है ; और

(घ) सरकार ने वर्तमान हवाई अड्डे को स्थानान्तरित करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) वर्तमान हवाई अड्डा बोइंग 737 विमानों के सीमित परिचालनों के लिये उपयुक्त है।

(ग) और (घ) वाजपे का मौजूद हवाई अड्डा वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पर्याप्त है तथा उसे किसी दूसरे स्थल पर स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

बम्बई में इलेक्ट्रानिक्स एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन

6045. **श्री पी रंगनाथ शिनाय :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में सांताक्रुज के निकट वाणिज्य मंत्रालय के प्रशासनाधीन एक इलैक्ट्रानिक्स एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है ;

(ख) इस जोन में कितने यूनिट कार्य कर सकते हैं तथा इस समय वास्तव में कितने यूनिट कार्य कर रहे हैं और उन के नाम क्या हैं ; और

(ग) वर्ष 1974-75 में अब तक उस जोन से कितने मूल्य के उत्पादों का निर्यात हुआ है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जोन में लगभग 87 एकक स्थापित हो सकते हैं परन्तु वास्तविक संख्या प्रत्येक एकक के आकार पर निर्भर करेगी । सितम्बर, 1974 से जोन में निम्नलिखित पांच एकक कार्य कर रहे हैं :-

1. मै० क्लारोस्टाट इंडिया लि०,
2. मै० त्रिमूर्ति इलैक्ट्रानिक्स, प्रा० लि०,
3. मै० एप्लाइड इलेक्ट्रानिक्स, प्रा० लि०,
4. मै० इंडिकोज कम्प्यूटर सर्विसिज प्रा० लि०,
5. मै० आशा ब्रदर्स प्रा० लि०

(फिलहाल जोन के बाहर आबद्ध क्षेत्र में)

(ग) 1 मार्च, 1975 तक 4,70,306 रुपये ।

कोका कोला निर्यात निगम द्वारा वसूल किया जाने वाले सेवा प्रभार

6046. **श्री नवल किशोर शर्मा : क्या वित्त** मंत्री एफ० ई० आर० ए० की धारा 29 के अन्तर्गत कोका कोला निर्यात निगम के आवेदन पत्र के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डेनमार्क और अफ्रीका के लिये सेवा प्रभार किस आधार पर वसूल किये जाते हैं ;

(ख) कोका कोला निर्यात निगम ने वर्ष 1971, 1972 और 1973 के दौरान डेनमार्क और अफ्रीका को कितना निर्यात किया ; और

(ग) किस नीति तथा अनुमति के अन्तर्गत इन सेवा प्रभारों की अनुमति दी जा रही है ।

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : रिजर्व बैंक आफ इंडिया से उपलब्ध सूचना के अनुसार सेवा प्रभार की राशियां खरीददारों द्वारा अन्य देशों से की गयी कंसंट्रेटों की खरीद की तुलना में प्रश्न उल्लिखित देशों को कंसेंट्रेटों को किये गये निर्यातों की मात्रा के अनुपात में वसूल की जाती हैं ।

(ख) कम्पनी द्वारा वर्ष 1971, 1972 और 1973 के दौरान डेनमार्क और अफ्रीका को एलकोहल मे भिन्न लेखों के आधार भूत पदार्थों के निर्यात से जो आमदनी हुई उसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(लाख रुपयों में)

1	2	3	4
	1971	1972	1973
डेनमार्क	10.1	27.5	——
अफ्रीका	36.1	71.5	149.2

(ग) पहली जनवरी 1969 से कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन की भारतीय शाखा द्वारा कारपोरेशन की अन्य विदेशी शाखाओं को भेजे जाने वाले सेवा प्रभार पर कारपोरेशन की उल्लिखित अन्य विदेशी शाखाओं के क्षेत्रों को कंसेंट्रेटों के किये गये कुल निर्यात से होने वाली आमदनी की 10 प्रतिशत की स्वतन्त्र सीमा की शर्त लगा दी गयी है। बाहर भेजी जाने वाली ये राशियां निर्यात की आमदनी के 80 प्रतिशत की समूची अधिकतम सीमा के अन्दर ही होंगी, जो भारतीय शाखा द्वारा सभी मामलों में (अर्थात् आयात, लाभ, कार्यालय व्यय, विदेशी शाखाओं को सेवा प्रभार आदि) बाहर भेजी जाने वाली रकमों पर लागू होती हैं।

विदेशी कम्पनियों द्वारा ट्रेड मार्कों का उपयोग

6047. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने ट्रेड मार्क के उपयोग की अनुमति के लिये विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 28(3) के अधीन आवेदन किया ;

(ख) इस पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विचार करने का मान दण्ड क्या है; और

(ग) क्या अगर कोई विदेशी कम्पनी विदेश में धन भेजने की मात्रा के दुगने मूल्य निर्यात की गांरटी देता है, तो उपभोक्ता उत्पादन के निर्माण के लिये विदेशी सहयोग की सरकार अनुमति देती है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जिन कंपनियों आदि ने अपने व्यापार चिन्हों का उपयोग करने की अनुमति प्राप्त करने के लिये विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 28 (3) के साथ पठित धारा 28(1)(ग) के अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आवेदन भेजे हैं उनके नामों की अनुसूची 20 दिसम्बर 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5377 के सम्बन्ध में दिये गये आश्वासन को पूरा करते हुए 10 अप्रैल, 1975 को लोक सभा के पटल पर रख दी गयी है।

(ख) अप्रत्यक्ष रूप से विचार करना वाक्यांश की परिभाषा अधिनियम में भी नही दी गयी है। इन शब्दों का प्रयोग यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है कि जिन बातों पर प्रत्यक्ष और अपेक्षाकृत अधिक सरलता से विचार किया जाता है कि उसके अलावा, अन्य सूक्ष्म और कम स्पष्ट बातों को भी अधिनियम के दायरे में ले आया जाये। लेकिन इस सम्बन्ध में कोई सामान्य सिद्धान्त तय करना सम्भव नहीं होगा कि इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये किन-किन बातों को अप्रत्यक्ष विचार करने में शामिल किया जाये और इस लिये प्रत्येक मामले में सम्बन्धित समूचे तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद ही मत निर्धारित करना होगा।

(ग) विदेशी सहयोग की अनुमति उच्च प्राथमिकता वाले केवल उन खास-खास क्षेत्रों में ही दी जाती है जहां टैक्नालाजी का आयात कर आवश्यक समझा जाता है। अन्य क्षेत्रों मे (जिनमें कम प्राथमिकता वाला गैर अत्यावश्यक क्षेत्र भी शामिल है) मामलों की पात्रता को देखते हुए कि यदि 5 से 10 वर्ष तक की अवधि में काफी निर्यात करने की गारण्टी दी जाय और इस प्रकार के निर्यात की उचित-युक्त संभावनाएं मौजूद हो तो कुछ रियायत दे दी जाती है ?

केरल में मत्स्य उद्योगों को वित्तीय सहायता

6048. **श्री वरके जार्ज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक और कृषि पुनर्वित्त निगम ने केरल में मत्स्य उद्योगों को वित्तीय सहायता रोक देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस स्थिति के उपचार के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सामूहिक कपड़ा मिलें

6049. **श्री एन० ई० होरो** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बड़े व्यापार गृहों को सामूहिक कपड़ा मिलें स्थापित करने के लिये अनुमति देने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) ऐसी कोई प्रस्थापना विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अफगानिस्तान से मेवों के आयात पर आयात शुल्क

6050. **श्री शशि भूषण** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफगानिस्तान से आयात किये गये मेवों की टैरिफ दरें गत तीन वर्षों से संशोधित नहीं की गई हैं और क्या इसके परिणामस्वरूप आयात शुल्क निम्न होने के कारण राजस्व की बहुत अधिक क्षति हुई है ;

(ख) क्या इस अवधि में मेवों के बाजार भाव शत-प्रतिशत बढ़ गये हैं ;

(ग) इस प्रकार आयात शुल्क की कितनी हानि हुई है ; और

(घ) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (घ) अफ़गानिस्तान से आयात किये जाने वाले सूखे मेवों की कुछ किस्मों के टैरिफ मूल्य जुलाई, 1971 में निर्धारित किये गये थे। उसके पश्चात् 1972 और 1973 में इनकी समीक्षा की गयी जब यह निर्णय किया गया कि उनमें कोई संशोधन नहीं किया जाय। हाल ही के वर्षो में अफ़गानिस्तान से आने वाले सूखे मेवों के दाम बढ़ गये हैं परन्तु शत-प्रतिशत नहीं बढ़े हैं। यह वृद्धि अपेक्षाकृत बहुत कम है ।

तथापि, उनके मूल्यों में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए टैरिफ मूल्य पर पहले ही विचार किया जा रहा है ।

एतद्नुसार राजस्व की हानि का प्रश्न ही नहीं उठता ।

राज्य व्यापार निगम को मेवों के आयात का लाइसेंस

6051. श्री शशि भूषण :
श्री के० मालन्ना :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम को गत वर्ष 25 लाख रुपये के मेवों के आयात के लिये लाइसेंस दिया गया था ;

(ख) इस लाइसेंस के संबन्ध में राज्य व्यापार निगम ने क्या काम किया है और इस आयात के परिणामस्वरूप राज्य व्यापार निगम ने कितना लाभ अर्जित किया ;

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम को ईरान से मेवों और ईराक से खजूरों के आयात के लिये लाइसेंस दिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो कितने मूल्य का और क्या इस आयात के परिणामस्वरूप राज्य व्यापार निगम ने कोई लाभ अर्जित किया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) राज्य व्यापार निगम ने लागत बीमा भाड़ा सहित 3 लाख रु० की मेवा आयात की है । राज्य व्यापार निगम को मामूली-सा लाभ होने की आशा है ।

(ग) ईरान से मेवा आयात करने के लिए राज्य व्यापार निगम को कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है । तथापि राज्य व्यापार निगम को ईराक से खजूरों का आयात करने के लिए एक लाइसेंस दिया गया है ।

(घ) खजूरों के लिए आयात लाइसेंस का मूल्य 50 लाख रु० है । तथापि, राज्य व्यापार निगम द्वारा अभी तक कोई आयात नहीं किए गए हैं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा फटे पुराने करंसी नोटों का जारी किया जाना

6052. **चौधरी राम प्रकाश :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंक कुछ समय से विशेष कर हरियाणा, जैसे कुछ पिछड़े राज्यों में केवल फटे पुराने करेंसी नोट जारी कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस संबन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) करेंसी की अधिकाधिक कमी और नासिक प्रैस से मिलने वाले नए नोटों की सीमित मात्रा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक दोबारा इस्तेमाल में लाये जाने योग्य पुराने नोट और नये नोट यथासंभव समुचित आधार पर जारी कर रहा है । इसके परिणामस्वरूप सामान्य रूप से चलन में आ रहे नोटों की क्वालिटी कुछ गिर गयी है । किन्तु यह कठिनाई केवल किसी राज्य विशेष में नहीं है । मई 1974 से भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों, सरकारी विभागों आदि की नोटों की मांग दस प्रतिशत तक नए नोटों से और बाकी दोबारा इस्तेमाल में लाये जाने योग्य नोटों से पूरी कर रहा है । नये नोटों के बारे में एक रुपये और 2 रुपये के नोटों के लिए यह प्रतिशत क्रमशः दिसम्बर 1974 और जनवरी, 1975 से 25 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया। 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के मूल्य के नए नोट जारी करने के संबन्ध में यह प्रतिबन्ध हटा लिया गया है । जैसे ही देवास के नये बैंक नोट प्रैस से काफी मात्रा में नोट मिलने लगेंगे वैसे ही अन्य मूल्यों के नए नोट जारी करने के बारे में भी ढील दे दी जाएगी।

Exchange rate of Indian Rupee with currencies of Socialist Countries

6053. **Shri Shankar Dayal Singh :**
Shri K. Mallanna :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the manner in which Indian currency and foreign trade have been affected by the change recently made by the USSR in the value of the rouble in terms of exchange rate of Indian rupee;

(b) whether other socialist countries have also made similar changes in their currencies in terms of the exchange rates of Indian rupee; and

(c) if so, the names of those countries and the details of the changes made by them in their exchange rates ?

The Minister of Finance (Shri C. Subramaniam) : (a) The State Bank of the USSR has been revising especially since March, 1974 the exchange rate of the Indian Rupee in relation to the Rouble for non-commercial transactions within the USSR. These rates apply to non-commercial transactions within the USSR, and do not affect commercial transactions.

(b) & (c) In regard to other socialist countries the position is that credits to India from these countries have been designated in Indian rupees. Import/export trade with these countries is also conducted in non-convertible rupees. The question of application of an exchange rate between the Indian rupee and the currencies of these East European countries in regard to credit or trade transactions does not arise.

Schemes of All India to Attract Tourists

6054. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether with a view to attracting foreign tourists to India his Ministry had formulated any scheme under which a tourist could visit the whole of India on a 200-dollar ticket;

(b) if so, the number of foreign tourists who visited India under this scheme and the broad outlines of the profit earned by Air India, thereby; and

(c) whether the Department of Tourism is also formulating any scheme to enable the Indian tourists to travel from one region to another?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Indian Airlines have introduced 'Discover India Fares'. Any foreign national, or an Indian normally residing abroad, is eligible for this facility provided the payment is made in U.S. dollars or any other convertable currency. The holder of such a ticket can travel as he likes on the domestic sectors of Indian Airlines provided no station is touched twice except for routing purposes, for a period of 14 days on payment of US $ 200 and for 21 days for payment of US $ 275.

(b) As most of the ticketing is done by international carriers abroad, it is too early to give the number of tourists who have visited India under this scheme. The early reactions of the trade have, however, been good and they suggest the possibility of a considerable and growing volume of sales in the future.

(c) No special concessions are contemplated for Indian tourists travelling from one region to another.

सार्वजनिक ऋण में वृद्धि

6055. **श्री शरद यादव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के सार्वजनिक ऋण में तेजी से वृद्धि हुई हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऋण सेवी प्रभारों में भी वृद्धि हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसे घटाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) सार्वजनिक ऋण पंचवर्षीय आयोजनाओं के लिए धन की व्यवस्था करने का एक महत्वपूर्ण साधन है । सार्वजनिक ऋण मुख्य रूप से पूंजीगत खर्च को पूरा करने के लिए और राज्य सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं आदि को ऋण देने के लिए लिया जाता है । केन्द्रीय सरकार ने 1973-74 के अन्त तक 16931 करोड़ रुपये का सार्वजनिक ऋण लिया था जबकि 1968-69 के अन्त में यह रकम 12500 करोड़ रुपये की थी। 1973-74 में सार्वजनिक ऋणों के ब्याज की रकम 649 करोड़ रुपये थी जबकि 1968-69 में यह 375 करोड़ रुपये थी। लेकिन इस संबन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि 1973-74 के अन्त में 16931 करोड़ रुपये के कुल बकाया सार्वजनिक ऋण के मुकाबले केन्द्रीय सरकार के पूंजी परिव्यय और उसके द्वारा दिये गये ऋणों की रकम 25611 करोड़ रुपये बैठती है ।

पटसन को वस्तुओं के निर्यात के बारे में प्रतिनिधिमंडल के निष्कर्ष

6056. **श्री शरद यादव :**
श्री मधु दंडवते :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने पटसन की वस्तुओं के निर्यात की स्थिति के बारे में मौके पर अध्ययन करने के लिए अमरीका और कनाडा का दौरा किया था और

(ख) यदि हां, तो उनके निष्कर्षों का मुख्य ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) वाणिज्य मंत्रालय के निर्यात उत्पादन सचिव के नेतृत्व के सात सदस्यों के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने 10 से 21 फरवरी, 1975 तक संयुक्त राज्य अमरीका और कनाडा के प्रमुख पटसन बाजारों का दौरा किया ।

(ख) प्रतिनिधिमंडल ने सूचित किया है कि इन देशों में पटसन के माल की मांग में हाल ही की गिरावट का प्रधान कारण संश्लिष्ट प्रतिस्थानीमाल से बढ़ती हुई प्रतियोगिता है । भवन-निर्माण उद्योग में मंदी के कारण भी वहां मांग गिर गई है । निर्यातों की स्थिति 1975 तक सुधरने की आशा है बशर्ते कि संश्लिष्ट माल से प्रतियोगिता का प्रतिकार करने के लिए अभी से कारगर उपाय शुरू कर दिये जायें ।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा पत्तनों पर माल के जमा स्टाक में कमी करने के लिये किये गये उपाय

6057. **श्री शरद यादव :**
श्री मधु दंडवते :
श्री शंकरराव सावन्त :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न प्रमुख पत्तनों में धातु के स्टाक जमा हो गये हैं और पत्तन प्राधिकारियों ने खनिज तथा धातु व्यापार निगम को उसे हटाने के लिए चेतावनी दी है ; और

(ख) यदि हां, तो खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने पत्तनों पर माल के जमा स्टाक में कमी करने के लिए क्या उपाय किए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं । गोदी प्राधिकारियों के परिसर में कोई भी स्टाक नहीं रोका जाता है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कर्नाटक में हवाई अड्डों पर विकास कार्य

6058. **श्री के० लकप्पा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में सरकार द्वारा कर्नाटक में विभिन्न हवाई अड्डों पर किए गए विकास कार्यों की रूपरेखा क्या है ; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई और अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जायेगी।

कर्नाटक में सप्ताहान्त पिकनिक स्थलों का विकास करने की योजना

6059. **श्री के० लकप्पा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय क्षेत्र में कर्नाटक के कस्बों, एवं नगरों के निकट सप्ताहान्त पिकनिक स्थलों का विकास करने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो निम्न आय समूहों के लोगों के उपयुक्त कोई उक्त योजना तैयार की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) क्योंकि अंतर्देशीय पर्यटकों (होम टूरिस्ट्स) के लिये सुविधाओं का विकास मूल रूप से राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है, अतः कस्बों और नगरों के आसपास स्थित पिकनिक स्थलों का विकास राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

गोवा में लौह अयस्क के निर्यात व्यापार में प्रवेश करने के खनिज तथा धातु व्यापार निगम के प्रस्ताव पर निर्णय

6060. **श्री के० लकप्पा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा में लौह अयस्क के निर्यात व्यापार में प्रवेश करने के खनिज तथा धातु व्यापार निगम के प्रस्ताव का वहां से संबन्धित व्यापारियों तथा गोवा की सरकार ने भी विरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) सरकार ने गोवा के निर्यातकों तथा गोवा सरकार के विचारों को नोट कर लिया है। मामले पर विनिश्चय लेते समय इनका ध्यान रखा जाएगा।

Excise Duty on Sugar

6061. **Shri Chandra Shailani :**
Shri S.A. Muruganantham :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether a delegation of the Bhartiya Chini Mill Sangh (Indian Sugar Mills Association) had met him recently with the request to withdraw the increase effected in the excise duty on sugar available for sale in the open market; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) Yes, Sir.

(b) The matter is under examination.

संकटग्रस्त चाय बागानों का प्रबन्ध

6062. **श्री डी० पी० जदेजा :**
श्री एस० आर० दामाणी :
श्री एन० आर० बेकारिया :
श्री राम सहाय पांडे :
श्री हरी सिंह :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में कुछ संकटग्रस्त चाय बागानों के प्रबन्ध को अधिकार में लेने के प्रश्न पर विचार कर रही है ;

(ख) उक्त बागानों का ब्यौरा क्या है और उन्हें पुनः उपयोगी बनाने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है ; और

(ग) संकटग्रस्त बागानों की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) जिन बागानों को सामान्य स्थिति में पुनः लाया जा सकता है, उनके पुनःस्थापन के लिए प्रबन्ध को अपने अधिकार में लेने सहित उपायों पर सरकार विचार कर रही है।

उत्तर प्रदेश में इण्डियन एयरलाइन्स की सेवाएं

6063. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयर लाइन्स का निकट भविष्य में उत्तर प्रदेश के और नगरों में अपनी सेवाओं का विस्तार करने का विचार है ; और

(ख) किन-किन नगरों से हवाई सम्पर्क स्थापित किया जाना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) इंडियन एयरलाइन्स की निकट भविष्य में उत्तर प्रदेश के और अधिक नगरों के लिये अपनी सेवायें परिचालित करने की कोई योजनायें नहीं हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1974 के दौरान अखबारी कागज का आयात

6064. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 के दौरान भारत सरकार ने अखबारी कागज का आयात करने के संबन्ध में किन-किन देशों से सम्पर्क स्थापित किया तथा उनसे बातचीत की ;

(ख) उन देशों के साथ हुई बातचीत की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में क्या निर्णय किए गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) जबकि सरकार ने वास्तविक आयात के लिए स्वयं कोई सीधी वार्ता नहीं की है, राज्य व्यापार निगम ने, जो कि अखबारी कागज आयात के लिए उत्तरदायी है, सं० रा० अमरीका, ब्रिटेन, आस्ट्रिया, कनाडा, जापान, स्वीडन, नार्वे, फिनलैंड, बंगला देश, सोवियत संघ तथा चैकोस्लोवाकिया में अखबारी कागज के पूर्तिकर्त्ताओं से पारस्परिक रूप से स्वीकार्य शर्तों पर अखबारी कागज के आयात के लिए, वार्ताएं कीं। इसके परिणामस्वरूप 1974 में, 1,49,160 मैं० टन अखबारी कागज के आयात के लिए 19 सविदाएं संपन्न की गई।

पर्यटन उद्योग का विकास

6065. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पर्यटन उद्योग के विकास के संबध में कोई नया निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी रूपरेखा क्या है ; और

(ग) वर्ष 1975-76 के दौरान उस प्रयोजन के लिये कितनी अतिरिक्त धनराशि आवंटित की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) पर्यटन का विकास एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। चौथी योजना में पर्यटन के आधारभूत उपादानों (आवास एवं यातायात सुविधाओं) के निर्माण, भारत को लक्ष्य बना कर आने वाले पर्यटकों को और अधिक संख्या में आकृष्ट करने के लिये पर्वतीय तथा समुद्रतटीय विहार स्थलों के विकास, पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक स्मारकों के रूप में सांस्कृतिक पर्यटन के विकास, तथा वन्य जीव पर्यटन के विकास पर जोर दया गया था। पांचवीं योजाना में भी विकास की यही प्रक्रिया जारी रहेगी और इसके लिये पांचवीं योजना के प्रारूप में केन्द्रीय क्षेत्र में 78 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। योजना आयोग द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र में वर्ष 1975-76 के लिये 806.00 लाख रुपये के परिव्यय का अनुमोदन किया गया है।

मूंगफली के तेल का निर्यात

6066. **श्री एस० एन० मिश्र :**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75 और 1975-76 के दौरान देश में कितनी मूंगफली अथवा मूंगफली के तेल का निर्यात किया गया अथवा करने का विचार है ;

(ख) मूंगफली का निर्यात करने के लिये किन देशों के साथ समझौते किये गये हैं तथा निर्यात की दरें क्या होंगी ;

(ग) चालू वर्ष के दौरान मूंगफली के तेल की कमी उसके मूल्य में भारी वृद्धि और देश में इसके कम उत्पादन को देखते हुए उसके निर्यात में कितनी कमी की गई है ; और

(घ) निर्यात अन्तर को पूरा करने के लिये क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) भारत केवल हाथ से तोड़ी गई चुनी हुई किस्म की मूंगफली निर्यात करता है जिसे एच०पी०एस० मूगफला कहते हैं । इसमें अपेक्षाकृत कम तेल होता है तथा आमतौर पर इसका इस्तेमाल तेल निस्सारण के लिए नहीं होता है । अन्य सभी किस्मों की मूंगफली के निर्यात पर रोक है । 1974-75 के दौरान लगभग 61 हजार मे० टन एच०पी०एस० मूंगफली निर्यात होने का अनुमान है । 1975-76 के दौरान 75 हजार मे० टन मूंगफली निर्यात किए जाने की आशा है । देश से मूंगफली का तेल निर्यात करने की अनुमति नहीं है ।

(ख) पूर्व यूरोपीय देशों के साथ हस्ताक्षरित वार्षिक व्यापार आयोजना करारों में एच०पी०एस० मूंगफली को शामिल किया गया है । तथापि, इस प्रस्तावित निर्यात के लिए कोई दरें निर्धारित नहीं की गई हैं ।

(ग) एच० पी० एस० मूंगफली आमतौर से पेरने के लिए इस्तेमाल नहीं होती और उसका निर्यात देश में मूंगफली के कुल उत्पादन का 2 प्रतिशत से कम ठहरता है । अतः एच० पी० एस० मूंगफली के निर्यातकों को कम करना आवश्यक नहीं समझा जाता है ।

(घ) उपरोक्त (ग) भाग के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी एजेन्सी के माध्यम से कच्चे माल का आयात तथा निर्मित माल का निर्यात

6067. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊनी उद्योग सरकारी एजेंसी के माध्यम से कच्चे माल का आयात तथा निर्मित माल का निर्यात करने पर असंतुष्ट है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) ऊनी कच्चे माल का आयात मार्गीकृत है परन्तु निर्यात के मामले में केवल ऊनी निटवियर मार्गीकृत हैं। ऊनी उद्योगपति निर्यातों के आधार पर प्रतिपूर्ति के लिए पूर्ण प्राधिकार पत्र दिये जाने के लिए अभ्यावेदन करते रहें हैं। ऊन की

कीमतों में द्रुत गति से गिरावट के कारण कतिपय संविदाओं में जो कि ऊन का निर्यात करने के लिए प्रयोक्ताओं की सहमति से पहले की गई थी, कठिनाईयां आ गई थी, जिनको अब हल कर लिया गया है और मार्गीकरण अभिकरण द्वारा संशोधित पद्धति अपनाई जा रही है। नई निर्यात नीति में अन्य वस्तुओं की प्रक्रिया के अनुरूप निर्यातों के आधार पर प्रतिपूर्ति के लिए पूर्ण प्राधिकार पत्र दिये जाने की व्यवस्था की गई है।

तमिलनाडु राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा वायुयान सेवाएं चलाने का प्रस्ताव

6068. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु राज्य पर्यटन विकास निगम का मद्रास को पर्यटक महत्व के स्थानों के साथ जोड़ने के लिये अपनी स्वयं की वायुयान सेवायें चलाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) ऐसा ज्ञात हुआ है कि तमिलनाडु पर्यटन विकास निगम मद्रास को पर्यटन महत्व के अन्य स्थानों से जोड़ते हुए विमान सेवाएं परिचालित करने के एक प्रस्ताव की जांच कर रहा है। प्रस्ताव बहुत ही प्रारम्भिक अवस्था में है तथा निगम शीघ्र ही एक व्यवहार्यता अध्ययन प्रारम्भ करने का विचार रखता है।

तमिलनाडु को केन्द्रीय सहायता

6069. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने यह घोषित किया है कि केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा दिये गये किसी वक्तव्य के विरोध स्वरूप राज्य सरकार सूखा राहत के लिये राज्य को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता को स्वीकार नहीं करेंगी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी तथ्य क्या है तथा उस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) तमिलनाडु की सरकार के नाम 31 मार्च 1975 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में सूखा संबन्धी राहत कार्यों पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिये 7.50 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता पेशगी निर्धारित कर दी गयी थी। राज्य सरकार ने खर्च के जो आंकड़े भेजे है उनके अनुसार उक्त निर्धारित केन्द्रीय सहायता पूरे तौर से राज्य सरकार को दी गयी जिसका ब्यौरा इस प्रकार है:—

	(करोड़ रुपये में)
21 फरवरी, 1975	3.75
10 मार्च, 1975	2.50
25 मार्च, 1975	1.25
जोड़	7.50

इस पेशगी केन्द्रीय सहायता को अस्वीकार नहीं किया गया है । मुख्य मंत्री के इन कथित विचारों के संबन्ध में कोई औपचारिक पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए विश्व बैंक से सहायता

6070. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**

श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक की आगामी पांच वर्षों में विश्व भर में कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सहायता देने की योजना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए भारत को भी सहायता दिए जाने का आश्वासन दिया गया है ;

(ग) क्या भारत ने इस योजना के बारे में विश्व बैंक से अनुरोध किया है, और

(घ) विश्व बैंक के प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और भारत को विश्व बैंक से यह सहायता किस प्रकार प्राप्त हो सकेगी ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) भारत को विश्व बैंक समूह से कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य की परियोजनाओं के लिए सहायता प्राप्त होती रही है और इस क्षेत्र में प्राथमिकता प्राप्त निर्धारित और व्यावहारिक परियोजनाओं के लिए आगे और सहायता प्राप्त होने की संभावना है ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उठाई गई हानि

6071. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उन औद्योगिक एककों के नाम क्या हैं जिन्होंने चालू होने के बाद तीन साल से अधिक समय तक कार्य किया है और अब तक कोई लाभ अर्जित नहीं कर पाये हैं ;

(ख) पूंजी निवेश के प्रत्येक मामले का पूर्ण विवरण क्या है उनके मूल परियोजना प्रतिवेदनों की मुख्य विशेषतायें क्या हैं तथा वे क्षेत्र कौन से हैं जहां गणना वास्तविक कार्यकरण में गलत सिद्ध हुई है ; और

(ग) उसके क्या कारण हैं तथा उनके कार्यकरण को लाभप्रद बनाने और पूंजी निवेश पर उचित लाभ सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक मामले में कौन सी कार्यवाही आवश्यक समझी गयी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) (क) से (ग) विनिर्माण और खनन क्षेत्रों में चालू होने के तीन वर्ष बाद भी घाटे में चल रही कम्पनियों से संबन्धित सूचना और उनमें किए गये पूंजी निवेश का विवरण इस प्रकार है:—

क्रम सं०	उपक्रम का नाम	31-3-1974 को पूंजी निवेश सामान्य शेयर	ऋण	जोड़
			(लाख रुपयों में)	
1.	नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड	10097	9336	19433
2.	पाइराइट्स फास्फेट्स एंड केमिकल्स लिमिटेड	609	351	960
3.	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मा स्यूटिकल्स लिमिटेड	3420	5580	9000
4	भारत हैवी प्लेट्स एंड वैसल्स	1031	1231	2262
5.	भारी इंजीनियरी निगम लिमिटेड	16079	12649	28728
6.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि०	300	518	818
7.	भारतीय मशीन औजार निगम लिमिटेड	400	461	861
8.	भारतीय आपथैल्मिक ग्लास लिमिटेड	286	417	803
9.	हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लि०	632	1656	2288
10.	चमड़ा और जूता निगम लि०	58	409	467

कार्यनिष्पादन अच्छा न रहने के मुख्य कारण और इस विषय में किए गए सुधारात्मक उपायों का विवरण अनुबन्ध में दिया गया है ।

विवरण

1. नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन

अत्यधिक अधिभार और मशीनों तथा उपस्करों की खराब हालत। सरकार ने वर्तमान उपस्करों को बढ़ाकर और पुराने उपस्करों को बदलकर लिग्नाइट निकालने की कारगर क्षमता को बढ़ाने का निर्णय किया है ।

2. पाइराइट्स, फास्फेट्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड।

भारतीय उर्वरक निगम का सिन्दरी एकक जो कम्पनी का एकमात्र ग्राहक है मशीनें पुरानी होने के कारण उतना काम नहीं कर रहा जितना कि उसे करना चाहिये। सरकार ने सिन्दरी उर्वरक एकक में सुधार करने और उसे आधुनिक बनान का निर्णय किया है जिससे पाइराट्स फास्फेट्स और केमिकल्स के माल के उठाने में सुधार होगा।

3. इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ।

कम्पनी का हैदराबाद एकक तो ठीक तरह से काम कर रहा है किन्तु मद्रास का शल्य चिकित्स औजार संयंत्र और ऋषिकेश का एन्टीबायोटिक्स संयंत्र ठीक तरह से काम नहीं कर रहे क्योंकि मद्रास एकक के मामले में तो मांग की कमी है और ऋषिकेश एकक में प्रौद्योगिकी और बिजली संबन्धी गति-रोध हैं। सरकार शल्य औजार एकक का विविधीकरण करके उसके कार्य चालन में सुधार करने के कदम उठा रही है । ऋषिकेश संयंत्र की भी बहुत सी प्रौद्योगिकी समस्याएं हल कर दी गई है । कुल मिलाकर कम्पनी संकट की स्थिति को पार कर गई है ।

4. भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वैसल्स ।

कम्पनी ने 1971 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के बाद अब तक अपनी निर्धारित क्षमता का 32 प्रतिशत उत्पादन क्षमता निर्मित कर ली है । वास्तविक उत्पादन 1971-72 में 2400 मीटरी टन था जो बढ़कर 1972-73 में 4994 टन, 1973-74 में 5656 टन और 1974-75 में 7200 टन हो गया। क्षमता के उपयोग में और अधिक सुधार करने के उद्देश्य से उत्पादन की नई लाइनें शुरू की जा रही हैं।

5. भारी इन्जीनियरी निगम लिमिटेड

अपर्याप्त मांग और कम उत्पादकता ही मुख्य समस्यायें रही है ।.उत्पादन की और अच्छी योजना तैयार करने, कई शिफ्टों में कार्य करने और अच्छी उत्पादकता करने के लिए प्रयास किए गए हैं ।

6. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड ।

कम्पनी का घाटे की स्थिति को पार करने का लक्ष्य काफी दूर है । इस संबन्ध में स्थिति में सुधार करने के लिए कम्पनी ऊंचे मूल्य के कार्य प्राप्त कर रही है ।

7. भारतीय मशीन औजार निगम लिमिटेड ।

कम्पनी के कार्यचालन में अच्छी किस्म की ढली हुई वस्तुयें न मिलने, बिजली की कमी होने और बिक्री व्यवस्था संतोषजनक न होने के कारन बाधा पड़ी । हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के साथ संविलय करके तथा एकमात्र बिक्री एजेंटों की नियुक्ति करके इन कठिनाईयों पर काबू पाने के कदम उठाए जा रहे हैं ।

8. भारत आपथैल्मिक ग्लास लिमिटेड ।

लेन्स बनाने की ऊंची लागत और बिजली की कमी प्रमुख समस्यायें थीं। ये निर्णय किया गया है कि लेन्स विभाग को धीरे धीरे बन्द कर दिया जाय और ऐसा करने से जो साधन सुलभ हो उनसे चश्मे के शीशे जैसे अन्य मदें शुरू की जायं। बिजली के लिए एक अपना ही जनरेटर लगाया जा रहा है।

9. हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स लिमिटेड ।

कार्यनिष्पादन अच्छा न होने के दो कारण थे। एक प्रौद्योगिकी समस्यायें और दूसरा भारी ऋण भार। प्रौद्योगिकी समस्याओं पर बहुत कुछ काबू पा लिया है और कम्पनी के पूंजीगत ढांचे को पुन-र्व्यवस्थित करने के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है ।

10. भारतीय चमड़ा और जूता निगम।

पुरानी मशीनें होने, निजी क्षेत्र की पुरानी प्रबन्ध व्यवस्था से प्राप्त हुए कर्मचारियों का मनोबल अच्छा न होने और बिजली की कमी होने के कारण अधिक अच्छा उत्पादन न हो सका। कार्यनिष्पादन में सुधार करने के उद्देश्य से उपस्करों का आधुनिकीकरण, उत्पादों का विविधीकरण और वेतनों तथा श्रमिक प्रोत्साहन में सुधार किया गया है।

एक व्यापार मिशन का ब्रिटेन से भारत का दौरा

6072. **श्री एन० आर० वेकारिया :**
श्री पी० जी० मावलंकर :
श्री राजदेव सिंह :
श्री अरविन्द एम० पटेल :
श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रिमिंघम चैम्बर आफ इंडस्ट्री एंड कामर्स द्वारा प्रायोजित एक व्यापार मिशन ब्रिटेन से भारत के 12 दिन के दौरे पर नई दिल्ली आया है;

(ख) यदि हां, तो दौरे का प्रयोजन क्या है; और

(ग) भारत सरकार से हुई उनकी वार्ता के क्या परिणाम निकले?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) मिशन के उद्देश्य में व्यवसाय/औद्योगिक सम्पर्क स्थापित करना/बढ़ाना शामिल था।

(ग) विचार-विमर्श सामान्य प्रकार का था जिसमें इंजीनियरी मदों/संयुक्त उद्यमों आदि के क्षेत्र में निर्यातों/आयातों के संबन्ध में विचारों का आदान-प्रदान भी शामिल था।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया, बम्बई के कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार काम करने का आन्दोलन

6073. **श्री नूरुल हुडा : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इंडिया, बम्बई, के कर्मचारियों ने आवास की सुविधाओं तथा एक नये कैन्टीन की व्यवस्था सहित अपनी मांगों के समर्थन में नियमानुसार काम करने का आन्दोलन शुरू किया है; और

(ख) क्या सरकार का विचार इन कर्मचारियों के साथ तत्काल बातचीत करने और उनकी वास्तविक शिकायतों को दूर करने का है?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि उसके केन्द्रीय कार्यालय, स्टेट बैंक कम्प्यूटर सेंटर, बम्बई स्थानीय मुख्यालय और बम्बई मुख्य शाखा में काम करने वाले वर्कमेंन स्टाफ ने मुख्य रूप से प्रदर्शन और सान्तर कार्य-समय (स्टेगर्ड

वर्किंग आवर्स) का अवपालन द्वारा 5 मार्च, 1975 से अपनी मांगों के समर्थन में आन्दोलन शुरू किया था। उनकी मांगों में ये शामिल थे: (1) कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से बम्बई में काम करने वाले अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए क्वाटरों की व्यवस्था (2) बम्बई मुख्य शाखा के अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग को उसके वर्तमान स्थान से नारीमन पाइन्ट पर ले जाने के प्रस्ताव को रद्द करना; और (3) केन्टीन के समय पर से प्रतिबन्ध उठाना।

बैंक और यूनियन के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत शुरू हो जाने के बाद ऐसी सूचना मिली है कि यूनियन ने 15 मार्च, 1975 से अपना आन्दोलन स्थगित कर दिया है। बातचीत अभी जारी है।

Issuing of one rupee coins

6074. **Shri Bhagirath Bhanwar** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether Government propose to issue one-rupee coins again because the one-rupee currency notes get soiled, mutiliated or torn early;

(b) whether a comparative study has been made in regard to the merits and demerits of one-rupee coins and one-rupee notes;

(c) if so, the nature thereof; and

(d) the steps being taken by Government to use good quality of paper and ink in the printing of currency notes and to remove frequent discrepencies in the numbering of currency notes ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) It is proposed to mint one-Rupee coin to meet the annual increase in the demand for one-Rupee. Replacement of soiled on-Rupee currency notes will be effected by printing fresh notes.

(b) & (c) Although the cost of production of one-Rupee note is much less than the cost of minting one-Rupee coin, the durability of the coin is far greater than that of the note. As a result, the cost of the coin is spread over a longer time and ultimately turns out to be much less than the cost of printing rupee notes. The attendant problems of servicing and replacing soiled notes every year which necessitates maintaining huge staff by Reserve Bank of India and incurring capital expenditure on construction of vaults and opening notes examination sections are entirely avoided in minting Rupee coin.

(d) The quality of paper supplied by Security Paper Mill, Hoshangabad compares favourably with any foreign paper both in regard to strength and finish. The inks used in printing are subjected to elaborate tests for light fastness and physical and chemical resistance as per international standards.

In order to prevent faulty numbering, checks and examinations in the Nasik Press have been tightened. The old numbering machines in the Nasik Press are being replaced by new rotary type numbering machines. The printing machinery installed at the New Press at Dewas already includes the modern rotary type numbering machines.

रासायनिक उद्योग को आयातित कच्ची सामग्री के सामन वितरण हेतु राज्य व्यापार निगम द्वारा तैयार की गई योजना

6075. **श्री भागीरथ भंवर** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने रासायनिक उद्योग को आयातित कच्ची सामग्री के उचित और सामान वितरण के लिये कोई नई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी रूप-रेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) ऐसी कोई भी नयी योजना शुरू नहीं की गई है। वर्तमान योजना के समय-समय पर उपयुक्त समंजन किये गये हैं।

राज्य व्यापार निगम के माध्यम से ईरान को सीमेंट का निर्यात

6076. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974-75 में ईरान को निर्यात किए गए सीमेंट की एक खेप सीमेंट के घटिया किस्म के होने की बजह से वापिस भेज दी गई है

(ख) उन उद्योगों के नाम क्या हैं जिनके उत्पादों का ईरान को निर्यात किया गया है और इस प्रकार के उत्पादन के लिए तथा उसे ईरान भेजने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) उस सौदे में राज्य व्यापार निगम को कितनी हानि हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

गुजरात में गिर वनों की यात्रा करने वाले पर्यटक

6077. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंह (लायन) केवल गुजरात के गिर वनों में ही पाये जाते हैं तथा भारत तथा एशिया में अन्य कहीं भी नहीं ;

(ख) यदि हां, तो गिर वनों में इस समय सिंहों की कुल संख्या कितनी है ;

(ग) वर्ष 1972, 1973 तथा 1974 के दौरान कितने विदेशी पर्यटक गिर-सिंहों को देखने गये ;

(घ) उपरोक्त गिर-सिंहों सेंक्चुरी की यात्रा करने वाले विदेशी तथा भारतीय पर्यटकों की यात्रा संबन्धी सुविधायें प्रदान करने के लिये क्या विशिष्ट कदम उठाये गये हैं ; और

(ङ) क्या आगे और सुधारों पर विचार किया जा रहा है तथा उन्हें लागू किया जा रहा है; और यदि हां, तो तत्संबन्धी संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) एशिया में ऐसा केवलमात्र स्थान, जहां प्राकृतिक वास में शेर उपलब्ध हैं, गुजरात में गिर वन है।

(ख) गिर वन में शेरों की कुल संख्या 180 बताई जाती है।

(ग) ऐसे विदेशी पर्यटकों की संख्या, जिन्होंने 1972, 1973 तथा 1974 में गिर शेरों का निरीक्षण किया, क्रमशः 376, 622 तथा 204 है।

(घ) और (ङ) पर्यटन विभाग ने 13.11 लाख रुपये की अनुमानित लागत से सस्मनगिर में एक पर्यटक लाज (विश्राम गृह) का निर्माण प्रारम्भ कर दिया है। प्रायोजना के चालू वर्ष के दौरान पूरा हो जाने की आशा है। पर्यटन विभाग ने 0.80 लाख रुपये की लागत से दो मिनी-बसों की भी व्यवस्था की है जिनमें जन संबोधन व्यवस्था के साथ-साथ शरण-स्थान के अन्दर वन्य जीवों को देखने एवं उनके फोटो लेने के लिए विशेष उपकरण भी फिट किए गए हैं।

राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत पर्यटन स्कीमों संबन्धी पांचवीं पंचवर्षीय योजना में, सस्सनगिर, वेरामल तथा पोरबन्दर काम्प्लेक्स के लिए 20.00 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

स्थगन प्रस्तावों के बारे में —(प्रश्न)

RE : ADJOURNMENT MOTIONS (QUERY)

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं स्थगन प्रस्ताव पेश करता हूं। श्री रेड्डी के कल के उत्तर में हमारे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : कल इसी विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर तीन घंटे चर्चा हो चुकी है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कल के पत्रों में गुजरात में राहत देने के लिए भारी राशि व्यय किये जाने के समाचार छपे हैं परन्तु 1950 में गुजरात में अकाल कमी या सूखे की घोषणा नहीं की गई थी। आपात स्थिति दिसम्बर, 1971 में घोषित की गई (**व्यवधान**)

मेरा निवेदन है कि श्री देसाई के व्रत और उनकी हालत को देखते हुए देश में बड़ी विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गई है अतः मेरा स्थगन प्रस्ताव चर्चा के लिए स्वीकार किया जाये।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Sir, I had also tabled an adjournment motion. In view of the fact that there would be no sitting of the House for tne next three days and Shri Desai's condition would deteriorate further as also the unsatisfactory reply given by the hon. Home Minister, we want to Censure Government........(*Interruptions*).

Mr. Speaker : How adjournment motion can be admitted on the subject on which similar ones have been rejected twice. Moreover, Gujarat has been discussed thrice already. How can this matter be raised every day ?

Shri Atal Bihari Vajpayee : An adjournment motion can be admitted on the failure of Government to tackle situation arising from Shri Desai's fast.

Shri Vasant Sathe (Akola) : The best course would be for the Opposition leaders to persuade Shri Desai to give up his fast. (*Interruptions*).

Shri Atal Bihari Vajpayee : He did not undertake this fast on our advice. His demand is proper, therefore, Government should announce holding elections before the monsoon.... (*Interruptions*).

श्री प्रियरंजन दास मुंशी (कलकत्ता-दक्षिण) : कभी व्रत विधान सभा भंग करने के लिए रखे जाते हैं और अब चुनाव कराने के लिए रखा गया है। यह क्या है... (**व्यवधान**)

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : हमें अनेक बार कहा गया है कि विधान सभा भंग करने की मांग अलोकतंत्रीय और प्रतिक्रियावादी है तो क्या चुनाव की मांग भी लोकतंत्र-विरोधी और प्रतिक्रियावादी है ?

22 LSS/75—10

चुनाव करना केन्द्र और संसद् की ज़िम्मेदारी है । संविधान की हत्या हो रही है अत: सभा को इस मामले पर गंभीरता से विचार करना चाहिये । मेरा निवेदन है कि उनका स्थगन प्रस्ताव नियमानुसार है और इसे स्वीकार किया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कह चुका हूं कि गुजरात का मामला कोई नया मामला नहीं है और इस पर तीन बार चर्चा हो चुकी है । कल के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर पूरे तीन घंटे चर्चा हो चुकी है ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : You have rejected my notice under rule 184. According to you the adjournment motion also cannot be allowed. Yesterday, only five members asked questions on Call Attention motion and their replies were also not satisfactory. Therefore, you may allow a discussion on my motion under rule 184.

I want to say one thing in all seriousness that Shri Desai will not give up his fast unless elections in Gujarat before monsoon are not announced. You are very well aware that his decision is not influenced by us. When I met him before he went on fast, he had raised many vital issues like the continuance of emergency and elections and I had told him, though I am personally against resorting to fasts, that he may follow any course of action he deems fit........(*Interruptions*).

Out of the various reasons given against holding elections in Gujarat, there are delimitation and famine, but so far Government were reluctant to declare that. Therefore I request to kindly accept my motion under rule 184 just now and let the discussion start right away.

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप ही के अनुसार स्थगन प्रस्ताव किन्ही नियमों के अधीन स्वीकार किया जा सकता है और हम समझते हैं कि यह नियमानुसार ही है । नियम 56, 57 और 58 के उपबन्धों के अनुसार इसे स्वीकार किया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला हठात तो नहीं उठा । यह तो चल रहा मामला है जैसा कि आपने स्वयं कई बार कहा है ।

श्री वसंत साठे : श्री लिमये के नियम 184 के अधीन प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो सकती क्योंकि नियम 186 (छ:) के अनुसार इसका विषय वह नहीं होना चाहिये जिस पर उसी सत्न में चर्चा की जा चुकी हो । हम तो कल ही चार घंटों तक इस पर चर्चा कर चुके हैं । इस बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिसे अविलम्बनीय माना जाये । श्री देसाई का जीवन हमें भी उतना ही प्यारा है जितना कि किसी अन्य को । प्रधान मंत्री ने अपने पत्र में वर्षाकाल के तुरन्त बाद सितम्बर में चुनाव कराना मान ही लिया है फिर 2-3 मास में क्या आफत आने वाली है जबकि स्वयं श्री देसाई मानते हैं कि मई व जून चुनाव के लिए प्रशासनिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं हैं ।

अत: इसका कोई औचित्य नहीं है ।

Shri R. R. Sharma (Banda) : Since this matter was raised as a Call attention motion, no debate could be held thereon. Therefore, the provisions of rule 58(5) or 186(6) do not bar this adjournment motion. I, therefore, request you kindly to accept it. (*Interruptions*).

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) . श्री साठे सभापति-तालिका में होते हुए भी सभा को गुमराह कर रहे हैं कि इसी विषय पर चर्चा हो चुकी है जबकि वह केवल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था जिसमें केवल 5 सदस्यों को प्रश्न पूछने दिए गए थे ।

कल शाम को मैंने श्री देसाई को देखा था और उनकी दशा काफी चिन्ताजनक थी जिससे देशभर में चिन्ता व्याप्त है। आश्चर्य है कि हमारे कांग्रेसी मित्र इतने गंभीर मामले पर चर्चा का विरोध कर रहे हैं। यदि आप स्थगन प्रस्ताव स्वीकार न भी करें फिर भी इस विषय पर पूरी चर्चा की अनुमति दी जानी चाहिये क्योंकि हम श्री देसाई की जानबूझकर की जा रही हत्या के भागीदार नहीं बनना चाहते। **(व्यवधान)**

श्री एन० के० पी० साहेब (बेतूल) : मैं समझता हूं कि चर्चा की अपेक्षा विपक्षी सदस्य श्री देसाई का जीवन बचाने के अधिक इच्छुक हैं और फिर चर्चा से समस्या हल होने के स्थान पर एक दूसरे पर आरोप ही लगाए जायेंगे। अतः मेरा प्रस्ताव है कि बिना चर्चा किए हम सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास करें जिसमें श्री देसाई से अनुरोध किया जाये... **(व्यवधान)**

....कि वह अपना अनशन समाप्त कर दें। उसके बाद चुनाव के प्रश्न पर कभी भी चर्चा की जा सकती है। **(व्यवधान)**। वे डराकर हमें कोई राजनीतिक निर्णय लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते ...**(व्यवधान)** श्री देसाई का जीवन बच सकता है यदि वह अपना अनशन समाप्त कर दें **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : श्री साठे ने नियम 184 के अधीन चर्चा का विरोध करते हुए नियम 186 (छः) का गलत हवाला दिया है। अतः मैं एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दे और प्रक्रिया के मामले की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को चर्चा नहीं माना जा सकता क्योंकि सदस्य द्वारा मामले की ओर ध्यान दिलाये जाने पर सम्बद्ध मंत्री उत्तर देते हैं और सम्बद्ध सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर मंत्री महोदय उनके उत्तर देते हैं।

इस सम्बन्ध में मैं एक पूर्वोदाहरण भी देना चाहता हूं। एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में जब मंत्री महोदय के उत्तर असंतोषजनक पाये गये तो नियम 184 के अधीन चर्चा और स्थगन प्रस्ताव दोनों स्वीकार किए गए थे। यह मामला श्री बनर्जी ने उठाया था और आपने कहा था कि यद्यपि यह मामला विचाराधीन रह चुका है तथापि वह सभा की अनुमति प्राप्त करें। तदोपरान्त उक्त प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की गई थी।

श्री साठे ने सर्वदा असंगत मामले उठाये हैं और श्री साल्वे ने भी व्यवस्था का कोई प्रश्न उठा कर विपक्षी सदस्यों से अपील ही की है।

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व दिल्ली) : प्रो० दण्डवते द्वारा जो व्याख्या की गई है वह बिल्कुल गलत है। किसी मामले पर अनेक प्रस्तावों द्वारा चर्चा की जा सकती है जिनमें से ध्यानाकर्षण भी एक हैं। दूसरे, इस मामले पर विस्तारपूर्वक कल चर्चा हो चुकी है। तीसरे, हम संविधान के प्रति सत्यनिष्ठ है और श्री याजनिक और श्री सेनापति बापट द्वारा अनशन किए जाने पर स्वयं श्री देशाई ने उनके उक्त कदम को असंवैधानिक बताया था। अब स्वयं श्री देसाई के अनशन से विपक्ष राजनीतिक लाभ उठाना चाहता है।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : गुजरात में तुरन्त चुनाव कराने संबंधी सरकार द्वारा कोई ठोस निर्णय न लिए जाने के बारे में मेरे स्थगन प्रस्ताव का कारण यह है कि श्री देसाई के अनशन से स्थिति में परिवर्तन हुआ है ।

दूसरे, इसी सभा में आपने बढ़ते मूल्यों के मामले पर ध्यानाकर्षण पर चर्चा के बाद भी जनता की कठिनाई को देखते हुए इसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव स्वीकार किया था । अतः मेरा निवेदन है कि श्री देसाई के अनशन से स्थिति की गंभीरता को देखते हुए यह मामला स्थगन प्रस्ताव स्वीकार करने योग्य है ।

कल के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर उत्तर के बाद गृह मंत्री मेरे और उनके अपने दल के श्री नायक के अनेक प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाये ।

अतः मैं समझता हूं कि इस विषय पर चर्चा करना परमावश्यक है ।

श्री मोहन धारिया (पूना) : मैं श्री साठे के इस मत से सहमत नहीं हूं कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को चर्चा ही समझा जाए क्योंकि नियम 1972 में स्पष्टतया उल्लेख किया गया है कि इस पर कोई चर्चा नहीं होती—फिर यह चर्चा कैसे हुई ?

जब देश के एक वरिष्ठ नेता और इस सभा के वरिष्ठ सदस्य की दशा चिन्ताजनक होती जा रही है, तो क्या सभा के लिए उस पर चर्चा करना उसका परम कर्तव्य नहीं है ? सभा में इस मामले पर अभी तक चर्चा नहीं की गई है, अतः मैं श्री लिमये की मांग का समर्थन करता हूं ।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : इस मामले पर चर्चा हो चुकी है और यह लोकहित में नहीं है तथा इसमें राजनीतिक उद्देश्य निहित है और वे स्थिति का अनुचित लाभ उठा रहे हैं (व्यवधान) ।

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra) : Yesterday, when the Calling Attention motion came up, I had suggested that instead a discussion be held but you did not agree and allowed the calling attention.

Yesterday while replying to Shri Mody's queries you had ruled that we could raise it under rule 377. Thereupon Shri Mody had said :

'Then I take it that you win work it out with us as to how it should be brought up.'

It was decided thereafter that it would be taken up as a Calling Attention motion.

This matter has been discussed only day before yesterday. There was a Calling Attention motion on the subject yesterday. There is no need to discuss it under Rule 184.

We have respects for Shri Morarji Desai. The opposition leaders are bent upon sacrificing his life in an indefinite fast. Please give your ruling in view of the proceedings of day before yesterday.

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) : श्री मोरारजी देसाई का अनिश्चित काल के लिए अनशन गुजरात के लोगों की दृढ़ निष्ठा को व्यक्त करती है ।

6 मार्च को श्री देसाई ने सिरदार कांग्रेस भवन से राजभवन तक एक शान्तिपूर्ण एवं मौन प्रदर्शन का नेतृत्व किया तथा राज्यपाल को शीघ्र निर्वाचन कराने के बारे में ज्ञापन दिया । इस बारे में यदि श्री मधु लिमये का प्रस्ताव लिया जा सके तो अच्छा रहेगा ।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : उससे क्या उपलब्धि होगी ?

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : इस समय हम अत्यन्त गम्भीर परिस्थिति से गुजर रहे हैं। विपक्ष के लोग अनुभव करते हैं कि सरकार संविधान का सरकारी मशीनरी का एवं प्रजातन्त्र के स्वतन्त्र निकायों जैसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त का दुरुपयोग कर रही है। हमें अपनी जिन्दगी का आधे से अधिक भाग आपात स्थिति में व्यतीत करना पड़ेगा **(व्यवधान)**

कोई व्यक्ति अनशन तभी करता है जब वह पाता है अन्य साधन उपयोग में नहीं लाये जा सकते।

यदि आप संसद की कार्यवाही का अवलोकन करें तो आप पाएँगे कि निर्वाचन कराने के बारे में आश्वासन दिए गए थे। एक समय तो निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति भी की जा चुकी थी जबकि सरकार ने निश्चय किया कि निर्वाचन नहीं कराए जाएँगे ! इस समय श्री मोरारजी देसाई के प्राण बचाना प्रधान मंत्री का कर्त्तव्य है। इस बारे में आप नियमों का हवाला न दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आप व्यवस्था के प्रश्न पर बोलने खड़े हुए थे। आप भाषण ही देने लग गए।

श्री पीलू मोदी : यदि श्री देसाई से अनशन त्यागने के लिए आग्रह किया जा सकता है तो प्रधान मंत्री से निर्वाचन कराने के लिए आग्रह किया जा सकता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : यदि वे अज्ञानवश ध्यानाकर्षण का वाद-विवाद करते हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकता। कल मुझे वाद-विवाद में बोलने का अवसर नहीं मिला। इसलिए कृपया मेरा प्रस्ताव स्वीकार कीजिए।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मेरा निवेदन है कि श्री देसाई का अनिश्चित काल तक अनशन कुछ सिद्धान्तों के आधार पर तथा जनता की मांग है जबकि सरकार यह समझती है कि यह राजनीतिक उद्देश्यों के कारण है। श्री देसाई के प्राण खतरे में हैं। इस सभा को विदित है कि श्री देसाई को अपने निश्चय से डिगाया नहीं जा सकता। यदि कहीं श्री देसाई का प्राणान्त हो गया तो उसके देश के लिये घातक परिणाम होंगे।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : इस बारे में दो मामले अंतर्निहित हैं। एक तो गुजरात के चुनाव और दूसरे आपात स्थिति की समाप्ति। हमने भी अपने नाम दिये थे जोकि मतदान में नहीं आ सके। वाद-विवाद की अनुमति दी जानी चाहिए।

श्री सेझीयान (कुम्बकोणम) : यह एक महत्वपूर्ण मामला है तथा कल के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के होते हुए भी इस पर विस्तार से विचार किया जाना चाहिए। हमने यह भी प्रस्ताव रखा था कि हम सब एक मत से प्रस्ताव पारित कर के श्री देसाई से प्रार्थना करें कि वह अपनी अनशन त्याग दें। इस सदन तथा देश के समक्ष यह मूल प्रश्न है । आपात स्थिति क्यों जारी की गयी तथा गुजरात में चुनाव क्यों नहीं कराये गये ? इन मूल प्रश्नों पर चर्चा की जानी चाहिए । इसलिए मैं अपील करता हूं कि इस मामले पर विस्तृत वाद-विवाद की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव आने पर मैंने बताया था कि श्री देसाई का अनशन पर स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। देश के एक नागरिक द्वारा अनशन किया जाना सरकार की विफलता का कारण

नहीं होना। अभी अभी नियम 377 के अधीन वाद-विवाद कर सुझाव दिया गया है। अब पूर्ण वाद-विवाद की मांग की जा रही है। आप सबने नियम पढ़े हैं। जब एक मामले पर चर्चा हो चुकी है तो उसे यहां पर फिर नहीं उठाया जा सकता। मैं समझता हूं कि ध्यानाकर्षण के अंतर्गत चर्चाएं सीमित उद्देश्य से हैं तथा यह पूरे वाद-विवाद का स्थान नहीं ले सकती। श्री पीलू मोदी ने इस बारे में नियमों को एक ओर रख देने को कहा है। यदि आप भी नियमों का हवाला न देने का वचन दें तो मैं भी नियमों का उल्लेख नहीं करुंगा।

श्री पीलू मोदी : स्वीकार है।

अध्यक्ष महोदय : आप अन्य लोगों को भी इस बारे में सहमत करायें। मैं नियम 188 के अधीन वाद-विवाद के विरुद्ध नहीं हूं।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : इस सभा का एक सदस्य अनशन पर है। क्या आप उसे मिलने गये थे ?

अध्यक्ष महोदय : मोरारजी भाई के प्रति मेरा पूरा सम्मान है। परन्तु आप लोग मुझे प्रातः से सायं तक सभा में ही व्यस्त रखते हैं।

प्रस्तावों के बारे में मैं श्री बसु एवं श्री लिमये के प्रस्तावों को स्वीकार करता हूं।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The House will not meet for next three days. Please accept adjournment motion.

Mr. Speaker: A lot has already been said. Leave some thing for the next occasion.

Shri Atal Bihari Vajpayee : You can enquire from them.

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय से पूछूंगा।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

सीमा शुल्क अधिनियम, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम और गुजरात विक्रय कर अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 378, जो दिनांक 22 मार्च, 1975 के भारत के राज-पत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० सां० नि० 418, जो दिनांक 29 मार्च, 1975 के भारत के राज-पत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 9408/75]

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा०सां०नि० 419, जो दिनांक 29 मार्च, 1975 के भारत के राज-पत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा०सां०नि० 420, जो दिनांक 29 मार्च, 1975 के भारत के राज-पत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा०सां०नि० 173 (ङ), जो दिनांक 31 मार्च, 1975 के भारत के राज-पत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा०सां०नि 183 (ङ), जो दिनांक 1 अप्रैल, 1975 के भारत के राज-पत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी 9409/75]

(3) गुजरात राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 9 फरवरी, 1974 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (तीन) के साथ पठित गुजरात विक्रय कर अधिनियम, 1969 की धारा 49 की उपधारा (3) के अन्तर्गत गुजरात अधिसूचना संख्या (जी०एच०एन० 17) जीएसटी-1075/(एस० 49)-(36) टीएच (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 17 मार्च, 1975 के गुजरात सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा दिनांक 29 अप्रैल, 1970 की अधिसूचना संख्या (जीएचएन 627) जीएसटी-1070/(एस० 49) टीएच में कतिपय संशोधन किया गया है ।
[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 9410/75] ।

विधेयकों पर अनुमति

ASSENT TO BILLS.

महासचिव : मैं चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 13 विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1975

(2) विनियोग (रेल) विधेयक, 1975

(3) विनियोग (रेल) संख्या 2 विधेयक, 1975

(4) विनियोग (रेल) संख्या 3 विधेयक, 1975

(5) पाण्डिचेरी विनियोग विधेयक, 1975

(6) पाण्डिचेरी विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1975

(7) विनियोग विधेयक, 1975

(8) प्रेस परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1975

(9) वायु सेना तथा थल सेना विधि (संशोधन) विधेयक, 1975

(10) गुजरात विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1975

(11) गुजरात विनियोग विधेयक, 1975

(12) नागालैंड विनियोग विधेयक, 1975

(13) नागालैंड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1975

मैं चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 2 विधेयकों की प्रतियां भी, राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत प्रमाणीकृत, सभा पटल पर रखता हूं :--

(1) तम्बाकू बोर्ड विधेयक, 1975

(2) न्यास विधि (संशोधन) विधेयक, 1975

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

152 वां प्रतिवेदन

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : मैं स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षा के वर्ष 1972-73 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल) के पैरा 33 पर लोक लेखा समिति का 152वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

सिक्किम की स्थिति के बारे में वक्तव्य

STATEMENT ON THE SITUATION IN SIKKIM

विदेश मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : : मैं माननीय सदस्यों को सिक्किम की कतिपय ताजा घटनाओं से अवगत कराना चाहूंगा ।

जैसा कि सदन को ज्ञात है, सरकार 8 मई, 1973 के समझौते और सिक्किम सरकार अधिनियम, 1974 के अनुरूप, लोकतांत्रिक परिस्थितियों में सिक्किम के लोगों के तीव्र आर्थिक एवं सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए पूरी-पूरी कोशिश कर रही है ।

इन दोनों दस्तावेजों को चोग्याल की तथा सिक्किम के राजनयिक नेताओं की भी सहमति और अनुमोदन प्राप्त है । लेकिन, एक ओर बाकायदा निर्वाचित नेताओं द्वारा बनाई गई जिम्मेदार सरकार और दूसरी ओर संवैधानिक शासनाध्यक्ष के रूप में काम करने वाले चोग्याल के साथ इन समझौतों के आधार पर जो प्रबंध व्यवस्था की गई थी, उसकी सफलता अनिवार्यतः चोग्याल की ईमानदारी पर और इस बात पर निर्भर थी कि वे व्यवहार में लोकतांत्रिक पद्धति को पूरी तरह स्वीकार करेंगे जिसके अधीन उनके अधिभावी अधिकार समाप्त हो जायेंगे जो कि उन्हें विगत दो दशाब्दों में प्राप्त रहे हैं ।

जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, विगत 20 वर्षों में कई बार भारत सरकार से सिक्किम के राजनयिक नेताओं और वहां की जनता ने चोग्याल-प्रथा समाप्त कर देने के लिए कहा है । भारत सरकार का प्रयत्न इस प्रथा को संरक्षित रखने का रहा है, हालांकि देसी रियासतों के मामले में, देश में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के अनुपालन में ये रियासतें समाप्त कर दी गई हैं । सिक्किम के मामले में हमने यह भिन्न रास्ता इसलिए अख्तियार किया था क्योंकि हम चोग्याल के प्रति खास लिहाज बरतना चाहते थे, इस उम्मीद में कि वे एक जिम्मेदाराना भूमिका निभायेंगे । जहां तक सिक्किम की वर्तमान सरकार और असेम्बली का प्रश्न है—यह पहली सरकार और असेम्बली है, जिसका स्वरूप वस्तुतः प्रतिनिधिक है और जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों में एक-व्यक्ति एक-वोट के आधार पर चुनी गई है — वहां पिछले कई महीनों से चोग्याल को हटाने की मांग की गई है और दुहराई गई है । पिछले वर्ष सितम्बर में ही मुख्य-मंत्री ने यह चेतावनी दे दी थी कि अगर सिक्किम में लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो चोग्याल को हटना ही होगा । जहां तक हमारा सवाल है, हमने संयम बरतने को ही सलाह दी थी, इस उम्मीद और आशा में कि चोग्याल अंततः अपनी संवैधानिक स्थिति से समझौता कर लेंगे और अधिक रचनात्मक रवैया अख्तियार करेंगे । लेकिन, हमने चोग्याल को हमेशा यह स्पष्ट बताया है कि सिक्किम में चोग्याल-प्रथा के संरक्षण के लिए तो हम उत्सुक हैं, जैसा कि विगत कई वर्षों में हम करते आये हैं, लेकिन हमें सर्वोच्च प्राथमिकता आम जनता के कल्याण को उनके हितों और आकांक्षाओं को और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों को ही देनी होगी । मैं यह कहूंगा कि सिक्किम की स्थिति अब अत्यंत नाजुक दौर में पहुंच गई है ।

लगभग उसी दिन से, जब से नये प्रबंध लागू हुए हैं, चोग्याल के वक्तव्यों और कार्यों से यह स्पष्ट हो गया था कि वे अपनी संवैधानिक भूमिका के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर सके हैं और वे उनके पास उपलब्ध सभी साधनों से जनतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार के संचालन में रुकावट डालने को उतारू थे । पिछले कुछ महीनों में सिक्किम के मुख्य मंत्री और मंत्रिपरिषद् एवं एसेम्बली में उनके साथी चोग्याल की गतिविधियों के खिलाफ बराबर भारत सरकार को लिखते रहे और हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करते रहे कि जब तक चोग्याल-प्रथा विद्यमान रहेगी सिक्किम में जनतंत्र जीवित नहीं रह सकेगा । हम सिक्किम के राजनीतिक नेताओं को धैर्य रखने की सलाह देते रहे और हमें आशा थी कि अंत में चोग्याल को सिक्किम की जनता के कल्याण के वृहत्तर हित में सुबुद्धि और समझदारी आएगी । दुर्भाग्य से हमारी यह आशा मिथ्या सिद्ध हुई । पिछले कुछ महीनों में चोग्याल की कार्यवाहियां राज्य में जानबूझ का संकटपूर्ण स्थिति पैदा करने के लिए प्रवृत्त थीं । सिक्किम के चुने हुए प्रतिनिधियों और सरकारी नेताओं ने उनके वक्तव्यों का घोर विरोध किया जिनमें उन्होंने जनतांत्रिक प्रक्रिया और यहां तक कि सिक्किम सरकार के अधिनियम की वैधता पर आपत्ति की थी जिसे उन्होंने स्वयं कुछ महीनों पहले लागू किया था । उन्हें चोग्याल प्रचार अभियान पर अत्यधिक रोष है जिसे उन्होंने स्वयं चलाया है या प्रोत्साहन दिया है । हाल के सप्ताहों में सिक्किम की सरकार और भारत सरकार को यह जानकर विशेष दुःख हुआ है सिक्किम में न्याय और व्यवस्था समाप्त करने, सरकार के संचालन में बाधा पहुंचाने और जनतांत्रिक पद्धति को समाप्त करने के लिए सिक्किम के राजनीतिक नेताओं और सामान्य जनता को डराने, आतंकित करने, धमकाने और यहां तक कि शारीरिक क्षति पहुंचाने के प्रयास हुए हैं । वहां बम से मुख्यमंत्री को मार डालने के प्रयत्न हुए, चोग्याल की उपस्थिति में चोग्याल के आदमी द्वारा सिक्किम एसेम्बली के एक निशस्त्र सदस्य को चाकू भोंक दिया गया और कुछ दिन पहले चुने हुए प्रतिनिधियों के खिलाफ हिंसा प्रयोग की विस्तृत योजनाओं की कुछ और भी दुखद सूचनाएं सामने आईं ।

निर्वाचित प्रतिनिधियों और चोग्याल के बीच संबंधों में तेजी से गिरावट को ध्यान में रखते हुए, मैंने पिछले सप्ताह विदेश सचिव को स्थिति का अध्ययन करने के लिए गंगतोक जाने के निर्देश दिए थे। विदेश सचिव ने विशेष रूप से चोग्याल को यह समझाने का भरसक प्रयत्न किया कि हम इस आशा के साथ निर्वाचित प्रतिनिधियों को धीरज के साथ काम करने का बराबर आग्रह करते आए हैं कि चोग्याल सरकार के साथ झगड़ा करने की बजाय सहयोग करेंगे, लेकिन अगर सरकार का काम रोकने, निर्वाचित प्रतिनिधियों का अपमान करने और विभिन्न तरीकों से उन्हें डराने-धमकाने के प्रयास जारी रहे तो स्थिति संकटपूर्ण बन सकती है। दुर्भाग्य से यह साफ जाहिर हो गया है कि इस प्रयास का वांछित का परिणाम नहीं निकला।

विधि-व्यवस्था की स्थिति में गिरावट और सिक्किम के कुछ नेताओं के जीवन को तत्काल खतरा होने के संदेह के संदर्भ में ही सिक्किम के मुख्य मंत्री से यह अत्यावश्यक अनुरोध प्राप्त हुआ है कि सिक्किम गार्ड को तत्काल निहत्था कर तोड़ दिया जाए। पहले भी मुख्य मंत्री ने भारत सरकार से जोर देकर कहा था कि सिक्किम सरकार से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह चोग्याल के ही उपयोग के लिए कई सौ हथियार बंद कर्मचारियों पर सरकारी धन खर्च करें। माननीय सदस्य मुझसे सहमत होंगे कि चोग्याल के महल की चहार दीवारी के लिए लगभग 400 लोगों की निजी सेना का, जिसपर सरकारी खजाने से खर्च हो, कोई औचित्य नहीं हो सकता। मुख्य मंत्री और उसके सहयोगियों के विरुद्ध संभावित षडयंत्र से, जिसमें कुछ सिक्किम गार्डों की मिलीभगत का संकेत है, यह अनुरोध और भी आवश्यक हो गया। मुख्य मंत्री से प्राप्त महत्वपूर्ण अपील को और उस राज्य में विधि व्यवस्था को सुनिश्चित करने की भारत सरकार की जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 9 अप्रैल, को दोपहर बाद सिक्किम गार्ड को निहत्था करने के लिए आवश्यक कदम उठाए।

समाप्त करने से पहले मैं सिक्किम के राजनीतिक नेताओं की एक और मांग का उल्लेख करना चाहूंगा जो पहले बहुत बार की जा चुकी है और पिछले सप्ताहों में दोहरायी गई है कि निर्वाचित सरकार को भारत संघ की संघटक इकाई के समान पूर्ण अधिकार और दायित्व दिए जाएं। यह अनुरोध सिक्किम की इस जन-इच्छा और परंपरागत भावना की चेतन अभिव्यक्ति है कि वह भारतीय जीवन की मुख्य धारा में पूर्ण रूप से भागीदार बने। इसे एक प्रस्ताव में फिर दोहराया गया है और चोग्याल के पद की समाप्ति की मांग की गई है जो कि सिक्किम विधान सभा की बैठक में 10 अप्रैल को सर्वसम्मति से पारित किया गया था। इस प्रस्ताव के निहितार्थों का भारत सरकार अध्ययन कर रही है।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Mr. Speaker, I want to say two things.

अध्यक्ष महोदय : कृपया कोई प्रश्न मत पूछिये।

श्री समर गुह (कन्टाई) : इस सम्बन्ध में सभा ने एक संविधान (संशोधन) विधेयक पारित किया था। यह वक्तव्य गृह मंत्री द्वारा दिया जा सकता था। समझ नहीं आई कि विदेश मंत्री ने यह वक्तव्य क्यों दिया। अब सिक्किम भारत का ही एक अंग है।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Mr. Speaker at present we don't want to say anything I want to suggest that the Minister of External Affairs should call some members of the House and tell them what is the actual position and what they intend to do in future.

Mr. Speaker : You are right. Let us sit together and discuss the matter.

भूतपूर्व पश्चिम और पूर्व पाकिस्तान में भारतीय लोगों की सम्पति के लिये अनुग्रह पूर्वक मुआवाजे की अदायगी के बारे में वक्तव्य

PAYMENT OF EX-GRATIA COMPENSATION FOR PROPERTIES OF INDIANS FROM WEST AND EAST PAKISTAN.

अध्यक्ष महोदय : श्री चट्टोपाध्याय वक्तव्य सभा पटल पर रख सकते हैं।

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : श्रीमान्, मैं वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

वक्तव्य

अप्रैल, 1971 में भारत सरकार ने उन भारतीय राष्ट्रीकों तथा कम्पनियों को, जिनकी पाकिस्तान स्थित परिसंपत्तियों को 1965 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान पाकिस्तान सरकार ने अपने कब्जे में कर लिया था और जिन्होंने शत्रु सम्पत्ति के अभिरक्षक को अपनी हानि के बारे में अधिसूचित किया था तथा दावे फाइल किए थे, सत्यापित दावों के 25 प्रतिशत मूल्य की दर से, प्रत्येक मामले में अधिक से अधिक 25 लाख रु० तक भारत की समेकित निधि में से अनुग्रहपूर्वक अनुदान के रूप में तदर्थ अन्तरिम राहत देने की योजना आरम्भ की।

पश्चिम पाकिस्तान तथा पूर्व पाकिस्तान (अब बंगलादेश) दोनों में स्थित अपनी संपत्ति के दावेदारों को अनुग्रहपूर्वक मुआवजे का भुगतान करने के लिए वर्ष 1971-72, 1972-73 तथा 1973-74 के दौरान बजट में कुल मिलाकर 12 करोड़ रु० की राशि रखी गई थी। उपरोक्त आवंटन में से इन तीन वर्षों के दौरान दावेदारों को 3.10 करोड़ रु० का भुगतान किया गया। वित्तीय वर्ष 1974-75 के दौरान संशोधित प्राक्कलनों में 2 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई थी और 31 मार्च, 1975 तक दावेदारों को 1.49 करोड़ रु० की राशि का भुगतान किया गया।

माननीय सदस्य ने कहा है कि पश्चिम पाकिस्तान से आने वाले भारतीय नागरिकों के अधिकांश दावे निपटा दिए गए हैं जबकि भूतपूर्व पूर्व-पाकिस्तान से आये दावेदारों के मामले में लगभग 90 प्रतिशत मामले अभी विचाराधीन पड़े हैं। श्रीमन्, मैं आपको और आपके माध्यम से इस सदन के माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि सरकार द्वारा अनुग्रहपूर्वक मुआवजा दिये जाने से सम्बन्धित पश्चिम पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों और पूर्व पाकिस्तान (अब बंगलादेश) से आने वाले व्यक्तियों द्वारा दिये गये आवेदन पत्रों पर कार्यवाही करते समय उनके साथ भेदभाव नहीं बरता जाता और इन दावों को यथाशीघ्र निपटाने के लिए भरसक कोशिश की जा रही है।

अनुग्रहपूर्वक मुआवजे के दावे कई श्रेणियों में आते हैं जैसे जब्त किया गया माल, पाकिस्तान द्वारा अपने नियंत्रण में ले ली गई भारतीय फर्मों और बैंकों की परिसम्पत्तियां, भारतीय राष्ट्रिकों की शेयरों में लगी पूंजी, वेतन, भविष्य निधि व ग्रेच्युटी, चल तथा अचल सम्पत्ति आदि। दावेदारों के लिए आवश्यक था कि वे अपने दावों की पुष्टि में विभिन्न प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत करें। किन्तु इन दावों के मूल्यांकन की प्रगति बहुत सन्तोषजनक नहीं थी क्योंकि बहुत से मामलों में जरूरी सबूत और दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। पूर्व पाकिस्तान (अब बंगलादेश) से आने वाले व्यक्तियों के दावों की जांच पड़ताल से उठने

वाले विभिन्न मुद्दों के आधार पर और ऐसे दावों की जांच-पड़ताल शीघ्र करने के उद्देश्य से अक्तूबर, 1973 में निर्णय लिया गया कि जिस अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्रधान या गौण साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, उससे सम्बन्धित उनके दावों की जांच-पड़ताल करने के लिए मौखिक साक्ष्य उन व्यक्तियों से लिये जायेंगे जिन्हें उन सम्पत्तियों के अस्तित्व का ज्ञान हो जिनके संबंध में मुआवजे का दावा किया गया है। इस प्रयोजन के लिए जून 1974 में एक पैनल गठित किया गया जिसमें अध्यक्ष के रूप में शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक तथा पश्चिम बंगाल न्यायिक सेवा के एक वरिष्ठ न्यायाधीश और पश्चिम बंगाल सरकार के भूमि अभिलेख विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी लिये गये हैं। पैनल द्वारा अब तक 208 मामलों के सम्बन्ध में जांच तथा सिफारिशें की गई हैं। दावेदारों को दिये जाने वाले मुआवजे की राशि के बारे में फैसला करते समय सरकार द्वारा अन्य मामलों के साथ-साथ पैनल की सिफारिशों पर यथोचित विचार किया जाना है।

इन सभी मामलों में मुआवजे की मंजूरी दिये जाने से पहले कुछ जांच-पड़ताल करनी होती है और प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं और श्रीमन् ऐसा करने में कुछ समय लग ही जाता है। फिर भी, मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि सरकार इन सभी दावों को यथाशीघ्र निपटाने के लिए जोरदार कदम उठा रही है जिनमें प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताओं को सरल बनाना भी शामिल है।

दक्षिणी क्षेत्रों में नये इस्पात संयंत्रों के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: NEW STEEL PLANTS IN SOUTHERN REGION

इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : आपको याद होगा कि समय-समय पर कुछ माननीय सदस्य विजयनगर और विशाखापत्तनम में लगाये जाने वाले दो सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों के लिये विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार कराने के संबंध में हुई प्रगति के बारे में पूछते रहे हैं मुझे इस सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता है कि सरकार ने इन दोनों कारखानों के लिये विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार कराने की मंजूरी दे दी है और तदनुसार स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० ने परामर्शी इंजीनियर नियुक्त कर दिये हैं। विजयनगर इस्पात कारखाने के लिये विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन मैसर्स मेटालर्जीकल एंड इंजीनियरिंग कन्सलटेंट्स (इंडिया) लि० (मेकोन) द्वारा तैयार किया जायेगा जबकि मैसर्स एम० एन० दस्तूर एंड कम्पनी प्राइवेट लि० विशाखापत्तनम इस्पात कारखाने के लिये विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

[MR. DEPUTY SPEAKER IN THE CHAIR]

श्री बी० बी० नायक (कनारा) : श्रीमन् नियम 377 के अधीन मैं इस्पात संयंत्र के बारे में अनुरोध करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री बनर्जी को भाषण देने के लिये कह दिया है।

नियम 377 के अधीन मामला

MATTER UNDER RULE 377

राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा संचालित कपड़ा मिलों की समस्याएं

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : श्रीमन् मैं कानपुर में कपड़ा मिलों में कार्य कर रहे लगभग 10,000 श्रमिकों के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण मामला उठा रहा हूं। ये मिले राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सूचना किसी और विषय के बारे में देते हैं और मामला कोई और उठाते हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : सरकार ने जो 103 कपड़ा मिलें अपने नियंत्रण में ली थी, उनमें कानपुर की विक्टोरिया मिल भी एक है। आश्वासन दिया गया था कि श्रमिकों को उनका पिछला वेतन तथा उपदान आदि दिया जायेगा किन्तु आज स्थिति यह है कि रुई खरीदने के लिये पैसा न होने के कारण विक्टोरिया मिल के 3,000 श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं। वे भूख हड़ताल पर हैं। सेवा निवृत्त श्रमिक पिछले दो-तीन सालों से अपने उपदान आदि के भुगतान के लिये चक्कर काट रहे हैं। लक्ष्मी रतन काटन मिल्स को सरकारी नियंत्रण में लेने की मांग की गई थी। यह मिल श्री राम रतन गुप्ता की है, जिसने आयकर और विक्रय कर का भुगतान नहीं किया है। अतः यह आवश्यक है कि इन दोनों मिलों को सरकार अपने अधिकार में ले ले। बिजली की कमी के कारण कानपुर में बिजली संकट उत्पन्न हो गया है। मंत्री महोदय इस संबंध में एक वक्तव्य दें।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष द्वारा जो मामले स्वीकार किये जाते हैं, केवल उन्हीं को यहां उठाया जा सकता है।

श्री समर गुह (कन्टाई) : आरोप लगाया गया कि श्री जय प्रकाश नारायण ने कहा कि विश्व भारती के कुलपति पद के लिये प्रधान मंत्री के पास वांछनीय अर्हता नहीं है। यह गलत है। उन्होंने केवल इतना कहा कि प्रधान मंत्री किसी भी शैक्षणिक संस्था की कुलपति नहीं हो सकतीं।

श्री बी० वी० नायक : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या नियम 377 अध्यक्ष को यह स्वविवेक प्रदान नहीं करता कि जो मामला व्यवस्था के प्रश्न के बारे में नहीं है, उसे स्वीकार कर ले?

उपाध्यक्ष महोदय : तभी और वहीं वाली बात स्वीकार नहीं की जा सकती। यह निर्णय लेने के लिये कि उसे स्वीकार किया जाये अथवा नहीं सूचना को पढ़ने का अवसर मिलना चाहिये।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : इसका अर्थ यह है कि (**व्यवधान**)। मैं यह मामला उठाने की अनुमति लेने के लिये आप पर दबाव नहीं डालना किन्तु प्रत्येक शुक्रवार को हमें कुछ मामले उठाने की अनुमति दी जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे समझने की कोशिश कीजिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : हम नहीं चाहते कि आप अपनी शक्ति खर्च करें (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : आप प्रायः हमें कुछ मामले पेश करने का अवसर देते रहें हैं किन्तु आज पता नहीं क्या हो गया है। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : अनुरोध दूसरी बात है। किन्तु यदि आप नियम 377 की बात करते हैं तो फिर कठिन है। क्योंकि मुझे विषय का पता नहीं है। (**व्यवधान**)

श्री बी० वी० नायक : इस्पात मंत्री ने अभी सभा में विवरण पेश किया है। मैंने वर्ष 1975-76 के बजट प्रस्तावित को देखा। दक्षिण क्षेत्र में स्थित इस्पात संयंत्रों के लिये गत वर्ष 4 करोड़ रुपये रखे गये थे किन्तु इस वर्ष एक भी पैसे की व्यवस्था नहीं की गई है। मेरा अनुरोध है कि इन तीन इस्पात संयंत्रों के लिये बजट में प्रावधान किया जाये।

प्रो० मधु दंडवते : श्रीमन् हम चाहते हैं कि जब हम किसी मंत्री से वक्तव्य की मांग करे तो संबंधित मंत्री को सभा में वक्तव्य देना चाहिये। गत सप्ताह मैंने बैंक आफ बड़ौदा के क्षेत्रीय प्रबन्धक के घर पर मारे गये छापे के बारे में कहा था। वहां से काफी रुपया तथा कीमती वस्तुएं प्राप्त हुई किन्तु क्षेत्रीय प्रबन्धक का कहना है कि उनके घर पर किसी ने भी छापा नहीं मारा। मैंने यह जानकारी पांच स्रोतों से प्राप्त की है। मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री इस संबंध में एक वक्तव्य दें।

उपाध्यक्ष महोदय : यही कठिनाई है। अब अधिकाधिक सदस्य खड़े हो रहे हैं। (**व्यवधान**)

श्री मधु लिमये खड़े हुए।

Shri Madhu Limaye : It appeared in newspapers that the Secretary of Religious Trust and Shri Karunanidhi said in Tamil Nadu Legislative Assembly that...

उपाध्यक्ष महोदय : वहां जो कुछ हुआ है, उसका उल्लेख आप यहां क्यों कर रहे हैं?

Shri Madhu Limaye : I am not talking against them. They said that the Prime Minister sent a dimond necklace through a emissary to Kanya Kumari. If it is ture, we want to know all facts in this regard. Who was that Emissary (*interruption*)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई व्यक्ति किसी को कुछ उपहार देता है तो, उसकी चर्चा सभा में कैसे की जा सकती है?

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमन्, लगभग (**व्यवधान**) महरौली क्षेत्र में लगभग 10,000 ईंट भट्टी में कार्य कर रहे श्रमिकों का भट्टी के मालिकों तथा ठेकेदारों द्वारा शोषण किया जा रहा है। ये लोग श्रमिकों को दो समय की रोटी भी मुश्किल से देते हैं। मेरा अनुरोध है कि श्रम मंत्री इस संबंध में एक वक्तव्य दें।

उपाध्यक्ष महोदय: अब... (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : आज समाचार पत्रों में छपा है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल, श्री एम० एन० सिन्हा...

उपाध्यक्ष महोदय : यह सब क्या है?

(**व्यवधान**)

अब हम अनुदानों की मांगों पर चर्चा करेंगे।

अनुदानों की मांगें, 1975-76—जारी

DEMANDS FOR GRANTS 1975-76—Contd.

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय

श्री भगराज सिंह (कोटा झालवाड़) : हम अभी भी प्रकृति पर निर्भर करते हैं। सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाना नितान्त आवश्यक है। हमें वर्तमान सिंचाई प्रणाली का अधिकाधिक उपयोग करना चाहिये।

हमें बिजली उत्पादन हेतु अन्य साधनों का पता लगाना चाहिये। पानी तथा अन्य चीजों को सौर ऊर्जा द्वारा गरम किया जा सकता है। इसे देश के अधिकाधिक लोगों को उपलब्ध किया जाना चाहिये।

भंडार समाप्त होने पर ही हम गेहूं का आयात करते हैं। जहाज पर दाम आदि लगाकर गेहूं की प्रति क्विटल लागत 130 रुपये पड़ जाती है। इसके बाद भाड़े आदि को जोड़कर लागत 150 रुपये से 200 रुपये प्रति क्विटल तक पहुंच जाती है। लेकिन किसानों के लिये वसूली मूल्य 105 रुपये प्रति क्विटल निर्धारित किया गया है। सरकार को गेहूं का वसूली मूल्य कम से कम 125 रुपये निर्धारित करना चाहिये। जब आयात किये गये गेहूं का मूल्य 130 से 200 रुपये तक पहुंच जाता है तो वसूली मूल्य 125 रुपये प्रति क्विटल निर्धारित करने में क्या बुराई है।

बजट प्रस्तावों में पशुओं, डेरी तथा मुर्गीपालन पर कर लगाने का प्रस्ताव किया गया है। डेरी तथा मुर्गी पालन के व्यापार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अभी तक देश में तथाकथित श्वेतक्रांति नहीं आई है। हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिये कि देश के लोगों को दूध उपलब्ध हो। डेरी और मुर्गीपालन पर प्रस्तावित करों को हटाया जाना चाहिये।

वनों के महत्व को कोई महसूस नहीं करता। कानून के अनुसार क्षेत्र के 33 प्रतिशत भाग में बन होने चाहियें लेकिन वास्तव में इसकी औसत 23 प्रतिशत है और हर वर्ष बड़ी संख्या में पेड़ों को काटा जा रहा है। इस संबंध में मैं दो सुझाव देना चाहता हूं। पहला तो यह है कि हमें एक प्रकार के संरक्षण दल का गठन करना चाहिये जिसमें देश के बेरोजगार युवकों को रोजगार दिया जाये और उन्हें दो अथवा तीन सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाये। दूसरा सुझाव यह है कि इस दल को रास्ते बनाने, वृक्षरोपण और बनों में सड़कें बनाने का काम सौंपा जाये।

राष्ट्रीय कार्बेट पार्क के साथ ही $10\frac{1}{2}$ मील का एक क्षेत्र है, जिसे वन विभाग ने गंध सफेदार जैसे पेड़ों को रोकने के लिये साफ किया था। साल के इतने अच्छे वनों को साफ नहीं किया जाना चाहिये।

यदि राष्ट्रीय वनस्थनियों एवं राष्ट्रीय स्थलों की भूमि पर अनाधिकृत कब्जे को न रोका गया तो हमें वांछित फल नहीं मिल सकता। शिकार नियम तथा वन्य जन्तु संरक्षण अधिनियम अच्छे नियम हैं लेकिन इनका क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा। अब भी लोग चोरी छिपे जानवरों का शिकार करते हैं इसमें कोई संदेह नहीं कि राजस्थान में रणथम्बोर में तथा बांदीपुर एवं अन्य स्थानों पर वनस्थलियां हैं लेकिन उन स्थलों का क्या होगा जहां न तो वनस्थलियां हैं और न ही वे स्थल टाइगर परियोजना के अन्तर्गत आते हैं। गीर वनस्थली ने प्रशंसनीय प्रगति की है। उस क्षेत्र में रह रहे मालधारियों को वहां से निकाल दिया गया है और शेरों की संख्या 2 वर्षों में 167 से बढ़कर 200 हो गई है। मालधारी

भी प्रसन्न हैं क्योंकि उन्हें बाहर भूमि दी गई है और क्षेत्र की परिस्थितियों में कोई बाधा नहीं पड़ी है। रीछ और हिरण शेर का प्रिय शिकार हैं। यदि ये शिकार उसे नहीं मिलते तो वह अन्य जानवरों को खा जाता है। इस प्रकार यह बहाना बनाकर कि शेर ने आतंक फैला रखा है। उसका शिकार किया जाता है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये। यदि पहले जंगल नष्ट करने का आदेश दे दिया जाये और बाद में उसी जंगल में फिर से वृक्षादि लगाने के लिये कहा जाये तो यह हमारी अदूरदर्शिता ही होगी। मंत्री महोदय इस विषय पर गम्भीरता से विचार करें और वन्य जन्तु रक्षण अधिनियम के अन्तर्गत प्रभावशील नियम तथा विनियम बनायें।

वन्य जन्तुओं के संबंध में भारतीय बोर्ड की स्थापना की गई है। बोर्ड की बैठक 2 वर्षों के बाद बुलाई गई है। गत बैठक अगस्त में हुई थी और अगली बैठक 21 अप्रैल अर्थात् 6 महीने के बाद होगी। अगस्त में हुई बैठक में कोई प्रभावशाली कार्यवाही नहीं की गई। मैं राजस्थान वन्य जन्तु बोर्ड का सदस्य हूं। जहां तक मुझे स्मरण है, गत दो-तीन वर्षों से इसकी कोई बैठक नहीं हुई। मेरा सुझाव है कि इन बोर्डों की बैठक जल्दी होनी चाहिये और इसमें जो निर्णय किया जाये उसे क्रियान्वित किया जाये। यदि संविधान में संशोधन करके वनों को केन्द्रीय सूची में लाया जा सके तो आशा है कि हमारे बहुमूल्य वनों की रक्षा हो सकेगी।

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : जब से श्री जगजीवन राम ने कृषि और सिंचाई मंत्रालय का भार संभाला है, सर्दियों में अच्छी वर्षा हुई है और विद्युत इंजीनियरों की हड़ताल भी नहीं हुई। इन दो कारणों से रबी की अच्छी फसल होने की आशा है। लेकिन साथ ही मंत्रालय ने अधिक क्षेत्र में सिंचाई करने के लिये कोई प्रभावशील कार्यवाही नहीं की। मैंने सिरसिया ब्लाक के बहराइच जिले में नलकूप लगाने की कई बार मांग की लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। पता नहीं इस काम में कितना समय लगेगा। यह क्षेत्र अत्यन्त उपजाऊ है और जहां अच्छी फसलें उग सकती हैं। लेकिन हर वर्ष सितम्बर के महीने में धान के हरे खेत सूख जाते हैं। सरहो जल का उपयोग नहीं किया जाता जिससे खेतों में पानी भर जाता है जिसके परिणामस्वरूप भारी क्षति होती है। मंत्रालय इस विषय पर विचार करे कि विशिष्ट क्षेत्र में सूखे की स्थिति से निपटने के लिये कितना धन व्यय किया गया। और बाढ़ से क्षतिग्रस्त होने वाले क्षेत्रों के लिये कितनी राशि आवंटित की गई है। यदि आवंटित राशि का पूर्ण उपयोग किया जाये तो ऐसी विपत्तियों से बचा जा सकता है। उत्तर प्रदेश की रापती और घाघरा नदियों की बाढ़ को नियंत्रण में करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई। जलकुण्डी बांध योजना 20 वर्ष पूर्व बनाई गई थी और सम्भाव्यता प्रतिवेदन भी पेश कर दिया गया था। इसके बावजूद भी इस योजना को क्रियान्वित नहीं किया।

जहां तक गेहूं के मूल्य का प्रश्न है, किसानों के बीच असंतोष व्याप्त है। लेवी मूल्य 105 रुपये प्रति क्विंटल अपर्याप्त, अलाभकारी तथा अव्यवहारिक है। मंत्री महोदय यह बतायें कि गेहूं की फसल उगाने में प्रति एकड़ कितना खर्च होता है तथा यह खर्च करने के बाद कृषक को कितना लाभ होना चाहिये। कटाई के मौसम में गेहूं के बाजार मूल्यों में कमी आयेगी और खाद्यान्न व्यापारी इसका फायदा उठायेंगे। मूल्य घटने पर वे गेहूं को भारी मात्रा में जमा कर लेंगे और बाद में महंगा बेचेंगे। सरकार गेहूं का अधिकतम मूल्य निर्धारित करने में उदासीनता दिखा रही है। भारतीय खाद्य निगम रेलवे बोर्ड की भांति सफेद हाथी बन कर रह गया है। यह एक मुनाफाखोर संस्था है। यह संस्था 105 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं वसूल करके 135, 138 रुपये प्रति क्विंटल उचित दर दुकानों को बेचती है।

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : इसमें भाड़ा, बोरी की कीमत तथा अन्य व्यय भी शामिल हैं । निगम लाभ नहीं कमाता ।

श्री बी० आर० शुक्ल : मंत्री महोदय सदन को यह विश्वास दिलायें कि ये खर्चे आवश्यक हैं ।

इस समय देश में चूहों की संख्या 60 करोड़ है और 6 चूहे इतना अनाज खाते हैं जितना एक व्यक्ति खाता है । इस प्रकार देश का काफी अन्न बेकार चला जाता है । सरकार को इस समस्या पर ध्यान देना चाहिये ।

बहराइच में कृषि तथा वन-विज्ञान कालेज खोला जाना चाहिये। भूमि अर्जन की कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के पास भूमि उपलब्ध है ।

मैंने अपने जिले के सिरसिया तथा जभनाहा ब्लाक में नलकूप खोदने के लिये भारी रिगों को उपलब्ध कराने की मांग की थी । सरकार इस मांग को क्यों नहीं मान रही ? यह एक संगत मांग है और आशा है मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे ।

श्री गिरिधर गोमांगो (कोरापुट) : मैं कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं । मुझे प्रसन्नता है कि इस मंत्रालय ने आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिये काफी काम किया है ।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सरकार आदिवासी वर्गों एवं योजनाओं को समेकित कर देगी और उनके लिये समेकित आदिवासी विकास एजेंसी बनायेगी। यह एक नया विचार है। चौथी पंचवर्षीय योजना में 6 मुख्य परियोजनायें शुरू की गईं जिनमें से 2 परियोजनायें मेरे चुनाव-क्षेत्र में शुरू की गईं। लेकिन इसके लिये बहुत कम धनराशि आवंटित की गई । मंत्री महोदय एवं मंत्रालय से मेरा अनुरोध है कि वे धनराशि में वृद्धि कर दें।

उड़ीसा सरकार ने कृषि मंत्रालय द्वारा शुरू की गई आदिवासी विकास परियोजनाओं को शामिल नहीं किया है क्योंकि उनका कहना है कि ये परियोजनायें कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत हैं और इसका वित्तपोषण भारतीय सरकार द्वारा किया जा रहा है । यह अच्छी बात नहीं है । आदिवासी क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत विशेष आवंटन किया जाता है; तब इन परियोजनाओं को आदिवासी क्षेत्र विकास योजना में शामिल क्यों नहीं किया जाता ?

मेरा जिला अनुसूचित क्षेत्र है और इसमें आदिवासी जनसंख्या है । लेकिन इस क्षेत्र में केवल एक प्रतिशत सिंचाई सुविधायें हैं । केन्द्रीय सरकार से मेरा अनुरोध है कि वहां शीघ्र ही परियोजना शुरू की जाये ।

वन-नीति के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं । हमारे क्षेत्र में वन-क्षेत्रफल 7 करोड़ हैक्टर है । आदिवासी लोग वन-नीति का लाभ नहीं उठा सकते और न ही वे वनों का उपयोग कर सकते हैं । आदिवासियों से गैर-आदिवासियों को भूमि के हस्तान्तरण से आदिवासियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । सरकार को शीघ्र ही भूमि सुधार उपायों पर विचार करना चाहिये । केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करे। राज्य सरकारों को ऐसे भूमि सुधार कानून बनाने के लिये कहा जाये जिससे आदिवासियों और भूमिहीन लोगों को भूमि मिले।

22 LSS/75—11

कृषि और सिंचाई के साथ साथ भूमि सुधार भी किये जाने चाहिये । मध्यम और लघु सिंचाई ऐसे क्षेत्रों में की जाये जहां सिंचाई सुविधायें उपलब्ध हों। आदिवासी विकास कार्यक्रम को त्वरता से क्रियान्वित नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त निर्धारित लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किया जा सका है।

अन्त में मैं यह दोहराना चाहता हूं कि कृषि विकास के लिये आवंटित राशि को किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग में न लाया जाये ।

Shri Sadhu Ram (Phillaur) : I rise to support the demands for grants of Agriculture Ministry. Grievances of cultivators have not been removed. The land which is not under cultivation has not been distributed among landless people. Land ceiling legislation has been passed but in spite of that land was not made available to landless and poors. It is the responsibility of the Government to undertake this job. If the land can be distributed among the land less people then the problem of shortage of foodgrains can be solved.

Ours is an agricultural country but still there is scarcity of foodgrains in our Country. It is the responsibility of the Government to go through the reasons behind the scarcity. The procurement price of wheat has been fixed at Rs. 105/- per quintal. This is not fair. What was the criterion before the Agricultural Price Commission for fixing up the procurement rate ? The Commission should have taken into consideration the cost of production and the labour which the farmers have to put in for growing the corp. The price fixed is very low and unrealistic. This price should have been fixed at Rs. 125 per quintal. Several hon. Members have made demands but the Government has turned a deaf ear to it. Incentives should be given to the farmers otherwise they would not prefer to grow wheat.

Prices of inputs have also been raised. Government should consider all these aspects before fixing the procurement price. The distribution of essential commodities should be through Co-operative Stores which should be opened in every Government department and also in mills and factories. Cards should be issued to the workers so that they may meet their requirements through these stores. I am sure that Governement will think over it.

The distribution system of wheat is faulty. Essential commodities do not reach the poors. The Government have allowed the mill-owners to sell 35 percent sugar in the open market; they are free to sell Khandsari at any price in the black market. But the poor farmer is not getting even khandsari at a reasonable price. The same thing is about Cement. This concession to mill owners to sell 35 percent sugar in the open market should be withdrawn. Instead necessary benefits should be provided to the farmers.

Agricultural labourers are being harassed by big zamindars. They do not give them reasonable wages. There are 4 to 5 crores agricultural labourers in the country and their minimum wages should be fixed. The construction work of thien Dam is hampered as there is some dispute. A number of times deputation met to Dr. K.L. Rao. But no decision has been taken till now. This dispute should be settle immediately so that their dam can be constructed and the irrigation potential can be increased.

Shri Anadicharan Das (Jaipur) : Two-third area of Orissa is drought affected. Tribal areas like Koraput, Phulvani, Mayurbhang and Sundergarh are also drought-hit. No relief work has been undertaken there so that poor people are able to earn their livelihood. Projects are not being completed on account of paucity, of funds. Government should pay attention towards this matter and provide financial assistance so that incomplete projects can be completed. The Government has sanctioned a sum of rupees one crores five lakhs for setting up a Jersey Farm in Simigura and five thousand acre of land has been purchased. That land is lying idle. This project have not yet been started, because housing accommodation have not been provided yet.

There is one scheme of Dry Farm in Mayurbhung area. But the money, which was allocated for the Scheme has not been spent. Similarly a seed farm was proposed to be

set up in Sambalpur district and 20 thousand acres of land was also kept for that purpose, but that project has not been taken up. Such projects are lying incomplete in Orissa because of paucity of funds. The Government should provide necessary funds so that these projects are implemented.

The Agricultre Ministry has formulated certain schemes for small and marginal farmers and agricultural labourers, but these weaker sections do not get any benefit from these schemes. The facilities provided by the Government for weaker sections are ultimately utilised by bit landlords and poor Adivasis do not get any benefit. If the Government is serious about development of adivasi areas, sale of wine should be banned there, so that exploitation of Adivasis is put to an end. These people should be allowed to prepare their own wine. In this way their money would remain with them and would not go to outside people.

Certain new schemes have been formulated for tribal areas, backward areas and hill areas. These schemes should cover all tribal areas. If that is done these areas would develop in five or six years. Similarly schemes should be formulated for areas where there is concentration of harijan population so that they can derive benefits from these schemes. With these words, I support the Demands for Grants of the Ministry of Agriculture.

Shri Pannalal Barupal (Ganga Nagar) : I rise to support the Demands for Grants of the Ministry of Agriculture and Irrigation. This Ministry is very important. The Ministry is not given adequate funds by the Finance Ministry. Adequate funds should be provided to the Ministry for the development of Agriculture. Procurement rate and sale price of foodgrains are different. Bajra is procured at the rate of 90 rupees per quintal and sold at rupees 150 per quintal. Is not it our misfortune ? Diesel, tractors, seeds and other inputs should also be provided to farmers.

Efforts should be made to complete Rajasthan Canal at war footing. Lakhs of area of land is lying idle in Rajasthan and if utilised it can yield a lot. If Rajasthan Canal is completed we can even export foodgrains. Therefore, top priority should be given to this Canal. Land of a few villages in Suratgarh have been submerged in water and there have been no production for the last seven years. Alternative land should be provided to affected farmers. Department of fisheries and irrigation have joined hand with each others and they sell fish to the contractors and thus farmers are deprived of the income accrued from fish. The Government should send some delegation to conduct on the spot enquiry there. Full justice should be done to the farmers.

There is a Rajasthan Rice Floor Association, which undertakes the work of removing fish from paddy. The Government can impose a levy on rice, but how they will procure paddy. If paddy is procured from farmers, these mills will be closed down and a large number of farmers will be rendered jobless. As the Govt is concerned with the rice alone they should ask the Food Corporation to change their policy.

I hail from Ganganagar constituency. There is a restriction on the movement of foodgrains from Ganganagar to Bikaner. This restriction should be removed. But of the 26 districts of Rajasthan, 23 districts are drought effected. The pitiable condition of the people in these districts demands that every effort should be made for relief operation.

It was quite somtime lack when the former ruler of Bikaner had constructed certain Bandhs and Canals which were used for the purpose of storing water in tanks. Now these bandhs and canals are not being utilized. These should be got repaired and utilized Bikaner Division should be declared as a backward area.

It is quite sometime back when assurances were given to Harijans that land will be allotted to them. But no attempt has since been made to fulfil these assurances. Even in some cases the land which has been given to Harijans is disputed one. The Govenment should honour its promises by allotting land to Harijans.

22 LSS/75—12

Shri C.D Gautam (Balaghat) : I support all the demands for grants. A few points which I am going to raise related to state Government but I want that Centre should impress upon the State Government to do the same. As I belong to Balaghat constituency. Balaghat and Chhatisgarh are in the grip of drought. Paddy crop has been adversely affected and the condition of the people is the state is very bad. The Government should learn a lesson out of this situation and take steps to complete small irrigation projects. The Sitahesa project should be completed as its completion will provided irrigation facilities to 30-35 thousand areas of land. Thus the drought problem can be permanently solved.

The Upper Van Ganga Scheme, which was sanctioned many years ago, has not been completed so far. If this project is implemented it will provided irrigation facilities to 2 lakh acres of land.

In villages, the drain water is not being put to proper use. This water contains some chemicals. Efforts should be made to use this water. Dams should be built up to use the water flowing from hilly areas for irrigation purposes. The increasing price of fertilizers should be curbed. Our research scientists should pay attention to improve upon the quality of fertilizer being supplied. The unutilized land should be brought under cultivation.

It is an important duty of gram sewaks to educate farmers in the use of fertilizers and seeds etc. It is suggested that Gram Sevaks should be posted in the areas to which they belong. In that case, they will be in a better position to educate the farmers as they, they will be having the first hand knowledge of crops etc. of their area.

Shri K.M. Madhukar (Kesaria) : It has been claimed by the Ministry of agriculture that significant progress has been made in agriculture. But the fact of the situation is that there is fall in agricultural production. There is need for reappraisal of whole agriculture policy as in the present policy capitalist farmers are comming up.—Similarly land reform legislations should be implemented. Today big zamidars are exploiting the farmers. Some thing should be done in this regard and current year should be celebrated as a year of land reforms. Now-a-days, the capitalist farmers are availing of all the faicilities provided by the Government for the development of agriculture . Necessary steps should be taken by the Government to ensure that necessary inputs are provide to small and midium farmers· The procurement price of wheat fixed at Rs. 105 per quintal should be increased to Rs. 125. The sugar industry should be nationalised if Government is really interested to bring up the production.

The Gandak Project was sanctioned long back but its work is going quite slow. No progress is being made although expenditure is going up. Due attention should be given to it. A similar Project should be made to make proper use of water of rivulets of Champaran district. The Bihar Government has formulated a scheme according to which farmers are supposed to pay a particular amount for using pumping sets even if they do no consume any electricity. The State Government should be asked to change this scheme.

श्री पाम्रोकाई हाम्रोकिप (बाह्य मनीपुर) : जहां तक कृषि विकास कार्यक्रम का सम्बन्ध है, इस कार्य के समक्ष सबसे बड़ी समस्या पर्वतीय क्षेत्रों की है । पर्वतीय क्षेत्रों के लोग अभी तक बहुत पिछड़े हुये हैं । स्वतन्त्रता प्राप्ति के इतने वर्षों के उपरान्त भी अभी तक उनकी स्थिति में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हो पाया है ।

मनीपुर में कुछ परियोजनायें आरम्भ करने के लिए सरकार राज़ी हो गई थी परन्तु दुर्भाग्यवश सरकार ने हाल ही में उन्हें रोकने का निर्णय कर लिया है । मैं मंत्रालय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उसे परियोजनाओं के लिए अपेक्षित धनराशि जुटाने के लिए हर सम्भव उपाय करना चाहिये । इसमें कोई संदेह नहीं कि हाल ही के वर्षों में देश में कृषि उत्पादन में काफी विकास हुआ है । हमने अपनी परियोजनाओं में कृषि सम्बन्धी योजनाओं को प्राथमिकता दी है परन्तु यदि हम देश में कृषि सम्बन्धी प्रगति का अवलोकन राष्ट्रीय आय की दृष्टि से करें तो उस दृष्टि से अन्य वर्षों की अपेक्षा,

आय में कमी हो आई है । इसका प्रमुख कारण यही रहा है कि यह राज्यों का विषय है। तथा केन्द्र द्वारा सझाये गये प्रस्तावों की और राज्यों द्वारा उचित ध्यान नहीं दिया गया है । यदि केन्द्र सरकार ने यह विषय केन्द्रीय सूची में ले लिया होता, तो सम्भवतः इसके परिणाम काफी अच्छे होते।

आजकल देश में 6 मार्गदर्शी परियोजनायें चलाई जा रही हैं जिनमें से कुछ बिहार, आंध्र-प्रदेश उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में है जबकि इन परियोजनाओं का उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में तथा विशेष-तथा पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि विकास करना था । यह परियोजनायें पर्वतीय क्षेत्रों में भी आरम्भ की जानी चाहियें ।

Shri Bhagat Ram Manhar (Janjgir) : Commendable progress has been made in the field of agriculture and there is considerable increase in the productions, in the use of modern equipment and inputs. More land has been brought under cultivation and more marginal and agricultural labourers projects have been started by which 12 lakhs of agriculturists are be benefited. I wish to congratulate the officers of agricultural Ministry for this progress.

Today, in certain parts of our Country, drought conditions are still prevalent and its main reason is that our Planning Commission failed to give due priority to irrigation plans. No proper attention has been paid by Ministry to small and minor irrigation projects, and specially the projects of my areas. It is high time when Government should pay due attention to Hasdo Banga Project. Similarly attention should be given to projects like Agarhab Project, Arpa Project, Lilagar Project, Borai Project, Mand Project and Kalo Project. Land ceiling has been imposed by the Government. So long consolidation of land holdings is given due attention, the increase in agricultural production is not possible. I suggest that consolidation of land holdings should be made compulsory.

In Ministry of Agriculture, most of the Heads of Departments are IAS Officers. -IThe hardly understand the technical problems of farmers and other technical experts. C onsey quently good schemes prepared by technical personnals are many a time turned down b- them as they lack practical experience. An attempt should be made to appoint techni cy experts for proper guidance. Our farmers are not getting proper transportation facilitiea for interior areas. They have to pay more for the agricultural inputs in the absence os proper facilities. Due attention should be given to this aspect. The policy regarding real*if* sation of levy is very good but it is not being implemented in proper spirit. This be looked into.

In Madhya Pradesh, 20 thousand hectore of land has been brought under the cultivation of potatos crop. More than 2 lakh quintal seed is required every year, but there is no patato seed farm. Cold storages be provided for the purpose of storing potatos and seeds. A scheme for levelling of Chambal valley was sent to Centre by Mahdya Pradesh Government but no action has been taken on it so far. It is a pity that such an important scheme has not been cleared so far, which otherwise required a quick decision.

Shri Ram Chandra Vikal (Baghat): Agricultural and Irrigation is an important Ministry which is closely associated with the life of people. While supporting the demands of the Ministry, I want to make some constructive suggestions. My frist suggestion is that the procurement price of wheat as Rs. 105 per quintal is very low. It should be increased to Rs. 125. The Bonus scheme, which is being considered by the Government will not be a practicable one. Secondly while giving credit to farmers, the cheques are issued by the banks in the name of firms. This leads to inconvencince to farmers. Cheques should be directly issued in the name of farmers.

My other submission is that there should be a direct link between reеearch scientists and farmers so that farmers can put to use the latest research. Necessary arrangements should be made to make the latest research literature available to farmers in Hindi and other regional lauguages.

Land acquisition is always against the interest of farmers. Whenever agricultural and is acquired, adequate compensation is not given to the farmer. It also happens that acquired land is not put to use for quite a long time. Farmers should be allowed to cultivate such land till it is not actually put to use. Prices of many commodities fell down when crop comes in the market but after the crop season, the prices again go up. A balance of prices should be made.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण मंगलवार को जारी रख सकते हैं ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTION

54 वां प्रतिवेदन

श्री राम धन (लालगंज) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 54 वें प्रतिवेदन से, जो 9 अप्रैल, 1975 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

उपाध्य महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 54 वें प्रतिवेदन से, जो 9 अप्रैल, 1975 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

महिलाओं के प्रति आर्थिक तथा सामाजिक अन्याय दूर करने सम्बन्धी उपायों के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE : MEASURES TO REMOVE ECONOMIC AND SOCIAL INJUSTICES TO WOMEN

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा प्रस्तुत किये गये संकल्प पर चर्चा आरम्भ करते हैं । श्री इन्द्रजीत गुप्त अपना भाषण आरम्भ करें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : पिछली बार तो मैं केवल अपने संकल्प का पाठ ही पढ़ पाया था ।

(श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी पीठासीन हुए।)

SHRI DINESH CHANDRA GOSWAMI IN THE CHAIR

संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने अपने एक प्रस्ताव द्वारा वर्ष 1975 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है तथा इसी निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए मेरी यह चर्चा और अधिक सामयिक हो गई है । कुंवारे व्यक्तियों की अपेक्षा वैवाहिक पुरुष मेरे प्रस्ताव का अधिक

समर्थन कर सकते हैं । संयुक्त राष्ट्र संघ को आम सभा ने अपने 27वें अधिवेशन में 18 दिसम्बर, 1972 को सभी सदस्यों राज्यों से वर्ष 1975 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाने का आदेश दिया। वास्तव में संयुक्त राष्ट्र संघ ने पुरुष तथा महिला के बीच समानता के अधिकार पर विशेष बल दिया है । उन्होंने महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करने तथा उन्हें उनसे अवगत करवाने का भी आग्रह किया है ।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 1967 में महिलाओं के प्रति भेदभाव समाप्त करने के सम्बन्ध में गठित की गई समिति का प्रतिवेदन पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ है । इस समिति की प्रारूप घोषणा को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है में उसके भारतीय प्रतिनिधि ने भारतीय दृष्टिकोण को काफी स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया है । प्रारूप घोषणा के अनुच्छेद 6 में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि महिलाओं को पुरुषों के अनुरूप समान अधिकार दिलाने के लिये सभी प्रकार के कानूनी उपाय किये जायेंगे । पुरुष तथा स्त्री को सभी क्षेत्रों में समान अधिकार होगा । पति तथा पत्नी दोनों को ही जीवनसाथी चुनने का समान अधिकार होगा ।

अनुच्छेद 6 के पैरा 3 में कुछ उपबन्धों को हटाने का प्रस्ताव किया गया है । इसी प्रकार अनुच्छेद 10 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है । इन को देखकर आश्चर्य होता है कि भारतीय प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये ठोस योगदान से यह निश्चित हो गया है कि भारत की स्थिति अग्रगामी है । इन सब बातों को देखते हुए यद्यपि हम सदैव सामान्य सिद्धांतों का अवलम्ब लेकर बहुत अच्छी बातें करते हैं लेकिन हमारे समाज का मूल भूत रवैया महिलाओं के अधिकारों की समानता के हक में नहीं है । किन्तु फिर भी ऐसी बात नहीं है कि हमारे देश में इस बारे में कुछ भी नहीं हुआ है अथवा महिलाओं ने प्रगति नहीं की है । यह तो महिलाओं के अपने ही प्रयासों का फल है ।

लेकिन इस अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष में सभी सदस्य देशों पर यह दबाव डाला गया है । कि बातें करने के बजाये काम करें और विशिष्ट एवं ठोस योजनाएं बनाएं तथा कानूनी और प्रशासनिक कदम उठायें । इसी कारण मैंने चर्चा के लिए यह संकल्प प्रस्तुत किया है, ताकि यह 1975 का वर्ष समाप्त होने के बाद अतीत का विषय बनकर ही न रह जाये। महिलाएं मतदान कर सकती हैं, फिर भी उनके साथ भेद भाव किया जाता है । हम महिलाओं को केवल इसलिए जिस मात्र मानते हैं कि वे एक विशिष्ट जैविक कार्य करती हैं और हम इसे समाज का अर्ध-अंग मानते हैं हम यह भी मानते हैं जैसे कि महिलाएं पुरुषों के साथ समान अधिकार प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है । इनके प्रति होने वाले भेद-भाव के अनेक उदाहरण मिलते हैं नारी के प्रति अन्याय चाहे असमानता के उदाहरण तो महलिाओं के दर्जे सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन में भी मिले हैं । उदाहरण के लिए हमारे देश में लड़कियों को जन्म से ही सामाजिक भार की वस्तु ही माना जाता है । हमारे समाज में छोटी लड़कियों की देख-भाल भी नहीं की जाती है अपितु उनकी उपेक्षा ही की जाती है । पता चलता है कि गत 70 वर्षों के दौरान 1901 और 1971 के बीच हमारे समाज में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या घटी है । पिछले दिन मंत्री महोदय ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि बहुत से ऐसे अच्छे कानून हैं जिनसे महिलाओं को पुरुषों के समान लाभ पहुंच सकता है। लेकिन केवल शिक्षित और आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र महिलाओं को ही लाभ पहुचा है । इनकी प्रतिशतता बहुत कम है ।

22 LSS/75—13

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन): मेरे मित्र ने उस उत्तर का उल्लेख किया है जो मैंने सोमवार को दिया था । और जिस में मैंने कुल धनराशि के नियतन के बारे में कहा था । विधायी उपायों के बारे में नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह राशि नियतन समाज कल्याण के लिए है जो कि सांविधिक भले ही नहीं हो, लेकिन इससे पुरुषों और महिलाओं को लाभ होता है ।

भारतीय महिलाएं बहुत कम साक्षर हैं । ऐसी स्थिति में ऐसे कानूनों का क्या लाभ है । वास्तविकता यह है कि हमारे देश में शिक्षित महिला भी सामाजिक जीवन में अपनी स्थिति नहीं बना पाती है । लोक सभा में निर्वाचित महिलाओं की बहुत कम संख्या है । 1952 में 23 महिलाएं निर्वाचित होकर आई थी । 1957 में 27 और 1962 में 33 निर्वाचित हुई थी 1967 में 28 थीं अब इस वर्तमान लोकसभा में केवल 21 महिला सदस्य हैं । हमारे दल ने निर्वाचन सुधारों में संशोधन करने का प्रस्ताव कया है कि भारतीय संसद् में महिलाओं के लिए 15 प्रतिशत स्थान आरक्षित किए जाने चाहिएं ।

सरकार को बड़ी विचित्र स्थिति का सामना करना पड़ रहा है । विधि आयोग ने सरकार को अपना 59वां प्रतिवेदन हाल ही में प्रस्तुत कर दिया है । इसमें हिन्दु विवाह अधिनियम तथा विशेष विवाह अधिनियम में संशोधनों के सम्वन्यव में विचार व्यक्त किए हैं । महिला संगठनों की मांग है कि सभी विवाहों को अनिवार्यत पंजीकृत किया जाना चाहिए लोगों की मांग है पारस्परिक सहमति से स्त्री और पुरुषों की एक दूसरे को तलाक देने की अनुमति भी प्राप्त होनी चाहिए । लड़कियों को भी अपने पिता की सम्पत्ति का हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए लेकिन मैं इन सभी पर सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं । दहेज की प्रथा यहां प्रचलित है। उत्तर प्रदेश में घोंडा जिले में राधिका नाम की एक हरिजन लड़की को अपने विवाह के अवसर पर जब यह पता चला कि वर पक्ष वाले उसके पिता से दहेज की मांग कर रहे हैं तो उसने उस वर से विवाह करने से इनकार कर दिया । सरकार को इस राधिका नाम की लड़की को अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष की नायिका घोषित करना चाहिए । इस लड़की को विशेष इनाम तथा सार्वजनिक मान्यता दी जानी चाहिए।

दहेज निषेध अधिनियम में संशोधन करने के बारे में क्या किया गया है ? हम सरकार से यह जानना चाहते हैं कि क्या वह विवाह के लिए दहेज की मांग को दण्डनीय अपराध बनाने के लिए तैयार है अथवा नहीं । इसके अन्तर्गत कठोर दण्ड या सजा की व्यवस्था होनी चाहिए । हमारी राय में तो इसे और भी कठोर बनाया जाना चाहिए । लेकिन राज्य सरकारें इस के प्रति बहुत उदासीन हैं । वोहरा समाज के धार्मिक मुखिया ने बहुत से युवक और युवतियों को शादी करने की अनुमति नहीं दी और उन्होंने हाल ही में इस अन्याय के विरोध में अपना विवाह सम्पन्न किया । सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है ? जहां तक काम करने वाली महिलाओं का प्रश्न है, यदि महिलाओं को अपनी आजीविका के लिए कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी, तो उन्हें और अधिक पुरुषों के आश्रित रहना पड़ेगा । वे आत्म-निर्भर नहीं रह सकती तो उनके लिए समान अधिकारों की व्यवस्था की कोई आशा नहीं रहेगी । इनकी संख्या भी घटती जा रही है

देश की लगभग 95 प्रतिशत खेतीहर मजदूर महिलाओं की दशा बहुत शोचनीय है । आसाम और आसनसोल में 15 प्रतिशत महिलाएं कारखानों, बागानों, असंगठित उद्योगों में और घरेलू कार्य करती हैं । इनकी कोई सुनवाई नहीं है और न ही ये संगठति हो सकती है । इसी लिए वे अपनी शिकायतें पेश

नहीं कर पाती हैं । सरकार और समाज को इस अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष में इस महिला वर्ग की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए । अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सम्मेलन के समान कार्य के लिए समान वेतन की प्रणाली का हमारे देश में अभी तक पालन नहीं किया जा रहा है । और न ही इस सम्बन्ध में कोई ध्यान दिया जा रहा है । अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का यह बहुत पुराना सम्मेलन है और भारत सरकार ने इस संगठन के सदस्य के रूप में इसका अनुसमर्थन भी किया है। लेकिन कल ही यह स्वीकार किया गया है कि न्यूनतम मजूरी विधान के अन्तर्गत आने वाले उद्योगों में महिलाओं को पुरुषों से कम मजूरी दी जाती है जबकि वे पुरुषों के समान वही कार्य करती हैं । साम्राज्यवादी व्यवस्था में तो ऐसा होना आश्चर्यजनक नहीं है । अतः छोटी जातियों से सम्बन्ध रखने वाली महिला मजदूरों का शोषण हो रहा है और मालिक इन से अधिकतम लाभ उठा रहे हैं ।

इस वर्ष जून में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का 68 वां अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन जनेवा में होगा जहां काम करने वाली महिलाओं के लिए समान अवसरों और व्यवहार का प्रश्न उठाया जायेगा अतः मैं श्रम मंत्री से जानना चाहता हूं कि इस सम्मेलन में भाग लेने वाला प्रतिनिधि मण्डल भारत में काम करने वाली महिलाओं की दशा के बारे में क्या रिपोर्ट देगा । प्रसन्नता की बात है कि सरकार समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत लागू करने की दृष्टि से विधेयक लाने पर विचार कर रही है । लेकिन यही काफी नहीं है क्योंकि जब कभी महिला कर्मचारियों की प्रसूति तथा अन्य सुविधाओं का प्रश्न उठता है तो मालिक इन्हें अपने कारखानों से बाहर कर देते हैं । हजारों की संख्या में महिला कर्मचारी होने पर भी आंकड़ों में इनकी संख्या शून्य के बराबर है । लेकिन समाजवादी देशों में ऐसा नहीं होता है।

अन्त में मैं अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के लिए भारतीय समिति के कुछ कार्यक्रमों का सुझाव देता हूं जिन्हें इसी वर्ष आरम्भ किया जा सकता है ।

उन विवादों का सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए जहां दहेज दिया जाता है । दहेज लेना दण्डनीय अपराध बनाने के लिए सांविधिक संशोधन की बहुत आवश्यकता है । अपने पतियों की निर्दयता और दुर्व्यवहार के कारण संकट में पड़ी महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता और सदनों की व्यवस्था करने की भी आवश्यकता है । इसलिए प्रत्येक बड़े नगर में इस वर्ष एक सदन की व्यवस्था की जानी चाहिए जहां अपने पतियों के दुर्व्यवहार से तंग आकर महिलाएं आश्रय पा सकें और उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता भी मिले।

इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर प्रसूति सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि नवजात शिशु जीवित रह सकें । प्रत्येक गांव में एक प्रशिक्षित दाई होनी चाहिए । गांवों में बच्चों के लिए अधिक स्वास्थ्य केन्द्र, खोले जाने चाहिए । प्रत्येक खण्ड (ब्लाक) में कम से कम एक प्राथमिक स्कूल हो। आनुषांगिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने चाहिए । महिला खेतिहर मजदूरों के बच्चों के लिए 'क्रेचिस' की व्यवस्था की जानी चाहिए जहां उनकी देखभाल हो सके और वे खेतों में अपना काम कर सकें। प्रत्येक राज्य में महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव किया गया है । लेकिन इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय मौन हैं । विवाहित महिलाओं के रोजगार पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिए नगरों में काम करने वाली महिलाओं के लिए सस्ती कैन्टीनों या होस्टलों की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

अन्त में महिलाओं में प्रौढ़ शिक्षा के लिए अभियान चलाया जाना चाहिए । यह मुख्यत: ग्रामीण क्षेत्र होना चाहिए । महिला प्रधान मंत्री वाली सरकारों को लोगों में प्रेरणा करनी चाहिए और नवयुवकों को गांवों में जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए जो महिलाओं में प्रौढ़ निरक्षरता का निवारण करने हेतु अभियान चलायें । यह कार्य अन्य देशों में भी किया गया है ।

सभापति महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ —

"संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 1975 को 'अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष' घोषित किये जाने के अवसर पर, यह सभा प्रधान मंत्री से आग्रह करती है कि भारतीय महिलाओं को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, विवाह तथा तलाक विधियों, दहेज प्रथाओं, प्रसूति और बाल कल्याण तथा समान कार्य के लिये असमान वेतन, शिक्षा और रोजगार के अवसर, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा श्रमजीवी माताओं की सुविधाओं के क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक अन्याय, अनर्हताओं और भेदभाव से, जिनसे वे अभी तक उत्पीड़ित हैं, छुटकारा दिलाने के लिये विशेष विधायी एवं प्रशासनिक उपाय करने हेतु एक व्यापक कार्यक्रम आरम्भ किया जाये ।"

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि संकल्प में,—

"विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, विवाह तथा तलाक विधियों, दहेज प्रथाओं, प्रसूति और बाल कल्याण तथा समान कार्य के लिये असमान वेतन, शिक्षा और रोजगार के अवसर, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा श्रमजीवी माताओं की सुविधाओं के क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक अन्याय, अनर्हताओं और भेदभाव से, जिनसे वे अभी तक उत्पीड़ित हैं, छुटकारा दिलाने के लिये विशेष विधायी एवं प्रशासनिक उपाय करने हेतु एक व्यापक कार्यक्रम आरंभ किया जाये।"

के स्थान पर यह प्रतिस्थापित किया जाये :—

"आर्थिक और सामाजिक अन्याय, अनर्हताओं और भेदभाव से, जिनसे वे अभी तक उत्पीड़ित हैं, छुटकारा दिलाने के लिये विशेष विधायी एवं प्रशासनिक उपाय करने हेतु एक व्यापक कार्यक्रम आरम्भ किया जाये और इस देश की 30 करोड़ महिलाओं के उद्धार एवं उनकी उन्नति और व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिये 1975 से 1985 की अवधि को 'भारतीय महिला दशक' घोषित किया जाये तथा इस दशक में इस संदर्भ में प्रगति पर दृष्टि रखने के लिये निष्ठावान एवं सुविख्यात महिलाओं और पुरुषों की एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त की जाये ।"

सभापति महोदय : इस चर्चा में भाग लेने वाले अभी बहुत से वक्ता हैं ।

श्री अटलबिहारी वाजपेयी : (ग्वालियर) महिला सदस्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे 7-10 मिनट से अधिक समय न लें । मैं महिला सदस्यों को प्राथमिकता दूंगा ।

श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्मम) : मुझे प्रसन्नता है कि श्री इन्द्रजीत गुप्त अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के सम्बन्ध में एक संकल्प लाये हैं कि महिलाओं के प्रति होने वाले आर्थिक और सामाजिक अन्याय, अनर्हताओं और भेद भाव दूर करने के उद्देश्य से विशिष्ट विधायी और प्रशासनिक उपाय करने हेतु व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाये । मैं चाहती हूं कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार

दिए जाने चाहिए। मुझे याद है कि एक प्रैस समाचार में श्री वाजपेयी जी ने कहा था कि महिलाओं को चक्की और चूल्हा छोड़कर राष्ट्रीय संघर्ष में शामिल होना चाहिए ।

महिलाओं को जीवन के हर पहलू में स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और उन्हें अपने व्यक्तित्व का विकास करने की अनुमति दी जानी चाहिए । उन्हें राष्ट्रीय जीवन के सभी पहलुओं में अपना योगदान करने और अपना कर्तव्य पालन करने का अवसर दिया जाना चाहिए । संविधान निर्माताओं ने कहा है कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिए जाने चाहिएं । गांधी जी ने भी अपनी एक पुस्तक में इसी पहलू पर जोर दिया है ।

महिलाओं के लिए समान अधिकारों के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संकल्पों का उल्लेख किया गया है । समान मजूरी के लिए समान वेतन आदि पर और भी कई संकल्प हैं । गांवों में महिला मजदूरों का निर्दयता से शोषण किया जाता है । आज भी ऐसे अनेक स्थान हैं जहां महिला मजदूर ही काम पर लगाई जाती है क्योंकि वे सस्ती पड़ती है । यह भेद भाव क्यों ? मेरा सुझाव है कि महिला श्रमिकों के लिए अलग से एक स्कन्ध होना चाहिए ताकि ऐसा भेदभाव समाप्त किया जा सके ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, हिन्दू महिलाओं के अधिकार बनाये रखना अधिनियम आदि जैसे बहुत से विधान पास किए गए हैं । इनमें संशोधन करने की आवश्यकता है क्योंकि ये पुराने हो गये हैं ।

विभिन्न राज्यों में भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियम के सम्बन्ध में कार्य चल रहा है । जब तक आप हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम को समाप्त नहीं करते तब तक लड़कियों को सम्पत्ति का कोई अधिकार नहीं मिलेगा । आप दहेज लेने-देने की बात क्यों सोचते हैं । देश के बच्चों के लिये एक समान अधिकारों की बात क्यों नहीं सोचते ।

श्री बी० वी० नायक : हम स्त्रियों को समान अधिकार देने के विरुद्ध नहीं लेकिन कहीं उनका प्रयोग भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी अधिनियम तथा भूमि सुधार को निष्फल करने के लिये न किया जाये ।

श्रीमती टी० लक्ष्मीकांतम्मा : आप स्त्रियों को पुरुषों के बराबर अधिकार दीजिये । हिन्दू उत्तराधिकार कानून में तुरन्त संशोधन किया जाना चाहिए। स्नातक के स्तर तक लड़कियों की शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए तभी वे प्रगति कर सकेंगी ।

***श्रीमती विभा घोष गोस्वामी** (नवद्वीप) : भारत की महिलाओं ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत शानदार भूमिका निभायी है । अतः उनका यह आशा करना उचित ही है कि स्वतंत्र भारत में उन्हें बराबर के अधिकार प्राप्त होंगे । हमारे संविधान में अनुच्छेद 14, 15 और 16 में स्त्रियों को समान अधिकार देने का उपबंध किया गया है । हिन्दू कोड बिल, उत्तराधिकार अधिनियम

* बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

*Summerised translated version based on English translation of the speach delivered in Bangali.

जैसे कुछ कानून बने जरूर हैं, लेकिन उनका लाभ उच्च वर्ग की कुछ महिलाओं को ही प्राप्त हुआ है। उन्होंने सार्वजनिक सेवाओं में प्रवेश किया है। कुछ महिलाएं विधान सभा और लोक सभा के लिये भी चुनी गई हैं और एक तो प्रधानमंत्री के उच्च पद पर भी आसीन हैं। लेकिन 26 1/2 करोड़ महिलाओं में ऐसी महिलाओं की गिनती बहुत कम है। अधिकतर स्त्रियों का भविष्य अंधकारमय ही है। उनका शोषण पूर्ववत ही रहा है। स्त्रियों की दशा में सुधार के लिये कानून बनाने का काफी शोर-शराबा हो रहा है लेकिन देश के आर्थिक ढांचे में परिवर्तन किये बगैर महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। गौर करने पर हम देखेंगे कि समाजवादी देशों में स्त्रियों की दशा में बहुत सुधार हुआ है। लेकिन पूंजीवादी देशों में, यहां तक कि अमरीका और इंगलैंड में भी स्त्रियों की दशा में उतना परिवर्तन नहीं आया और उन्हें समान अधिकार प्राप्त नहीं। 27 वर्षों की स्वतंत्रता के बाद भी वे आर्थिक दासता, अनपढ़ता, मानसिक गुलामी और मध्ययुगीन रूढ़ियों की शिकार हैं।

हमारे देश में 87% महिलायें उत्पादन कार्यों में कोई भाग नहीं ले रही। लेकिन आर्थिक दबाव के कारण उन्हें नौकरी खोजनी पड़ती है। रोजगार कार्यालयों में नाम रजिस्टर कराने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। लेकिन विभिन्न उद्योगों में और खानों में कार्य करने वाली महिलाओं की संख्या कम हो रही है। इस का कारण यह है कि श्रमिक प्रधिकरण ने यह निर्णय किया था कि महिला श्रमिकों को पुरुषों को मिलने वाली मजदूरी का 75 प्रतिशत भाग ही दिया जाये श्रम न्यायालय में अपील के परिणामस्वरूप समान कार्य के लिये समान वेतन निर्धारित किया गया। लेकिन फिर भी यह भय बना रहा कि शायद महिला श्रमिकों की संख्या कम कर दी जायेगी। सरकार ने इस भय को दूर करने के लिये कोई प्रयास नहीं किया। कपड़ा उद्योग में भी इसी कानून और न्यूनतम श्रम भार के कारण महिला श्रमिकों की छंटनी कर दी गई। पटसन उद्योग में भी ऐसा ही हुआ। रेलवे में भी नैगिि‌क महिला कर्मचारियों को पुरुषों से कम वेतन दिया जाता है। केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड भी भेदभाव बरतता है। उसने बागानों में पुरुषों के वेतन में प्रतिदिन 15 पैसे की वृद्धि और महिलाओं के वेतन में प्रतिदिन केवल 11 पैसे की वृद्धि करने की सिफारिश की है। बागानों में में यद्यपि पुरुष और महिलाएं एक-सा और बराबर काम करती हैं तथापि उनके वेतन में अन्तर रखा जाता है।

विमान परिचारिकाओं और प्रशिक्षण प्राप्त कर रही नर्सों को खुले तौर पर कहा जाता है कि यदि उन्होंने विवाह किया तो उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। महिला कर्मचारियों का उनके अधिकारियों द्वारा बराबर शोषण किया जाता है। नौकरी जाने के डर से वे किसी से कह भी नहीं सकतीं। कई छोटे छोटे कारखानों में प्रसूति सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं। इन सुविधाओं में निरंतर कमी हो रही है। सरकार ने भी अपने महिला कर्मचारियों की सुविधाओं के लिये विशेष कुछ नहीं किया। अनेक महिलाएं केन्द्रीय सचिवालय में काम करती हैं। लेकिन शिशुओं की देखभाल के लिये कितने केन्द्र खोले गये हैं। स्त्रियों को सम्पत्ति का अधिकार प्राप्त तो है लेकिन कितनी स्त्रियां उसका प्रयोग कर पा रही हैं। जब तक उचित आर्थिक तथा भूमि सुधारों द्वारा भूमि और सम्पत्ति का उचित वितरण नहीं हो जाता तब तक स्त्रियों की सामाजिक प्रतिष्ठा और समान अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। इस समय महिला कृषि मजदूरों को न केवल कम वेतन पर काम करना पड़ता है बल्कि उन्हें अपने दुधमुंहे बच्चों को भी छोड़कर आना पड़ता है। इस महिला अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष में शिशुओं की देखभाल के बहुत से केन्द्र खोले जाने चाहिये।

सामाजिक क्षेत्र में स्त्रियों को समान अधिकार प्राप्त नहीं है। दहेज प्रथा का उन्मूलन नहीं हुआ है, बहु विवाह और बाल विवाह देश के अन्दरूनी भागों में भी चल रहे हैं। वेश्यावृति अवैध नहीं है। जब तक समाजवाद नहीं आता तब तक वेश्यावृति समाप्त नहीं हो सकती। धर्म के नाम पर भी स्त्रियों पर अत्याचार हो रहे हैं। केरल में उन्हें 'नन' बनाकर अनैतिक कार्यों में लगने पर मजबूर किया जाता है। गरीब मुसलमान स्त्रियों को तलाक का डर बना रहता है। बोहरा समाज में भी स्त्रियों का शोषण होता है। अधिकतर स्त्रियां अशिक्षित हैं। हम अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मना रहे हैं लेकिन पश्चिम बंगाल में हजारों माताएं और बहिनें घरों को तिलांजलियां दे कर बाहर शरण ढूंढ रहीं हैं। उन्हें अपना कार्य नहीं करने दिया जाता, उनके पतियों को वहां के स्थान पर जाने से रोका जाता है। ये गुंडे और मस्तानों ने उनका जीवन दूभर कर दिया है। ये लोग अपने को कांग्रेसी बता कर अत्याचार करते हैं। महिलाओं को थाने में बंद करके उन पर बलात्कार किया जाता है।

पश्चिम बंगाल की महिलाएं एक शिष्टमण्डल के रूप में प्रधानमंत्री से मिलने आयीं। पश्चिम बंगाल लोकतांत्रिक 'महिला समिति' की चेयरमेन और हमारी नेता पर हमला किया गया। उन्हें 6 मास के लिये अस्पताल में रहना पड़ा। स्त्रियों पर होने वाले अत्याचारों के लिये उत्तरदायी अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती। स्त्रियों को अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिये एक जुट होकर और कंधे से कंधा मिलाकर काम करना होगा। उन्हें दृढ़ निश्चय से अपने मार्ग की बाधाओं को दूर करना होगा। हमारी महिलाओं में जागृति आनी चाहिये। महिला अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष में यह एक बड़ी उपलब्धि होगी।

सभापति महोदय : इस संकल्प के लिये 2 घंटे नियत किये गये हैं। यह समय 5.30 बजे समाप्त हो जायेगा और 18 वक्ताओं ने बोलना है। यद्यपि समय बढ़ाया जाता है तो श्री समर गुह का संकल्प व्यपगत हो जायेगा। आप ही फैसला करें।

श्री समर गुह (कन्टाई) : यह देश के एक महान सपुत्र का मामला है। इसके लिये समय दिया जाये। आप आज आधे घंटे का समय बढ़ा कर मुझे पांच मिनट का समय दें। मेरे लिये वही काफी है।

श्री राम सहाय पांडे : श्री समर गुह की मांग उचित है। उन्हें संकल्प पेश करने का अवसर दिया जाये।

श्री समर गुह : मेरा विचार है कि संसदीय कार्य मंत्री मेरा समर्थन करेंगे।

संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यह इस बात पर निर्भर है कि आप इसे कब तक जारी रखेंगे।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : आपकी बात ठीक है। लेकिन मैं समय बढ़ाने के पक्ष में नहीं हूं। क्या सभा इस महत्वपूर्ण विषय पर इसी सत्र के दौरान किसी अन्य दिन सामान्य चर्चा नहीं कर सकती ? ऐसा नियम 193 (ख) के अन्तर्गत किया जा सकता है।

सभापति महोदय : मैं नहीं कर सकता।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : नियम निलम्बित कर दिया जाये । श्री समर गुह का संकल्प अगली बार ले लिया जाये ।

सभापति महोदय : इस के लिये कई कठिनाइयां हैं । नियम 3 के अनुसार ऐसा नहीं किया जा सकता । जब तक बैलट में प्राथमिकता प्राप्त न हो, उसे आगे चर्चा के लिये रखा जा सकता ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मैंने अन्तिम दिन यह संकल्प पेश किया था । फिर यह आज तक कैसे चल रहा है ?

सभापति महोदय : जब किसी गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प या विधेयक, कोई प्रस्ताव पेश किये जाने पर अगले दिन के लिए स्थगित किया जाता है तो उसे आगे चर्चा के लिए तब तक नहीं रखा जा सकता जब तक उसे बैलट में प्राथमिकता प्राप्त न हो **(व्यवधान)** । मेरा ख्याल है कि इस नियम की व्याख्या अन्य ढंग से करने या इस नियम से छूट प्राप्त करने की गुंजाइश है । सबसे अच्छी बात तो यह होगी कि हम आज समय बढ़ा दें या जैसा सभा निर्णय करे, हम श्री समर गुह को संकल्प पेश करने की अनुमनि दे सकते हैं । सभा की इस बारे में क्या राय है ?

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : श्री इन्द्रजीत गुप्त का संकल्प स्थगित नहीं होता क्योंकि उस पर चर्चा समाप्त नहीं हुई है । अतः यह अपने आप बाद में लिया जायेगा।

श्री समर गुह : जब मेरा संकल्प स्वयं व्ययगत हो जायेगा । आप जरा मेरे संकल्प की ओर ध्यान दीजिये ।

सभापति महोदय । मेरा विचार है हम आज की आधे घंटे की चर्चा को किसी और दिन के लिये स्थगित कर दें ।

श्री बी० आर० शुक्ल : प्रतिदिन दो या तीन घंटे इसी प्रकार समाप्त हो जाते हैं । अतः उसी क्रम से विषयों के सम्बन्ध में समय-सीमा लागू की जानी चाहिये जिस क्रम से उन्हें रखा गया है । अतः मुझे कार्य-सूची के सम्बन्ध में गम्भीर आपत्ति है ।

श्री एच० के० एल० भगत : पिछली बार सभा की सहमति से अध्यक्ष महोदय ने श्री इन्द्रजीत गुप्त को संकल्प पेश करने की अनुमति दी थी । मेरा विचार है कि उनका संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है । श्री समर गुह का संकल्प भी महत्वपूर्ण है लेकिन श्री इन्द्रजीत गुप्त के संकल्प पर चर्चा के लिये भी काफी समय चाहिये । मेरा सुझाव यह है कि यदि श्री समर गुह को बोलने के लिये कुछ मिनट दिये जाते हैं तो श्री इन्द्रजीत गुप्त के संकल्प पर बाद में चर्चा की जाये ।

सभापति महोदय : आप कितना समय चर्चा के लिये बढ़ाना चाहते हैं । मंत्री महोदय कितना समय लेंगे ।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० नुरुल हसन) : मेरी बहुत इच्छा है कि इस महत्वपूर्ण विषय के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों के विचारों की जानकारी सरकार को है । लेकिन सभा द्वारा इस महत्वपूर्ण मामले के लिये अधिक समय देना संभव शायद नहीं हो पायेगा । मैं यह भी चाहता हूं कि श्री समर गुह का संकल्प भी लिया जाये । क्या इस बारे में नियमों की छूट सम्भव नहीं है ताकि श्री इन्द्रजीत गुप्त के संकल्प पर आज से 15 दिन बाद शुक्रवार को चर्चा की जा

सके और श्री समर गुह भी उसी दिन अपना संकल्प पेश करें ? बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं । उन्हें बोलने से रोकना अच्छा नहीं लगता ।

सभापति महोदय : ऐसी दशा में आप अलग से एक प्रस्ताव लाइये । तब तक हम चर्चा जारी रखेंगे । इस बीच सभा अपना निर्णय ले सकती है ।

Shri B.R. Shukla (Bahraich): Our history, culture and religion prove that women were. never considered inferior to men in any way. Yajnas and Hawans are not considered complete unless both wife and husband take part in them. So if later on the position of women has degraded it is the fault of ill-conceived superstitions and dogmas. It is provided in our constitution that there will be no discrimination on the basis of caste, creed or sex. In our country not only the condition of women is bad, but that of men is also bad. Both men and women are the victims of exploitation. Since women are physically weak and educationally backward, they can not fight for their rights so much.

Since women are physically weak and educationally backward, they could not fight for their rights independently. We cannot ameliorate the lot of women by merely passing legislations. What is needed is social and educational revolution. So far as the question of equal pay for equal work is concerned, both men and women get equal pay for the same work in Government and private offices. There is some disparity in wages where physical work is involved. There may be certain manual jobs, which only men may be doing and women may not be doing. But the question to be considered is how we can have a legislation in regard to this matter.

Any legislation dealing with social problems can be effective only if there is proper public opinion created to support that legislation. We know the fate of Sharda Act and Child Marriage Restraint Act, 1929. These are dead lettern now. These laws could not be implemented because necessary revolution in the thinking of the people was not there. So it is not enough to pass a legislation to remove any social evil. In this international year of women we should make efforts to bring about social revolution for ameliorating the lot of women. Our country will prosperous if women progress. There is large number of widows in our country, who have none to depend upon. The Government should give pension to such widows. Also Government should give help to those women who are not widows but who are helpless.

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur) : I support the resolution moved by Shri Indrajit Gupta. It is a very fine and essential resolution. Disparity among women will end if male ego is ended. A widow is considered in auspicious whereas a widower is holier in our society. This male ego has to be eschewed out.

The social laws are there; still the child marriages are taking place against the law. So, unless social consciousness is aroused through popular movements, we will not get desired results. It is a question of creating such an atmosphere.

This resolution is welcome in this International Women's Year in order to focus the attention on the problems of women. Mention has also been made of maternity benefits and child welfare. The present position is this that Government have failed to provide housing accomodation to our working women. Who is there to look after the babies of working women. It is alleged that in an Airlines here the female employees are not allowed to continue in the service after they get married. It is most unfair and this practice should be changed. The resolution moved by Shri Indrajit Gupta is very good and essential. But much depends on women themselves. Doors are open for them. We should make this year successful. With these words I fully support the Resolution.

Shri Paripoornanand Painuli (Tehri-Garhwal) : I have been listening with rapt attention the controversial views expressed by Shri Joshi from the very beginning we have been adopting double standards.

Even today there is no dearth of laws providing protection to women and there are several schemes at the administrative level that could contribute to the improvement in the lot of women. But even then disparity between men and women is increasing every day.

When Dowry Act was passed it was expected that dowry system will meet its end. On the other hand this system and illiteracy among women has increased during the last 20 years. It indicates that adequate efforts have not been made in this direction by the administration. Although we claim success for our Five Year Plans yet the situation has deteriorated.

Enough drinking water is not available in the rural areas. Women have to bring water from 4 to 5 miles in certain villages in the hilly areas. The representation of rural women in State Legislature and Parliament is negligible. Women representatives mostly come from rich families. They can not realise the difficulties experienced by poor women.

We talk loudly of Fundamental Rights and Directive Principles. But these are of no significance to the poor women who are unable to make both ends meet.

It is not enough to enact laws; the more important thing is to implement them most effectively. The Suppression of Immoral traffic in women and Girls Act was enacted in 1956, but not a single case of rehabilitation of immoral women has since come to light. Either that Act is defective or it needs amendment. The Social Welfare Department had made a survey of exploited scheduled castes women and their report showed how the harijan and adivasi women in Uttar Pradesh and Madhya Pradesh were being exploited. Serious steps should be taken to eradicate trafficking in women.

It is, therefore, necessary to implement the acts already enacted. Something concrete should be done. I shall request the hon. Minister Prof. Nurul Hasan to allocate more funds for the up liftment of backward classes, adivasis and harijans.

***श्री जे० माता गौडर** (नीलगिरी) : स्त्रियों को अधिकार दिलाने के मामले में तमिलनाडु का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है । श्री रामस्वामी नायकर ने स्त्रियों पर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई थी । भारत के धर्मों, विशेषकर हिन्दू धर्म ने शताब्दियों से स्त्रियों को दवाने में काफी योगदान किया है । पुस्तकों से वे अंश निकाल दिये जायें जिनमें देवताओं को एक से अधिक पत्नियां रखने वाला बताया गया है । उनकी नकल सामान्य लोग करते हैं । अतः पाठ्य पुस्तकों में ऐसी कहानियों को स्थान न दिया जाये ।

दूसरी बात यह है कि स्त्रियों में शताब्दियों से चली आ रही अन्ध विश्वास की गलत धारणाओं को दूर किया जाये । आज स्त्रियां जो अपने अधिकारों के लिये लड़ रही हैं उसका कारण यह है कि उन्होंने पेरियार से बहुत कुछ सीखा है ।

सत्ताधारी दल द्वारा भी महिलाओं को विशेष प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है । 524 सदस्यों में केवल 24 महिला सदस्य लोक सभा में हैं । सत्ताधारी दल की समाजवादी कथनी और करनी में जितना अंतर है उतना ही अंतर हमें महिलाओं की स्थिति के बारे में भी मिलता है । बागान उद्योगों में स्त्रियों को पुरुषों से 2 रुपये कम मजदूरी मिलती है । हमारी सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के इस प्रस्ताव की पुष्टि तो कर दी कि समान कार्य के लिये समान वेतन हो लेकिन उसे कार्यान्वित नहीं किया है । ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्त्रियों की दशा और भी खराब है ।

---

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

प्रतिदिन हमें समाचार पत्रों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों की कहानियां पढ़ने को मिलती हैं । भिलाई इस्पात संयंत्र के छोटे-बड़े अधिकारी आदिवासी लड़कियों पर किस प्रकार बलात्कार करते हैं इसकी कुछ जानकारी एक पत्रिका में दी गई थी । इन कामी सरकारी अधिकारियों से आदिवासी लड़कियों की रक्षा करने के लिये शिक्षा मंत्री ने क्या उपाय किये हैं? कोई प्रदर्शनी लगाई जाती है तो आदिवासी लड़कियों के नग्न चित्र दिखाये जाते हैं । इस अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के उत्थान की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये ।

मुझे खेद है कि इस वर्ष विशेष रूप से महिलाओं के कल्याण के लिये सरकार ने किसी कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है । शिक्षा मंत्रालय ने भी कोई अनुदान की मांग इस बारे में प्रस्तुत नहीं की है। इस वर्ष कम से कम समाज कल्याण बोर्ड का नाम बदल कर महिला कल्याण बोर्ड कर दिया जाये ।

सभी सदस्यों ने, जो बोले हैं, दहेज प्रथा की बात कही है । हमारे समुदाय में यद्यपि यह एक पिछड़ा समुदाय है, यह रिवाज है कि दुल्हे के परिवार द्वारा दुल्हन के परिवार को दहेज दिया जाता है। नीलगिरि के इस पिछड़े समुदाय का उदाहरण देकर हिन्दुओं की सामाजिक चेतना को जगाया जा सकता है।

यह संकल्प विपक्ष द्वारा पेश किया गया है जबकि इसे सरकार द्वारा पेश किया जाना चाहिये था। अब इसे स्वीकार करके सरकार को महानता का परिचय देना चाहिये ताकि इसे सर्वसम्मति से पास किया जा सके।

श्री सैयद अहमद आगा (बारामूला) : मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त के संकल्प का समर्थन करता हूं। महिलायें बहुत बड़ी संख्या में अशिक्षित हैं क्योंकि स्कूलों की संख्या पर्याप्त नहीं है । सरकारी स्कूलों में भी गैर-सरकारी स्कूलों की भांति सह-शिक्षा लागू की जानी चाहिये ।

सभापति महोदय : मुझे श्री समर गुह से एक प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है । उन्होंने वर्तमान चर्चा स्थगित करने और नियम 29 और 30 का निलम्बन करने का प्रस्ताव रखा है ताकि बिना बैलट के अगले दिन उस पर चर्चा जारी रखी जा सके । मामले की महत्ता को दृष्टि में रखते हुए और अपवाद स्वरूप मैंने सहमति दे दी है लेकिन इसे उदाहरण के रूप में पेश न किया जाये ।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : क्या आप नियमों को निलम्बित कर रहे हैं और यह निर्णय दे रहे हैं कि भविष्य में इसे उदाहरण स्वरूप उद्धृत न किया जाये अथवा क्या आप इन नियमों से बाहर जा रहे हैं ?

सभापति महोदय : गैर-सरकारी सदस्य के संकल्प पर चर्चा स्थगित करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन उस पर अगले दिन चर्चा के लिये बैलट में उसे प्राथमिकता प्राप्त होना जरूरी है । सभा इन नियमों को निलम्बित कर सकती है और मैंने इस बारे में अपनी सहमति दे दी है। अब यह सभा पर है कि वह इस से सहमत होती है या नहीं । यदि सभा सहमत है तो श्री इन्द्रजीत गुप्त को संकल्प पर चर्चा स्थगित होकर अगले दिन आरम्भ की जायेगी ।

श्री पी० जी० मावलंकर : सभा श्री गुप्त के संकल्प पर चर्चा करना चाहती है । बात यह है कि श्री समर गुह के संकल्प पर चर्चा करने के लिये प्रक्रिया के विरुद्ध कोई बात क्यों की जाये ?

सभापति महोदय : एक अनुरोध यह है कि समय को दो घंटे बढ़ा दिया जाये ।

श्री समर गुह : तब अपने संकल्प पर बोलने के लिये मुझे समय न मिलेगा । क्योंकि अगली बार गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों के बाद संसद का सत्रावसान हो जायेगा ।

सभापति महोदय : हम श्री गुप्त के संकल्प पर उसी दिन विचार करेंगे । अब श्री गुहा आप प्रस्ताव पेश कर सकते हैं ।

श्री समर गुह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि महिलाओं को आर्थिक तथा सामाजिक अन्याय से छुटकारा दिलाने के लिये उपायों के बारे में श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा 26 मार्च, 1975 को पेश किये गये संकल्प पर चर्चा गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों के लिये नियत अगले दिन के लिये स्थगित की जाये और नियम 30 के उपनियम (1) के उपबन्धों और नियम 29 के परन्तुक को जहां तक वे इस संकल्प पर लागू होते हैं, निलम्बित किया जाये ताकि संकल्प को कार्य सूची में बिना बैलट के प्रथम मद के रूप में रखा जा सके ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि महिलाओं को आर्थिक तथा सामाजिक अन्याय से छुटकारा दिलाने के लिये उपायों के बारे में श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा 26 मार्च, 1975 को पेश किये गये संकल्प पर चर्चा गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों के लिये नियत अगले दिन के लिये स्थगित की जाये और नियम 30 के उपनियम (1) के उपबन्धों और नियम 29 के परन्तुक को जहां तक वे इस संकल्प पर लागू होते हैं, निलम्बित किया जाये ताकि संकल्प को कार्य सूची में बिना बैलट के प्रथम मद के रूप में रखा जा सके ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was Adopted

सभापति महोदय : अब श्री समर गुह अपना संकल्प पेश कर सकते हैं ।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के लापता होने सम्बन्धी जांच आयोग के प्रतिवेदन के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE : REPORT OF COMMISSION OF INQUIRY INTO DISAPPEARANCE OF NETAJI SUBHASH CHANDRA BOSE

श्री समर गुह : (कन्टाइ) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"यह सभा 'नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के लापता होने सम्बन्धी एक-सदस्यीय जांच आयोग' के प्रतिवेदन में, विशेषतया पृष्ठ 7, 16, 30, 31, 37, 124 और 125 पर आयोग के सभापति जस्टिस जी० डी० खोसला द्वारा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के विरुद्ध की गई अपमानजनक टिप्पणियों की

घोर निन्दा करती है और सरकार से आग्रह करती है कि वह प्रतिवेदन को जनता में परिचालित किए जाने से पूर्व इन अपमानजनक, विकृत, यथार्थतः असत्य और अनावश्यक टिप्पणियों को प्रतिवेदन से निकाल दे क्योंकि इनसे हमारे देशवासियों की देशभक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, और इस सम्बन्ध में हमारी राष्ट्रीय भावना का विचार करते हुए, भारतीय जनता की आकांक्षाओं की प्रतीक यह सर्वोच्च सभा मातृभूमि के सबसे बड़े क्रान्तिकारी भक्त के प्रति, जिसने संयुक्त भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक चिरस्मरणीय सेनानी की ऐतिहासिक भूमिका निभाई, राष्ट्र की पावन श्रद्धांजलि समर्पित करती है।"

---

*दहेज निषेध अधिनियम

DOWRY PROHIBITION ACT

सभापति महोदय : श्री सोखी।

श्री बी० वी नायक (कनारा) : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। चूंकि आप ने बैलट का प्रश्न उठाया है। इसी लिये मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जब भी कोई चर्चा नियम 55 के अधीन स्थागित की जाती है तो उपखण्ड (4) के अनुसार बैलट किया जाना चाहिये। लेकिन जहां तक मुझे मालूम हुआ है आज बैलट नहीं हुआ है। मैं आपको एक समाधान बता सकता हूं। चार सदस्यों ने प्रश्न पूछने हैं। यदि ये चार सदस्य उपस्थित नहीं हैं तो क्या आप हमें प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे क्योंकि हमने 10 बजे से पूर्व सूचना दी थी ?

सभापति महोदय : इस आधे घंटे की चर्चा के लिये बैलट किया गया था जो क्रियान्वित होगा। कोष्टक (4) बिल्कुल भिन्न प्रयोजन के लिये हैं। अतः मेरा ख्याल है कि व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। श्री सोखी।

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी (जमशेदपुर) : दिनांक 4 मार्च, 1975 के मेरे अतारांकित प्रश्न संख्या 2188 के उत्तर में कहा गया कि दहेज निषेध, अधिनियम अपना प्रयोजन पूरा करने में असफल रहा है। सामाजिक जागृति के बिना कानून प्रभावी नहीं हो सकता। यह अधिनियम पिछले 14 वर्षों से निष्प्रभावी है। मुझे यह देख कर बहुत आश्चर्य होता है। यह अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष है और विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री स्वयं एक महिला है अतः इस कानून में संशोधन करके उसे और कड़ा बना दिया जाये। इस अपराध के लिये कम से कम 5 वर्ष का दंड या 15,000 रुपये जुर्माना होना चाहिये। अधिनियम शीघ्रता से तैयार किया गया था अतः उसमें कुछ दोष रह गये हैं। आजकल दहेज कार, फ्रिज, वातानुकूलन यंत्र, आभूषण आदि के रूप में पूंजीपतियों और यहां तक कि विधायकों द्वारा भी दिया जाता है।

इस प्रथा को समाप्त कर विद्यायकों को आदर्श स्थापित करना चाहिये। लड़कियों को भी ऐसी जगह विवाह करने से इन्कार कर देना चाहिये जहां दहेज की मांग की जाती हो। ऐसे अधिनियम का

*आधे घंटे की चर्चा।

*Half an Hour Discussion.

क्या लाभ, जिसका उल्लघंन करने वालों के विरुद्ध सरकार कार्यवाही न कर सके । अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष में एक 'महिला मतर्कता दल' बनाया जाना चाहिये जो यह सुनिश्चित करे कि दहेज की मांग करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जाये । विधि तथा न्याय मंत्री से हम अपेक्षा करते हैं कि वह हमें बतायें कि इस सम्बन्ध में क्या किया जा रहा है।

श्री गिरिधर गोमांगो (कोरापुट) : यह एक सामाजिक प्रश्न है और मैं समझता हूं कि इस सामाजिक बुराई को सामाजिक सुधारों द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है ।

[**श्री जगन्नाथ राव जोशी पीठासीन हुए**
Shri Jagannathrao Joshi in the Chair]

देश में प्रचलित दहेज़ प्रथा के सम्बन्ध में मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि दहेज़ प्रथा पर रोक लगाने के सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार द्वारा जो प्रस्ताव सरकार को भेजा गया था उस पर केन्द्र सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है या नहीं? क्या सरकार ने इस बात का भी प्रचार करने का प्रयत्न किया है कि कुछ आदिम जातियां ऐसी भी है जहां कि दहेज प्रथा है ही नही, सरकार को प्रचार के लिए, उड़ीसा सरकार की तरह ही कुछ उक्तियां अपनानी चाहिये जैसे "दहेज काल धन है, इसे मत छूओ"। इनका जन साधारण पर काफी अच्छा प्रभाव पड़ सकता है । अन्ततः मेरा सुझाव यह है कि सरकार को कलैक्टरों से इस प्रकार के मामलों की जानकारी एकत्रित करने के लिये कहना चाहिये जहां अधिक दहेज लिया या दिया गया हो।

श्री पी० जी० मांवलकर (अहमदाबाद) : मेरे मित्र श्री स्वर्ण सिंह सोखी का मूल प्रश्न यह था कि क्या दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के माध्यम से अपेक्षित लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पाई है? इसके उत्तर में डा० सरोजनी महिषी जैसी विद्वान मंत्री ने कहा है कि ऐसी धारणा है कि अधिनियम अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का कार्य केवल धारणा के आधार पर ही चलाया जाता है या उसके लिए कोई वास्तविक आंकड़े भी एकत्रित किये जाते हैं? इसी प्रकार श्री सोखी ने प्रश्न के (ख) भाग में पूछा है कि क्या गत 15 वर्ष से अधिनियम के लागू होने पर भी, देश में दहेज प्रथा में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है । मंत्री महोदय ने इसके उत्तर में कहा कि हमें इस प्रकार की कोई विश्वस्त जानकारी नही है । प्रश्नकाल का उद्देश्य सदस्यों को जानकारी उपलब्ध करवाना होता है तथा सदस्यों को इस प्रकार के उत्तर नहीं दिये जाने चाहिये जो निर्थक हो।

दहेज अधिनियम की धारा 2 में यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि विवाह के अवसर पर दोनों पक्षों को जो उपहार दिये जायेंगे उन्हें दहेज़ में नहीं गिना जायेगा । मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब अधिनियम में इस प्रकार की व्यवस्था होगी तो भला वह उद्देश्य पूर्ति में कैसे सफल हो सकेगा? इसी प्रकार धारा 3 में यह व्यवस्था है कि दहेज लेने या देने वाले व्यक्ति को छः महीने की सजा तथा 5000 रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है । यह दोनों सजाये इतनी अधिक नहीं है कि इनका उपयुक्त प्रभाव पड़ सके, इन्हे और अधिक कड़ा किया जाना चाहिये? क्या गत 15 वर्षों में किसी व्यक्ति पर इस प्रकार का मुकदमा चलाया गया है? अन्ततः मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सामाजिक बुराई के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए सरकार द्वारा गत 15 वर्षों में क्या किया गया है?

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनो महिषी) : मुझे यह देख कर प्रसन्नता हो रही है कि सदन ने महिलाओं के स्थिति सुधारने सम्बन्धी इस चर्चा में काफी रुचि दिखाई

है तथा सकारात्मक सुझाव दिये हैं । "दहेज निषेध अधिनियम" आज से 15 वर्ष पूर्व लागू किया गया था। किसी भी सामाजिक कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये स्वयं लोगों में उसके प्रति अपेक्षित जागरूकता का होना अनिवार्य है । सामाजिक कानून समाज में जागरूकता का वातावरण तैयार करने में काफी सहायक सिद्ध हो सकता है ।

दहेज प्रथा का आरम्भ हमारे देश में कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में हुआ । सदस्यों की जानकारी के लिए मैं इस प्रथा का संक्षिप्त इतिहास प्रस्तुत करती हूं । यद्यपि हमारे शिलालेखों में यह बात स्पष्ट रूप से लिखी हुई है कि पुत्र तथा पुत्री का दर्जा समान होगा परन्तु फिर भी समयोपरान्त कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती चली गई जिनके फलस्वरूप पुत्री की अपेक्षा पुत्र को अधिक महत्व दिया जाने लगा । समाज के नियम निर्माताओं ने प्रचलित आठ प्रकार के विवाहों में से चार प्रकार के विवाहों को श्रेष्ठ समझा जाने लगा । उनकी यह मान्यता थी कि जहां कन्या को आभूषणों से सुसज्जित कर, विवाह किया जाय, वह विवाह श्रेष्ठ होता है । समयोपरान्त इस मान्यता ने बल पकड़ लिया तथा इस प्रकार के उपहारों तथा आभूषणों 'स्त्रीधन' समझा जाने लगा । यह उपहार कन्या के माता पिता तथा भाईयों द्वारा दिये जाते थे। समयोपरान्त यह प्रथा दहेज के रूप में बदल गई । इसका एक अनिवार्य परिणाम यह निकला कि परिवार में पुत्री की अपेक्षा पुत्र को अधिक महत्व प्रदान किया जाने लगा ।

समयोपरान्त स्थिति में और परिवर्तन होने लगा । पूर्वजों की युक्ति के लिए कन्या की अपेक्षा पुत्र को श्रेष्ठ समझा जाने लगा चाहे वह पुत्र खरीदा हुआ या गोद लिया हुआ ही क्यों न हो । इसी प्रकार माता पिता की सम्पति का वारिस भी पुत्री की अपेक्षा पुत्र को माना जाने लगा । जब समाज में इस प्रकार का परिवर्तन आ गया, तो सम्पूर्ण सन्दर्भ ही बदल गया। जो आभूषण पहले केवल स्नेह का प्रतीक हुआ करते थे, अब विवाह का अनिवार्य अंग बन गये तथा उन्हें दहेज की संज्ञा दी गई ।

हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने तथा महिलाओं की दशा सम्बन्धी समिति ने सुझाव दिया कि दहेज की मांग को दण्डनीय अपराध बना दिया जाये । परन्तु क्या ऐसा करना संभव है ? कारण यही है कि यदि ऐसा कर दिया गया तो विवाह, शादियों में सम्बन्धियों तथा अन्य व्यक्तियों के स्थान पर पुलिस ही नजर आयेगी । क्या हमारा प्रबुद्ध समाज विवाह शादियों जैसे समारोहों में पुलिस की उपस्थिति को सहन करेगा ? 1959 में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई थी तथा उस समय सदस्यों की यह राय थी कि इसे दंडनीय अपराध न बनाया जाये ।

समाज के प्रबुद्ध सदस्यों को अपने ही घरों से अच्छे प्रयोगों का श्री गणेश करना चाहिये । समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति जब तक पहल नही करते, तब तक कुछ हो पाना कठिन है। आज स्थिति यह है कि वर जितना धनवान होगा, दहेज की राशि भी उसी अनुपात से अधिक ही होगी । आज बाजार में वरों का विक्रय किया जाता है । हमारे कुछ माननीय सदस्य बहुत लम्बी चौड़ी बातें कर रहे थे, मैं जानना चाहती हूं कि क्या उन्होंने बाजार में चल रही वर के क्रय विक्रय जैसी सामाजिक बुराई के विरुद्ध कभी आवाज उठाई है ? अमीर व्यक्तियों द्वारा यदि ऐसा किया जाये तो वह समाज के लिये अधिक लाभकारी तथा अधिक प्रभावी हो सकता है ।

वर्ष 1961 में एक अधिनियम पारित करके दहेज को सामाजिक बुराई घोषित कर दिया गया था तथा इसे समाप्त करने के लिये कहा गया था । हमारा प्रबुद्ध समाज तथा हमारी स्वैच्छिक संस्थायें कहां तक यह कार्य कर पाई है, हमारे समक्ष यही मुख्य प्रश्न है । चूंकि प्यार से दिये गये उपहार या बाध्य होकर दिये गये दहेज के बीच के अन्तर का पता लगाना बहुत कठिन है अतः इसलिये हमें इस दिशा में

बहुत सोच समझ कर कार्य करना चाहिये । हमें लोगों को इसके लिये शिक्षित करना चाहिये कि वह इस सामाजिक बुराई से दूर रहें।

महिलाओं के जीवन स्तेर में सुधार लाने की अपेक्षा से गठित की गई एक समिति ने सुझाव दिया है कि दहेज की मांग को दण्डनीय अपराध बनाया जाना चाहिये । एक अन्य संस्था ने सुझाव दिया है कि उपहार का मूल्य 500 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिये । परन्तु वास्तविकता तो यह है कि माता पिता को उपहार देने से कोई रोक नहीं सकता बशर्ते कि वह प्रेम तथा स्नेह की भावना से ऐसा करे। ऐसी स्थिति में भला कानून कितना कारगर सिद्ध जो सकता है ?

दहेज केवल वधुपक्ष की ओर से ही वरपक्ष को नहीं दिया जाता अपितु देश के कुछ भाग ऐसे भी है जहां वधु को खरीदने की प्रथा भी है । यही प्रथा कुछ स्थानों पर कन्याशुल्क के नाम से भी प्रचलित है जहां कि लड़का खरीदने के लिए लड़की के मातापिता को धन देना पड़ता है । यह दोनों ही बाते हमने अपने अधिनियम में निषिद्ध करार की है।

मेरे माननीय मित्र श्री गोमागों द्वारा उड़ीसा सरकार के विधेयक का उल्लेख किया गया है । मैं यहां यह स्पष्ट कर दूं कि यह विषय समवर्ती सूची के अन्तर्गत आता है । उस विधेयक में यह व्यवस्था है कि यदि कोई पति अपनी पत्नी की अपेक्षित वैवाहिक दर्जा तथा अधिकार देने से इस लिये इन्कार करता है कि वह दहेज कम लाई है तो उसे 10,000 रुपये तक का जुर्माना किया जाना चाहिये या 6 महीने की सजा दी जानी चाहिये । एक समिति ने सुझाव दिया है कि सरकारी कर्मचारी आचरण संविता में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये कि जो व्यक्ति दहेज की मांग करे, उसे सरकारी नौकरी के अधिकार से वंचित कर दिया जाना चाहिये । इसी प्रकार के कुछ अन्य सुझाव भी हमारे पास आये है तथा उन सब पर हम विचार कर रहे है तथा यह पता लगाने का प्रयत्न किया जा रहा है कि अधिक कारगर क्या हो सकता है।

श्री मावलंकर ने मेरे द्वारा उत्तर में 'धारणा' शब्द पर अपत्ति की है । वास्तविक स्थिति यह है कि जब हम यह पता नही लगा सकते कि दहेज स्वेच्छा से दिया जा रहा है या बाध्य होकर तो इन परिस्थितियों में मेरा 'धारणा' शब्द प्रयोग करना ही उपयुक्त था। यहां मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि इस प्रकार का एक मामला राजस्थान, एक उत्तर प्रदेश तथा बीस पंजाब में विभिन्न न्यायालयों के समक्ष आये हैं ।

मैं समझती हूं कि हमें लोगों में जागृनि पैदा करनी चाहिये । ताकि वह दहेज को सामाजिक बुराई मानने लगें । दहेज के लेने तथा देने दोनों को ही घृणित समझा जाये। मैं समझती हूं कि शिक्षित लोगों को अपने ही घरों से इस प्रकार के प्रयोग करने चाहिये तथा समाज में जागृति लाने का प्रयत्न करना चाहिये । इसके साथ ही मैं समझती हूं कि इस अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष में स्वयं स्त्रियों को भी इसमें पहल करनी चाहिये तथा जहां कही दहेज की शर्त हो वहां शादी करने से ही इन्कार कर देना चाहिये।

इस चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों का मैं अन्यवाद करती हूं।

सभापति महोदय : अब सदन मंगलवार, 11 अप्रैल 1975 के 11 बजे तक के लिये स्थगित होता है।

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 15 अप्रैल 1975/25 चत्र, 1897 (शक) के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, the 15th April 1975/25th Chaitra, 1897 (Saka)

MGIPRRND—22 LSS/75—II—N—27-8-75—200.